खण्ड-424, अंक-4
मंगलवार, 23 आषाढ़, शक संवत् 1920
(23 जून, 1998 ई0)

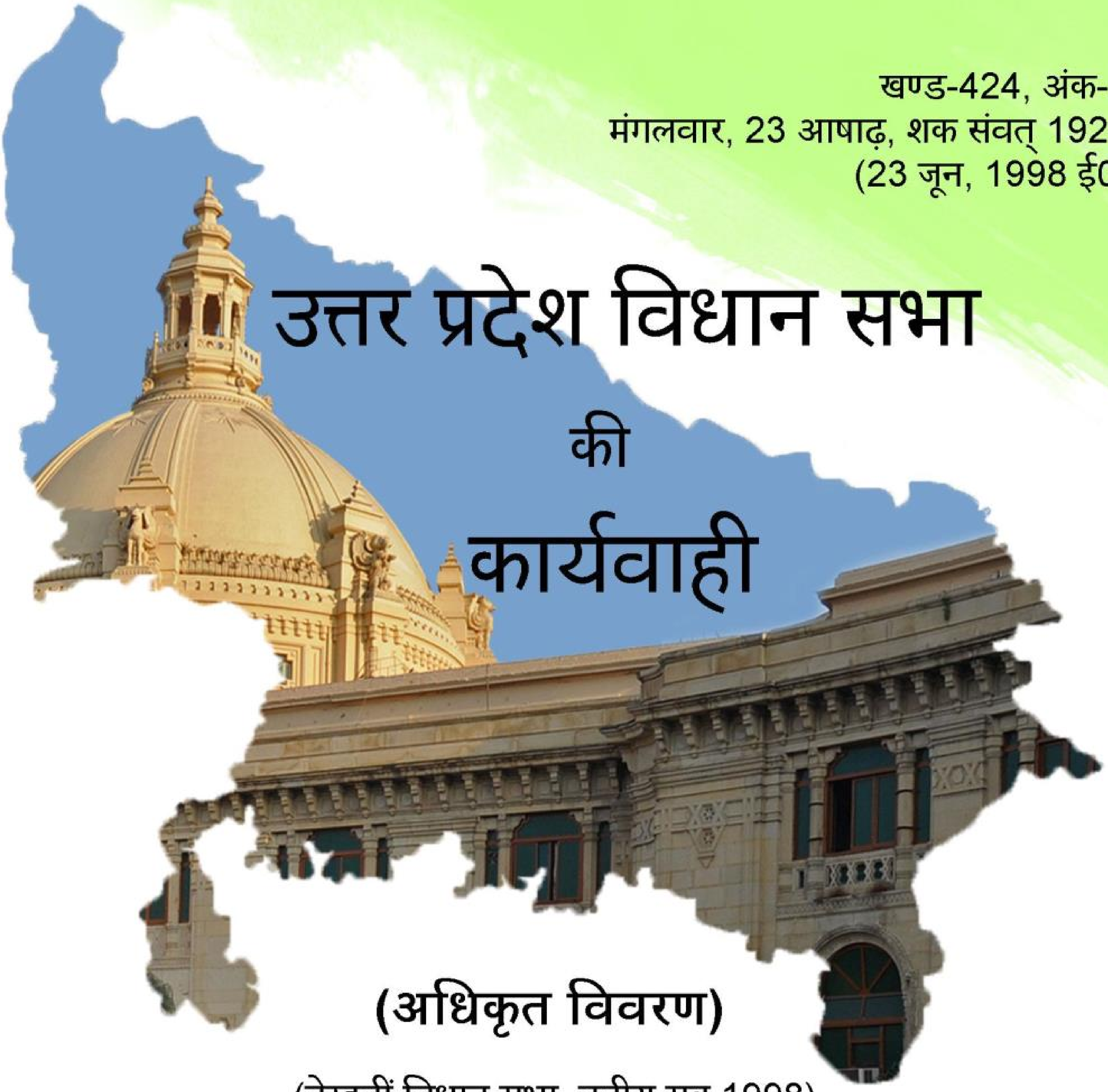

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
विभिन्न सूचनाओं को उठाये जाने का प्रयास	1-2
प्रश्नोत्तर	2-87
श्री प्रमोद कुमार स० वि० स० के निलम्बन को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव ... (स्वीकृत)	87
नियम 301 की सूचनाएं	87
बन कानून 1893 को टिहरी गढ़वाल एवं उत्तर काशी जनपदों में इनकी विशेष परिस्थितियों के कारण लागू न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिकरी रहमानपुर के पास मलेंगा नाले पर पुल/रपटा स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद हमीरपुर के ब्लाक गोहान्ड के ग्राम अमगांव से करौदी तक अधूरे सड़क निर्माण को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	88
जनपद सीतापुर बहेटा क्षेत्रान्तर्गत दूसरे विद्युत उपकेन्द्र को प्रारम्भ किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद सुल्तानपुर में कोतवाली सदर के पास ग्रामीण बैंक में पड़ी डकैती की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
राजा शंकर सहाय इण्टर कालेज उन्नाव के प्रधानाचार्य के अवशेष वेतन का भुगतान कराने के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90-91
नियम 300 की सूचनायें	91
प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 63, 64, 65 तथा प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 165-166 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचनाओं का शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विलम्ब से उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	91
तृतीय सत्र 1998 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–162 के उत्तर में संबंधित मंत्री का हस्ताक्षर न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न...	91-92
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का प्रतिवेदन वर्ष 1979-80, 83-84, 1986-87, 1994-95 एवं 1995-96 (वाणिज्यिक) (प्रस्तुत किया गया) ...	92
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 1979-80 से 1985-86... (प्रस्तुत किया गया)	92
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	93

विषय	पृष्ठ संख्या
सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली की समुचित एवं सुनिश्चित आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)	93-94
विद्युत निगम की चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्रियों के सदन में उपस्थित न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	94
सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली की समुचित एवं सुनिश्चित आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)	94-117
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	117-126
वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	126-150
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	150-153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	153
नत्थियां	154-155

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 23 जून, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	मातबर सिंह कडारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर	मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	मुराद लारी, श्री	देवरिया
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	मुश्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
उबैदुर्रहमान, श्री	गोंडा	राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर	राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
के० सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर	विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा	विनोद कुमार सिंह उर्फ	
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	श्री निवास मणि, श्री	देवरिया
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
"पटेल" राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी	हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर	हर प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 23 जून, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

डा० अम्मार रिज़वी–

मान्यवर, आपसे अनुरोध है, माननीय प्रमोद तिवारी जी के प्रकरण पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव लायें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के तुरन्त उपरान्त 12.20 पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें ।

डा० अम्मार रिज़वी–

मैं एक मिनट लूंगा, बगैर इजाजत के एक शब्द नहीं बोलूंगा । मान्यवर, कल यह बात आई थी लाएण्ड आर्डर पर चर्चा के बाद यह प्रस्ताव हो जायेगा । फिर बात आई नियम–56 के बाद होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आज मैं बैठा हूं, निश्चित हो जायेगा 12.20 बजे प्रश्नकाल समाप्त होते ही यह पहला कार्य होगा ।

डा० अम्मार रिज़वी–

आप पर पूरा भरोसा है, वर्ना इनका तो हाल यह है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सेवा में एक शब्द कहना चाहता हूं

जो तुम्हारी तरह तुमसे झूठे वायदे करता ।

तुम्ही मुंसिफों से कह दो तुम्हें एतवार होता ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान सेन्ट्रल हाल की तरफ खींचना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्य त्रस्त हैं वहां ऐसा लगता है जैसे भट्ठे में आ गये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पूरे उ० प्र० में जिस तरह से जातिवाद के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है उस पर हमने 311 में निवेदन किया है । जब माननीय मायावती मुख्यमंत्री थीं तो थानों में 20 परसेन्ट शेड्यूल्ड कास्ट, 25 परसेन्ट पिछड़ी जाति और 8 परसेन्ट माइनारिटीज के लिये आरक्षण था, लेकिन आज वह कुछ नहीं है । यह आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो गयी है, एक निरंकुशता का राज्य हो गया है, सब काम रोक कर अविलम्ब इस पर चर्चा करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत जितनी सूचनाएं आई थीं वह नियम 56 में परिवर्तित कर दी गयी है (व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है । इस पर तत्काल कार्यवाही करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

इस पर शेष कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल होने दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हम आपसे अनुरोध करते हैं इस पर हमें बोलने का मौका दें ।

श्री राम ललित चौधरी–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आज शलाका में आ गया तो ठीक है नहीं तो कल दे दीजियेगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधायकों तथा सांसदों के लिये अंगरक्षक/गनर की व्यवस्था

**1–श्री राम ललित चौधरी तथा श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधायकों को मिलने वाले सुरक्षा कर्मियों के वेतन का 25 प्रतिशत धन जमा करने पर जान-माल की रक्षा के लिये विधायकों तथा सांसदों आदि के लिये अंगरक्षक/गनर दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता महसूस किये जाने पर बिना 25 प्रतिशत धन जमा कराये गनर या शैडो की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

सभी वर्तमान सांसदों व विधायकों की सुरक्षार्थ उनकी मांग पर आवश्यकतानुसार निशुल्क एक गनर/शैडो निश्चित अवधि तक के लिए उपलब्ध कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं ले रहे हैं, हमारी उपेक्षा हो रही है, इस लोक महत्व के बिन्दु को न लेने पर हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर गये)

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, विधायक जिनकी सुरक्षा के विषय में यह प्रश्न है इसमें दो विधायकों का नाम है माननीय राम ललित जी को भी इसमें जोड़ा है मैंने यह प्रश्न किया था मैं इस पर नहीं जाता लेकिन मैं इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिन विधायकों के जीवन की सुरक्षा को खतरा है उनको एक गनर और शैडो दिया जाता है । जिनको अधिक भय है उनकी सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा की मांग वह करता है तो सरकार उसको बिना पैसा जमा कराये गनर उपलब्ध करायेगी ?

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जहां तक वर्तमान विधायकों का प्रश्न है उनकी सुरक्षा को देखते हुए एक गनर या एक शैडो उनको दिया गया है ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

एक शैडो दिया गया था वह भी वापस कर लिया मैंने दो बार लिखकर दिया था आपने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री जी से बात कर सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पहले यह उत्तर आ जाय फिर अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजियेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया था, मैंने यही कहा कि एक गनर या एक शैडो निःशुल्क दिया जाता है । इसके अतिरिक्त जहां पर सुरक्षा की आवश्यकता है, यदि यह समझा जाता है कि वास्तव में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता है तो उसके लिये 25 प्रतिशत जमा करने के बाद दिये जाने का प्राविधान है ।

श्री उदयराज यादव–

इससे पहले जिन लोगों के पास गनर और शैडो दोनों थे तो 25 प्रतिशत नही पड़ता था । मेरे ऊपर हमला हुआ था और मुझे शैडो दिया गया था उसको 2-3 महीने बाद हटा लिया गया ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

मान्यवर, हम लोगों की व्यक्तिगत समस्यायें है उनको कृपा करके सुन लीजिये । एक तरफ जो मौजूदा सदस्य है उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नही किया जा रहा है दूसरी तरफ जो छोटे-छोटे सत्ता पक्ष के राजनीतिक नेता हैं उनको 5–5 शैडो और 7–7 गनर उपलब्ध कराये जा रहे है । विपक्ष के लोग सदन के सदस्य है और जिनको अपनी जान का खतरा है सरकार पहले उनकी सुरक्षा करे । सरकार उनकी सुरक्षा हटाने का काम कर रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे पूरा खतरा है किसी दिन मेरी हत्या कर दी जायेगी इसलिये विनम्र निवेदन है कि मैंने बार-बार चेम्बर में जाकर आपसे निवेदन किया कि मेरी सुरक्षा का प्रबंध करा दीजिये आपने आश्वासन दिया था कि मुख्य मंत्री जी से सुरक्षा का प्रबन्ध करा दूंगा लेकिन मेरी सुरक्षा का कोई प्रबंध नही किया गया । हमारी जान को खतरा है किसी समय मेरी हत्या हो सकती है मैं निवेदन करता हूं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था कराने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध सुन लें ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, 11 जनवरी, को मेरे ऊपर हमला किया गया । इस बात को मैंने पिछले दिनों सदन में कहा था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी । जिला प्रशासन को जानकारी है, मुझसे कहा गया कि 25 प्रतिशत खर्च पर दे सकते हैं । लोगों को 2-3 शैडो उपलब्ध कराये गये हैं लेकिन हमारी चिंता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्न काल के उपरान्त नियम 301 तथा नियम 300 की सूचनाएं हो जायं उसके बाद शून्य प्रहर में माननीय सदस्यगण अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बता दें ।

श्री उदयराज यादव–

जिनके पास पहले से शैडो और गनर हैं क्या उनको संसदीय कार्य-मंत्री जी सुरक्षा उपलब्ध करायेंगे । दूसरे जो अपराधी किस्म के लोग हैं जिनको 2-3 गनर और शैडो दिये गये हैं क्या उनको हटाया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

सामान्य रूप से एक गनर या एक शैडो दिया जाता है । जिनको अतिरिक्त आवश्यकता है उसकी आवश्यकता का परीक्षण करने के उपरान्त एक निश्चित अवधि के लिये पेमेंट पर शैडो या गनर देने का प्राविधान है । अगर किसी के पास दो थे तो दो देने का आशय यह नहीं कि वे निरन्तर रहेंगे । एक निश्चित अवधि के लिये रहेगा । जब देखा जायेगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है तो दो में से वह वापस ले लिया जायेगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम प्यारे–

क्या माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी बतायेंगे कि आज की तारीख में कितने विधायकों के पास कोई शैडो और गनर नहीं है और कितने हमारे सम्मानित विधायकों के पास कितने शैडों और गनर हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो नया प्रश्न है । मूल प्रश्न से नहीं निकल रहा है । उसके लिये अलग से प्रश्न कर लीजियेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब तक जो भूतपूर्व विधायक थे उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा के लिये गनर और शैडो लगे हुए हैं और उनमें से कितनों से निर्धारित भुगतान लिया जा रहा है और कितनों से नहीं लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इस सम्बन्ध में आपके पास जानकारी हो तो दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 138 भूतपूर्व विधायक हैं जिनकी सुरक्षा के लिये गनर और शैडो दिये गये हैं ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह जो 138 आपने बताये हैं तो इसमें यह बतायें कि कितनों को 25 प्रतिशत भुगतान के आधार पर दिये गये हैं और कितनों को यूं ही खुश करने के लिये दे रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जहां तक गिनती का सवाल है यह मूल प्रश्न से नहीं आता है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, हमारे ऊपर हमला हुआ था हमारी गाड़ी तोड़ दी गई थी और हमने मांग की थी लिखकर मंत्री जी को भी दिया था । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जैसा कि 25 प्रतिशत भुगतान के आधार पर उपलब्ध है तो यह जो 138 भूतपूर्व आपने बतायें हैं उनमें से कितनों को नियम कानून के अन्तर्गत 25 प्रतिशत लेकर दे रखे हैं और कितने ऐसे हैं जिन लोगों पर कुछ विशेष कृपा है और ऐसे ही दे रखे है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इतनी जानकारी तो है कि किसी के ऊपर विशेष कृपा नहीं है सबके साथ ही समान व्यवहार किया गया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है । आपकी अपनी समस्या है मंत्री जी को लिखकर दे दें । जो कह रहे हैं मंत्री जी के संज्ञान में आ गई है ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि जो सुरक्षा का प्रश्न है इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है बल्कि हर केस को अलग-अलग परीक्षण करना होगा । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय विधायकों की सुरक्षा से संबंधित है तो मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आप हर विधायक की सुरक्षा के सम्बन्ध में जांच करायेंगे और जिन विधायकों को जान का खतरा है उनको पर्याप्त सुविधा देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसी निर्णय के आधार पर माननीय विधायकों को अनुमन्य कर दिया है । माननीय अम्मार साहब की बात पर वर्तमान विधायकों को भी आवश्यकता है कि नही । अभी यह मानकर कि सभी वर्तमान विधायकों को सुरक्षा की आवश्यकता है एक गनर या शैडो उपलब्ध करा दिया गया है । अगर आवश्यकता है तो व्यक्तिगत आधार पर परीक्षण किया जाता है ।

श्री समर पाल सिंह–

एक गनर और एक शैडो सभी माननीय सदस्यों को दे दिया गया उसके अतिरिक्त यदि किसी की जान को खतरा है तो उसका परीक्षण करने के बाद खर्चे के ऊपर अतिरिक्त गनर शैडो दे दिया गया है ऐसा मंत्री जी ने बताया । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अगर कोई माननीय सदस्य खर्चा देने की स्थिति में नहीं है तो क्या उसको भी गनर शैडो देने की कृपा करेंगे या उसे खर्चा न दे पाने की स्थिति में उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

जब परीक्षण होता है तो हर बात का परीक्षण होता है । अगर कोई पूर्व विधायक या कोई वर्तमान विधायक ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह खर्चा दे सके और यह लगता है कि उसे सुरक्षा की जरूरत है तो परीक्षण के बाद उसको गनर या शैडो दिया जाएगा खर्चे की तलवार गले में नहीं लटकाई जाएगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का माननीय विधायकों के मामले में संरक्षण चाहता हूं और कहना चाहता हूं जो वाई कटेगरी, जेड कटेगरी और जेड प्लस कटेगरी की सुविधा प्रदान की जाती है मुझे ज्ञान है उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है अगर पैसा नहीं लिया जाता है तो विधायकों के परीक्षण की जो आपने बात कही उसे जनरल करा दें कि परीक्षण के आधार पर सही है तो किसी से पैसा न लिया जाए । बेचारे विधायकों की आप आर्थिक स्थिति देखेंगे आपने अगर परीक्षण कर लिया है तो सबको फ्री आफ कास्ट दीजिए सक्षम हो चाहे न हो ।

श्री हुकुम सिंह–

1996 का शासनादेश है जिसमें सारे मानक निर्धारित किए गए हैं वही मानक लगाए गए हैं अब यह "बेचारा विधायक" इन्होंने कहा तो मैं तो किसी विधायक को बेचारा नहीं मानता हूं राजनीतिक रूप से सभी सक्षम हैं बेचारे की बात नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

पीछे देख लें कई बेचारे मिल जायेंगे । सामने कोई बेचारा नजर नहीं आ रहा है । रेवती रमण जी को सामने बेचारे विधायक नजर आ रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

जेड और जेड प्लस कटेगरी की बात कही वह कैटेगरी अलग है वह श्रेणी वह है जिसमें आतंकवादी से डर या राष्ट्रीय देश द्रोहियों से जान को कोई खतरा हो तब यह सुविधा दी जाती है सामान्य स्थिति में एक शैडो या गनर दे दिया गया है । मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दो करोड़ 27 लाख रुपया खर्चा प्रतिमाह शैडो और गनर के ऊपर आता है पूरे वर्ष में 27 करोड़ रुपया खर्च आता है अगर राज्य कोष में योगदान न दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

एक नई सूचना इन्होंने दी है आप ब्रेकअप बता दें जो फीगर बताई है ।

जो इन्होंने आकड़े बताये हैं उसमें सिर्फ यह बता दें कि विधायकों की सुरक्षा पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब अल्पसूचित तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हुआ ।

वित्त विभाग द्वारा फरवरी, 1997 के शासनादेश द्वारा प्रदेश में सरकारी वाहनों के प्रयोग के मानक का निर्धारण

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि वित्त विभाग के फरवरी, 1997 के शासनादेश द्वारा प्रदेश में सरकारी वाहनों के प्रयोग के मानक निर्धारित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि उक्त मानकों के अनुसार प्रमुख सचिवों/सचिवों को एक से अधिक वाहनों के प्रयोग की सुविधा दी गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । राजकीय व्यय में मितव्ययता के परिपेक्ष्य में सरकारी गाड़ियों की अनुमन्यता एवं उनके रख-रखाव आदि के संबंध में शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 1997 द्वारा नीति निर्धारित की गई है ।

इस शासनादेश में वाहनों के उपयोग पर प्रतिमाह प्रतिवाहन राजकीय कोष में निर्धारित राशि जमा कराये जाने के निर्देश हैं तथा नई गाड़ियों के क्रय /प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावों के परीक्षण के संदर्भ में वाहनों की गणना किये जाने के बारे में निर्देश हैं ।

प्रमुख सचिवों/सचिवों को एक से अधिक वाहन के उपयोग की सुविधा किसी शासनादेश के अन्तर्गत प्रदान नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली फीस की दरों में वृद्धि

*1–श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में चल रही अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में ली जाने वाली फीस की दर में कई गुना वृद्धि हुई है ? क्या यह सही है कि इसका प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ रहा है ? यदि हां, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में ली जाने वाली फीस के विनियमन के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

प्रदेश के निजी क्षेत्र में संचालित असहायिक शिक्षण संस्थाओं के द्वारा फीस की दरों में वृद्धि की गई है ।

ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों पर इसका प्रभाव पड़ा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में केवल राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों जो वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत हैं, में ही फीस के विनियमन की व्यवस्था है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में खुली लूट हो रही है । जो आपने यह उत्तर दिया कि निजी संस्थाओं में फीस की दरों में वृद्धि की गई है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वृद्धि कितनी की गई है और विद्यालयों में फीस कितनी ली जा रही है । क्या इसकी जानकारी है । मनमाने तरह से फीस की वसूली हो रही है । किन-किन मदों में कितनी-कितनी फीस वसूली जा रही है ? जो यह खुली लूट हो रही है इस पर शासन द्वारा कोई नीति बनाई जाएगी ?

डा० नैपाल सिंह–

यह जो वृद्धि की गई है इसमें तीन तरह के विद्यालय हैं सी० बी० एस० ई०, आई० सी० एस० ई० तथा असहायता प्राप्त विद्यालय । इन विद्यालयों में सी० बी० एस० ई० और आई० सी० एस० ई० में 25 से 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । यह एक्जामिनिंग बाडी है यह एक्जमिनेशन कंट्रोल करते हैं । इनके [illegible] से नो आब्जेक्शन सर्टीफिकट मिलने के बाद यह पार्लियामेन्ट की नियमावली से गाइडेड होते हैं । इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि द फीस चार्ज बाई...

श्री अध्यक्ष–

कृपया हिन्दी में अपनी बात कहें क्योंकि सदन की भाषा हिन्दी है । जो अंग्रेजी में लिखा है उसका अनुवाद कर दें ।

डा० नैपाल सिंह–

इसमें कहा गया है कि फीस जो बच्चों से ली जायेगी वह उस विद्यालय में छात्रों को कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं इस पर डिपेन्ड करेगी । इस फीस पर कंट्रोल करना किसी अधिनियम में नहीं आता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

एक तरफ सरकार हिन्दी शिक्षा की बात करती है। दूसरी तरफ यह दोहराना कि यह अशासकीय विद्यालय हैं यह सहायता प्राप्त विद्यालय नहीं हैं तो क्या उन्हें खुली छूट दी जा सकती है कि वह अभिभावकों और छात्रों का इस प्रकार से शोषण करें। व्यापारी भी दो प्रकार के होते हैं एक सरकारी क्षेत्र में और दूसरे निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र के व्यापार को विनियमित करने के लिए सरकार नियम बनाती है। केन्द्र सरकार भी नियम बनाती है। शिक्षा जैसे क्षेत्र को इस प्रकार बिना विनियमित किए कब तक खुली छूट देते रहेंगे। इसका कुपरिणाम सारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। कोई तो मानक होंगे कि कब फीस बढ़ेगी अन्यथा खुली छूट कब तक देते रहेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, यह विषय बड़ा गंभीर है और इस पर सर्वेक्षण कराने के बाद ही कोई कार्यवाही की जा सकती है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह कोई उत्तर नहीं हुआ। पहले तो मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं में ली जाने वाली फीस के विनियमन के लिए कोई योजना नहीं है। उसकी रूपरेखा के बारे में पूछा गया तो उत्तर आया कि प्रश्न नहीं उठता है। अब सर्वेक्षण क्या होगा ? पहले सरकार अपनी मंशा जाहिर करे कि क्या वह विनियमन करना चाहती है ? अगर करना चाहती है तो समयबद्ध कार्यक्रम बना ले कि इतने दिनों में नियमावली बना लेंगे और अभिभावकों की जो खुली लूट हो रही है उसको रोकेंगे। अगर इसको रोकने की सरकार की मंशा है तो वह बात आनी चाहिए।

डा० नैपाल सिंह–

अभी तक जो उत्तर दिया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप दिया है और मैंने नियमावली को भी कोड किया है जो फीस बढ़ाई गयी है उसमें विधि के अनुसार क्या कार्यवाही की जा सकती है, यह सर्वेक्षण के बाद ही कहा जा सकेगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

सम्मानित अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे इन विद्यालयों पर अंकुश रखा जा सके। क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी वर्ष 1993 से उत्तर प्रदेश में लागू असेवित विद्यालयों को जो शासन से पैसा दिया जा रहा है और जिसे वर्तमान सरकार ने 20 लाख रुपया प्रति विद्यालय देना सुनिश्चित किया है। क्या अनुदान दिये जाने वाले विद्यालयों पर फीस नियंत्रण का कोई प्रयास करेंगे ? असेवित विकास खण्डों के विद्यालय 60-60 रुपया फीस ले रहे हैं। हमारे यहां सिद्धौर के एक विद्यालय में कक्षा–8 के बच्चों से 60/–रुपया फीस ली जा रही है। आम आदमी कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकेगा। क्या जिन विद्यालयों को ग्रान्ट दी जा रही है उन पर नियंत्रण के लिए कोई विधेयक लाने पर सरकार विचार करेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

माननीय विधायक जी को नियमों के बारे में थोड़ा भ्रम है। 20 लाख रुपये का जो ग्राण्ट दिया जाता है वह भवन निर्माण के रूप में है कोई एड के रूप में नहीं है।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने सूचित किया है कि इनका ऐसे विद्यालयों पर कोई नियंत्रण नहीं है तो क्या आज तक शासन ने केन्द्रीय सरकार को लिखा या उनसे प्रयास किया कि इन विद्यालयों को जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं और लूट कर रहे हैं तो उन पर नियंत्रण करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय सरकार को दे, इसके लिए अब तक क्या-क्या प्रयास हुये हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

यह नीतिगत प्रश्न है और मैंने पहले भी निवेदन किया है कि सर्वेक्षण के बाद कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सुरेन्द्र नाथ जी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और माननीय शिक्षा मंत्री ने उसके उत्तर में यह कहा कि हम असेवित विकास खण्डों में विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ग्रांट देते हैं। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं लेकिन जिनको आप अनुदान देते हैं, कतिपय जगहों पर उसका दुरुपयोग हुआ है और असेवित विकास खण्डों में कन्या विद्यालय जो सेचुरेटेड किये जा रहे हैं उसमें फीस पर नियंत्रण करने में क्या कठिनाई हो रही है। यह माननीय सदस्यों की चिन्ता है ? शासन को इस पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने में क्या कठिनाई है ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, जो असेवित विद्यालयों के लिये संस्तुति आती है, वह जिला स्तर बनी एक समिति के द्वारा आती है, इसकी पूरी निगरानी होती है और जहां पर रिपोर्ट आती है कि कुछ गलत चल रहा है, वहां पर कार्यवाही होती है।

श्री जगदम्बिका पाल–

आप पिछली पापों की गठरी भी अपने सिर पर लाद रहे हैं। कहीं कोई जांच नही हो रही है, क्या आप जांच करायेंगे, मैं तो इतना आश्वासन चाहता हूं। जो संस्तुतियां आती हैं, उसमें ऐसे-ऐसे विद्यालय होते हैं जो निचले स्तर पर होते हैं, कार्यवाही मेरिट के आधार पर होनी चाहिये, मैं माननीय मंत्री जी से जांच का आश्वासन चाहता हूं ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, यदि ऐसे विद्यालयों की शिकायत आयेगी, तो जांच करा लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं तीन बार दे चुका हूं, साऊघाट, बनकटी सहित तीन जगह के लिये दे रखा है, इनका भवन बना नहीं, आप कह रहे हैं, जब आयेगा, तो जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, आपकी समस्या का समाधान हो गया है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका यह कहना कि जांच कराना और फीस पर नियंत्रण करने के संबंध में कोई अधिनियम न होने का बहाना लेना इस सत्य को प्रमाणित करता है। आज कक्षा एक के बच्चे से कम्प्यूटर की फीस ली जा रही है, क्या कक्षा एक

का बच्चा कम्प्यूटर पढ़ सकता है, क्या माननीय मंत्री जी इसको रोकने की कृपा करेंगे तथा मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, जो विधायक जी ने प्रश्न पूछा है, वह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है।

श्री राम हर्ष सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि असेवित ब्लाकों में किसी विद्यालय को 10 लाख और किसी को 20 लाख दिया जा रहा है, बहुत से विद्यालयों के अभी अधूरे भवन बने पड़े हैं, जिनको पहले 10 लाख दिया गया था, क्या उनको भी अब 10 लाख और देकर 20 लाख किया जायेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा० वेद प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि स्कूल जो सुविधाए प्रदान करते हैं उसके आधार पर फीस बढ़ाते हैं। यह उत्तर काफी गुमराह करने वाला है। एमिटी, डी०पी०एस, एम०आई०एस० और वैलम आदि अनेक स्कूल ऐसे है जिनमें तीन गुना फीस की वृद्धि की गयी है। पहले 500 रुपया मासिक शुल्क लिया जाता था अब 1500 रुपया लिया जा रहा है इस तरह से भारी फीस वृद्धि की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई समिति गठित करेंगे जिससे हमारे स्कूलों में बढ़ती हुई फीस को कंट्रोल किया जा सके। मेरा कहना यह है कि एक तो सदन को गुमराह न करें और दूसरे क्या कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में स्कूलों का ग्रेडेशन कर सकें फस्ट ग्रेड, सेकेण्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड उसमें न्यूनतम और अधिकतम शुल्क का निर्धारण करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार शिक्षा मौलिक अधिकार है। संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची जो समवर्ती सूची है इसमें क्रम संख्या 25 पर शिक्षा है। इसमें शब्द है सूची एक की प्रविष्टि 63, 64, 65, 66 के उपबंधों के अधीन करते हुए, शिक्षा जिसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा आर विश्वविद्यालय हैं, श्रमिकों का तकनीकी और व्यवसायिक प्रशिक्षण सभी आते हैं। शिक्षा केन्द्र और राज्य की समवर्ती सूची में है। इसी में क्रम संख्या 47 पर एक और इन्ट्री है कि इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस पर कानून बन सकता हैं किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है। इसलिए इस समवर्ती सूची पर प्रदेश सरकार केन्द्र की सरकार को क्रम संख्या–25 और क्रम संख्या–47 के अनुसार इसके आधार पर फीस के निर्धारण का अधिकार हो सकता है। इस दृष्टि से सारा परीक्षण कर लें क्योंकि माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है उसके कारण अनेक छात्र अच्छे स्तर की शिक्षा से बढ़ी हुई फीस के कारण वंचित हो रहे हैं, इस दृष्टि से उसका परीक्षण कर लें।

प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु पाठ्य पुस्तकों का माध्यम निर्धारित किया जाना

*2–श्री अमित अग्रवाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा में छात्रों द्वारा गाईड बुक एवं प्रश्न बैंक से पढ़ाई करने पर कोई रोक लगायी गई है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह भी सही है कि

केवल पाठ्य पुस्तकों को ही पढ़ाई का अनिवार्य माध्यम बनाया गया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हा, शासनादेश दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 के द्वारा ।

जी हां ।

छात्रों को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान कराने के उद्देश्य से पाठ्य-पुस्तकों को ही पढ़ाई का माध्यम बनाया गया है ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संविधान के अनुछेद 19 (सी) में प्रकाशकों को व्यापार पेश करने का मौलिक अधिकार है उसको आधार मानकर माननीय उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल, 1998 के निर्णय द्वारा सरकार के शासनादेश को निरस्त कर दिया, माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है क्या ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, इसके जजमेन्ट का मुझे संज्ञान है सेठ जी का जजमेन्ट आया है अगर आप कहें तो मैं उसको पढ़ दूं ।

मान्यवर, इस निर्णय के अनुसार सरकार को पूरा अधिकार है कि ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है जो शिक्षा के लिये हितकारी नही है ।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो निर्णय की एक पंक्ति बताकर माननीय न्यायाधीश काटजू जी के निर्णय की धज्जियां उड़ा दी हैं ।

(व्यवधान)

निर्णय में कहा है (अतः मैं इस रिट याचिका को स्वीकार करता हूं और दिनांक 3–12–97 का विवादित सरकारी आदेश रद्द किया जाता है । वाद के खर्चे के बारे में कोई आदेश नही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह माननीय सदस्य जी मान रहे हैं कि यह सरकार न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है ।

(व्यवधान)

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य सरकारें स्वयं ऐसा प्रकाशित कर रही हैं तो क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इस पर छूट प्रदान करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे जजमेंट की कुछ पंक्तिया पढ़ने की अनुमति देंगे जो अंग्रेजी में हैं .....

" 33–इन व्यू आफ दि प्राविजन्स कन्टेन्ड इन सेक्शन 7 एण्ड 9 आफ दि एक्ट एण्ड रेगुलेशन 7 आफ चैप्टर 7 फ्रेम्ड देयर अण्डर दि स्टेट गवर्नमेंट हैविंग बीन इम्पावर्ड टू इम्पोज रोस्ट्रक्शन एण्ड सच रोस्ट्रिक्शन्स हैविग बीन इम्पोस्ड इन आर्डर टू इम्प्रूव स्टैन्डर्ड आफ एजूकेशन दि सेम कैन्नांट बी चैलेंज्ड

बाई ए ग्रुप आफ पीपुल हू अर्न प्राफिट आन सरटैन पब्लीकेशन्स ओन बी टू इनेबिल लिमिटेड नम्बर आफ पीपुल टु अर्न प्राफिट दि इन्टरेस्ट आफ होल स्टेट आर नेशन कैननाट बी सेक्रीफाइस्ड ।"

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इस का हिन्दी में सारांश बता दें ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस सदन में मंत्री जी नकल करके बता रहे हैं और दूसरे नकल विरोधी अध्यादेश ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि कुछ माननीय विधायक गेस पेपर पढ़कर आये हैं ।

मान्यवर, माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यह कहने को नही कहा जा सकता कि वह अपने प्रोफिट के इन्टरेस्ट में, जिसमें शिक्षा का स्तर नीचे हो, उसको रोजगार करने दिया जाय ? अगर अब भी माननीय सदस्यों को सेमीडिएम से मोह हो तो मुझे अफसोस है ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई हेतु नवीन पाठ्यक्रमों का प्रारूप

*3–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के लिये पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

इसका प्रारूप इस प्रकार है :–

(1) हाईस्कूल स्तर पर वर्षवार परीक्षा की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है । तथा वैकल्पिक विषयों को सीमित करते हुये 6 विषयों का सामान्य पाठ्यक्रम लागू किया गया है ।

(2) विज्ञान विषय को अनिवार्य किया गया है ।

(3) गणित के दो पाठ्यक्रम गणित और प्रारम्भिक गणित लागू किया गया है ।

(4) कक्षा 9 व 10 का पाठ्यक्रम पृथक-पृथक निर्धारित किया गया है ।

(5) विज्ञान और गृह विज्ञान विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में आन्तरिक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप कहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को अवसर दीजिये । हम शिक्षा मंत्री को अवसर देने को तैयार हैं । इनका जो घोषणा पत्र है और शिक्षा के प्रति इनकी जो प्रतिबद्धता है, यह उत्तर ठीक उसके विपरीत है । वर्गवार विषय समाप्त कर दिये गये और वैकल्पिक विषय के रूप में 6 विषय का सामान्य

पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया । यह स्पष्ट आना चाहिये कि कौन-कौन से विषय समाप्त कर दिये गये, वह नहीं आया । हाईस्कूल में तीन प्रश्न-पत्र थे, एक संस्कृत का होता था, उसे समाप्त कर अब दो ही विषय रखे गये हैं । हाईस्कूल की परीक्षा में अब तक नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल व अर्थशास्त्र-चार विषय होते थे, उसे समाप्त कर दिया गया । उसकी जगह पर आपने सामाजिक विज्ञान कर दिया है । इस प्रकार जब वह छात्र इण्टरमीडिएट, ग्रेज्यूएशन व पोस्ट-ग्रेज्यूएशन में इन विषयों को लेगा तो उसका कितना अल्प ज्ञान होगा । इसी तरह से हाईस्कूल में बाटनी व जुलाजी भी समाप्त कर दी गई है, अब उसकी जगह पर विज्ञान कर दिया गया है । पाठ्यक्रम का सरलीकरण कर सी०बी०एस०ई० व दक्षिण भारतीय तर्ज पर जो हिन्दी को हतोत्साहित करते हैं, उसी तरह से इस उत्तर प्रदेश में भी हिन्दी को हतोत्साहित करने व संस्कृत भाषा चार अन्य विषयों तथा जुलौजी व बौटनी को समाप्त करने का मानक क्या है ?

हाईस्कूल की परीक्षाओं से यदि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत निकाल दी जायेगी तो आगे कठिनाई होगी । तो आखिर कौन से ऐसे मानक इसको समाप्त करने के लिए ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, देश में यह पहला प्रदेश है जहां पर विज्ञान कम्पलसरी नहीं था । यहां पर हाई स्कूल में 72 विषय थे और इसी कारण से लम्बी परीक्षाएं चलती थीं इसलिए 72 से घटाकर 40 विषय किये गये । मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो संस्कृत के बारे में सवाल उठाया है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पेपर कम किये गये हैं कोर्स नहीं । संस्कृत को एक पेपर के रूप में लिया गया है । ऐसा लगता है कि माननीय पाल जी ने हाई स्कूल में सिलाई जरूर ली होगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सही कह रहे हैं सिलाई हमने नहीं हमारी घरवाली ने ली थी ।

श्री राम औतार शाक्य–

अभी यह बताया गया कि माननीय मंत्री जी को हिन्दी की बजाय अंग्रेजी से प्रेम है तो मैं अंग्रेजी में एक कहावत है उसे कहना चाहता हूं "टु प्रिपेयर अस फार कम्प्लीट लिविंग इज द फंकशन विच एजूकेशन हैज टू डिसचार्ज" शिक्षा का उद्देश्य नये ज्ञान को प्राप्त करना ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है एक तो यही मंशा है और दूसरी एक कहावत और है "द ऐम आफ एजूकेशन इज नाट सिम्पली टू एनरिच द माइंड्स आफ पीपुल विद न्यू नोलेज बट आल्सो टू हेल्प देम रेज देयर स्प्रिचुअल स्टेटस" अर्थात शिक्षा का उद्देश्य बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा प्रणाली दी वह क्लर्क बनाने की थी । आजादी के बाद नेशनल करेक्टर को पैदा किया गया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने पाठ्यक्रम बदला उसकी विषय वस्तु क्या है ? शिक्षा का उद्देश्य वह नही रखा गया जिससे नेशनल करेक्टर कम हो रहा है बहुमुखी विकास कम हो रहा है और अध्यात्म की ओर लगाव कम हो रहा है, लोग जातिवाद की तरफ ज्यादा जा रहे हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस विषय वस्तु को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया और क्या इस पर विचार करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय शाक्य जी शायद इस नीति की तह तक नहीं पहुंच पाये । जिन भावनाओं से उन्होंने अवगत कराया है वह पहले से ही इसमें मौजूद है ।

श्री राम जग–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पाठ्यक्रम के कमी करने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार अध्यापकों की छटनी करने जा रही है । मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा अध्यापकों की छटनी करने की है ?

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं लगता है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, इसका उत्तर आ जाये ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी शिक्षक को निकाला नहीं जायेगा, उसकी छटनी नहीं की जायेगी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि कोर्स कम नहीं किया गया है, केवल प्रश्न पत्र कम किये गये हैं, तो प्रश्नपत्र को कम करने की क्या आवश्यकता है । एक प्रश्न पत्र कम हो जाये तो क्या होगा, जब कोर्स कम न हों । मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्नपत्र कम करने का क्या कारण है । प्रश्नपत्र की कमी करने से 9 हजार एल०टी० टीचर कम हो जायेंगे, बेकार हो जायेंगे, तो उनका भविष्य क्या होगा ?

डा० नैपाल सिंह–

कोर्स तो कम नही किया गया है और कोर्स को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया है और उसको दो भागों में बांट दिया गया है । एक भाग की पढ़ाई नवीं कक्षा में होगी और दूसरे भाग की पढ़ाई 10वीं कक्षा में होगी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नये पाठ्यक्रम के अनुसार बाजारों में पाठ्य पुस्तकें आ चुकी हैं और उनका दाम निश्चित कर दिया गया है । पिछली बार किताबों के दाम 10 गुने तक बढ़ गये थे जो लोग किताबों को मुद्रण करते हैं, उनको ओबलाइज करने के लिये तो यह नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में बता दें । जुलाई से सत्र शुरू होने वाला है तो पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो जायेंगी ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, 20 तारीख को किताबों का विमोचन किया जा चुका है और किताबें बाजार में आ गयी हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

लखनऊ में कहीं पर भी किताबें नही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ गया है ।

तारांकित प्रश्न

जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा खरीद में आर्थिक घपला किये जाने की शिकायत पर विभागीय जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में सभी वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुये 82 लाख रुपये से अधिक की खरीद में आर्थिक घपला किये जाने की शिकायत पर कोई विभागीय जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

जी हां ।

वर्ष 1995-96 में जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा रु० 82,02,329/- की शिक्षण सामग्री क्रय की गयी थी । खरीद में आर्थिक घपला किये जाने की शिकायत पर विभागीय जांच करायी गयी । जांच में दोषी पाये गये प्रभारी जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी श्री सीताराम ओझा को निलम्बित किया गया तथा उन्हें प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद पर पदावनति कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं जिन्हें स्कूल दूर जाना होता है या अन्य कारणों से स्कूल नहीं जा सकते हैं उनके लिये यह परियोजना चलायी गयी थी लेकिन अफसोस हो रहा है कि 1990 से अब तक करोड़ों रुपया व्यय हो गया है और फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके यह योजना चलायी जा रही है । मेरा मूल प्रश्न जो स्वीकार किया गया है उसमें 42 लाख रुपये खरीद में घपला किया गया है और जो उत्तर दिया गया है उसे देखें तो विद्यालय निरीक्षक के पद पर शिक्षा अधिकारी को पदावनति कर दिया गया है । मान्यवर, आप देखें तो प्रभारी जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी जिन्होंने 82 लाख रुपये का घपला किया और उन्हें केवल सजा के रूप में विद्यालय निरीक्षक के पद पर पदावनति कर दिया गया है । मेरी जानकारी है जहां उन्हें भेजा गया है वह उनका मूल पद है और जहां पहले थे वहां वह प्रतिनियुक्ति पर थे, तो उनको कोई सजा हुई ही नहीं । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे मैंने जैसा कहा है उसके अनुसार शिक्षा अधिकारी को मूल पद पर वापस कर दिया गया है इसलिये यह कोई सजा नहीं है, मैं समझता हूं कि शासन इससे सहमत होगा । यदि सहमत है तो उन्हें क्या सजा दी गयी है ? यदि उन्हें कोई सजा नहीं दी गयी तो क्या उनको कोई कठोर दण्ड सरकार देगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मूल उत्तर में ही स्पष्ट है कि 82,02,329/- रुपये का सामान क्रय किया गया है, इसमें कोई घपला नही हुआ है बल्कि सामान क्रय किया गया है । इसमें जो जांच हुई है उसमें तत्कालीन प्रभारी जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी जिनके बारे में चर्चा हुई है उन्होंने प्रोसीजरल डिफेक्ट बतायें हैं । जो जांच रिपोर्ट आयी है उसमें 82,02,329/- रुपये का सामान क्रय किया गया है । उनको केवल सामान खरीदने की अनुमति 47 लाख 47 हजार रुपये की क्रय की थी । इन्हें एक करोड़ नौ लाख 46 हजार

रुपये का वार्षिक बजट आवंटित था इसमें वेतन और बाकी चीजें भी सम्मिलित थी । क्रय करने का उन्हें आदेश केवल 47 लाख 47 हजार रुपये का था किन्तु उन्होंने सामान 82,02,329/- रुपये का खरीद लिया । इसमें सामान क्रय किया गया है और वह सामान प्राप्त भी हुआ है लेकिन स्वीकृति से अधिक सामान खरीद लिया था इसलिये उसमें जांच हुई और वह दोषी पाये गये ।

मान्यवर, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि यह पहले परियोजना अधिकारी बने, जो प्रतिनियुक्ति पर वहां पर उनको चार्ज मिला था, और उन्हें आहरण एवं वितरण का अधिकार मिला था । यह वर्ष 1996 की घटना है, उनको बाद में निलम्बित किया गया और उसके बाद उन्हें बहाल भी किया गया है । मुझे लगता है माननीय सदस्य की जो भावना है उनके अनुसार उन्हें दण्ड नही मिला, इसमें संदेह नहीं है । दुबारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं । इसमें जो भ्रष्टाचार है उसके अनुसार जांच अधिकारी ने अनुमोदन नहीं किया है, इसलिये जांच अधिकारी की भी जिम्मेदारी हम निर्धारित करेंगे और आगे क्या दण्ड देंगे इसका भी निर्णय किया जायेगा ।

प्रदेश में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश हेतु किये गये उपायों की जानकारी

*2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष प्रदेश में बी० ए० पार्ट I बी०एस-सी० पार्ट I तथा एम०एस०सी० पार्ट I में हजारों की संख्या में छात्र प्रवेश लेने से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रों की इस समस्या को हल करने का कोई उपाय करने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी हां ।

जी हां ।

बड़ी संख्या में इण्टर उत्तीर्ण छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने हेतु प्रदेश शासन द्वारा नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा नये अशासकीय महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान की गयी है । साथ ही विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में द्वितीय पाली/सान्ध्यकालीन कक्षायें चलायी जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आप इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश में बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० काम० और इससे ऊपर की कक्षाओं में छात्रों के प्रवेश की बहुत भारी समस्या है । जिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है, उसमें शासन की बहुत भारी गलती है कि उनको इस तरह की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता । मैं जानना चाहता हूं कि कितने छात्र ऐसे हैं जो गत वर्ष शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गये । जितनी संख्या में छात्रों की वृद्धि हो रही है उसके अनुपात में विद्यालयों की बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त क्या आप के पास कोई डाटा है कि कितने छात्र प्रवेश लेने से वंचित रह जायेंगे या विगत वर्ष कितने छात्र थे जो प्रवेश लेने से वंचित रह गये हैं उनके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने उच्च शिक्षा के बारे में चिन्ता व्यक्त की है मैं इसका स्वागत करता हूं । जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है सरकार ने उच्च शिक्षा में प्रवेश के कई कदम उठाये हैं । मैं अवगत कराना चाहता हूं । 1997 में इण्टरमीडिएट में 5.56 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए और इस वर्ष इण्टर

की परीक्षा में करीब 5 लाख छात्र उत्तीर्ण हुए हैं । इस समय उत्तर प्रदेश में 14 विश्वविद्यालय, 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 3 कृषि विश्वविद्यालय, 1 इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय, 5 डोम्स विश्वविद्यालय, 5 अशासकीय महाविद्यालय, 111 राजकीय महाविद्यालय हैं जहां पर बी० एस० सी०, बी० ए० आदि के लिए प्रवेश दिये जाते हैं । पिछले वर्ष प्रदेश के अन्दर 137 महाविद्यालयों को क्लियरेन्स दिया गया । 21(को अस्थायी संबद्धता दी गयी और 27 को स्थायी संबद्धता प्रदान की गयी । इसके अतिरिक्त छात्र व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिए 128 नये महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई । पिछले वर्ष 12 राजकीय महाविद्यालय खोले गये, इस प्रकार सरकार ने छात्रों के लिए कदम उठाये हैं । मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि उत्त प्रदेश के अन्दर एक मुक्त विश्वविद्यालय खोला जाय । एक महीने के अन्दर इस पर निर्णय ले लि जायेगा, मैं आशा करता हूं कि इससे समस्या का समाधान हो जायेगा ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तमाम नये महाविद्यालय खोलने की बात कही है और कहा 5 लाख विद्यार्थी इण्टरमीडिएट पास किये हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी इन विद्यालयों प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, 1997-98 में जो मेरे पास जानकारी है, महाविद्यालयों में 1 लाख 82 हजार छात्रों को प्रवे मिला और विश्वविद्यालयों में 20 हजार, लगभग 2 लाख लोगों को बी० ए०, बी० एस० सी बी० काम० में प्रवेश मिला । इसके अतिरिक्त छात्रों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल कालेजों में प्रवे दिया है । सभी छात्र पढ़ने के लिये प्रवेश नहीं चाहते हैं । सरकार का प्रयास है, ओपेन यूनीवर्सिटी प्रदेश के अन्दर खुल जायेगी तो बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम० की डिग्री प्राप्त करना जो चाहेंगे तो सबको वह डिग्री उपलब्ध हो सकेगी ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बताया कि 5 लाख लोगों में 2 लाख लोगों को प्रवेश देने में सक्षम हैं । इससे ज्यादा विसंगति क्या होगी कि 3 लाख छात्रों का भवि अन्धकारमय हो रहा है । तो क्या इन छात्रों के लिये कोई यूनीवर्सिटी बनायी जायगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर में कहा कि इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी० ए बी० एस० सी०, बी० काम० में प्रवेश के लिये जहां पर प्रवेश में समस्या हो उसके लिये शासन स्तर स्पष्ट निर्देश हैं कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में ईवनिंग क्लासेज खोलकर छात्रों को प्रवेश दि जाय । हम टोटलिटी शिक्षा के बारे में विचार करेंगे तभी ऐसा समाधान निकल सकेगा ।

श्री शब्बीर अहमद–

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी बताया कि शाम की क्लासेज खोलकर प्रवेश पूरा कर हैं । लेकिन जो फीस 8(X) रुपये सुबह की क्लासेज में है वही 3100 या 4(XX) रुपये शाम की क्ला की है । तो क्या गरीब घर का बेटा 4 हजार रुपये देकर प्रवेश पा सकेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये अलग से प्रश्न करें, क्योंकि यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री उदयराज यादव–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 5 लाख छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है लेकिन सरकार उनको प्रवेश देने की गारन्टी नहीं दे पा रही है। वर्ष 1997 में 8.58 लाख परीक्षार्थी इण्टरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुये थे। इनमें से कितने लोगों को बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम० में शिक्षा देने का काम किया है और कितने लोग प्रवेश से वंचित रह गये हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने बता दिया कि वर्ष 1997-98 में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया। हमारे प्रदेश में 3 केन्द्रीय विद्यालय हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा मेडिकल कालेजेज हैं जिनकी संख्या जोड़ी नहीं है। अगर इनकी संख्या जोड़ी जाय तो प्रदेश के अन्दर 3 लाख छात्रों को प्रवेश मिल जाता है।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, बहराइच जनपद में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है और वहां गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। क्या वहां पर महाविद्यालय या इंजीनियरिंग कालेज खोलने की व्यवस्था करेंगे ताकि प्रतिभाशाली छात्र इंजीनियर और डाक्टर बन सके ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सरकार के जो वित्तीय संसाधन हैं उनके अनुसार राजकीय महाविद्यालय खोल रही है। मैं आह्वान करूंगा कि प्राइवेट डिग्री कालेज खोलने का प्रयास करें। शासन स्तर से अनुमति शीघ्र दिला देंगे।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के पिछड़े जनपदों में जहां महाविद्यालयों की संख्या बहुत कम है वहां उच्च शिक्षा से वंचित होने वाले छात्रों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये सरकार पिछड़े जनपदों में नये महाविद्यालयों की स्थापना पर विचार करेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने बताया कि वर्ष 1997-98 में 12 नये महाविद्यालय खुले और इस वर्ष भी खोलने का विचार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जहां पर आवश्यकता है वह हमसे संपर्क कर ले हम खोलने पर विचार करेंगे।

वह भी मैं चाहता हूं लेकिन अगर प्राइवेट लोग खोलना चाहते हैं तो हम उसमें मदद कर सकते हैं।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोला गोकरननाथ में पिछले दो वर्षों से विद्यालय में दो विषयों को बढ़ाये जाने के संबंध में पत्रावली लम्बित है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इस फाइल का निस्तारण शीघ्र कर दीजियेगा।

नगर मेरठ में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने के विषय में जानकारी

*3–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मेरठ नगर में कोई राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है। यदि हां, तो क्या वहां राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने का प्रस्ताव शासन के समक्ष

विचाराधीन है ? क्या उक्त कालेज की स्थापना होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

शासन द्वारा राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की एक योजना केवल जिला प्लान के अन्तर्गत संचालित है । जिले से प्राप्त प्रस्ताव वर्तमान में इस योजना की शर्तें पूर्ण नहीं करता है । जैसे ही शर्तें पूर्ण करता प्रस्ताव प्राप्त होगा शासन द्वारा तत्काल जी० जी० आई० सी० की स्थापना की जायेगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि मेरठ नगर में राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है । साथ ही कहा है कि विचाराधीन है । मेरा यह निवेदन आपके माध्यम से है और माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमीनगर सराय में राजकीय इण्टर कन्या कालेज खोले जाने की घोषणा की गयी थी और जिला योजना ने 10 लाख रुपये इसके लिये स्वीकार कर लिया है और प्रस्ताव विधिवत् शासन को गया है भूमि भी इसके लिये उपलब्ध हो चुकी है और सहायक शिक्षा निदेशक का पत्र हम विधायकों को पहुंच चुका है । क्या यह सब तथ्य माननीय मंत्री जी की जानकारी में हैं कि नहीं ? यदि हैं तो यह कब तक हो जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मैं सूचना देना चाहता हूं कि निरीक्षण के समय आवास एवं विकास परिषद् ने मंगल पाण्डेय नगर के खसरा नम्बर 5751 में 18 हजार वर्ग मीटर की भूमि उपयुक्त पायी । प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इस प्रस्ताव के पास होने पर यहां विद्यालय खुल जायेगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जो बातें मैंने मंत्री जी को बताई क्या वे उनके संज्ञान में हैं ? मेरठ नगर में राजकीय कन्या इन्टर कालेज की स्थापना कब तक कर देंगे ? प्रस्ताव में वे कौन सी शर्तें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

जो सूचना दी गई है वह प्रस्ताव में पूर्ण नहीं है । जिस दिन यह पूर्ण हो जायेगी कार्यवाही हो जायेगी ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर आने दीजिये । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कौन सी शर्त पूरी नहीं है ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, भूमि के बारे में प्रस्ताव आवास विकास को गया है । वहां से अभी प्रस्ताव नहीं आया है । इसके आने पर घोषणा कर दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

पर्वतीय क्षेत्र के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा हेतु स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली के परिवर्तन से हुई असुविधा को दूर करने की मांग

*4–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा के लिये स्वकेन्द्र परीक्षा प्रणाली परिवर्तन से उत्तरांचल के पर्वतीय अंचलों के छात्र/छात्राओं को काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्वतीय अंचलों में परीक्षा प्रणाली को उनके ही परीक्षा केन्द्रों में यथावत् रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्र के सभी विद्यालयों के बालक परीक्षार्थियों को अपने विद्यालय से हटा कर स्थानीय/निकटस्थ दूसरे विद्यालय के केन्द्र पर भेजे जाने की नीति है । यदि निकट में दूसरा विद्यालय स्थित नहीं है तो उनके ही विद्यालय में स्वकेन्द्र की सुविधा दिये जाने की व्यवस्था है । जहां तक संस्थागत बालिकाओं का प्रश्न है, उन्हें अपने ही विद्यालय के केन्द्र पर आवंटित किये जाने की व्यवस्था है, यदि वह विद्यालय परीक्षा का केन्द्र बनाया गया हो ।

फैजाबाद तथा जिला बस्ती के बीच स्थित नेशनल हाईवे की थिकनेस और सर्फेस के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

*5–श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद से लेकर बस्ती जिले तक नेशनल हाईवे की थिकनेस और सर्फेस के संबंध में उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र माह अप्रैल, 1998 के चौथे सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

जी हां ।

संदर्भित पत्र पर जांच समिति से जांच करायी गयी । आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं पाये गये ।

प्रदेश में विद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों पर यातायात की सुविधा तथा नकल रोकने के उपाय

*6–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जिन विद्यालयों/परीक्षा केन्द्रों पर यातायात का साधन नहीं है वहां पर परीक्षाओं में नकल रोकने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि शिक्षण स्तर में गिरावट एवं पर्याप्त शिक्षण संस्थाओं के अभाव में छात्रों में नकल करने मात्र की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के निवारणार्थ कोई ठोस नियम शीघ्र बनायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

डा० नैपाल सिंह–

बोर्ड परीक्षा के लिये उन्हीं विद्यालयों को यथासम्भव परीक्षा केन्द्र बनाया जाता है, जहां यातायात की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो ; परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिये परीक्षा केन्द्रों को सेक्टर में बांट कर सेक्टर मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है तथा विभागीय सचल दल के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों के सतत प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिषद् की परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 प्रख्यापित किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में 220 शिक्षण दिवस निर्धारित हैं और पर्याप्त शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता हेतु विगत एक वर्ष में लगभग 1183 विद्यालयों का हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट (नवीन)/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता प्रदान की गयी है ।

प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में बी० टी० सी० वेतनमान में कार्यरत शिक्षिकाओं को एल० टी० वेतनमान में संविलीन/प्रोन्नत करने संबंधी शिक्षा निदेशालय द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*7—डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में बी० टी० सी० वेतनमान में कार्यरत शिक्षिकाओं को एल० टी० वेतनमान में संविलीन/प्रोन्नत करने संबंधी कोई प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय ने शासन को जुलाई, 1997 में भेजा है ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव शासन को कब प्राप्त हुआ ? उस पर बिन्दुवार कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? क्या तद्संबंधी राजाज्ञा निर्गत की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8—श्री अजय कुमार पोद्दार–

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

कस्बा बभनान में राजकीय बालिका विद्यालय खोलने की योजना

*9–डा० अशोक वाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बभनान कस्बा जो जनपद बस्ती एवं गोण्डा का संगम है, में छात्राओं के लिये माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण वहां पर हाई स्कूल उत्तीर्ण हजारों छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर शीघ्र ही राजकीय बालिका विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह--

जी हां ।

प्रदेश में राजकीय बालिका विद्यालय खोलने की एकमात्र योजना जिला प्लान के अन्तर्गत ही संचालित है जिसमें प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजकीय विद्यालय की स्थापना तत्काल की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर जलालपुर में टोंस नदी पर बने पुल से टोल टैक्स समाप्त करने की घोषणा के सम्बन्ध में

*10—श्री लाल जी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में टोंस नदी पर बने पुल से टोल टैक्स समाप्त करने की घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा 1996 में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त टोल टैक्स समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

वर्ष 1997-98 में किशुनपुर दादो घाट यमुना नदी में पान्टून (पीपे) के पुल के निर्माण हेतु किये गये व्यय तथा उसकी जांच संबंधी जानकारी

*11—श्री मुरलीधर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशुनपुर दादो घाट यमुना नदी में पीपे के पुल निर्माण में प्रतिवर्ष बनने वाले पुल में वर्ष 1997-98 में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? प्रत्येक वर्ष पुल निर्माण में कौन-कौन सी वस्तुएं क्रय करनी पड़ती हैं एवं कौन-कौन सी वस्तुएं प्रति वर्ष स्थायी रूप से काम आती हैं ? क्या यह सही है कि प्रति वर्ष वही सामग्री काम में लायी जाती है परन्तु क्रय प्रति वर्ष दिखाया जाता है ? क्या खर्च की गयी धनराशि मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सम्पूर्ण अस्थायी निर्मित पुल की जांच टी० ए० सी० से करायी जायेगी ? क्या दोषी अधिकारियों के प्रति कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

यमुना नदी पर किशुनपुर घाट पर पान्टून (पीपे) के पुल के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 97-98 में रु० 6.32 लाख धनराशि व्यय की गयी ।

पीपे के पुल निर्माण हेतु प्रतिवर्ष नट बोल्ट, लोहे के वासर, मल्लाही नेल, वायर नेल, खाली बोरी, बल्लियां, नारियल क्वायर रोप, सीसलरोप, बधई बाध, कान्सपूला, बम्बू, पेन्ट, नारियल रस्सी, सुतली आदि की कुछ मांग आवश्यकतानुसार क्रय की जाती है एवं प्रतिवर्ष स्थाई रूप से पान्टून आर० एस० ज्वायस्ट, साल स्लोपर रेलिंग पोल्स डेकबोर्ड, वायर रोप, साल ऐजिंग, लाइफ बैग, लाइफ जैकेट आयर ऐंकर, चकर प्लेट, मेन होल कवर, स्टील गर्डर आदि सामग्री प्रयोग में लायी जाती है ।

जी नहीं ।

इसकी जांच कराई जा रही है ।

जी नहीं विभागीय जांच करायी जा रही है ।

जांच आख्या के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्माण खण्ड 1/3 के अधिशासी अभियन्ता का मुख्यालय, बलरामपुर में पुनः स्थापित करने की मांग

*12—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 मई, 1997 को नव सृजित जनपद बलरामपुर का गठन किया गया है ? क्या निर्माण खण्ड 1/3 का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र जनपद बलरामपुर में हो रहा है ? यदि हां, तो क्या अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 1/3 लोक निर्माण विभाग गोण्डा का मुख्यालय बलरामपुर में स्थापित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में निर्माण खण्ड 1/3 के अधिशासी अभियन्ता का मुख्यालय बलरामपुर में पुनः स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं ।

राजस्व अनुभाग—5 की अधिसूचना संख्या 1428/1-5/97-172/85-रा०—5, दिनांक 25 मई, 1997 द्वारा जनपद बलरामपुर का सृजन किया गया है ।

निर्माण खण्ड—1 एवं निर्माण खण्ड—3, लोक निर्माण विभाग गोण्डा का लगभग सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र जनपद बलरामपुर है । उक्त खण्डों के मुख्यालय गोण्डा से बलरामपुर स्थानान्तरित करने का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रदेश के निजी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कालेज खोलने की अनुमति तथा सामान्य एवं निर्धन छात्रों को इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों में सीटों की बढ़ोत्तरी की योजना की जानकारी

*13—श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री समरपाल सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर निजी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कालेजों को खोलने की अनुमति देकर शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास पहले से चल रहे सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की सीटों को बढ़ाकर सामान्य एवं निर्धन छात्रों के लिये सस्ती इंजीनियरिंग शिक्षा देने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उसे कब से लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं ।

उ० प्र० सचिवालय में कार्यरत अवर वर्ग सहायकों को शासनादेश के अन्तर्गत पदोन्नति करने की मांग

*14—श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अवर वर्ग सहायकों के पद पर कार्यरत कर्मियों की प्रोन्नति दिये जाने के निमित्त सचिवालय प्रशासन अधि० अनुभाग—5 द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2478/बीस—ई—5-(सृजन)/97, दिनांक 22 अक्टूबर, 1997 निर्गत किया गया है ? क्या उक्त शासनादेश के द्वारा प्रवर वर्ग सहायक के पद पर उच्चीकृत किये गये 390 पदों पर अवर वर्ग सहायकों की पदोन्नति कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रवर वर्ग सहायक के प्रश्नगत 390 अधिसंख्यक पदों को भरे जाने के संदर्भ में संगत सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग की सहमति प्रतीक्षित है ।

जिला छत्रपति शाहूजी नगर में बसी बनवासी जनजातियों के जीविकोपार्जन हेतु लघु वन उपज को नीलामी से मुक्त करने की जानकारी

*15—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला छत्रपति शाहूजी नगर में निवास करने वाली बनवासी जनजातियों कोल मवैया आदि के जीविकोपार्जन हेतु लघु वन उपज यथा आंवला चिरौंजी एवं शहद आदि को नीलामी से मुक्त करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)–

जी नहीं ।

छत्रपति शाहूजी नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत वन क्षेत्र में (सड़क के किनारे के वृक्षों को छोड़कर) महुआ के फल-फूल तथा चिरौंजी का नीलाम नहीं किया जाता है । रानीपुर वन्य जीव विहार के क्षेत्र को छोड़कर अन्य वन क्षेत्र में आंवला, शहद एवं अन्य लघु वन उपज का निस्तारण नीलामी द्वारा तथा वन निगम के माध्यम से किया जाता है । राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें नीलामी से मुक्त करने की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

लोक निर्माण विभाग की निर्माण इकाइयों में मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों की चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित आय के स्रोतों की जानकारी

*16—श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण विभाग की निर्माण इकाइयों में तैनात मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारियों ने सेवा में आने के बाद अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो उस ब्यौरे और अब उनकी सम्पत्ति में कितना अन्तर हो गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उनकी आय के स्रोतों का पता लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आगरा में बेघरबार श्रमिकों के जीविकोपार्जन की समस्या के निराकरण तथा पर्यटन विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की मांग

*17—श्री वीरेन्द्र सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री आगरा में ताजमहल को प्रदूषण से बचाये जाने के आशय से हटाये गये उद्योगों के फलस्वरूप बेघरबार हुए श्रमिकों के जीविकोपार्जन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए वहां पर्यटन विकास

की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की संस्तुति भारत सरकार को करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा साक्षरता अभियान में की गयी हेराफेरी की मण्डलायुक्त लखनऊ द्वारा की गयी जांच एवं दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

*18—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है कि दिनांक 21 नवम्बर, 1997 को जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा साक्षरता अभियान में करोड़ों रुपयों के हेराफेरी की शिकायत की गयी थी जिसकी जांच मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल से कराई गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच से किसी अधिकारी को साक्षरता के धन के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है ? यदि हां तो ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जिलाधिकारी, उन्नाव के विरुद्ध दिनांक 21 नवम्बर, 1997 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अपितु 18 नवम्बर, 1997 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी जांच मण्डलायुक्त लखनऊ से करायी गयी है।

उक्त जांचाख्या में उपलब्ध कराये गये तथ्यों पर निर्णय नियुक्ति विभाग द्वारा विचाराधीन है।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के आरक्षण संबंधी जानकारी

1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या इस आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय राम दुलारे श्रीवास्तव, अध्यापक, प्रा० पा० शाहपुर, जामो, सुल्तानपुर के पुत्र की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की मांग

2—श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर/जिलाधिकारी, सुल्तानपुर/उपशिक्षा निदेशक नवम् मण्डल को सम्बोधित क्रमशः दिनांक 9-4-96 तथा 8-4-96 का श्री वीरेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र राम दुलारे लाल श्रीवास्तव ग्राम लोरिकपुर, पो० सरमे जामो, सुल्तानपुर का रजि० प्रार्थना पत्र जिसमें राम दुलारे लाल श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक, प्रा० पा० शाहपुर जामो, सुल्तानपुर की 19-5-72 की मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित के रूप में एक मात्र पुत्र के नाते नियुक्ति की

मांग की गयी है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इसकी मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति न करने का क्या कारण है? क्या सरकार अविलम्ब उक्त मृतक आश्रित को नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां।

बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन प्राइमरी पाठशाला के शिक्षकों के मृतक आश्रितों को परिषद् के गठन दिनांक 25-7-72 से मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति का लाभ देय है । स्व० श्री राम दुलारे लाल श्रीवास्तव की मृत्यु परिषद् के गठन के पूर्व होने के कारण उनके आश्रित को सेवायोजित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट, स० वि० स० एवं सभापति, आश्वासन समिति के पत्रांक सं०–273/स० आ० स०/98, दिनांक 28 जनवरी, 1998 पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

3–श्री योगेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गौरी शंकर एडवोकेट, सदस्य, विधान सभा एवं सभापति, आश्वासन समिति का पत्रांक 273/स०आ०स०/98 दिनांक 28 जनवरी, 1998 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पर अभी तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जांचोपरान्त यह पाया गया है कि प्रश्नगत फर्म से कार्य कराने हेतु कोई आदेश या अनुबन्ध नहीं किया गया था और न अभिलेखों से कार्य कराये जाने की पुष्टि होती है । अतः फर्म को भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फतेहपुर में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ब्योरा एवं भवन विहीन विद्यालयों के पुनर्निर्माण के विषय में जानकारी

4–श्री मुरलीधर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितने प्राथमिक एवं कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्मित हैं एवं कितने विद्यालय भवन विहीन हैं ? क्या सरकार भवन विहीन विद्यालयों का भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद–फतेहपुर के ग्रामीण क्षेत्र में 1247 प्राथमिक तथा 156 उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालय निर्मित हैं । नगर क्षेत्र में 29 प्राथमिक तथा 02 उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्मित हैं । ग्रामीण क्षेत्र में 83 प्राथमिक तथा 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन/जर्जर हैं । नगर क्षेत्र में 19 प्राथमिक तथा 5 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनहीन/जर्जर हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र के भवनहीन/जर्जर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य प्रारम्भ/गतिमान है । सम्प्रति नगर क्षेत्र के भवनहीन/जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण की योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन की नकल विरोधी नीति के संदर्भ में छात्रों तथा अभिभावकों को आर्थिक भार से बचाने हेतु ट्यूशन प्रणाली को संज्ञेय अपराध घोषित किये जाने तथा वर्ष 1997-98 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को पुरस्कृत किये जाने की मांग

5-श्री रामेश्वर सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के नकल विरोधी नीति के क्रम में छात्रों को तथा उनके अभिभावकों को आर्थिक भार से बचाने के लिए ट्यूशन प्रणाली को संज्ञेय अपराध घोषित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से बन्द करने पर सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार वर्ष 1997-98 में प्रथम श्रेणी में उतीर्ण होने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को पुरस्कृत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह-

शासकीय अधिसूचना संख्या-3513/15-7-2(2)/92, दिनांक 1-7-92 एवं शासनादेश संख्या-3514/15-7-92-1(74)/92, दिनांक 1-7-92 द्वारा अशासकीय/राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों पर अंशकालिक गृह शिक्षण (प्राइवेट ट्यूशन) प्रतिबन्धित है। इसके उल्लंघन को घोर कदाचार मानते हुए उल्लंघन करने वाले अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

जी नहीं।

कोई योजना नहीं है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास खण्ड छपिया जनपद गोण्डा के कस्बा बभनान में बालिका डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव

6-श्री रामेश्वर सिंह यादव-

क्या सरकार महिलाओं में उच्च शिक्षा के प्रगति व जागरूकता लाने के लिये विकास खण्ड छपिया जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कस्बा बभनान में बालिका डिग्री कालेज वर्तमान वित्तीय वर्ष में खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस०सी० सिंघल अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड देहरादून से स्थानान्तरण के उपरान्त सरकारी आवास खाली किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

7-श्री हरबंस कपूर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस०सी० सिंघल, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड, देहरादून से स्थानान्तरण कब हुआ था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्थानान्तरण के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी ने क्या देहरादून सरकारी आवास खाली कर दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी श्री एस० सी० सिंघल से स्थानान्तरण उपरान्त सरकारी आवास खाली करवाने हेतु कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र-

श्री एस० सी० सिंघल, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, देहरादून का स्थानान्तरण शासनादेश संख्या-2249(1) इंजी/23-लो० नि०-5-97-32 इंजी/97, दिनांक 12-5-97 द्वारा हुआ था ?

जी नहीं।

खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी आवास खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्राथमिक विद्यालय बरौनी, नगर सण्डीला, जनपद हरदोई में अध्यापकों द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

8—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय बरौनी, नगर क्षेत्र सण्डीला, जनपद हरदोई में अध्यापकों द्वारा अनियमिततायें किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

जांच में आरोप पुष्ट नहीं पाये गये तथापि जनहित में उक्त विद्यालय के तीन शिक्षकों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन आवासीय भवनों के किरायों का निर्धारण

9—श्री श्याम किशोर यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कर्मचारियों हेतु लखनऊ में बनी महानगर, बादशाह नगर, अलीगंज, ठाकुरगंज, मोतीझील, रामनगर एवं टिकैतगंज कालोनियों में सुविधा निर्माण की प्रकृति तथा नवीनता एवं अनुरक्षण में व्यापक भिन्नता होने के बाद भी एक संवर्ग के लोगों से भवन किराये के कटौती में समानता होने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उपरोक्त सभी कालोनियों को सुविधा एवं अनुरक्षण के आधार पर श्रेणीवार भवन किराया निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन आवासीय भवनों का किराया लिविंग एरिया के आधार पर फ्लेटरेन्ट के रूप में निर्धारित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1985 के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), उ० प्र० शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान के पद पर चयन एवं नियुक्तियों में हुई अनिमितताओं की जांच आख्या को सदन के पटल पर रखने की मांग

10–श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985 में लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला उ०प्र० शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनमान के पद पर चयन एवं नियुक्तियों के संबंध में किये गये भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतों के संबंध में माननीय सांसद डा० अमृत लाल भारतीय द्वारा भारत सरकार प्रधान मंत्री भ्रष्टाचार निवारण प्रकोष्ठ को दिनांक 7 नवम्बर, 1997 को जांच कराये जाने विषयक पत्र उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण के संबंध में कराई गई जांच आख्या सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण के संबंध में लोक सेवा आयोग, उ०प्र० से आख्या प्राप्त की गई, जिसमें अवगत कराया गया कि प्रकरण अभी मा० सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

उपर्युक्तानुसार ।

शिक्षा विभाग, उ० प्र० में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सेवा संवर्ग में ओ० बी० सी० का आरक्षण कोटा पूर्ण कराने के संबंध में जानकारी

11—श्री रंग बहादुर पटेल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग उ० प्र० में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सेवा संवर्ग में ओ० बी० सी० का आरक्षित कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी सेवा संवर्ग में पिछड़ी जाति (ओ० बी० सी०) का आरक्षित कोटा पूर्ण करने हेतु शासन स्तर से कोई ठोस प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कोई पृथक से संवर्ग नहीं है । अतएव उसमें कोटा पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता !

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में लखनऊ प्राणी उद्यान में स्क्रेप विक्रय के विषय में जानकारी

12—श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणी उद्यान, लखनऊ में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में कितना स्क्रेप जैसे लोहा, अल्मुनियम, टिन, जस्ता आदि बेचा गया है ? क्या वह स्टाक बुक में दर्ज था ? क्या बेचे जाने के पूर्व उसका अपलेखन किया गया था ? क्या इसके बेचे जाने में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं औपचारिकतायें अपनाई गई थी ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन दोषी है ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

लखनऊ प्राणि उद्यान में वर्ष 1996-97 में कोई स्क्रेप विक्रय नहीं किया गया । वर्ष 1997-98 में पुराना स्क्रेप (लोहा जाली 41.65 कुन्टल पुराना लोहा 121.58 कुन्टल पुरानी टिन पाइप कास्ट आयरन 15.60 कुन्टल) की बिक्री निदेशक, लखनऊ प्राणि उद्यान द्वारा की गयी है ।

जी नहीं ।

उपरोक्त सामान में से गार्डेन सेक्शन के सामान को निदेशक द्वारा अपलिखित किया गया था । शेष सामान को अपलिखित नहीं किया गया था ।

उक्त सामान को बेचने से पूर्व निदेशक प्राणि उद्यान द्वारा इसकी अनुमति किसी उच्च स्तर से प्राप्त नहीं की गयी थी । कुल 1,23,039/- मूल्य में बेची गयी पुरानी सामग्री के बिक्री का अनुमोदन भी निदेशक द्वारा स्वयं किया गया ।

भविष्य में बिना अनुमोदन के बिक्री की कार्यवाही न किये जाने हेतु प्रशासन (मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव) द्वारा निदेशक को सचेत कर दिया गया है ।

श्री सुरेश नारायण श्रीवास्तव, अनुदेशक, विद्युत अभियंत्रण महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर को सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने के संबंध में जानकारी

13—श्री अक्षयवर लाल–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदेशक, विद्युत अभियंत्रण महाराणा प्रताप पालीटेक्निक, गोरखपुर को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किये जाने विषयक श्री रघुबर दयाल वर्मा, स० वि० स० का पत्र दिनांक 23-9-97 सचिव, प्राविधिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या

कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी की निर्बाध रूप से 27 वर्षों तक की गयी सेवा को देखते हुए सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

1–जी हां ।

2–परीक्षणोपरान्त पाया गया श्री सुरेश नारायण श्रीवास्तव अनुदेशक विद्युत को सेलेक्शन ग्रेड देय नहीं है ।

3–शासनादेश सं०–1107/16-प्रा० शि०–2-30(ई०)/74/दिनांक 25-5-95 के अनुसार 15% पदों पर अनुमन्यता के आधार पर श्री सुरेश नारायण श्रीवास्तव सेलेक्शन ग्रेड की पात्रता श्रेणी मे नहीं आते हैं ।

जनपद पौड़ी के सतपुली स्थान पर महाविद्यालय की स्वीकृति के संबंध में जानकारी

14—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद के सतपुली स्थान पर महाविद्यालय स्वीकृत करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सतपुली में इसी शिक्षा सत्र से महाविद्यालय का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

सम्भव नहीं है ।

सम्बद्धता एवं अन्य अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण ।

15—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

(उसरे मंगलवार के लिये स्थगित)

अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्ति के संबंध में श्री लाखी राम जोशी, विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही

16—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लाखीराम जोशी, विधायक के 28-2-98 के पत्र के संदर्भ में अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्ति सहायक अभियन्ता (सिविल) लोक नि० वि० में विनियमितीकरण विषयक पत्र मा० मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 13-3-98 कार्यवाही हेतु भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 1979 सपठित संशोधन नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 1-10-86 या इसे पूर्व तदर्थ आधार पर नियुक्त कार्मिकों को ही विनियमित किया जा सकता है । श्री लाखीराम जोशी के पत्र में शासनादेश दिनांक 8-2-95 द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के बारे में अनुरोध किया गया है जो उक्त नियमावली के अन्तर्गत नहीं आता है ।

17—श्री अफजाल अहमद–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर ग्राम सभा तरछापार से ग्राम सभा बहोरबा तक जाने वाली नहर पटरी के निर्माण की मांग

18–श्री अफजाल अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर ग्राम सभा तरछापार से होते हुये अखोप माईनर से निकली नहर जो ग्राम सभा बहोरबा तक जाती है की एक पटरी

को पिच कराने हेतु कंकड़ मिट्टी आदि पड़ जाने के बावजूद अभी तक पिच नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में दोषी अधिकारियों को दण्डित करते हुये इसे तत्काल पिच कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्नगत नहर पटरी का निर्माण कार्य माह जून, 98 तक पूर्ण करने का लक्ष्य पूर्व से ही निर्धारित है, अतः इस मामले में कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला इटावा, तहसील भरथना में प्राइमरी पाठशाला, कुतुबपुर में सक्षम अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराने की मांग

19—श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, कुतुबपुर, ब्लाक तहसील भरथना, जिला इटावा में लगभग 30 वर्षों से सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है एवं बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है ? क्या सरकार सक्षम स्तर के अधिकारी से जांच कराकर शिक्षकों की कमियों को भी दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं ।

समय-समय पर सक्षम अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण किये गये हैं ?

शिक्षा के स्तर को समुन्नत बनाने हेतु अध्यापकों को सार्थक सुझाव जनपदीय अधिकारी के स्तर से दे दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड अरांव के ग्राम सिसोली में सेंगर नदी पर पुल के निर्माण हेतु जानकारी

20—श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड अरांव के ग्राम सिसोली में सेंगर नदी पर पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या सरकार इसका निर्माण कार्य पुनः शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं, प्रश्नगत सेतु के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 1997 में प्रारम्भ किया जा चुका है ।

जनपद इटावा की तहसील भरथना के ब्लाक कुतुबपुर के प्राइमरी पाठशाला में निर्धारित संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

21—श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला कुतुबपुर ब्लाक व तहसील भरथना, जिला इटावा में 5 अध्यापकों के पद सृजित होने के बावजूद कई वर्षों से इसमें पूरी संख्या में अध्यापक

कार्यरत नहीं हैं ? यदि हां, तो इस प्राइमरी पाठशाला में कब तक पूरे अध्यापकों की नियुक्ति हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

परिषदीय मानक के अनुसार विद्यालय में 3 अध्यापकों की आवश्यकता के प्रति 2 अध्यापक कार्यरत हैं ?

वार्षिक प्रबन्ध में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की व्यवस्था हेतु जनपदीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता को सम्बोधित श्री रवीन्द्र पुण्डीर, विधायक, सरधना, मेरठ के शिकायती पत्र पर जांच

22—डा० राम सिंह सैनी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रवीन्द्र पुण्डीर, विधायक, सरधना, मेरठ का शिकायती पत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 1996 प्रमुख सचिव, व प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायती पत्र की जांच पूर्ण कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

शिकायती पत्र पर जांच कराई जा रही है जो अभी पूरी नहीं हो पायी है ।

रा० मा० 24 के कि०मी० 474 में स्थित अर्जुनपुर रेस्ट हाउस प्रांगण में गत दो वर्षों में चन्दन वृक्षों के काटे जाने के विषय में जानकारी

23—डा० राम सिंह सैनी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि रा० मा० 24 के कि०मी० 474 में स्थित अर्जुनपुर रेस्ट हाउस प्रांगण में विगत दो वर्ष के अन्दर चार-पांच चन्दन के पेड़ काट लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा पेड़ काट कर बेच दिया गया है ? यदि नहीं, तो पेड़ कब तक काटा गया ? सम्बन्धित थाने पर प्राथमिक रिपोर्ट कब तक दर्ज की गयी थी ? पेड़ काटने के कितने दिन पश्चात् प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गयी ? इस लापरवाही की पूर्ण जिम्मेदारी किस अधिकारी एवं किस कर्मचारी की है ?

श्री कलराज मिश्र–

रा० मा० 24 के कि०मी० 474 में स्थित अर्जुनपुर रेस्ट हाउस प्रांगण में विगत दो वर्षों में चन्दन के दो छोटे पेड़ चोरी से कटे ।

जी नहीं ।

पेड़ दिनांक 23-1-97 की रात्रि में कटा, जिसकी रिपोर्ट रजिस्टर्ड पत्र संख्या–769 दिनांक 20-2-97 को थाना इटौंजा में दी गयी थी । इस लापरवाही हेतु दो चौकीदारों को उत्तरदायी पाया गया । उनसे क्षतिपूर्ति रु० 3,250/- की वसूली तत्कालीन बाजार दर पर कर ली गयी है तथा भविष्य हेतु चेतावनी भी दी गयी है ।

जनपद सहारनपुर में बैजनी दुम झंडा मार्ग के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मे० यादव कन्स्ट्रक्शन के अनुबन्ध की धनराशि का ठेकेदार को भुगतान किये जाने संबंधी जानकारी

24—डा० राम सिंह सैनी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में बैजनी दुम झंडा मार्ग के सुरक्षात्मक कार्य हेतु मे० यादव कन्स्ट्रक्शन का अनुबन्ध सं० 1/ई०ई०/95-96 दिनांक 5-5-95 किया गया था ? यदि हां, तो उक्त अनुबन्ध कितनी धनराशि का था तथा उक्त अनुबन्ध के अन्तर्गत ठेकेदार को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? ठेकेदार की जमानत की धनराशि कितनी थी ? भुगतान

कितनी धनराशि का किया गया ? क्या अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली ठेकेदार से की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वसूली कब तक कर ली जायेगी ?

श्री कलराज मिश्र-

जनपद सहारनपुर में चिलकाना–दुमझेड़ा मार्ग जो आगे बैजनी भी जाता है, के पुनः निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु मे० यादव कन्ट्रक्शन कं० का अनुबन्ध संख्या–1/ई०ई०/95-96 दिनांक 5-5-95 बनाया गया । अनुबन्ध रुपये 4,27,818.00 धनराशि का था ।

ठेकेदार की जमानत धनराशि रुपये 29,000/– थी । ठेकेदार को रुपये 41,752/– का भुगतान किया गया जो प्रथम चालू देयक में माप की गयी मात्रा का ही था । किये गये कार्य से अधिक भुगतान नहीं किया गया । कार्य अधूरा छोड़ देने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार की जमानत की धनराशि रुपये 29,000/– जब्त कर ली गयी है । वर्षा के कारण पूर्व में किये गये मिट्टी के कार्य में हुई क्षति की ठेकेदार से वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राधेश्याम पाण्डेय, उपसचिव एवं श्री पुष्कर मिश्र, अवर वर्ग सहायक का लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरण

25— श्री श्याम प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानान्तरण नीति विषयक सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3677/बीस-ई-1-96-600(1)/81, दिनांक 16 जुलाई, 1996 के अन्तर्गत विधायक कोष्ठक के पत्र संख्या एम–4/13–103/सुल्तानपुर/97, दिनांक 7 मई, 1997 सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र पर विचारोपरान्त श्री राधेश्याम पाण्डेय, उपसचिव एवं श्री पुष्कर मिश्र, अवर वर्ग सहायक को लोक निर्माण विभाग से स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

सचिवालय प्रशासन/गृह/लो० नि०/सिंचाई तथा राजस्व शाखाओं में प्रवर वर्ग सहायकों एवं अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

26—श्री श्याम प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2959/ बीस–ई–1–96–600(1)/81, दिनांक 13 जून, 1997 के विरुद्ध सचिवालय प्रशासन/गृह/लो० नि०/सिंचाई तथा राजस्व शाखाओं में कितने ऐसे प्रवर वर्ग सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति करके उसी शाखा में तैनात कर दिया गया है । क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त शाखाओं में कितने ऐसे प्रवर वर्ग, अवर वर्ग सहायक है जो 10 वर्षों से अधिक समय से स्थानान्तरण होने के बावजूद पुनः उसी शाखा के अधिष्ठानों/परिवादों के अनुभागों में अभी तक कार्यरत हैं ? क्या शासकीय कार्यहित/जनहित में उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल अन्य शाखाओं में कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । सचिवालय प्रशासन/गृह/लोक निर्माण/सिंचाई तथा राजस्व में से सचिवालय प्रशासन विभाग एवं गृह विभाग में कार्यरत केवल एक-एक प्रवर वर्ग सहायक को अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कर उसी शाखा में तैनात किया गया है । सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०–2959/बीस–ई–1–96-600(1)/81, दिनांक 13 जून, 1997 में निर्धारित स्थानान्तरण नीति के प्राविधानों के अनुसार अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहायक/सन्दर्भ लिपिक/अनुभाग अधिकारी एवं

समकक्ष पदों पर कार्यरत कर्मियों को एक शाखा में अधिकतम 10 वर्ष तथा एक अनुभाग में 4 वर्ष तक तैनात रखे जाने का प्राविधान है। उक्त दोनों कर्मियों को सचिवालय प्रशासन विभाग/गृह विभाग में तैनात हुए तीन वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है। अतः इन पर स्थानान्तरण नीति से सम्बन्धित उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 जून, 1997 लागू नहीं होता है।

सचिवालय प्रशासन/गृह/लोक निर्माण/सिंचाई तथा राजस्व सचिव शाखाओं में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत 03 प्रवर वर्ग सहायकों को स्थानान्तरित किया गया है जिनमें से 01 प्रवर वर्ग सहायक तथा 06 अवर वर्ग सहायक कार्यरत हैं।

जी हां। अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

27—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

(दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०—183 द्वारा उत्तरित)

28—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

(दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०—184 द्वारा उत्तरित)

जनपद फतेहपुर में संस्कृत विद्यालयों का ब्योरा

29—श्री मुरलीधर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितने संस्कृत विद्यालय कार्यरत हैं ? कितनी धनराशि प्रतिवर्ष शासन द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है ? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या नगण्य है और धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नेपाल सिंह—

जनपद फतेहपुर में 17 सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय हैं। वित्तीय वर्ष 1997-98 में उक्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण/शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु 42.30 लाख स्वीकृत किया गया है।

मानक के अनुसार छात्र संख्या पर्याप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

दि बलरामपुर चीनी मिल इकाई बभनान से खोड़ारा जाने वाली सड़क की मरम्मत एवं धारीघाट पर पक्के पुल के निर्माण संबंधी जानकारी

30—श्री संजय गर्ग—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के जिन राज्य मार्गों पर गन्ना पेराई सत्र में गन्ने की ढुलाई होती है उसमें उतने समय जन सामान्य को यातायात में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको ध्यान में रखते हुए दि बलरामपुर चीनी मिल इकाई बभनान से खोड़ारे जाने वाली रोड को चौड़ी करने एवं धारी घाट पर लकड़ी के पुल को पक्का पुल में परिवर्तित करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

प्रश्नगत सड़क की मरम्मत और प्रस्तावित स्थल पर पुल निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1997 में दी जा चुकी है और तदनुसार मार्ग की मरम्मत का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा पुल निर्माण यथाशीघ्र कराया जायेगा। अतः चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

31. श्री रामतेज यादव एडवोकेट

(दिनांक 22-6-98 को अता० प्र० सं० 86 द्वारा उत्तरित)

जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के जून, 1997 से सेवा निवृत्त हुए प्रधानाचार्यों के अनन्तिम पेंशन, जी० पी० एफ०, एल० टी० सी०, सामूहिक बीमा आदि तथा अन्य शेष देयों के भुगतान का विवरण

32–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कौन-कौन से प्रधानाचार्य जून, 1997 में सेवानिवृत्त हुए हैं ? उनकी पेंशन का अनन्तिम और अन्तिम भुगतान किन-किन तिथियों के प्रारम्भ किये गये ? उनके जी०पी०एफ० का अन्तिम भुगतान किन-किन तिथियों में दिये गये ? उनकी सामूहिक बीमे की धनराशि कब-कब उपलब्ध करायी गयी ? उनकी अन्तिम यात्रा भत्ता एवं एल०टी०सी० की धनराशि कब-कब उपलब्ध करायी गयी ? इनमें से किन-किन प्रधानाचार्यों को 31 मार्च, 98 तक उक्त देयों में से किन देयों का भुगतान नहीं किया गया है ? कब तक उनकी शेष धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा ? इसमें विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ?

डा० नेपाल सिंह–

जनपद बहराइच के शासकीय विद्यालयों के निम्नलिखित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक जून, 1997 में सेवा निवृत्त हुए हैं :–

1–श्री राम सेवक राय, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच।

2–श्री धर्मपाल मिश्र, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रमपुरवा, बहराइच।

उक्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के अनन्तिम पेंशन, पेंशन, जी०पी०एफ०, सामूहिक बीमा, एल०टी०सी०, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण तथा अन्तिम यात्रा भत्ता देयक के भुगतान आदि का विवरण निम्नवत् है :–

1–श्री राम सेवक राय, प्रधानाचार्य, रा०इ०का०, बहराइच

(1) अनन्तिम पेंशन : रु० 28,746/- (जुलाई, 1997 से दिसम्बर, 1997 की अवधि हेतु) प्रधानाचार्य, रा०इ०का०, बहराइच के पत्र, दिनांक 13-5-98 द्वारा स्वीकृत की गयी किन्तु कोषाधिकारी, बहराइच द्वारा आपत्ति लगाये जाने के कारण अभी तक भुगतान नहीं हो सका है।

(2) पेंशन : पेंशन को स्वीकृति हेतु प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच कार्यालय के पत्र, दिनांक 01-8-97 द्वारा मुख्य लेखाधिकारी, शि०नि०, उ० प्र०, इलाहाबाद को भेजा गया है, जो अभी लम्बित है।

(3) जी०पी०एफ० : जी०पी०एफ० की 90% धनराशि रु० 66,100/- का भुगतान दिनांक 26-7-97 को किया जा चुका है तथा उक्त में से रु० 3,850/- की अधिक भुगतान की गयी धनराशि चालान सं०–85, दिनांक 30-3-98 द्वारा कोषागार में वापस कर दी गयी है।

(4) जी०पी०एफ० : जी०पी०एफ० की 10% धनराशि के भुगतान का प्रकरण प्रधानाचार्य द्वारा दि० 14-8-97 को महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जो अभी लम्बित है।

(5) सामूहिक बीमा : सामूहिक बीमा की धनराशि के भुगतान हेतु प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच के पत्र, दिनांक 29-11-97 द्वारा बीमा निदेशालय को भेजा गया है, जो अभी लम्बित है।

(6) उपार्जित अवकाश : उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की धनराशि रु० 39,183.30 पै० का भुगतान दि० 03-4-98 को किया जा चुका है।

(7) एल०टी०सी० : एल०टी०सी० हेतु रु० 12,500/- की धनराशि बिना विभागीय अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये ही श्री राय द्वारा स्वयं स्वीकृत कर आहरित कर ली गयी, जिसे विभागीय आदेशों के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 25-3-98 को कोषागार में जमा कर दिया गया। अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

(8) अन्तिम यात्रा भत्ता देयक : अन्तिम यात्रा भत्ता देयक हेतु रु० 10,340.40 पै० का भुगतान दि० 14-9-97 को किया जा चुका है।

2–श्री धर्मपाल मिश्र, प्रधानाध्यापक, रा०उ०मा०वि०, रमपुरवा, बहराइच

श्री धर्मपाल मिश्र द्वारा 60 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्ति हेतु मा० उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ–लखनऊ, लखनऊ में रिट याचिका योजित की गयी है, जो सम्प्रति विचाराधीन है। श्री मिश्र ने 90% जी०पी०एफ० की धनराशि का भुगतान अपने सेवाकाल में प्राप्त कर लिया है किन्तु उनके द्वारा विद्यालय के अभिलेखों का प्रभार किसी को न सौंपने के कारण उसकी धनराशि/तिथि ज्ञात नहीं है। शेष जी०पी०एफ०, पेंशन, बीमा, आदि का भुगतान उनके द्वारा अभिलेख न सौंपने के कारण लम्बित है जिसके लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध उक्त कृत्य के लिये पुलिस थाना में प्राथमिकी (एफ०आई०आर०) दर्ज करा दी गयी है।

स्वर्गीय श्री हरिदास निम पूर्व प्रवक्ता, पब्लिक इण्टर कालेज, पूरनपुर की पत्नी श्रीमती हीरावती देवी की पारिवारिक पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान

33–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक इन्टर कालेज, पूरनपुर (पीलीभीत) में स्वर्गीय हरिदास निम पूर्व प्रवक्ता की पत्नी श्रीमती हीरावती देवी की पारिवारिक पेंशन का निर्धारण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां। स्व० श्री हरिदास निम पूर्व प्रवक्ता की पत्नी श्रीमती हीरावती देवी को पारिकारिक पेंशन का निर्धारण हो चुका है तथा इसका भुगतान भी कोषागार, पीलीभीत द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पब्लिक इण्टर कालेज, पूरनपुर में 1996-97 में उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से चयनित अध्यापकों एवं उनको नियमित वेतन भुगतान कराने की मांग

34–श्री गोपाल कृष्ण–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र 1996-97 में उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से चयनित कितने अध्यापकों को पब्लिक इण्टर कालेज, पूरनपुर (पीलीभीत) में कार्यभार ग्रहण कराया गया है ? क्या उपरोक्त अध्यापकों का नियमित वेतन का भुगतान हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इन अध्यापकों का वेतन भुगतान कब तक करा देगी ?

डा० नैपाल सिंह–

तीन (3) अध्यापकों श्री ऊदलराम, श्री दिनेश कुमार एवं श्री सुरेश कुमार को कार्यभार ग्रहण कराया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

35–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

वर्ष 1989 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्य कर चुके नियुक्ति से वंचित अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाओं का समायोजन करने की मांग

36-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्य कर चुके नियुक्ति से वंचित अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाओं को समायोजन करने का निर्णय शासन ने लिया है ? सन् 1986 से 1989 तक पर्वतीय क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्रों में प्रवक्ता/एल०टी० पदों पर अध्यापन कार्य करने वाले अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाओं को 1989 में समायोजित करने से वंचित शिक्षक/शिक्षिकायें रह गयी हैं ? इन्हें समायोजित कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह-

अंशकालिक स्वयं सेवियों को अनिवार्यतः नियुक्ति/समायोजन किये जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की सहायक अधिशासी अभियन्ता के पदों पर नियुक्ति तथा प्रोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी

37-श्री सुधाकर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा सं० 3284 ई०बी०आर०/23(3)-32(2) ई०बी०आर०/76 दिनांक 7 जून, 1977 द्वारा लोक निर्माण विभाग के 374 अभियन्ताओं की नियुक्ति सहायक अधिशासी अभियन्ता के पदों पर की गयी है ? क्या यह सही है कि इन 374 सहायक अधिशासी अभियन्ताओं में से 292 अभियन्ता दिनांक 7 जून, 1977 के पूर्व उच्चतर पद अधिशासी अभियन्ता पर प्रोन्नत थे ? यदि हां, तो इन 292 सहायक अधिशासी अभियन्ताओं को पुनः अधिशासी अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नत करने का क्या औचित्य है ? इस चयन में अधिशासी अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति हेतु जिन-जिन सहायक अधिशासी अभियन्ताओं का चयन किया गया ? क्या उनकी सूची उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

शासनादेश संख्या : 3284 ई०बी०आर०/23(3)-32(2) ई०बी०आर०/76, दिनांक 7-6-77 द्वारा 373 अभियन्ताओं की सहायक अधिशासी अभियन्ता के अस्थायी पदों पर नियुक्ति की गयी थी, जिसे शासनादेश संख्या-4482 ई०बी०आर०/23-(3)-32(2)/76, दिनांक 8 अक्टूबर, 1980 द्वारा निरस्त किया जा चुका है ।

श्री राम विशुन आजाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को श्री राजकुमार सिंह, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

38-श्री राम विशुन आजाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को श्री राजकुमार सिंह, प्रवक्ता (भौतिकी), राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के संबंध में प्रश्नकर्ता का चार संलग्नकों सहित दिनांक 25-3-98 को पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रश्नगत प्रवक्ता को उसके विरुद्ध पूर्व में सिद्ध आरोपों के परिपेक्ष्य में निलम्बित/स्थानान्तरित कर उनके कार्यवाहक प्राचार्य कार्यकाल की विशेष सम्परीक्षा करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को जांच हेतु भेजा गया है।

प्रश्नगत प्रवक्ता के विरुद्ध पूर्व में सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में आरोप-पत्र तैयार कर कार्यवाही की जा रही है।

यथा शीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के राजकीय इन्टर कालेज में भौतिक एवं रसायन विज्ञान विषयो में प्रवक्ता पदों के सृजन की मांग

39–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बहराइच के राजकीय इन्टर कालेज में भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विषयों में प्रवक्ता पदों के सृजन हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने विभाग को लिखा है ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों ने किन-किन तिथियों में लिखा है और अब तक उक्त विषयों में प्रवक्ता पदों के सृजन न करने के क्या कारण हैं ? क्या शासन द्वारा उक्त पदों का सृजन तत्काल किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

परन्तु भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विषयों में प्रवक्ता पदों के सृजन हेतु नहीं, अपितु इण्टरमीडिएट में एक अतिरिक्त अनुभाग खोलने के लिये यह पत्र निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को लिखे गये जिला विद्यालय विद्यालय निरीक्षक, बहराइच ने दिनांक 11-11-94 को तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ने 6-12-94 को सन्दर्भित विशेष विषयों में प्रवक्ता पदों के सृजन की मांग न होने के कारण।

इण्टरमीडिएट में वैज्ञानिक वर्ग, पद सृजन सहित पूर्व से संचालित है। भौतिकी एवं रसायन विज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं के पदों की मांग न होने के कारण।

जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं के चिकित्सा अवकाश, एल०टी०सी०, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि के लम्बित प्रकरण के निस्तारण की मांग

40–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं के चिकित्सा अवकाश, एल० टी० सी० की स्वीकृति, वेतन निर्धारण, स्थायीकरण दक्षतारोक पारण, अवशेष वेतन भुगतान, पदोन्नति, एल० टी० में संविलीनीकरण आदि प्रकरण जनपद मंडल स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो किस-किस तिथि से और क्यों ? क्या शासन इन सभी प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करेगा ?. यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ?

डा० नैपाल सिंह–

राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय, बहराइच की केवल एक शिक्षिका स्वर्गीय श्रीमती शहनाज परवीन के देयकों के भुगतान तथा प्रधानाध्यापिका के पद पर प्रोन्नति का प्रकरण विचाराधीन है।

उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण इनके अवशेषों का भुगतान करना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा जनपद स्तर पर जनपदीय वरिष्ठता सूची के तैयार न होने से प्रधानाध्यापिका के पद पर पदोन्नति का प्रकरण लम्बित है।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरदायी कर्मचारी को चेतावनी दे दी गयी है ।

संयुक्त सचिव, शिक्षा, उ० प्र० शासन द्वारा राजकीय तदर्थ विनियमित शिक्षकों को ज्येष्ठता निर्धारण में तदर्थ सेवाओं का लाभ देने विषयक प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

41—डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि संयुक्त शिक्षा सचिव, उ० प्र० शासन ने राजकीय तदर्थ विनियमित शिक्षकों को ज्येष्ठता निर्धारण में तदर्थ सेवाओं का लाभ देने विषयक अ० शा० पत्रांक 3691/15-2-90/27(66)/90, दिनांक 20-6-90 शिक्षा निदेशक को लिखा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कार्यवाही पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

42—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

वर्ष 1996-97, 1997-98 में अ० वि० नि० इ० (विद्युत) लोक निर्माण विभाग को क्रय विक्रय हेतु प्रदान की गयी धन सामग्री का विवरण

43—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अ० वि० नि० ई० (विद्युत) लोक निर्माण विभाग लखनऊ को वर्ष 1996-97, 1997-98 में कितना धन सामग्री खरीद एवं अन्य मदों में खर्च करने के लिये दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त धन का भारी पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है जिसमें अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा वर्ष 1997 मार्च व 1998 मार्च में भारी ओवर बजटिंग कर सामग्री खरीद के नाम पर गिने चुने फर्म वालों को फर्जी भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी सरकार सतर्कता जांच कराकर मार्च महीनों में ओवर बजटिंग करने वाले अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कलराज मिश्र–

अ० वि० नि० ई० (विद्युत), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को वर्ष 1996-97 में रु० 3,81,91,500/- तथा वर्ष 1997-98 में रु० 3,79,65,100/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी ।

वर्ष 1996-97 में रु० 3,81,91,500/- के सापेक्ष रु० 4,22,71,466.81/- तथा वर्ष 1997 में रु० 3,79,65,100/- के सापेक्ष रु० 3,66,50,574.23/- की धनराशि व्यय की गयी । ओवर बजटिंग एवं फर्जी भुगतान के संबंध में विभाग द्वारा जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

उपरोक्तानुसार सतर्कता जांच की अभी आवश्यकता नहीं है ।

44—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

(दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 187 के अन्तर्गत उत्तरित)

45—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

(तीसरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पौड़ी गढ़वाल में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु धन की वसूली

46–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1993–94 में केन्द्र सरकार के द्वारा पूर्व निर्धारित योजनान्तर्गत स्वीकृत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चड़ीगांव जिला पौड़ी गढ़वाल में आवासीय भवनों के निर्माण के कार्य हेतु धन उपलब्ध हुआ था ? क्या केन्द्र सरकार ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चड़ीगांव, जिला पौड़ी गढ़वाल के समस्त भवनों के लिये प्राक्कलन मांग के अनुसार धन स्वीकृत कर दिया है ? क्या अट्ठाइस लाख साठ हजार रुपये की राशि शासनादेश सं० 188/15(13)/94–1499(14)/92, दिनांक 22–3–1994 के अन्तर्गत अवशेष राशि लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर, गढ़वाल को उपलब्ध हो गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

जी हां । भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पौड़ी के भवन निर्माण कार्य हेतु 1.00 करोड़ रु० की पुनरीक्षित धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

शासनादेश सं० 188/15(13)/94–1499(14)/92, दिनांक 22–3–94 द्वारा विभिन्न जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण कार्यों हेतु कुल रु० 7,64,00,000/– (रु० सात करोड़, चौसठ लाख) की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पौड़ी के भवन निर्माण कार्य हेतु रु० 28.60 लाख) (रु० अटठाइस लाख साठ हजार) की धनराशि सम्मिलित थी । मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 30–3–94 द्वारा धनराशि का आवंटन मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी को किया गया था । मुख्य अभियन्ता (भवन) के पत्र दिनांक 24–2–96 के अनुसार धनराशि का आवंटन पत्र मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षेत्र पौड़ी को समय से प्राप्त न होने के कारण धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका ।

जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा की भदपुरा-अमीरनगर सड़क का निर्माण

47–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा की भदपुरा-अमीरनगर सड़क कट गई है ? यदि हां, तो उसको बनाने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं और उन प्रयासों का परिणाम क्या है ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । प्रश्नगत कच्चा मार्ग बाढ़ से कट गया था और वहां तालाब बन गया था ।

तालाब के ऊपर सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ एवं जिला चम्पावत में पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति की मांग

48–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ एवं नव सृजित जिला चम्पावत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग जिला स्तरीय पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति पर विचार कर रहा है ? क्या लोहाघाट में स्वागत कक्ष एवं टनकपुर में पर्यटन अधिकारी कार्यालय स्थापित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

पिथौरागढ़ में पर्यटक अधिकारी का कार्यालय पूर्व से ही स्थापित है तथा उक्त कार्यालय में पर्यटन अधिकारी तैनात है ।

चम्पावत में जिला स्तरीय पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति विचाराधीन नहीं है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्तमान में लोहाघाट में स्वागत कक्ष एवं टनकपुर में पर्यटन अधिकारी कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय, जनपद वाराणसी में एस०आर०एन० आर० के बजट से वाराणसी व चन्दौली जनपद की सड़कों पर किये गये व्यय की धनराशि का विवरण

49–श्री छब्बू पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय जनपद वाराणसी में वर्ष 96–97, 1997–98 एस०आर०एन० आर० के बजट से वाराणसी व चन्दौली जनपद के किन-किन सड़कों पर कितना-कितना धन व्यय हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

वाराणसी चन्दौली जनपद के विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 व 1997–98 में वार्षिक अनुरक्षण/विशेष मरम्मत मद में मार्गों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्रमांक	मार्ग का नाम	वर्ष 96–97 में व्यय	वर्ष 97–98 में व्यय
1	मुगलसराय–चकिया	1,62,757.00	1,08,542.00
2	अलीनगर–सकल्डीहा	4,19,610.10	2,12,219.00
3	मुगलसराय–भूपौली	1,37,473.50	68,383.00
4	अलीनगर–लंकी	54,362.00	50,207.00
5	मुगलसराय–चकिया से जीवनाथपुर	20,610.00	2,880.00
6	चन्दौली-कैली	2,23,730.75	60,957.00
7	मुगलसराय–चकिया से बौरी	1,80,571.00	90,644.00
8	अहरौरा ब्रांच-कैनाल मार्ग	8,654.00	9,518.00
9	जलीलपुर–पडाव–भूपौली	2,21,804.45	1,51,379.95
10	जी०टी०रोड से रेवसा	4,956.00	—
11	लंका–परेरवा–छित्तमपुर	61,876.70	39,048.00
12	अहरौरा–ब्रांच कैनाल से जीवनाथपुर	4,200.00	—
	योग . .	15,00,665.50	7,93,777.95

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली में पड़ाव-भोपाली मार्ग पर रोना कुरहना के बीच पुल के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

50–श्री छब्बू पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय जनपद चन्दौली में पड़ाव-भोपाली मार्ग पर रोना कुरहना के बीच में बनने वाले पुल का निर्माण शुरू हो

गया है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी पुल का निर्माण शीघ्र कराते हुये विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी नहीं ।

जी हां, जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुगलसराय जनपद चन्दौली में वर्ष 1996–97, 97–98 में शासन द्वारा कराये गये भिन्न-भिन्न सड़कों के निर्माण कार्य की जांच की मांग

51–श्री छब्बू पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240–मुगलसराय, जनपद चन्दौली में सन् 1996-97, 97-98 में शासन द्वारा कराया गया निम्नलिखित सड़कों का निर्माण घटिया किस्म का है तथा गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है :– 1–लंका से भाटी सम्पर्क मार्ग, 2–चनरहना से गगहेरा सम्पर्क मार्ग, 3–रगौली से हिन्दुआरी होते हुये जिवनाथपुर सम्पर्क मार्ग, 4–जी० टी० रोड से रेवसा, 5–सगरा से मन्नापुर ? क्या मंत्री जी इन सड़कों की गुणवत्ता की जांच किसी उच्च अधिकारी की टीम बनवाकर करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । सभी कार्य मानक के अनुसार निर्माण कराये गये हैं/कराये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्रजीत सिंह, अवर अभियन्ता को बहाल करने की मांग

52–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री इन्द्रजीत सिंह (अनुसूचित जाति), अवर अभियन्ता, जनपद अल्मोड़ा रानीखेत तहसील में भिकिया सैंण–वेल्टी विनायक मोटर मार्ग के निर्माण में भूमि अर्जन में अनियमितता के आरोप में प्रमुख अभियन्ता के आदेशानुसार दिनांक 30 मार्च, 1988 को निलम्बित किये गये थे ? क्या यह सही है कि इसी मामले में निलम्बित अन्य कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है ? किन्तु लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त अवर अभियन्ता को न तो बहाल किया जा रहा है और न ही उन्हें नियमानुसार 3/4 वेतन भत्ता ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में उक्त अभियन्ता की पत्नी श्रीमती राधा आर्या का प्रार्थना-पत्र विधायक श्री विनय कुमार पाण्डेय उर्फ बिन्नू के उपरिपत्र दिनांक 5 अगस्त, 1997 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सूचना एकत्र की जी रही है ।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट की पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने की मांग

53–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश संख्या 1188, 23-4-96-28 एम० जी०/93 दिनांक 13-6-96 में यह स्पष्ट आदेश है कि 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक विभाग में वर्क चार्ज (कार्य प्रभारित) रूप में कार्य करने के उपरान्त यदि किसी कर्मचारी का सेवाकाल में आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसके आश्रित को वर्कचार्ज में सेवायोजित किया जायेगा ? यदि हां, तो निर्माण खण्ड

नैनीताल में वर्कचार्ज में कार्यरत श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट जिनका स्वर्गवास दिनांक 5-9-95 को हो गया था, की विधवा पत्नी श्रीमती गीता विष्ट को अब तक सेवायोजित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में श्रीमती गीता विष्ट का प्रार्थना-पत्र मय प्रपत्रों के विधायक श्री विनय कुमार पाण्डे के उपरिपत्र दिनांक 5 अगस्त, 1997 के साथ तथा प्रमुख सचिव, उत्तरांचल विकास का पत्र संख्या 32 वै० स०/21/96 दिनांक 25-3-96 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां,तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 13-6-96 का न होकर दिनांक 16-3-96 का है । उक्त शासनादेश में यह प्राविधान है कि लोक निर्माण विभाग के जिस कर्मचारी ने कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर ली हो और सेवा अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में वर्कचार्ज में सेवायोजित किया जायेगा, परन्तु उक्त शासनादेश दिनांक 16-3-96 से लागू है ।

जी हां ।

श्रीमती गीता विष्ट के पति स्व० श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट की मृत्यु दिनांक 9-5-95 को अर्थात् शासनादेश लागू होने की तिथि से पहले हो गई थी । अतः श्रीमती गीता विष्ट को शासनादेश दिनांक 16-3-96 का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं है ।

श्रीमती वीना देवी, सहायक अध्यापिका (सी०टी०ग्रेड), राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर को मूल पद पर वापसी का मामला

54–श्री अक्षयवर लाल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अध्यापिका श्रीमती वीना देवी वर्तमान समय में कहां और किस पद (ग्रेड) पर कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उनको मूल पद पर वापस न करके ए०डी० राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर में ही नियमित नियुक्ति दे दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही पर विचार करेगी ? क्या श्रीमती वीना देवी को उनके मूल नियुक्ति स्थान राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर को वापस कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

श्रीमती वीना देवी राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर में सहायक अध्यापिका सी०टी०ग्रेड के पद पर कार्यरत हैं ? शेष प्रश्न नहीं उठते ।

किसान इण्टर कालेज उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर के प्रधानाचार्य द्वारा आदेश का पालन न करने के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

55–श्री सरवर अली–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इण्टर कालेज उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर के प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पत्रांक 3144–45/1997–98 दिनांक 20–8–97 का पालन नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त आदेश का पालन शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेश के पालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि प्रश्नगत आदेश दिनांक 20–8–97 निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी, शोहरतगढ़, नौगढ़, जोगिया में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

56–श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी, शोहरतगढ़ नौगढ़, जोगिया में कहां-कहां प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल बनना प्रस्तावित है ? उन स्कूलों के भवन निर्माण कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

विकास खण्ड बढ़नी के ग्राम वेदोली, बसन्तपुर, रोमनदेई, हल्लौरा, सिसवांबुजुर्ग, मटियार उर्फ भूतहा, टीसम तथा चन्दवां एवं विकास खण्ड शोहरतगढ़ के ग्राम भाटमुस्तहकम, चौहट्टा अकरा, कोइरीडीहा परसोहिया, वरहिया तथा भावपुर एवं ब्लाक नौगढ़ के ग्राम खलीलपुर, वचड़ा-वचड़ी, वनरगड्ही, वरगदवां, गुजरौलिया खालसा, सेमरा, पश्चिम गोलवर्ड पुर नं० 14 तथा विकास खण्ड जोगिया के ग्राम टिकरिया, वाकी, पैडारी, संगलदीप, जोगीवारी, लखनपारा, परवठिया, मझवन तथा बरेनिया में प्राथमिक विद्यालय तथा विकास खण्ड नौगढ़ के ग्राम कपियामिश्र एवं रामपुर तथा विकास खण्ड जोगिया के ग्राम हरनी एवं अमरिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है ।

16 प्राथमिक तथा 4 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है । 14 प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये धनराशि स्वीकृत कर दी गई है ।

प्राथमिक विद्यालय खलीलपुर विकास खण्ड नौगढ़ का भवन निर्माण भूमि विवाद के कारण अनारम्भ है ।

ग्राम कुतुबपुर तहसील व ब्लाक भर्थना जिला इटावा को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

57–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन की यह नीति है कि प्रत्येक गांव का मार्ग डामर करा कर सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाय ? यदि हां, तो क्या ग्राम कुतुबपुर तहसील व ब्लाक भर्थना जिला इटावा को अभी तक सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो उसे सम्पर्क मार्ग से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आवादी के गांवों को आगामी वर्षों में सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की योजना है जिसमें प्रत्येक जनपद के अधिकाधिक जनसंख्या के गांवों को प्राथमिकता दिया जाना प्रस्तावित है ।

नहीं ।

उक्त गांव की आबादी 1000 से कम होने के कारण इसे उक्त श्रेणी के गांवों को जोड़ने के उपरान्त ही जोड़ा जा सकेगा ।

विकास खण्ड घिरोर जनपद मैनपुरी में ओंछा से जसराना मार्ग के निर्माण के विषय में जानकारी

58–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड घिरोर जनपद मैनपुरी में ओंछा से जसराना मार्ग का निर्माण अवरुद्ध पड़ा है ? क्या यह सही है कि इन मार्गों के लिये राज्य व जिला योजना के अन्तर्गत निर्माण की स्वीकृति दी गयी है तथा इन मार्गों के लिये धनराशि भी आवंटित की गई है ? यदि हां, तो आवंटित धनराशि से कितना कार्य पूर्ण हुआ है ? यदि नहीं, तो इन मार्गों का अधूरा निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्नगत कार्य जिला योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है तथा विभिन्न वर्षों में उपलब्ध अनुदान के अनुसार कार्य कराया गया है ।

13.67 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृत मार्ग में 10.92 कि०मी० का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य वित्तीय वर्ष 1998–99 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोतीझील सचिवालय कालोनी ऐशबाग, लखनऊ में अनुरक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

59–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी ऐशबाग लखनऊ में अनुरक्षण व्यवस्था बहुत ही दयनीय है ? क्या सरकार उक्त कालोनी के भवनों को मोतीझील विद्युत कालोनी के भवनों के अनुरूप अनुरक्षित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

कतिपय अनुरक्षण से संबंधित कमियों की सूचना प्राप्त हुई है जिन्हें दूर किये जाने की व्यवस्था कर दी गई है ?

उक्त कालोनी का अनुरक्षण विभाग की अन्य कालोनियों की भांति ही कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों तथा अध्यापकों की संख्या का अनुपातिक मानक की जानकारी एवं अध्यापकों की पूर्ति की मांग

60–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं ? इन छात्रों और अध्यापकों की संख्या का क्या अनुपातिक मानक है ? सरकार अध्यापकों की पूर्ति कब तक करा देगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद बरेली के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा सत्र 97–98 में क्रमशः 270335 तथा 32046 छात्र अध्ययनरत हैं।

40 : 1 का मानक है।

स्वीकृत पदों के सापेक्ष अध्यापकों के समायोजन/नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद बदायूं में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को वेतन भुगतान सम्बन्धी जानकारी

61–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बदायूं में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में योजनागत पदों पर कार्यरत विज्ञान/गणित विषयों के अध्यापकों को विगत 12 माह से वेतन नहीं मिल रहा है ? क्या इस संबंध में शिक्षा मंत्री ने 20–11–97 को जिला विद्यालय निरीक्षक को वेतन भुगतान हेतु आदेश प्रदान किये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

उक्त विद्यालय के अध्यापकों को नियमानुसार वेतन भुगतान के आदेश दिये गये थे।

शिक्षा निदेशालय द्वारा भुगतान हेतु धनराशि की मांग की गई परन्तु पूर्ण औचित्य प्रस्तुत न करने के कारण धनराशि अभी स्वीकृत नहीं की जा सकी है। औचित्य प्राप्त होने पर धनराशि तत्काल स्वीकृत की जायेगी।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में बेसिक कन्या पाठशाला का भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण उक्त पाठशाला को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग

62–डा० राम सिंह सैनी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक कन्या पाठशाला मन्डई कस्बा सण्डीला जनपद हरदोई का भवन अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने के संबंध में अवर अभियन्ता नगरपालिका सण्डीला द्वारा निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्कूल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की संस्तुति की गई थी ? क्या यह भी सही है कि भवन खस्ताहाल होने के कारण उसके गिरने की आशंका है ? जिससे छात्रों के जीवन को खतरा है ? यदि हां, तो उक्त पाठशाला को अन्यत्र स्थनान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस संबंध में उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करते हुये छात्रों की जीवन रक्षा हेतु उक्त पाठशाला को तुरन्त अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

अवर अभियन्ता की आख्यानुसार भवन जीर्ण शीर्ण था। परन्तु स्कूल को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की संस्तुति नहीं की गई थी।

भवन का आंशिक भाग असुरक्षित है।

विद्यालय किराये के भवन में संचालित था। शिक्षण कार्य भवन के सुरक्षित भू-भाग में संचालित किया जाता था।

छात्रों की सुरक्षा के दृष्टि से जुलाई, 1998 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से छात्रों के पठन-पाठन की व्यवस्था अन्यत्र स्कूल में करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

63–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

(दिनांक 19–6–98 को अता०प्र०सं० 189 द्वारा उत्तरित)

वन विभाग में फारेस्टर एवं फारेस्ट गार्ड के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता, शारीरिक माप दण्ड/ चयन प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण के विषय में जानकारी

64–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फारेस्टर व फारेस्ट गार्ड की शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मापदण्ड/चयन प्रक्रिया व प्रशिक्षण एक समान है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशिक्षण में सर्वप्रथम स्थान पाने वाले फारेस्टर की भांति फारेस्ट गार्ड को भी पदोन्नति देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

फारेस्टर व फारेस्ट गार्ड के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता तथा शारीरिक मापदण्ड एक समान हैं, परन्तु चयन प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण भिन्न-भिन्न है।

प्रश्नगत प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया, परन्तु प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न होने के कारण इसे अस्वीकृत कर दिया गया।

65–श्री नवाब सिंह नागर–

(दिनांक 19–6–98 के अता० प्रश्न संख्या 186 द्वारा उत्तरित)

नोयडा में फेस 3 में मामूरा तथा मै० फ्लैक्स लि० के पास की टूटी सड़क की प्राधिकरण द्वारा जांच की मांग

66–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि नोयडा के अन्तर्गत फेस–3 में मामूरा व मै० फ्लैक्स लि० के पास की रोड जो नैशनल हाइवे से मिलती है तथा इसी में से हाइवे के समानान्तर वाली नई सड़क जो इसी वर्ष बनी थी बुरी तरह टूट गई है ? क्या उसकी प्राधिकरण द्वारा जांच कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

इस सड़क का निर्माण वर्ष 1990–91 में प्रारम्भ होकर वर्ष 1995–96 में पूरा हुआ था। भारी वाहनों के यातायात से सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के खण्ड–2 के अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये लाखों रुपये के फर्जी भुगतान की जांच

67–श्री शिव सिंह चक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के खण्ड–2 के अधिशासी अभियन्ता द्वारा लाखों रुपये के फर्जी भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक सितम्बर, 1997 मा० वन मंत्री के यहां प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कलराज मिश्र–

लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड–2 फिरोजाबाद के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का मा० लोक निर्माण मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 22–9–97 को प्राप्त हुआ है।

प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ (टी०ए०सी०) से जांच कराई गई है।

68–श्री चेतराम–

(1ले बुधवार में अता०प्र०सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

शिक्षा निदेशालय उ०प्र०, इलाहाबाद/लखनऊ में कार्यरत तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची के आधार की जानकारी

69–श्री चेतराम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ में कार्यरत तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची श्रेणीवार बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशालय उ०प्र० इलाहाबाद/लखनऊ के तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची श्रेणीवार न जारी करके आरक्षित वर्ग की सूची अलग निर्गत करने का क्या कारण है ? क्या सरकार जांच कराकर संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये भविष्य में तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की सम्मिलित वरिष्ठता सूची निर्गत करने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

शिक्षा निदेशालय में कार्यरत तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची, ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार सम्मिलित रूप से बनाई गई है। प्रश्न नहीं उठता।

70–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

(दिनांक 19–6–98 को अता० प्र०-सं० 190 द्वारा उत्तरित)

71–(दिनांक 19–6–98 को अता० प्र०-सं० 191 द्वारा उत्तरित)

जनपद पौड़ी में सिलोगी-धनशाली पैदल मार्ग के निर्माण हेतु 0.60 हेक्टेअर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडाउन, पौड़ी गढ़वाल को हस्तान्तरण

72–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी में सिलोगी-धनशाली पैदल मार्ग के निर्माण हेतु 0.60 हेक्टेअर वन भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड लैन्सडाउन पौड़ी गढ़वाल को करने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? क्या सिलोगी-धनशाली पैदल मार्ग का निर्माण शासन करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी-धनशाली पैदल मार्ग के निर्माण हेतु 0.60 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रदान करने हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को शासन के पत्र संख्या 427/14–2–98-600(5)/98 दिनांक 27 जनवरी, 1998 द्वारा भेजा गया था। भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 8वी/09/1638/एफ०सी०/138, दिनांक 19 मार्च, 1998 द्वारा प्रस्ताव के संबंध में अतिरिक्त सूचना चाही है, जिसे उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग को कहा गया है।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जाना है । वन विभाग द्वारा इस मार्ग हेतु आवश्यक वन भूमि भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की जा सकेगी ।

जिला पौड़ी गढ़वाल के सेवानिवृत्त बेसिक अध्यापकों की वेतन वृद्धि मकान भत्ता आदि के एरियर भुगतान संबंधी जानकारी

73–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल जिले के सेवानिवृत्त बेसिक अध्यापकों को सन् 1972–73 की वेतनवृद्धि का एरियर 2–7–1979 से 31–12–1985 तक, चयनित वेतन का एरियर 1–1–86 से 30–6–87 तक, मकान भत्ता का एरियर सन् 86 से 91 तक, सी०डी०एस० कानपुर फण्ड का एरियर 1-3-77 से विकल्प परिवर्तन होने पर उनका अंशदान 25-8-97 को जमा करने पर इसका एरियर का भुगतान करने का प्रकरण बेसिक शिक्षा पौड़ी के लेखा विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो पौड़ी जनपद के सेवानिवृत्त अध्यापकों को उक्त वर्णित एरियर का भुगतान बेसिक शिक्षा विभाग करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

(3रे शुक्रवार में अता०प्र०सं० 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

पर्यटन प्रोत्साहन हेतु लोहाघाट, जिला चम्पावत में झील निर्माण विषयक प्रस्ताव की जानकारी

75–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लोहाघाट, जिला चम्पावत में झील बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से झील निर्माण कार्य आरम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लोहाघाट, जिला चम्पावत में बलाई नदी में 25.00 लाख रुपये की लागत में झील निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति चम्पावत द्वारा अनुमोदित किया गया है । वर्ष 1998–99 की जिला योजनान्तर्गत इस योजना के लिये रुपये 5.00 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव है ।

सहायक अध्यापिकाओं को विनियमित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

76–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक अध्यापिकाओं को विनियमित किया जाने के संबंध में दिनांक 6 जनवरी, 1998 को प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी में 1993–94, 1994–95 एवं 1995–96 में स्वीकृत प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

77–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में 1993–94, 1994–95 एवं 1995–96 में स्वीकृत नवीन प्राथमिक पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल सभी बन चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अपूर्ण विद्यालयों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अपूर्ण विद्यालयों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

वर्ष 1993–94 में स्वीकृत सभी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक तथा वर्ष 1994–95 एवं 1995–96 के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है । वर्ष 1994–95 के 05 प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माणाधीन हैं । वर्ष 1995–96 के 02 प्राथमिक विद्यालय भवनों में से 01 भवन निर्माणाधीन हैं तथा 01 भवन (कुशलपुर तरिहा) के निर्माण कार्य न्यायालयी विवाद के फलस्वरूप लम्बित है ।

जी हां ।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार विद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण कराया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1994–95 के 05 प्राथमिक विद्यालय उजागरपुर (किसनी) बेगमपुर (करवल) कमलपुर (बेवर) मानपुर (घिरोर) तथा बड़ाहर (घिरोर) तथा वर्ष 1995–96 के 02 प्राथमिक विद्यालय नगला शम्भू एवं कुशलपुर तरिहा (किसनी) अपूर्ण हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० शासन को बेसिक शिक्षा परिषद् मैनपुरी के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण हेतु शासनादेशों का अनुपालन कराने सम्बन्धी निर्देश

78–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को बेसिक शिक्षा परिषद् मैनपुरी के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के संबंध में शासनादेशों के अनुपालन कराये जाने के विषयक दिया गया पत्रांक 1099 व 1139/पी०एस०एम०एस०एम०एल०ए०/1997 दिनांक 20–10–97 व 29–11–97 को प्रमुख सचिव, शिक्षा को भेजा गया ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1993 में चयनित अभ्यर्थियों को पद भार ग्रहण कराने के संबंध में जानकारी

79–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ०प्र० सचिवालय के प्रवर/अवर वर्ग सहायकों की प्रतियोगिता परीक्षा 1991 के तहत रिक्त पदों को भरे जाने हेतु उ०प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1993 में ली गई परीक्षा के तहत चयनित अभ्यर्थियों को उनके पदों पर पदभार ग्रहण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितनों को ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि मूल रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण न करने के कारण सरकार ने लोक सेवा आयोग इलाहाबाद से प्रतीक्षा सूची में से पद भरे जाने हेतु नाम मांगे हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने और कब और ऐसे कितने अभ्यर्थियों को पद-भार अब तक ग्रहण करा दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । उक्त परीक्षा के आधार पर जुलाई, 1996 से अब तक प्रवर वर्ग सहायक के पद पर 237 एवं अवर वर्ग सहायक के पद पर 83 अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं ।

जी हां । शासन के पत्र संख्या 668/बीस–ई–5–97–298/90, दिनांक 19–2–97 द्वारा 19 प्रवर वर्ग सहायक तथा 12 अवर वर्ग सहायकों के नाम प्रतीक्षा सूची से मांगे गये तथा शासन के पत्र सं० 3593/बीस–ई० 5–97, दिनांक 7–9–97 द्वारा 2 प्रवर वर्ग सहायक के पदों के लिये प्रतीक्षा सूची से नाम मांगे गये हैं ।

प्रतीक्षा सूची से आयोग द्वारा प्रवर वर्ग सहायक पद हेतु 13 नाम दिसम्बर, 1995 में उपलब्ध कराये गये जिनमें से 11 अभ्यर्थियों को अब तक पदभार ग्रहण करा दिया गया है । प्रवर वर्ग सहायक के लिये 4 तथा अवर वर्ग सहायक के लिये 13 अभ्यर्थियों की संस्तुतियां मई, 1998 में आयोग से प्राप्त हुई हैं, जिनके नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिये गये हैं ।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला के जर्जर रास्तों के निर्माण संबंधी जानकारी

80–श्री शिव सिंह चक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला जनपद फिरोजाबाद की जर्जर पड़े आवागमन के रास्तों को ठीक करवाने के संबंध में शासन स्तर पर मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं । जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में लोक निर्माण विभाग से संबंधित मार्ग सामान्यतया संतोषजनक स्थिति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

81–श्री मो० मुकीम तथा श्री अब्दुल मन्नान–

(दिनांक 19–6–98 की अता०प्र०सं० 202 द्वारा उत्तरित)

अधिशासी अभियन्ता विद्युत अनुरक्षण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग में फर्नीचर क्रय हेतु फर्जी पेमेंट के विषय में जानकारी

82–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत अनुरक्षण खण्ड 2 लो०नि०विभाग, लखनऊ को वर्ष 1997–98 में फर्नीचर क्रय हेतु कितना धन विभाग द्वारा दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त धन को बिना सामग्री क्रय किये ही फर्जी पेमेंट कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा

क्यों ? क्या इसकी जांच कराकर कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? क्या यह भी सही है कि 96-97, 97-98, में करोड़ों रुपये इलेक्ट्रिक सामग्री व अन्य सामग्री खरीद के लिये विभाग द्वारा मिला था ? क्या सामग्री नहीं खरीदी गई और पैसे का पेमेंट कर दिया गया ? क्या मार्च, 1998 में भारी ओवर बजटिंग की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार सारे भुगतानों की जांच सतर्कता विभाग से करायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में अनुदान संख्या 54 लेखा शीर्षक 2059 के अन्तर्गत फर्नीचर क्रय करने हेतु रु० 4,000/– (चार हजार रुपये) का अनुदान प्राप्त हुआ था ।

जी नहीं । भुगतान सामग्री क्रय करने के बाद ही कोषागार के माध्यम से किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1996-97 में कुल रु० 2.13 करोड़ तथा वर्ष 1997-98 में 2.84 करोड़ मिला था ।

जी नहीं, बिना खरीद के किसी भी सामग्री का पेमेन्ट नहीं किया गया ।

जी नहीं । मार्च, 1998 में किसी प्रकार की ओवर बजटिंग नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद के वर्तमान निदेशक के विरुद्ध की गई शिकायतों की शासकीय स्तर पर जांच

83–श्री हरदेव सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहाबाद के विरुद्ध कितनी शिकायतें एवं जांचें शासन स्तर पर चल रही हैं ? क्या यह सही है कि कागज एवं अन्य सामग्री खरीद में काफी धांधली वर्तमान निदेशक द्वारा की गई है ? क्या यह भी सही है कि संयुक्त निदेशक एवं अन्य अधिकारियों के सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद के विरुद्ध दो शिकायतों की जांचें सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जा रही है । जांच अन्य शिकायतों के संबंध में निदेशक की आख्या/स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा निदेशालय उ० प्र० इलाहाबाद/लखनऊ में यात्रा अवकाश सुविधा से लाभान्वित वरिष्ठ सहायकों का विवरण

84–श्री चेतराम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय उ० प्र०, इलाहाबाद/लखनऊ के कितने वरिष्ठ सहायक कर्मचारियों के यात्रा अवकाश सुविधा हेतु वर्ष 1997 एवं 1998 के कलेण्डर वर्ष में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? उन प्रार्थना-पत्रों में किन-किन व्यक्तियों को उक्त वर्षों में यह सुविधा

प्रदान की गयी ? क्या यह सही है कि वरिष्ठ सहायकों को नजरअंदाज करते हुए उक्त वर्षों में कनिष्ठ सहायकों को यह सुविधा प्रदान की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भविष्य में उक्त सुविधा वरिष्ठता के आधार पर दिये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

कलेण्डर वर्ष 1997 एवं 1998 में क्रमशः 68 व 53 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ।

सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 154 पर)

उतरौला मनकापुर उतरौला पिपरा उतरौला गोण्डा मार्ग पर पायल सेतु के निर्माण कार्य में दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

85—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने 16-4-98 को आपको, मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव, निर्माण विभाग को पत्र लिखा था कि उतरौला मनकापुर उतरौला पिपरा, उतरौला गोण्डा मार्ग पर पायल सेतु के मरम्मत पर वित्तीय वर्ष 95-96/96-97/97-98 में लोक निर्माण खण्ड–1 गोण्डा द्वारा बिना कार्य कराये मरम्मत कार्य दिखा दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है / यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्राविधिक सम्परीक्षा काष्ठ से जांच कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

उतरौला विधान सभा क्षेत्र में जिला योजना के अन्तर्गत लिये गये मार्गों एवं उक्त मार्गों पर कराये गये लेपन कार्य सम्बन्धी जानकारी

86—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 95-96/96-97/97-98 में उतरौला विधान सभा क्षेत्र में जिला योजना के अन्तर्गत कौन-कौन मार्ग लिये गये थे ? उसमें किस-किस मार्ग पर कितना कि०मी० 15-4-98 तक लेपन कराया गया ? कितना कि०मी० लेपन कार्य नहीं हुआ है ? कितना कार्य अधूरा है ? क्या धन आवंटन के अनुरूप कार्य कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

उतरौला विधान सभा क्षेत्र में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 95-96, 96-97 तथा 97-98 में निम्नलिखित मार्ग लिये गये :—

वर्ष 95-96 में बारुपुर अम्बेदकर ग्राम ।

वर्ष 96-97 में :—

1–बदलपुर मैरमपुर मानापार बहेरिया मार्ग

2–उतरौला से रूस्तमनगर मार्ग 6 मी० आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण ।

3–महिली ग्राम सम्पर्क मार्ग ।

4–बौडिहार ग्राम से निस्बा स्कूल होते हुए नदी तक सम्पर्क मार्ग ।

5–बंजरिया ग्राम सम्पर्क मार्ग ।

वर्ष 97-98 में :–

1–इटई रामपुर मार्ग ।

2–बैजलपुर मार्ग पर आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण ।

3–बिलरिया ग्राम ।

4–उतरौला रूस्तमनगर मार्ग पर आर० सी० सी० पुलिया का निर्माण ।

5–देवरिया मुबारकपुर मार्ग ।

6–प्रेमनगर मार्ग ।

दिनांक 15-4-98 तक बासुपुर अम्बेदकर ग्राम लम्बाई 0.70 कि०मी० तक लेपन कार्य कराया गया ।

18.66 कि०मी० ।

18.66 कि०मी० कार्य अधूरा है । इस तथ्य की जांच प्रमुख अभियन्ता से कराई जा रही है ।

जांच आख्या पर निर्भर है ।

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित बस्ती जिले में टाण्डा के पीपे के पुल के दोनों तरफ के मार्गों की स्थिति सुधारने विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

87—श्री राम ललित चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 98 के चौथे सप्ताह में बस्ती जिले में टाण्डा के पीपे के पुल के दोनों तरफ मार्गों की स्थिति सुधारने के संबंध में तथा उसकी जांच किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

दिनांक 26-4-98 को तेज आंधी के कारण पुल अस्त-व्यस्त हो जाने एवं नदी के जल का स्तर बढ़ जाने के कारण पहुंच मार्ग कई स्थानों से कट गया है । अतः पुल को तोड़ना पड़ा । नदी की चौड़ाई बढ़ने तथा पाण्टूनों की संख्या कम होने के कारण फिलहाल पुल का पुनर्निर्माण सम्भव नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल रिक्त पदों की संख्या एवं उन पर नियुक्तियों के संबंध में जानकारी

88—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार के पास जनपद आजमगढ़ के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो नियुक्तियां कब तक हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जनपद आजमगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 71 पद (20 पद प्रवक्ता के तथा 51 पद एल० टी० ग्रेड) रिक्त है ।

नियुक्तियों के संबंध में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड इलाहाबाद की स्थापना कर दी गयी है ।

माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा यथासमय नियुक्तियां की जायेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज, महोबा के भवन निर्माण के संबंध में जानकारी

89—डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, चरखारी महोबा के भवन निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 27-6-97 को पत्र मुख्य मंत्री को दिया था ? क्या यह सही है कि उसमें दिनांक 2-7-87 को सचिव शिक्षा को निर्देशित कर आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जनपद महोबा के लिये जिला योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण धनराशि स्वीकृत नहीं हो सकी । भवन निर्माण की योजना केवल जिला प्लान के अन्तर्गत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति के विषय में जानकारी

90—श्री अम्बिका चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ लोक निर्माण सचिव शाखा में कार्यरत जिन तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 08 वर्ष की राजकीय सेवा मार्च, 1995 से मार्च, 1998 के मध्य पूरी हो चुकी है, सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण सचिव शाखा में तृतीय श्रेणी के 2 व चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारियों ने मार्च, 1995 से मार्च, 1998 के बीच 08 वर्ष की राजकीय सेवा पूरी की है । चतुर्थ श्रेणी के मो० अनीस, चालक को दिनांक 01-3-1995 से सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जा चुका है । श्री सगीर उल्ला, वरिष्ठ अनुसेवक की 08 वर्ष की सेवा जून, 1995 मे पूरी हुई परन्तु आवेदन पत्र दिनांक 19-6-98 को प्राप्त हुआ जो विचाराधीन है । तृतीय श्रेणी के श्री अनिल कुमार निगम वरिष्ठ सहायक तथा श्री सन्तराम, वरिष्ठ लिपिक की 08 वर्ष की सेवा फरवरी, 1998 में पूरी हुई, परन्तु इस बीच शासनादेश संख्या प०मा०नि०–356/दस–22(एम)/97, दिनांक 23-12-97 द्वारा दिनांक 01-01-96 के बाद उक्त सुविधा स्थगित कर दिये जाने के कारण उन्हें सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना सम्भव नहीं है ।

चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों की मूल सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली की वापसी का मामला

91—श्री समरपाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों की मूल सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली महाविद्यालय के पत्रांक संख्या सी० एम० पी० 571 दिनांक 7-10-1983 द्वारा उप शिक्षा निदेशक चतुर्थ मण्डल इलाहाबाद को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त वरिष्ठ सहायकों की मूल सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली उक्त महाविद्यालय को लौटा दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज, इलाहाबाद में कार्यरत कतिपय वरिष्ठ सहायकों की मूल सेवा पुस्तिकायें तथा व्यक्तिगत पत्रावलियों से सम्बन्धित महाविद्यालय का पत्रांक सी० एम०पी० 571, दिनांक 7-10-83 तत्कालीन उप शिक्षा निदेशक चतुर्थ मण्डल के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

92—श्रीमती माया प्रसाद–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

93—श्री अजय कुमार पोइया तथा श्री शेर बहादुर सिंह–

(कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

जनपद बहराइच के थाना रूपईडीहा में पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से ले जायी जा रही सागौन की लकड़ी के प्रकरण की जांच

94–डा० वकार अहमद शाह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के थाना रूपईडीहा में पुलिस कर्मियों द्वारा 5-10-97 को अवैध रूप से एक डी० सी० एम० संख्या यू० पी० 40/1886 में सागौन की लकड़ी लखनऊ ले जायी जा रही थी, चालक ने सूझबूझ से वन विभाग बहराइच में पहुंचा दिया था ? क्या इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बहराइच, उप महानिरीक्षक, फैजाबाद तथा मुख्य संरक्षक, उ० प्र० को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-10-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गयी है । जांचोपरान्त दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड अरांव, मदनपुर व शिकोहाबाद, ग्राम–सरौलिया, सराया वज्जरा ग्राम–शायपुर, नगला माराम से नगलाबीज तक की सड़कों के निर्माण कार्य संबंधी जानकारी

95–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि विकास खण्ड अरांव, मदनपुर व शिकोहाबाद, ग्राम–सरौलिया, सराया वज्जरा ग्राम–शायपुर, नगला माराम से नगलाबीज तक इन सड़कों के कार्य अधूरे

पड़े हैं ? क्या उक्त कार्य 75 प्रतिशत हो चुका है ? क्या सरकार बतायेगी कि इनका पुनः निर्माण कार्य कब शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

ग्राम सिरौलिया सम्पर्क मार्ग के अतिरिक्त प्रश्न में उल्लिखित अन्य मार्ग लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है । सिरौलिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य 75 प्रतिशत हो चुका है । अवशेष कार्य मार्च, 1999 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

जनपद मैनपुरी विकास खण्ड घिरौर के ग्राम बुरेणे के पुल से जसराना मार्ग के निर्माण के विषय में जानकारी

96–श्रीमती उर्मिला यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी विकास खण्ड घिरौर के ग्राम बुरेणे के पुल से जसराना मार्ग का निर्माण कार्य बन्द किया गया है ? क्या उस पर पत्थर स्तर तक का कार्य कराया जा चुका है ? क्या यह सही है कि इससे गांव के लोगों को साइकिल से आने जाने का रास्ता बन्द हो जाने से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक शुरू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है ।

97–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

जनपद गोण्डा में वर्ष 1997-98 में उतरौला विधान सभा क्षेत्र में दीन दयाल योजना के अन्तर्गत लिये गये मार्ग एवं प्रत्येक मार्ग को आवंटित की गयी धनराशि का ब्योरा

98–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के वर्ष 1997-98 में उतरौला विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन मार्ग दीन दयाल योजना में लिये गये हैं ? उनमें से कौन-कौन मार्ग पर कितना धन आवंटित हुआ है ? प्रस्तावित मार्गों पर कितना व्यय का लक्ष्य रखा गया है ? क्या सरकार प्रस्तावित मार्गों पर धन का आवंटन यथाशीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

दुधरा सम्पर्क मार्ग बड़हरा कोट सम्पर्क मार्ग चमरूपुर सम्पर्क मार्ग शिवपुर महन्त सम्पर्क मार्ग पिपरी रामचन्द्र सम्पर्क मार्ग ।

अब तक आवंटित धनराशि निम्न है ।

मार्ग का नाम	आवंटित धनराशि
दुधरा सम्पर्क मार्ग	5.95
बड़हरा कोट सम्पर्क मार्ग	9.80
चमरूपुर सम्पर्क मार्ग	12.45
शिवपुर महन्त सम्पर्क मार्ग	13.79
पिपरी रामचन्द्र मार्ग	8.95

प्रस्तावित मार्गों पर व्यय का लक्ष्य निम्नवत् है :-

मार्ग का नाम	लक्षित व्यय
दुधरा सम्पर्क मार्ग	5.95
बड़हरा कोट सम्पर्क मार्ग	9.80
चमरूपुर सम्पर्क मार्ग	12.45
शिवपुर महन्त सम्पर्क मार्ग	13.79
पिपरी रामचन्द्र मार्ग	8.95

धन का आवंटन बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण खण्ड-I लोक निर्माण विभाग गोण्डा द्वारा गड्ढा मुक्त तथा मरम्मत के नाम पर बिना कार्य कराये एस० आर० के बजट से निकाली गयी धनराशि की जांच

99-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-4-98 मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव माननीय मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है जो निर्माण खण्ड-I लोक निर्माण विभाग गोण्डा द्वारा गड्ढा मुक्त के नाम पर तथा मरम्मत के नाम पर एस० आर० का बजट बिना कार्य कराये निकाल लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी एजेन्सी से इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जांच करायी जा रही है।

उतरौला गोण्डा मार्ग पर गोमणी घाट पर स्थित पायल सेतु के निर्माण की कार्यवाही की प्रगति की जानकारी

100-श्री उबैदुर्रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-4-98 मुख्य सचिव, उ० प्र० को तथा प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उतरौला गोण्डा मार्ग पर गोमणी घाट पर पायल सेतु विगत 8 माह पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया और उतरौला तहसील का संबंध अयोध्या से और देवीपाटन मण्डल गोण्डा मुख्यालय से टूट गया है तथा आवागमन अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कलराज मिश्र-

जी हां।

प्रश्नगत सेतु निर्माण की स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

कतरनिया घाट रेंज के अन्तर्गत कैलाशपुरी वैरियर व बिछिया जनपद बहराइच में केटमैन के पद पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्री लवकुश मिश्रा के बकाया वेतन का भुगतान

101-श्री प्रेम स्वरूप पाठक-

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कतरनिया घाट रेंज के अन्तर्गत कैलाशपुरी वैरियर व बिछिया जनपद बहराइच में दैनिक वेतन भोगी के रूप में केटमैन के पद पर मार्च, अप्रैल, मई एवं जून, 1992 में

कार्यरत श्री लवकुश मिश्रा के बकाया वेतन भुगतान संबंधी माननीय नेतराम सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 22-1-98 एवं मा० समाज कल्याण मंत्री का पत्र दिनांक 17-12-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त बकाया वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी हां ।

उक्त अवधि के बकाया वेतन के भुगतान हेतु श्री लवकुश मिश्रा को नियत समय पर प्रभागीय वनाधिकारी, कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के कार्यालय में बुलाया गया था, किन्तु इनके द्वारा समय से सम्पर्क न करने के कारण वेतन का भुगतान तत्समय नहीं किया जा सका ।

श्री मिश्रा के बकाया वेतन का भुगतान धनादेश (मनी आर्डर) द्वारा उनके स्थाई पते पर भेज दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ रायबरेली के कर्मचारियों के वेतन से अवैध कटौती की शिकायत

102–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच के समय जांच अधिकारी द्वारा क्या महासंघ में तथा पीड़ित कर्मचारी से कोई पूंछताछ या लिखित स्पष्टीकरण लिया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच अधिकारी द्वारा एक पक्षीय जांच कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच किसी अन्य उच्चाधिकारी से करायेगी ?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

जी हां ।

प्रश्नगत जांच श्री शफीक अहमद तत्कालीन प्राविधिक अधिकारी उन्नाव द्वारा की गयी है । जांच के समय जांच अधिकारी द्वारा महासंघ से कोई पूछतांछ नहीं की गयी है, परन्तु ओसराबन्दी स्टाफ रायबरेली के कर्मचारियों से वेतन आदि में अवैध कटौती कर कर्मचारियों के उत्पीड़न की शिकायत के सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों से पूछताछ की गयी है । कर्मचारियों ने लिखित स्पष्टीकरण दिया है कि देयकों के भुगतान में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गयी है, किये गये भुगतान से वे पूर्णतया सन्तुष्ट हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर इल्तिफागंज मार्ग पर अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित पार्टी को नोटिस एवं मुकदमा दर्ज कराया जाना

103–श्री लालजी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर इल्तिफागंज मार्ग जनपद अम्बेडकर नगर के 16वें कि०मी० पर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किये जाने संबंधी शिकायती-पत्र दिनांक 22-12-97 को अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण अस्थायी खण्ड–3 को श्री राजकुमार भट्ट पूर्व प्रधान

ग्राम पूराबक्सराम विकास खण्ड टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जी हां ।

अतिक्रमण हटाने हेतु सम्बन्धित पार्टी को नोटिस देने के साथ ही सक्षम न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की विशेष सम्परीक्षा रपट में उल्लिखित अनियमितताओं/ आपत्तियों की जांच

104–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विशेष सम्परीक्षा रपट में जौनपुर स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय में कई करोड़ रुपये का घपला किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या ? क्या अन्य विश्वविद्यालयों के विषय में भी विशेष जांच कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की विशेष सम्परीक्षा रपट में उल्लिखित अनियमितताओं/आपत्तियों का मामला प्रकाश में आया है । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया/आख्या मांगी गई है । अभी कोई घपला स्थापित नहीं हो सका है । पांच राज्य विश्वविद्यालयों के विगत तीन वर्षों (1994-95, 1995-96 एवं 1996-97) के लेखों की विशेष सम्परीक्षा कराई गई है । अन्य विश्वविद्यालयों की भी विशेष सम्परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश में हाईस्कूल/इण्टर से सम्बन्धित प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लेने की मांग

105–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाई स्कूल तथा इण्टर से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय जो वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है, की संख्या क्या है ? क्या इन प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत लेने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

शून्य ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुरानी प्रजाति के वृक्षारोपण की मांग

106–श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पुरानी प्रजाति के वृक्षों की जातियां धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी प्रजाति के वृक्षों को लगाने हेतु कोई योजना बनायेगी ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वनों में पुरानी प्रजाति के वृक्षों की जातियां लुप्त होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है । वृक्षारोपण में सामान्यत : स्थानीय प्रजातियों का ही रोपण किया जा रहा है । अलग योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में, मनकापुर-नवाबगंज मार्ग पर ऊंटघाट पर पुल के निर्माण की मांग

107–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत मनकापुर नवाबगंज मार्ग पर ऊंटघाट पर पुल बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में भिन्न-भिन्न विकास खण्डों में वर्ष 1994-1998 तक सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी धनराशि का विवरण

108–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में वर्ष 1994–1998 तक सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ है ? क्या स्वीकृत धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भौतिक सत्यापन करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत उत्तर गोण्डा व दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग है जिसमें उत्तर गोण्डा में झझरी, करनेलगंज, परसपुर, तथा दक्षिण गोण्डा में वजीरगंज, नवाबगंज, मनकापुर, बमनजोत, छपिया, पडरीकृपाल, तरबगंज बेलसर, बलरामपुर, रेहराबाजार, बुजुर्ग, रूपईडीहा, कटरा बाजार, हलधरमऊ, झझरी एवं उतरौला विकास खण्डों में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार धनराशि स्वीकृत हुई :–

वर्ष	धनराशि
1994-95	20,67,000
1995-96	33,08,000
1996-97	34,40,000
1997-98	37,14,000

जी हां, धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । भौतिक कार्यों का सत्यापन एवं अनुश्रवण विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है । साथ ही समय-समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा भी कार्यों का सत्यापन

किया जाता है । भौतिक सत्यापन में कोई भी वृक्षारोपण असफल पाये जाने पर उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया प्राविधानित है । अतः अलग से और भौतिक सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है ।

जिला बांदा के ब्रह्म विज्ञान इण्टर कालेज अतर्रा में समाज शास्त्र प्रवक्ता के पद सृजन की जानकारी

109–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्म विज्ञान इण्टर कालेज अतर्रा जिला बांदा में समाज प्रवक्ता का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो समाज शास्त्र प्रवक्ता पद पर श्री रणविजय सिंह की नियुक्ति क्यों की गयी ? क्या उपरोक्त नियम विरुद्ध नियुक्ति को निरस्त करेंगे ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच करवाकर संबंधित दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

समाजशास्त्र प्रवक्ता पद पर की गयी नियुक्ति अनियमित है ।

जी हां । मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी द्वारा नियुक्ति निष्प्रभावी कर दी गयी है ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी द्वारा की जा रही है । जांचोपरान्त जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

मेरठ मुख्यालय पर नये महिला पालीटेक्निक की स्थापना की मांग

110–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि 1989 से पूर्व प्रत्येक मण्डल, मुख्यालय पर एक महिला पालीटेक्निक की स्थापना का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या मेरठ मण्डल के लिये स्वीकृत महिला पालीटेक्निक मण्डल मुख्यालय पर स्थापित न होकर मुजफ्फरनगर जनपद के शामली कस्बे में स्थापित हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार घोषित नीति के अनुसार महिला पालीटेक्निक की स्थापना मेरठ मुख्यालय पर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मण्डल मुख्यालय पर नहीं अपितु प्रत्येक मण्डल में एक महिला पालिटेक्निक खोलने की शासन की योजना रही है ।

शासन की उक्त योजना के तहत वर्ष 1989 में मेरठ मण्डल के शामली, मुजफ्फरनगर जनपद में राजकीय महिला पालीटेक्निक की स्थापना की गयी थी ।

जी नहीं । राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए मेरठ मुख्यालय पर नये महिला पालीटेक्निक की स्थापना सम्भव नहीं है ।

पी० सी० एस० अधिकारियों को उर्दू भाषा पढ़ने लिखने का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जानकारी

111–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० सी० एस० अधिकारियों को उर्दू भाषा लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कोई पत्र शासन द्वारा निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

हां ।

भाषा विभाग द्वारा उर्दू भाषा-भाषी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए सुविधा की दृष्टि से प्रदेश में पी० सी० एस०, तहसीलदार आदि विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उर्दू ज्ञान कराये जाने हेतु प्रशिक्षण पर विचार किया जा रहा था इस दृष्टि से शासन ने जनपदों से उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण के इच्छुक डिप्टी कलेक्टरों के बारे में सूचना मांगी गयी थी ।

बादशाह नगर कालोनी की आवास सं० एल–2/5 अत्यन्त जीर्ण अवस्था में होने के कारण उसे खाली कराने की मांग

112–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बादशाह नगर राजकीय कालोनी का आवास सं० एल–2/5 अत्यन्त जीर्ण अवस्था में होने तथा इसकी छत्ते टूटकर गिरने के फलस्वरूप राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा 2 वर्ष पूर्व इसे असुरक्षित घोषित किया गया था ? यदि हां, तो इस आवास को अभी तक खाली क्यों नहीं कराया गया है ? इस असुरक्षित घोषित आवास में रहने वाले कर्मी क्या अपने रिस्क पर इस आवास में रह रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार आवास को शीघ्र खाली करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । प्रश्नगत आवास असुरक्षित घोषित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राणी उद्यान लखनऊ में सीनियर सफाईकार इंचार्ज के पद के सृजन के सम्बन्ध में जानकारी

113–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्राणी उद्यान लखनऊ में सीनियर सफाईकार इंचार्ज का पद पूर्व में रहा है ? क्या वहां किसी सफाई कर्मचारी के लिये पद सृजित किया गया है ? क्या उक्त पद की अनुमति शासन से ली गई है तथा इस तरह के कितने नये पदों का सृजन हुआ है ? क्या उक्त पदों का सृजन नियमित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें खत्म करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

प्राणी उद्यान लखनऊ में सीनियर सफाईकार इन्चार्ज का कोई भी पद पूर्व में नहीं रहा है

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 18 अप्रैल, 97 से 18 जून, 1997 तक प्राणी उद्यान लखनऊ में पशुओं को खिलाने हेतु हरे चारे की सप्लाई के विषय में जानकारी

114 श्री यशपाल सिंह चौहान व श्री नेतराम सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणी उद्यान लखनऊ में 18 अप्रैल, 97 से 18 जून, 1997 तक पशुओं को खिलाने हेतु हरा चारा (एम० पी० चरी) कितनी मात्रा में भिन्न-भिन्न दिनों में सप्लाई किया गया । इस मध्य पशुओं की संख्या में कितनी बढ़ोत्तरी अथवा घटौती आई है ? क्या इन्हें प्राणी

उद्यान परिसर से हरा चारा खिलाया गया । यदि नहीं, तो क्या तत्कालीन स्टोर कीपर के विरुद्ध हरा चारा घोटाले में कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

लखनऊ प्राणी उद्यान के वन्य जीवों के खिलाने हेतु 18 अप्रैल, 97 से 16 मई, 1997 तक (एम० पी० चरी) की आपूर्ति नहीं ली गई वरन् 17 मई, 97 से 18 जून, 1997 तक भिन्न-भिन्न दिनों में 8 से 10 कुन्तल तक (एम० पी० चरी) की आपूर्ति ली गई है ।

उपरोक्त अवधि में पशुओं की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी अथवा घटौती नहीं हुई ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आंवला चिरौंजी शहद एवं कुटीर उद्योग हेतु बांस को अनुसूचित जातियों के लिये निःशुल्क करने का प्रस्ताव

115–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु उपज आंवला, चिरौंजी, शहद व महुआ फूल एवं महुआ बीज व कुटीर उद्योग हेतु बांस को अनुसूचित जातियों के लिये निःशुल्क करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब तक निःशुल्क कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

समस्त वन क्षेत्र से चिरौंजी व महुआ के फल-फूल (सड़क के किनारे के वृक्षों को छोड़कर) को निःशुल्क एकत्र करने का अधिकार स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को पूर्व से ही दिया गया है । आंवला, शहद एवं कुटीर उद्योग हेतु बांस को अनुसूचित जातियों के लिए निःशुल्क करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुए आंवला, शहद एवं बांस को निःशुल्क दिये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है ।

116–श्री राम औतार शाक्य–

(1 ले गुरुवार में अना० प्र सं० 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

वाराणसी शहर के बाईपास पर गंगा नदी पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

117–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी शहर के बाईपास पर गंगा नदी पर सेतु के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी तथा यह कब तक पूरा होगा ? इस कार्य हेतु जिनकी जमीन ली गई है, क्या उन्हें समुचित मुआवजा तथा परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्री कलराज मिश्र–

वाराणसी शहर के बाईपास पर गंगा नदी पर सेतु के निर्माण पर कुल 68.28 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है । पुल का कार्य पूर्ण हो चुका है । इस कार्य हेतु ली गई जमीन के समुचित मुआवजा

का भुगतान किया जा चुका है । परिवार के किसी सदस्य को नौकरी नहीं दी गई है । पुल निर्माण के कार्य में नौकरी देना सम्भव नहीं है ।

निर्माण कार्य पर अब तक कुल 67.47 करोड़ की धनराशि का व्यय हो चुका है ।

राम प्यारी रस्तोगी उच्चतर मा० विद्यालय वाराणसी के प्राइमरी सेक्शन को अनुदान सूची व वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित करने की मांग

118–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम प्यारी रस्तोगी उच्चतर मा० विद्यालय वाराणसी के प्राइमरी सेक्शन को अनुदान सूची व वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-10-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूर्ण नहीं करता है, अतः अनुदान दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

शासकीय सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान राजकीय कोषागार के माध्यम से कराये जाने की मांग

119–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कमलेश चन्द्र सान्याल अवकाश प्राप्त अनुदेशक, चन्दौली पालिटेक्निक चन्दौली, को तथा उन जैसे अवकाश प्राप्त पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान बैंक अथवा ट्रेजरी से किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-10-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

शासकीय सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान राजकीय कोषागार के माध्यम से कराये जाने संबंधी प्रकरण शासन के वित्त विभाग में विचाराधीन हैं । इसमें महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है ।

120–श्री श्याम देव राय चौधरी–

(2रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

121–श्री विनोद मणि–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

राजधानी लखनऊ के पत्रकारों की भांति जिला मुख्यालय तथा तहसील स्तर के पत्रकारों को सुविधायें दिये जाने की मांग

122–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजधानी लखनऊ के पत्रकारों की भांति जिला मुख्यालय तथा तहसील स्तर के पत्रकारों को शासन स्तर से सुविधायें प्राप्त हैं ? क्या छोटे शहरों एवं छोटे समाचार पत्रों को तथा पत्रकारों को राजकीय बसों से लेकर प्राइवेट बसों तक में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार छोटे समाचार पत्रों एवं पत्रकारों को राजधानी

के पत्रकारों की भांति समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

1–जी हां, राजधानी लखनऊ के पत्रकारों की भांति जिला मुख्यालय के पत्रकारों को सुविधायें प्राप्त हैं । तहसील स्तर के पत्रकारों को केवल मान्यता कार्ड की ही सुविधा उपलब्ध है ।

2–जिला मुख्यालय के लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में जनपद में किसी भी सीमा तक तथा जनपद के बाहर प्रदेश में 2500 किलोमीटर की दूरी तक की निःशुल्क यात्रा अनुमन्य है ।

3–तहसील स्तरीय पत्रकारों को जिले के अन्दर उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने के संबंध में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

123–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

(दूसरे गुरुवार में अता० प्र० सं० 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

124–श्री महेन्द्र कुमार बुलन्दशहर तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

(दूसरे गुरुवार में अता० प्र० सं० 151 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लोक निर्माण विभाग गोण्डा में आमंत्रित टेण्डरों का विवरण

125–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 98 से 15-4-98 के बीच में निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग गोण्डा में किस मार्ग पर किस-किस कार्य के लिये टेण्डर आमंत्रित किये गये ? किस-किस पंजीकृत ठेकेदार ने किस-किस कार्य के लिये किस-किस तारीख में टेण्डर फार्म क्रय किया ? क्या सरकार बतायेगी कि टेण्डर के खोलने के बाद न्यूनतम दर पर या अधिकतम दर पर कार्य कराया गया ? क्या सरकार उक्त कार्य की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

दिनांक 1-1-98 से 15-4-98 के मध्य आमंत्रित टेण्डरों का विवरण संलग्न सूची "क"† में अंकित है ।

पंजीकृत ठेकेदारों एवं कार्यों का विवरण संलग्न सूची "ख" † में अंकित है ।

कार्य न्यूनतम दर पर कराया गया ।

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

नोट :– † छापी नहीं गयी ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला/गेण्डास बुजुर्ग श्रीदत्तगंज में अनौपचारिक शिक्षा पर व्यय की गयी धनराशि के विषय में जानकारी

126–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला/गेण्डास बुजुर्ग श्रीदत्तगंज में अनौपचारिक शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ? क्या प्रश्नकर्ता ने भौतिक सत्यापन कराने के लिये दिनांक 26-3-98 से 15-4-98 तक उनको तथा प्रमुख सचिव, अनौपचारिक शिक्षा तथा मुख्य सचिव को पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन स्तर से जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

वर्ष 1997-98 में अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों के मानदेय तथा परियोजना कार्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं शिक्षण सामग्री पर जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड उतरौला, गेण्डास बुजुर्ग, श्रीदत्तगंज में अनौपचारिक शिक्षा पर रु० 8,61,000/–(रुपये आठ लाख इकसठ हजार) की धनराशि व्यय की गयी ।

जी हां । प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-4-98 का पत्र प्राप्त हुआ ।

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त दोषी अधिकारियों आदि के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बलरामपुर में वनों के अवैध कटान को रोकने के लिए जनपद मुख्यालय पर प्रभारी वन अधिकारी/प्रभारी निदेशक के कार्यालय खोलने की मांग

127–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि नवसृजित जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत दक्षिण गोण्डा प्रभाग की तीनों आरक्षी वन रेंज तथा उत्तर गोण्डा वन प्रभाग के अन्तर्गत 6 रेंज जनपद बलरामपुर के कार्य क्षेत्र में पड़ते हैं ? क्या खरवों की वन सम्पदा भारत नैपाल सीमा पर खड़ा हुआ है ? क्या अवैध कटान हो रहे हैं ? क्या यह सही है कि वहां प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय 100 कि० मी० दूर गोण्डा में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभारी वन अधिकारी/प्रभारी निदेशक के कार्यालय को जनपद मुख्यालय पर खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

भारत-नेपाल सीमा पर बहुमूल्य वन सम्पदा विद्यमान है । अवैध कटान केवल छिटपुट रूप में हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रबन्धक डा० जी० के० जेतली द्वारा इण्टर कालेज, अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर में कम्प्यूटर कोर्स खोलने हेतु प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

128–श्री शेर बहादुर–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17 जून, 1997 को प्रबन्धक डा० जी० के० जेतली इण्टर कालेज, अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर में कम्प्यूटर कोर्स खोलने हेतु कोई पत्र प्रमुख सचिव, शिक्षा उत्तर प्रदेश को जिला प्रशासन पूर्व जनपद फैजाबाद व शिक्षा निदेशालय को वर्ष 1996-97 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

संदर्भगत पत्र दिनांक 17 जून, 1997 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

केन्द्र पुरोनिधानित कम्प्यूटर साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत चयन हेतु जनपद अम्बेडकर नगर से 3 विद्यालयों का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था, जिसमें विद्यालय का नाम वरिष्ठता क्रम में तीसरे स्थान पर था । प्रदेश के सभी जनपदों से विद्यालयों को योजना में सम्मिलित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये जनपद अम्बेडकर नगर के वरिष्ठता क्रम के 2 विद्यालयों का चयन किया जा सका ।

जनपद गोण्डा के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवां को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत करने के संबंध में प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही

129–श्री राम विशुन आजाद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसकनवां को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत करने का प्रस्ताव संयुक्त शिक्षा निदेशक, नवम् मण्डल फैजाबाद ने अपने पत्रांक सं० (2). 14762-64/95-96 दिनांक 7-3-96 को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ० प्र० इलाहाबाद को भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ? कब तक इसको उच्चीकृत कर दिया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

जिला योजना में परिव्यय न होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के सकदरपुर मकोइया कोटखास मार्ग पर वर्ष 1997-98, 1998-99 में शासन द्वारा लेपन हेतु स्वीकृत धन की जानकारी

130–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनप्रद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के सकदरपुर मकोइया कोटखास मार्ग पर वर्ष 1997-98, 1998-99 में शासन द्वारा लेपन हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया है ? उसका विवरण क्या है ? उस पर कब तक कार्य आरम्भ करवा दिया जायेगा ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्न में सन्दर्भित मार्गों हेतु वर्ष 1997-98, 1998-99 में धन स्वीकृत नहीं हुआ था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में चारू से संगवा मार्ग तथा मसकनवां सोहिला तेंदुवा रानीपुर मार्ग पर स्वीकृत धनराशि एवं उक्त मार्गों की गुणवत्ता की जांच

131–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में वर्ष 1997-98 में चारू से संगवा मार्ग और मसकनवां सोहिला तेंदुवा रानीपुर मार्ग पर पत्थर की आपूर्ति निर्धारित मानक से बहुत ही कम की गयी है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों पर कितना धन स्वीकृत हुआ था ? क्या सरकार उक्त मार्गों की गुणवत्ता की जांच टी० ए० सी० से कराकर दोषी पाये गये अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्गों पर क्रमशः रु० 25.20 लाख व रु० 21.45 लाख की धनराशि के लागत के कार्य स्वीकृत हुये थे ।

टी० ए० सी० से जांच कराये जाने के निर्देश दिये जा रहे हैं ।

टी० ए० सी० की जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक जामो के अन्तर्गत ग्राम बरोलिया में स्थित प्राथमिक पाठशाला के सहायक अध्यापक द्वारा की गयी अनियमितता की जांच

132–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित राम प्रताप सिंह, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा अन्य के हस्ताक्षरयुक्त ग्राम बरोलिया ब्लाक जामो सुल्तानपु का प्रार्थना-पत्र जिसमें इसी ग्राम के प्रा० पा० के सहायक अध्यापक के विरुद्ध गंभीर अनियमितता क शिकायत है, जिस पर पत्रांक शि/16656-97-98 दिनांक 29-8-97/1-9-97 द्वारा जांच अधिकारी ने अपनी जांच की अभिमत कर जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को दे दी है, पर अब तक क्या कार्यवाही क गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां । उक्त जांच आख्या के आधार पर अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्पादि कर चेतावनी देकर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में शिक्षक संवर्ग में पद परिवर्तन की मांग

133–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि शिक्षा अनुभाग 15 के पत्रांक 15415(15)/95-64(19)/9 दिनांक 15 मई, 1995 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1990 तक शिक्षक संवर्ग में रिक्त पदों में ड्राइंग मास्ट केबिनेट मैकिंग इन्स्ट्रैक्टर के पद दर्शाये गये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1975 में लखनऊ विश्वविद्याल लखनऊ का एक घटक कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ हो जाने पर परिनियमावली के निय 10.01 के धारा 31 तथा 49 घ के अनुसार शिक्षकों की तीन श्रेणियां मान्य हैं ? क्या सरका

परिनियमावली के नियम 11.01 के उप नियम (5) के अन्तर्गत अर्हतायें रखने वाले अन्य शिक्षक संवर्ग के पद परिवर्तन करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 31 मार्च, 1990 तक दर्शाये गये रिक्त पद विभिन्न संवर्ग के थे जिसमें प्रोफेसर, रीडर एवं प्रवक्ता शिक्षक संवर्ग के थे तथा ड्राइंग मास्टर एवं केबिनेट मेकिंग इन्स्ट्रक्टर गैर शिक्षक संवर्ग के थे । लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 1975 के परिनियम 10.01 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 एवं 49घ के अनुसार शिक्षक संवर्ग में तीन श्रेणियां प्रवक्ता, रीडर एवं प्रोफेसर की है । शिक्षक संवर्ग पद की शैक्षिक अर्हता एवं इन्स्ट्रक्टर संवर्ग पद की शैक्षिक अर्हता भिन्न है ।

134–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

135–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

(दिनांक 19-8-98 को अता० प्र० सं० 188 द्वारा उत्तरित)

जनपद गोण्डा के दक्षिण वन प्रभाग की टिकरी रेंज में वृक्षों के अवैध कटान के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

136–श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के दक्षिणी वन प्रभाग के अन्तर्गत टिकरी रेंज में भारी पैमाने पर अवैध कटान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार टिकरौंदी बीट, मनीपुर बीट रामगढ़ बीट, गनेशपुर बीट और उसके आस-पास बीटों की कुम्बिंग करवा कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

दक्षिण गोण्डा वन प्रभाग की टिकरी रेंज में वर्ष 1997-98 में कुल 214 वृक्षों का अवैध कटान हुआ है ।

प्रश्नगत बीटों में कोई केन्द्रित अवैध कटान न होकर छिटपुट व सामान्य प्रकृति का रहा है । इन कटे वृक्षों में अधिकांश वृक्ष कम व्यास वर्ग के होने के कारण वाणिज्यिक महत्व के नहीं हैं । वर्ष 1997-98 (मई 98 तक) में हुए अवैध कटान के संबंध में विभाग द्वारा 103 एच–2 केस जारी किये गये एवं रुपये 1,27,752.00 की धनराशि प्रतिकर के रूप में वसूली गयी । गोण्डा जनपद में विशेष अभियान चलाकर वन माफियाओं के विरुद्ध गैंगस्टर, गुण्डा एक्ट व भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी तथा कुछ वन माफियाओं की चल-अचल सम्पत्ति कुर्क की गयी है । ऐसी स्थिति में टिकरी रेंज की प्रश्नगत बीटों में कुम्बिंग कराकर अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद उन्नाव में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव के पद पर अधिकारी की नियुक्ति का मामला

137–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि शासनादेश सं०–1620/15-68–प्रो०–97–1(73)/97 दिनांक 13 जून, 1997 के अनुसार साक्षरता कार्यक्रम में सचिव के पद पर शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को ही नियुक्त किया जाना था ? यदि हां,तो क्या यह भी संज्ञान में है कि उन्नाव में उक्त

शासनादेश के विरुद्ध किसी शिक्षा विभाग के अधिकारी को साक्षरता कार्यक्रम का सचिव नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी संज्ञान में है कि साक्षरता कार्यक्रम के सचिव के पद पर जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा अवकाश प्राप्त कर्मचारी को सचिव बनाया गया था जिसे आहरण व वितरण के अधिकार नहीं प्राप्त थे ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के विरुद्ध सचिव नियुक्त करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी नहीं । शासनादेश में सर्वप्रथम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह प्रभार दिया जाना था किन्तु यह अनिवार्य नहीं था, परन्तु अब शासनादेश संख्या–2828/15–(68)–प्रो०–97–1(76)/97, दिनांक 24 सितम्बर, 1997 से सचिव का प्रभार किसी अधिकारी को सौंपने का दायित्व पूर्ण रूप से जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला साक्षरता समिति को सौंपा गया है ।

जनपद उन्नाव में वर्तमान समय में सचिव पद का प्रभार शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव को सौंपा गया है ।

तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा यह प्रभार जनपद के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सौंपा गया था । आहरण वितरण का कार्य सचिव द्वारा जिला साक्षरता समिति के निर्देश के अनुरूप किया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आदर्श प्राद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय गोसाईगंज फैजाबाद के साथ संचालित प्राइमरी पाठशाला के सभी अध्यापकों के वेतन भुगतान संबंधी जानकारी

138–श्री राम ललित चौधरी तथा श्री विश्वनाथ –

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श प्रौद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज, फैजाबाद के साथ संचालित "प्राइमरी पाठशाला" के अध्यापकों को उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ में दायर याचिका सं० 453(एस०एस०) 1997, दिनांक 19-8-97 के निर्णय के अनुपालन में विद्यालय के सभी अध्यापकों को उनके वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशों में निहित शर्तों की प्रतिपूर्ति न करने के कारण ।

जनपद फैजाबाद/अम्बेडकर नगर में स्थित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा प्रस्तुत फर्जी प्रमाण-पत्रों की जांच

139–श्री राम ललित चौधरी तथा श्री विश्वनाथ –

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श प्रोद्योगिक संस्कृत महाविद्यालय, गोसाईगंज, फैजाबाद एवं श्री शंकर जी पू० मा० संस्कृत, विद्यालय, खरिका भारी, गोसाईगंज फैजाबाद/अम्बेडकरनगर के प्रधानाचार्यों द्वारा अपनी उम्र और शैक्षिक योग्यता का फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सेवा प्राप्त करने विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 6-10-97, 4-11-97 एवं 21-4-98 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त प्रधानाचार्यों के उम्र एवं शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण-पत्रों की जांच शिक्षा बोर्ड/संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी से कराते हुये उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रश्न में संदर्भित शिकायती-पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होते है । बल्कि इस संबंध में शिकायती-पत्र दिनांक 11/12 सितम्बर, 97 व 30 सितम्बर, 1997 प्राप्त हुआ है ।

शिकायती-पत्र के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक से जांच करायी गयी तथा उनके शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु शिक्षा बोर्ड/सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से जांच करायी जा रही है तथा साथ ही दोनों प्रधानाचार्यों के वेतन का भुगतान रोक दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक पाठशालाओं की मरम्मत हेतु व्यय की गयी धनराशि के विषय में जानकारी

140–श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में प्राथमिक पाठशालाओं एवं उच्च प्राथमिक पाठशालाओं की मरम्मत हेतु वर्ष 1996-97 व 1997-98 में कितना धन परिषद् के पास उपलब्ध था और दोनों वर्षों में कितना-कितना धन किन-किन विद्यालयों को मरम्मत हेतु दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन दोनों वित्तीय वर्षों में उक्त मरम्मत व भवन विहीन विद्यालयों को धन प्रदान करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक की गई ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

वर्ष 1996-97 मे भवन मरम्मत मद में रु० 35,07, 125.00 उपलब्ध था तथा वर्ष 1997-98 में रुपये 5,73,000.00 और स्वीकृत किया गया है ।

वर्ष 1996-97 में 38 प्राथमिक विद्यालयों हेतु रु० 5,55,000.00 तथा वर्ष 1997-98 में 71 प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के मरम्मत हेतु रुपये 6,17,000 दिया गया है ।

जी हां । दिनांक 4-3-97 एवं 13-5-98 को जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज में फरेन्दा–धानी मार्ग पर पोहनाला तथा त्रिमुहानी घाट पर स्थित सेतु का निर्माण एवं इनकी नीलामी से राजकीय धन की वापसी के फलस्वरूप नीलामी खत्म करने की मांग

141–श्री विनोद मणि–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज के लो० नि० इकाई–फरेन्दा के अन्तर्गत फरेन्दा–धानी मार्ग पर पोहनाला सेतु (हड़हवा) का व फरेन्दा–महराजगंज मार्ग पर त्रिमुहानी घाट पर बने सेतु के निर्माण हुये कितने वर्ष हुये ? क्या अब तक इन पुलों की हुयी नीलामी से शासन के धन की वापसी नहीं हो पाई है ? क्या अब सरकार इन पुलों की नीलामी खत्म करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत पोहनाला व त्रिमुहानी सेतुओं को निर्मित हुये क्रमशः लगभग 27 वर्ष व 24 वर्ष हो चुके हैं ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक विकास को गतिशील बनाने हेतु प्रदेश में औद्योगिक विकास आयुक्त के पद के सृजन की मांग

142–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश में औद्योगिक विकास आयुक्त के पद के सृजन पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है ।

श्री आर० के० एम० त्रिपाठी अवर अभियन्ता निर्माण खण्ड नं०–2 लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थनगर से शासकीय हानि की वसूली की मांग

143–श्रीमती गौरी देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० के० एम० त्रिपाठी अवर अभियन्ता निर्माण खण्ड नं०–2 लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थ नगर से दो लाख तिरानवे हजार छः सौ सैंतालिस रुपया अट्ठाइस पैसा शासकीय हानि की वसूली की जानी है ? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

रिट याचिका सं०–37879/95 में पारित मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार श्री त्रिपाठी के प्रत्यावेदन के निस्तारण तक वसूली स्थगित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के आयुक्त झांसी मण्डल द्वारा स्वीकृत सड़कों का शासन द्वारा निरस्तीकरण

144–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में आयुक्त झांसी मण्डल द्वारा स्वीकृत की गई सड़कों को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1997-98 में जिला योजना के अन्तर्गत नये मार्ग/सेतु निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों का प्राधिकार मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधानित नहीं किये गये थे । इसलिये मण्डलायुक्तों द्वारा जारी की गयी स्वीकृतियां शासन स्तर से निरस्त कर दी गयी है ।

145–श्री लाखी राम जोशी–

(दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं०–197 द्वारा उत्तरित)

जनपद चन्दौली में मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र में मजदूरों के आवास हेतु आवासीय कालोनियों की स्थापना

146–श्री छब्बू पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय जनपद–चन्दौली के अन्तर्गत विभाग द्वारा मजदूरों को रहने के लिये आवासीय कालोनियां हरि फर्टिलाइजर द्वारा बनाई गई थी ? क्या फैक्ट्री बन्द हो जाने के बाद लो० नि० वि० द्वारा बनाये गये मकानों को प्रबन्धक द्वारा सभी कमरों में ताला बन्द कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी वहां के किसानों की जमीन पर बने मकानों को किसानों को आवंटित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । मजदूरों के रहने के लिए कालोनी लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गयी थी ।

कालोनी के कुछ भवनों में ताला बन्द है, कुछ में लोग निवास कर रहे हैं तथा कुछ क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं ?

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली में स्थित हरि फर्टिलाइजर द्वारा अधिग्रहीत की गयी किसानों की भूमि की वापसी का मामला

147–श्री छब्बू पटेल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय जनपद–चंदौली के अन्तर्गत हरि फर्टिलाइजर विगत कई वर्षों से बन्द पड़ी है ? क्या उसमें किसानों की जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण की गयी थी ? क्या सरकार द्वारा यह समझौता हुआ था कि उद्योग न चलने पर किसानों की जमीन वापस दिलायी जायेगी ? क्या हरि फर्टिलाइजर के मालिक द्वारा उक्त जमीन पर खेती का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की जमीन वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि भूमि राजस्व अभिलेखों में फैक्ट्री के नाम दर्ज है ।

विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय जनपद–चन्दौली में स्थित हरि फर्टिलाइजर के पड़ोसी गांवों में सम्पर्क मार्गों को खुलवाने की मांग

148–श्री छब्बू पटेल–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 240 मुगलसराय जनपद–चन्दौली के अन्तर्गत हरि फर्टिलाइजर के बगल के गांवों में जाने के सम्पर्क मार्ग को हरि फर्टिलाइजर के प्रबन्धक द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया है ? क्या उसके कारण सिंचाई का कार्य भी बन्द हो गया है ? क्या मंत्री जी मार्ग खुलवाने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कैलाश मानसरोवर यात्रा को महत्वपूर्ण बनाये रखने हेतु टनकपुर तथा पिथौरागढ़ के मध्य मार्ग की सुव्यवस्था संबंधी जानकारी

149–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पौराणिक महत्व बनाये रखने हेतु मार्ग टनकपुर (ब्रह्मदेव) से पिथौरागढ़ पूर्व की तरह बनाये रखने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं ।

वर्षा ऋतु में भूस्खलन के कारण प्रश्नगत मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिससे पूर्व में यात्रियों को इस मार्ग में काफी असुविधा हुई थी । अतः इस मार्ग को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है ।

150–श्री यशपाल सिंह चौहान–

(दिनांक 19-6-98 को अता० प्र० सं० 200 द्वारा उत्तरित)

जनपद हरदोई में विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम अकबरपुर पसनामऊ को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

151–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत वि० खण्ड बिलग्राम के ग्राम अकबरपुर पसनामऊ को अम्बेदकर ग्रामों के अर्न्तगत चयनित किये जाने के पश्चात् भी योजनानुसार प्राथमिकता के आधार पर शासन ने उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि शासन की वर्तमान नीति प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी के गांवों में से सर्वाधिक आबादी के ग्रामों को अवरोही क्रम में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत वरीयता दिया जाना है ।

अभी कार्य स्वीकृत नहीं है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम बढ़ैयाखेड़ा को अम्बेदकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

152–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत वि० खण्ड माधोगंज के ग्राम बढ़ैयाखेड़ा को अम्बेदकर ग्रामों के अर्न्तगत चयनित किये जाने के पश्चात् भी योजनानुसार उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में अननुमोदित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में जानकारी

153—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बिना शासकीय मानदण्डों एवं वित्तीय अनुमोदन के ही लगभग 1200 कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इन गैर कानूनी ढंग से नियुक्त कर्मचारियों पर विश्वविद्यालय प्रशासन कितना प्रति माह धन व्यय कर रहा है ? क्या सरकार इस अनियमितता हेतु विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

अननुमोदित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 755 है । व्यय लगभग रुपये 19.00 लाख प्रतिमाह है । ये कर्मचारी विगत वर्षों में कार्य आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नितान्त तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये थे ? विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वांछित संख्या में पद स्वीकृत न होने के कारण ये नियुक्तियां तत्कालीन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अपरिहार्य समझी गयी थीं । लखनऊ विश्वविद्यालय के लिये 288 शिक्षणेत्तर पद सृजित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के लिये 59 शिक्षणेत्तर पद सृजित किये गये हैं ।

रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की में सहायक कुल सचिव के पदों पर चयन एवं नियुक्ति में किये गये कथित भ्रष्टाचार की जांच

154—श्री मथुरा प्रसाद पाल–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम खिलाड़ी सिंह, विधायक ने अपने पत्र दिनांक 12-6-1997 द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की में दिनांक 23 मई, 1997 को सहायक कुल सचिव के पदों पर चयन/नियुक्ति में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, प्राप्त हुआ है ? क्या इसी संबंध में श्री डी० पी० सिंह का पत्र दिनांक 29-9-97 मा० मुख्य मंत्री को श्रीयुत श्री कृष्णपाल, सदस्य, प्रदेश कार्य समिति, भा०ज०पा० का पत्र दिनांक 12-6-97, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव का पत्रांक 272 रा० वि० व आ०–98, दिनांक 26-2-98 सचिव, प्राविधिक शिक्षा को तथा दुग्ध विकास मंत्री श्री सुन्दर सिंह बघेल, का पत्रांक 3307, दिनांक 25-11-97 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी हां ।

जी हां ।

रुड़की विश्वविद्यालय से स्थिति की जानकारी की गयी । सहायक कुल सचिव के रिक्त पद पर चयन में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन आरक्षण के नियमों का अनुपालन किया जाना पाया गया । चयन विधिवत् होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों का विवरण

155—श्री राम कृपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के वर्तमान समय में कितने पद रिक्त हैं ? क्या इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश सं० बी

1070/का-1/1996, दिनांक 12-11-96 व संख्या 2010/36-6-97-131 (बी)/97, दिनांक 3 जनवरी, 1998 के आधार पर लो० नि० विभाग व उ० प्र० राजकीय निर्माण नि० लि०,लखनऊ में सिविल इंजीनियर के प्रशिक्षण प्राप्त स्नातकों को सहा० अभियन्ता के पद पर नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

लोक निर्माण विभाग में सीधी भर्ती के लिये 833 पद हैं । सम्प्रति सीधी भर्ती का कोई पद रिक्त नहीं है । प्रश्न में संदर्भित शासनादेश की तिथि 12-11-96 सही नहीं है, उक्त शासनादेश की तिथि 12-9-96 है । चूंकि सीधी भर्ती का कोई पद रिक्त नहीं है अतः प्रश्न में संदर्भित शासनादेशों के अनुसार किसी प्रशिक्षण प्राप्त सहायक अभियन्ता की नियुक्ति नहीं की गयी है ।

दिनांक 1-1-1992 से 31-3-98 तक अप्रेन्टिस प्राप्त स्नातक सिविल इंजीनियरों का विवरण

156—श्री राम कृपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1-1-1992 से 31-3-98 तक कितने सिविल इंजीनियरिंग के स्नातकों ने अप्रेन्टिस पूर्ण की है । क्या शासनादेश सं० बी०–1070/का/-1/1996, दिनांक 12-11-96 व संख्या 2010/36-6-97-131 (बी)/97, दिनांक 3 जनवरी, 1998 के अनुपालन में अप्रेन्टिस प्राप्त स्नातकों की सूची बनायी गयी ? यदि हां, तो सूची में अंकित नाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के कतिपय फर्राशों को टेलीफोन अटेन्डेन्ट के पद पर परिवर्तित न किये जाने के संबंध में जानकारी

157—श्री समरपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के कतिपय फर्राशों को उनके पद से टेलीफोन अटेन्डेन्ट के पद पर परिवर्तित किये जाने हेतु मुख्य सचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 872/पी० एस० एम० एस०/एम० एल० ए०/97, दिनांक 25 जुलाई 1997 तथा 5/ पी० एस० एम० एस०/एम० एल० ए०/98–दिनांक 7 जनवरी, 1998 के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त निर्देशों के अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है ? उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत कितने पदों को परिवर्तित किया गया है ? पद परिवर्तन की सम्पूर्ण प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मुख्य सचिव के संदर्भित पत्रों के साथ श्री अक्षयवर लाल, मा० सदस्य विधान सभा के दो पत्र जिनमें श्री फूलचन्द्र वर्मा, फर्राश को टेलीफोन अटेन्डेन्ट के पद पर नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था, विभागीय प्रमुख सचिव को नियमानुसार परीक्षण कराकर कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से मा० सदस्य, विधान सभा को अवगत कराने के निर्देश के साथ प्राप्त हुए थे ।

परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि फर्राशों को टेलीफोन अटेन्डेन्ट के पद पर परिवर्तित करना सम्भव नहीं है । तदनुसार मा० विधायक को राज्य सम्पत्ति अधिकारी के अर्धशासकीय पत्र सं० ई–338/32-1-98 दिनांक 15-6-98 द्वारा अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के अम्बेडकर ग्राम मोझ आई जाफरपुर को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

158—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां नि० क्षेत्र के अन्तर्गत वि० खण्ड मल्लावां के ग्राम मोझ आई जाफरपुर को अम्बेदकर ग्रामों के अन्तर्गत चयनित किये जाने के पश्चात् अभी तक उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? उक्त अम्बेदकर ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

जिला योजना में शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथासमय निर्माण कार्य स्वीकृत किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा में यमुना नदी पर मऊ जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में पीपे के पुल निर्माण की योजना

159—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 6 मई, 1997 को बांदा में यमुना नदी पर मऊ जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में पीपे का पुल निर्माण किये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो इस पुल का कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथासमय निर्माण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा में मऊ से लपांग डभौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण

160—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 6 मई, 1997 को बांदा में मऊ से लपांग डभौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण किये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ? यह सड़क कब तक निर्मित हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां ।

प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है । निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथासमय आरम्भ किया जायेगा ?

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजापुर जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में यमुना नदी पर पक्के पुल के निर्माण की मांग

161—श्री ददू प्रसाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजापुर, जिला छत्रपति शाहूजी महाराजनगर में यमुना नदी पर पक्के पुल के निर्माण पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह निर्माण कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सरकार के मंत्रियों/राज्य मंत्रियों द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 1997 से अब तक चाय नाश्ते पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

162—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान उ० प्र० सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों द्वारा 1 अक्टूबर, 1997 से अब तक माहवार कितनी-कितनी धनराशि चाय, नाश्ता पर खर्च की गयी ? क्या सरकार मितव्ययता बरतने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

वर्तमान उ० प्र० सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों द्वारा अक्टूबर, 1997 से अप्रैल, 1998 तक चाय, नाश्ता पर माहवार खर्च की गयी धनराशि का विवरण संलग्न+ है ।

जी हां ।

मा० मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रिगण द्वारा विभागीय बैठकों में ही चाय नाश्ता पर व्यय किया जाता है तथापि अधिक व्यय होने पर सम्बन्धित मा० मंत्री जी/राज्य मंत्री जी को मितव्ययिता हेतु उनके द्वारा व्यय की गयी धनराशि से अवगत कराया जाता है ।

दिनांक 11-11-97 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित जनपद मैनपुरी, ब्लाक सुल्तानपुर, ग्राम दुधौना में जूनियर हाईस्कूल खोले जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

163—श्री राम औतार शाक्य—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 11-11-97 को प्रश्नकर्ता का पत्र जो जूनियर हाई स्कूल ग्राम दुधौना, ब्लाक सुल्तानपुर, जनपद मैनपुरी में खोलने के संबंध में था, सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां ।

संबंधित अधिकारियों को यथोचित निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट :—+ छापी नहीं गयी ।

164—श्री चेतराम–

(2रे बुधवार में अता० प्र० सं० 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद शाहजहांपुर में बेसिक प्राइमरी स्कूलों में समानता अपनाकर अध्यापकों का समायोजन कराने की मांग

165—श्री चेतराम–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के बेसिक प्राइमरी स्कूलों में करीब 500 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां होने के बावजूद कुल कितने प्राइमरी स्कूल बन्द पड़े हैं तथा कितने स्कूल एकल अध्यापकीय हैं तथा कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 4 से अधिक अध्यापक तैनात हैं ? क्या सरकार जनहित में अध्यापकों की उक्त विषमता दूर करके प्रत्येक बे० प्रा० स्कूल में समानता अपनाकर अध्यापकों का समायोजन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा सत्र 97-98 में कुल 518 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं ? इन नियुक्तियों के उपरान्त जनपद में 9 विद्यालय बन्द हैं एवं 372 एकल अध्यापकीय तथा 108 चार अध्यापकों से अधिक वाले विद्यालय हैं ।

शिक्षा सत्र 98-99 में समायोजन के उपरान्त जनपद में कोई विद्यालय बन्द तथा एकल अध्यापकीय नहीं रह जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड में बी० एड० प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी

166—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-6-1997 जो उत्तराखण्ड की भांति बुन्देलखण्ड में भी बी० एड० प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता को देखते हुए जनहित में प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के प्रति बी० एड०, सी० पी० एड०, एल० टी०, डी० पी० एड० तथा बी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बी० टी० सी० प्रशिक्षण देकर समायोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के सृजन संबंधी जानकारी

167—श्री नरेन्द्र सिंह (आजमगढ़)–

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सृजित है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में

भी पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सृजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

केवल 11 राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय कन्या इण्टर कालेज में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद सृजि है, शेष में नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय सीमितता के कारण ।

माध्यमिक विद्यालयों में एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों को प्रोन्नति वेतनमान प्रदान करने वं विषय में जानकारी

168—श्री नरेन्द्र सिंह –

क्या शिक्षा मंत्री (माध्यमिक) बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में सी० टी० ग्रेड मृत घोषित करते हुए अध्यापकों को एल० टी० ग्रेड प्रदान करने के बाद दस वर्ष की सेवा अवधि ए टी० ग्रेड में बीतने के बाद उन्हें प्रोन्नति वेतन सरकार द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो गोरखपुर में ऐसी सभी एल० टी० ग्रेड वेतन प्राप्त अध्यापकों को प्रोन्नत वेतन लाभ दे दिया गया है ? यदि नहीं, क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रोन्नत वेतनमान नहीं, किन्तु एल० टी० ग्रेड में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद च वेतनमान देने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धन व सामान्य छात्रों के लिये सस्ती एवं सुलभ शिक्षा की मांग

169—श्री नरेन्द्र सिंह –

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा के लिये फीस की धनराशि को बढ़ सरकार ने सामान्य छात्रों के लिये शिक्षा को अत्यधिक महंगा करके उनके पठन-पाठन को बाधित दिया है ? क्या सरकार के पास उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये निर्धन व सामान्य छात्रों के लिये र और सुलभ शिक्षा की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

जी नहीं ।

वर्तमान उच्च शिक्षा पर्याप्त सस्ती है । अतः कोई अन्य सस्ती और सुलभ शिक्षा की यो विचाराधीन नहीं है । निर्धन व सामान्य छात्रों के लिये वर्तमान व्यवस्था का क्षेत्र आवश्यकतानु समय-समय पर विस्तृत किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त सस्ती एवं सुलभ है ।

राज्य में राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का जनपदों में सदुपयोग हेतु ठोस नीति का निर्धारण

170—श्री श्रीराम पाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि का जनपदों में समुचित उपयोग किये जाने हेतु कोई ठोस कार्य नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि जनपद जालौन को वर्ष 1997-98 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? क्या यह भी सही है कि पूरी धनराशि फर्जी बाउचर बनाकर मात्र कागजों पर खर्च दिखाई गई है तथा पूरी धनराशि अधिकारियों ने स्वल्पाहार में खर्च कर ली है । यदि हां, तो क्या खर्च की गयी धनराशि का स्पेशल अडिट कराया जायेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष की उपलब्धियों की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

प्रदेश में साक्षरता अभियान के संचालन के लिये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत जिला साक्षरता समिति को साक्षरता कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं । कार्यक्रम के संचालन के लिये प्रत्येक स्तर पर समितियों का गठन किया गया है जो निरन्तर कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करती हैं । जिला साक्षरता समिति द्वारा जनपदों में सर्वेक्षण, वातावरण सृजन, प्रशिक्षण, पठन-पाठन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की कार्यवाही की जाती है । राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद में प्रथम चरण के साक्षरता की उपलब्धियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा नामित संस्था सेन्टर फार मीडिया स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा मूल्यांकन जून, 1996 में किया गया परिणाम 41.50 प्रतिशत रहा । इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार द्वारा नामित संस्था राज्य नियोजन संस्थान मूल्यांकन प्रभाग, लखनऊ द्वारा भी जनपद का समवर्ती मूल्यांकन किया गया है ।

जनपद जालौन में ग्राम बम्हौरा के निकट मलंगा नाले पर सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल की निर्माण सामग्री की जांच

171—श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के खण्ड विकास महोबा में ग्राम बम्हौरा के पास मलंगा नाले पर सेतु निगम द्वारा पुल के निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि जितनी निर्माण सामग्री क्रय की गयी है उतनी निर्माण कार्य में नहीं लगाई गई है ? यदि हां, तो क्या अब तक हुए निर्माण कार्य की तकनीकी जांच व भौतिक मूल्यांकन कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्न में संदर्भित कार्य व निर्माण सामग्री की जांच किये जाने हेतु टी० ए० सी० से जांच कराये जाने हेतु आदेश दिये जा रहे हैं । टी० ए० सी० की जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ?

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

172–श्री समर पाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष कितने माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया गया है ?अभी प्रदेश में कितने असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अनुदान सूची के लिये शेष है ?

डा० नैपाल सिंह–

प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के 72 माध्यमिक विद्यालयों को हाई स्कूल स्तर तक अनुदान सूची पर लिया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश में दिनांक 14-10-1986 के पूर्व 144 अशासकीय असहायिक माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें अनुदान सूची में नहीं लिया गया है इन 144 में से 72 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने पर 72असहायिक माध्यमिक विद्यालय शेष रह जायेंगे ।

लोक निर्माण विभाग खण्ड–2 के अमीन द्वारा नाजायज धन वसूलने तथा परेशान करने की जांच की मांग

173–श्री तेजभान सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको संबोधित प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री माधवराम मिश्रा, राम भरोसे आदि ग्रामवासी निवासी ग्राम–मजरे ऐंथी, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें दिनांक 19-12-97 लो० नि० वि० खण्ड–2 के अमीन द्वारा नाजायज धन वसूलने तथा परेशान करने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो कब तथा किसके द्वारा जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर द्वारा जांच की गयी तथा शिकायतकर्ताओं को शिकायत के साक्ष्य स्वरूप अभिलेख के साथ दिनांक 4-6-98 को उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया गया ।

शिकायती प्रार्थना-पत्र में अंकित शिकायतकर्ताओं में से केवल 4 शिकायतकर्ता उपस्थित हुए तथा यह लिखित सूचना दी कि उन्होंने अमीन के खिलाफ कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है और न ही उन्हें कोई शिकायत है ।

प्रबन्धक, श्री स्वामी ब्रह्मानन्द हायर सेकेन्ड्री स्कूल भरेथा, अमेठी, सुल्तानपुर का वेतन दिलाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही एवं जांच

174–श्री तेजभान सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें संबोधित प्रबन्धक, श्री स्वामी ब्रह्मानन्द हायर सेकेन्ड्री स्कूल भरेथा, अमेठी, सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र जो वेतन दिलाये जाने के संबंध में है, प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र दिनांक 17-12-97 जिसमें पत्रांक सं०–2033 वी० आई० पी०, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा स्तर से प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र पर शिक्षा निदेशालय (मा०) के पत्रांक 8354 दिनांक 18-12-97 द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा०), फैजाबाद को जांच करने के निर्देश दिये गये हैं ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम सभा की भूमि चारागाह में लगे 40 हजार पेड़ों की अवैध कटान से सम्बन्धित शिकायती-पत्र पर जांच

175–श्री तेजभान सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी तथा जिला वनराज अधिकारी को संबोधित श्री बब्बन, राम जियावन तथा ग्राम प्रधान आदि अन्य सदस्य ग्राम सभा राजापुर कौहार, ब्लाक–शाहगढ़, सुल्तानपुर का दिनांक 18-10-97 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम सभा की भूमि चारागाह में लगे 40 हजार पेड़ों के अवैध कटान करा लेने की गम्भीर शिकायत की गई है ? प्राप्त हुआ है ? क्या इसकी जांच की गयी है ? यदि हां, तो कब ? जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायती-पत्र की जांच श्री एस० एस० पाण्डे, वन क्षेत्राधिकारी, गौरीगंज रेंज द्वारा दिनांक 15-11-1997 को की गयी ।

शिकायत राजापुर कोहार ग्राम सभा के अन्तर्गत वर्ष 1984 में वन विभाग द्वारा 4.75 हेक्टेयर क्षेत्रफल जिसमें 23,000 पौधे लगाये गये थे, के अवैध कटान से सम्बन्धित है । यह रोपण 14-4-1990 को 85 प्रतिशत सफलता पर सम्बन्धित ग्राम सभा को सुरक्षा व प्रबन्ध के लिये वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित कर दिया गया था । जांच से पाया गया कि भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री घिसन मिश्र द्वारा कुछ लोगों को भूमि का पट्टा देने के आश्वासन पर उन लोगों द्वारा अवैध रूप से प्रोसोपिस आदि प्रजाति के वृक्षों को क्षति पहुंचाकर ट्रैक्टर से जुताई कराने तथा खेत बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा उक्त कार्य रोक दिया गया । वर्तमान में मौके पर कोई कटान अथवा जुताई कार्य नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री समरजीत सिंह की मृत्योपरान्त उनकी विधवा को पेंशन, बीमा व अन्य अवशेष देयों के भुगतान की मांग

176–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री समरजीत सिंह पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, प्रा० पा० रौजा 2 ब्लाक–गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर की दिनांक 21-1-97 को मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा को पेंशन, बीमा व अन्य अवशेष देयों का भुगतान करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या इनके किसी आश्रित ने नौकरी प्राप्त करने की मांग की है ? यदि हां, तो किसने ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां ।

भविष्य निधि की सम्पूर्ण धनराशि रु० 1,079.00 का चेक संख्या 03/683 दिनांक 6-2-98 द्वारा तथा पारिवारिक पेंशन की धनराशि रु० 13,738.00 का चेक संख्या 32/684 दिनांक 28-2-98 द्वारा भुगतान कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है।

जीवन बीमा का क्लेम जीवन बीमा निदेशालय, इलाहाबाद को बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के पत्रांक 940/97-98 दिनांक 11-2-98 द्वारा स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। बीमा निदेशालय से धनराशि प्राप्त होते ही भुगतान किया जा सकेगा।

जी हां, श्री त्रिभुवन सिंह पुत्र स्व० श्री समरजीत सिंह ने मृतकाश्रित के रूप में नौकरी की मांग की थी जिनकी नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के आदेश सं० प्रबंध/8277-81/97-98 दिनांक 28-2-1998 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर की जा चुकी है।

जनपद जौनपुर के बेलाव घाट पर निर्मित पीपे के पुल को चालू कराये जाने के विषय में जानकारी

177–श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के बेलाव घाट का पीपे का पुल कब से चालू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

प्रश्नगत पुल प्रान्तीकरण के उपरान्त चालू हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

समता इण्टर कालेज, शेखपुर समोधा के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों पर किये गये कथित शोषण की जांच

178–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा निदेशक (मा०) उ० प्र० को समता इण्टर कालेज, शेखपुर, समोधा, रायबरेली के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों के शोषण संबंधी श्री विद्या भूषण बाजपेई, सदस्य, जागरूक नागरिक समिति, बछरावां, रायबरेली का पत्र दिनांक 11-9-97 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के शिकायती बिन्दु क्या हैं ? इन शिकायतों की जांच किस अधिकारी को किस तिथि में दी गयी ? उसकी रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ? जांच में किन-किन शिकायतों की पुष्टि की गयी है ? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

शिकायती बिन्दु संलग्न हैं।

श्री डी० पी० पाण्डेय परियोजना अधिकारी, रायबरेली से दिनांक 26-5-98 को जांच करायी गयी। शिकायती-पत्र शासन में नहीं बल्कि शिक्षा निदेशक (मा०) को दिया गया था।

जांच आख्या में किसी शिकायत की पुष्टि नहीं हुयी है। अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 155 पर)

लखनऊ प्राणी उद्यान में प्रतिनियुक्ति के पदों के विषय में जानकारी

179–श्री गंगा सिंह चौहान–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणी उद्यान लखनऊ में कितने पद प्रतिनियुक्ति के हैं ? उनमें से कितने पद प्रतिनियुक्ति से भरे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति का एक पद क्यूरेटर वहां के ड्राइवर मैकेनिक जो चतुर्थ श्रेणी का मात्र कक्षा 8 पास कर्मचारी है द्वारा तदर्थ रूप से भर दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कोई समयबद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

लखनऊ प्राणि उद्यान में प्रतिनियुक्ति के चार पद हैं ।

प्रतिनियुक्ति के तीन पद भरे हैं । एक पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव कानपुर रेलवे लाइन एवं शुक्लागंज कस्बा को गंगा नदी की कटान से रोकने हेतु हरिहरपुर गैर ऐहितमाली पर लगी रोक के सम्बन्ध में जानकारी

180–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव कानपुर रेलवे लाइन एवं शुक्लागंज कस्बा को गंगा नदी की कटान से रोकने के लिये सरकार ने हरिहरपुर ऐहतमाली एवं हरिहरपुर गैर ऐहितमाली के मध्य बालू के खदान पर रोक लगायी थी ? क्या उक्त प्रतिबन्धित खदान की नीलामी में बीस लाख रुपये की बोली को निरस्त करते हुये लखनऊ के एक इमाम के बेटे को मात्र 50 हजार रुपये में ठेका दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार के आदेशों की अवहेलना एवं सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले जिलाधिकारी के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

केवल हरिहरपुर गैर ऐहितमाली पर रोक लगायी गयी थी परन्तु हरिहरपुर ऐहितमाली क्षेत्र पर कोई रोक नहीं लगायी गयी थी ।

प्रतिबन्धित क्षेत्र में कोई भी ठेका नहीं दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फिरोजाबाद में मोक्ष के बाग से नारंगी लिंक रोड पर स्थित गांव की सड़क का डामरीकरण

181–श्री शिव सिंह चक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में मोक्ष के बाग से नारंगी लिंक रोड पर बझ गांव पर एक किलोमीटर सड़क का जून, 1997 में कराये गये डामरीकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मा० मंत्री जी को दिया गया शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब

तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार मोक्ष के बाग से नारंगी लिंक रोड पर कराये गये सड़क निर्माण कार्य का पुनः सत्यापन कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित मार्ग का नाम जाटऊ–ओखरा मार्ग है ।

वर्षा ऋतु के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था जिसकी मरम्मत करा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्षा के कारण हुए क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कर दी गई है ।

प्राधिकरण द्वारा किसानों के साथ समझौता करके जमीनों का मुआवजा तय करने के विषय में जानकारी

182–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 अगस्त, 97 को उद्योग विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण किसानों के साथ समझौता करके जमीनों का मुआवजा तय कर समझौता कर सकते हैं ? उक्त निर्देशों के अन्तर्गत नोयडा व ग्रेटर नोयडा प्राधिकरणों ने अब तक कितने किसानों को इस नीति के तहत मुआवजा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रमोद कुमार, स० वि० स० के निलम्बन को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री प्रमोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा जिन्हें सदन की सेवा से दिनांक 19-6-98 को सत्र की अवशिष्ट अवधि के लिये निलम्बित किया गया था, का निलम्बन इस सत्र के असमाप्त भाग के लिए निरस्त किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय प्रमोद तिवारी के निलम्बन को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री ने किया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 301 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23 जून, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित सात सूचनायें स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री लाखीराम जोशी की है, दूसरी सूचना, श्री श्रीराम पाल की है, तीसरी सूचना श्री रामाधार सिंह की है, चौथी सूचना श्री महेन्द्र कुमार की है, पांचवीं सूचना श्री तेजभान सिंह की है, छठी सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्रा की है, सातवीं सूचना श्री कृपा शंकर सिंह की है ।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

टिहरी गढ़वाल एवं उत्तर काशी जनपदों में वन कानून 1893 को विशेष परिस्थितियों के कारण लागू न किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाखी राम जोशी–

[मान्यवर, भारत के गुलामी काल में अंग्रेजों द्वारा सन् 1893 में एक वन कानून बनाया गया था जिससे ज्ञात हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान में सम्पूर्ण देश में यथावत् लागू करने के निर्देश सरकार को दिये गये हैं और हमारी सरकार द्वारा भी मार्च, 1997 में आदेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कर रही है, निर्देशों के पालन में इस काले वन कानून को वहां भी लागू किया गया जहां यह कभी लागू नहीं किया गया था जैसे टिहरी गढ़वाल रियासत 1948 से पूर्व स्वतंत्र रियासत थी । 1948 में उसका विलय उ० प्र० राज्य में एक समझौते के तहत किया गया था । जिसकी शर्तें भी निर्धारित कर रियासत की जनता को वनों में हक हकूक के अधिकार दिये गये थे लेकिन उक्त वन कानून टिहरी गढ़वाल रियासत पर लागू नहीं हो सकता है । क्योंकि वहां की विशेष परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने वहां इसे लागू कर दिया ।

सन् 1893 में बने इस कानून के कारण प्रदेश की जनता के साथ वन विभाग अब बहुत ज्यादती कर रहा है, जमीनों के बन्दोबस्त में जो भूमि कृषि योग्य थी उसे राजस्व भूमि घोषित किया गया था लेकिन अब इस कानून की आड़ में ऐसी भूमि पर काबिज किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उन्हें उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है । टिहरी गढ़वाल में सम्पूर्ण प्रदेश की जनता में आतंक फैला हुआ है एवं गंभीर संवैधानिक व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया है ।

अतः आपसे निवेदन है कि वन कानून 1893 के कारण सम्पूर्ण प्रदेश और टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी जनपदों में इस गंभीर स्थिति को देखते हुए गंभीर औचित्य के प्रश्न को चर्चा हेतु स्वीकार करने की कृपा करें ।]

जनपद जालौन के कालपी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिकरी रहमानपुर के पास मलंगा नाले पर पुल/रपटा स्वीकृत करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम पाल-

[मान्यवर, जनपद जालौन की कालपी विधान सभा क्षेत्र में तीन छोटी नदियां होने के कारण 50 कि०मी० का क्षेत्र कटा-फटा है आवागमन के साधन नहीं हैं आटा चुर्खी मार्ग के खल्ला, खाखरी, सिकरी रहमानपुर होते हुए कालपी मदारीपुर रोड तक पक्की सड़क बनी है लेकिन सिकरी रहमानपुर गांव के पास मलंगा नाले पर पुल रपटा न होने के कारण पक्के मार्ग का कोई उपयोग आवागमन हेतु 20 वर्षों से नहीं हो रहा है । 50 ग्रामों के वासियों को कृषि उत्पादन मण्डी कालपी अपनी उपज लाने का कोई साधन नहीं है । हत्या या अपहरण डकैती की स्थिति में पुलिस तत्काल नहीं पहुंच पाती है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें ।]

जनपद हमीरपुर के ब्लाक गोहान्ड के ग्राम अमगांव से करौदी तक अधूरे सड़क निर्माण को पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामाधार सिंह–

[मान्यवर, मैं अपने राठ विधान सभा क्षेत्र जनपद हमीरपुर के तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं उक्त क्षेत्र में ब्लाक गोहान्ड के अन्तर्गत ग्राम अमगांव से करौदी तक लगभग ढाई कि०मी० सड़क के निर्माण की स्वीकृति आर० ई० एस० विभाग से प्रदान कर दी गई थी इस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

परन्तु संबंधित विभाग की साजिश तथा जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण जनहित की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया जो अधूरा निर्माण कार्य हुआ है उसमें भी भारी अनियमितता, तथा घपला है धन का दुरुपयोग किया गया है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी जांच कराने एवं अधूरे कार्य को तत्काल पूर्ण कराने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर बेहटा क्षेत्रान्तर्गत दूसरे विद्युत उपकेन्द्र को प्रारम्भ किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत बेहटा विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक विद्युत उपकेन्द्र होने से बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को नहीं मिल पाती है जिससे बिजली से चलने वाले कल कारखाने एवं किसानों को पानी आदि सुचारु रूप से नहीं उपलब्ध हो पाता है जबकि इसी क्षेत्र में दूसरा विद्युत उपकेन्द्र बन कर तैयार हो गया है यदि उसे चला दिया जाये तो विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चलने लगेगी तथा विद्युत समस्या स्वतः समाप्त हो जोयगी।

पूरे विधान सभा क्षेत्र बेहटा की सम्पूर्ण जनता से जुड़ा हुआ सवाल होने के कारण अत्यन्त लोक महत्व का है।

अतः इस समस्या के निराकरण हेतु माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद सुल्तानपुर में कोतवाली सदर के पास ग्रामीण बैंकों में पड़ी डकैती की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, विगत 12 जून को लगभग 3.00 बजे सुल्तानपुर जनपद के कोतवाली सदर के पीछे के गेट के सामने स्थिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 4 अज्ञात असलहाधारियों ने असलहों के बल पर बैंक कर्मचारियों को बन्द कर 40 लाख की रोकड़ दो बड़े एयर बैग में भरकर सदर कोतवाली के सामने से फरार होकर पुलिस की आंख में धूल झोंक कर पुलिस की निष्क्रियता को उजागर किया है।

इस जनपद की यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले कोतवाली मु० खाना के बगल में ही श्रीराम खत्री के यहां 3 हत्यायें कर करोड़ों की लूट हुई, औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर की एक बैंक लूटी गयी, थाना जामों में बरोलिया में राम प्रसाद उपाध्याय, अध्यापक की हत्या की गयी, थाना मोतगरपुर में जनकवि तथा बेलहरा कालेज के प्रधानाचार्य की हत्या, 4 जून को सेमरों में लल्लन दूबे की यमहा लूटी गई, जगदीशपुर में ट्रके लूटने की घटनाएं तथा 9 जून को संग्रामपुर थाने में डाकबैक की घटनाएं पुलिस की लापरवाही का सबूत है। इन घटनाओं में न तो अभी तक किसी घटना के अभियुक्तों के नाम उजागर हुए हैं और न ही किसी फरार अभियुक्त को पकड़ा जा सका है। इससे क्षेत्र जनता में काफी भय तथा असन्तोष व्याप्त है तथा पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय मामले की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा के निम्नांकित ग्रामों में खड़न्जा युक्त सड़के पुरानी बनी है, उक्त सड़कों की मरम्मत कराकर डामरीकरण कराया जाय जिससे जनता को आने-जाने की सुविधा प्राप्त हो सके जनहित में नितान्त आवश्यक है। 1. हरदोई उन्नाव रोड से तेजीपुर होते हुए कबीरपुर तक, 2. मल्लांवा सण्डीला रोड से सरैया बेलवारान तक, 3. मल्लावां सण्डीला मार्ग से निर्मल नगर से मागांव तक, 4. भगवन्तनगर से तेजीपुर तक, 5. कटिया भिखारीपुर नहरपुर से इब्राहिमपुर तक मल्लावां सण्डीला रोड से जलिहापुर तथा समुखा तक, 7. नयागांव से दारूकुइया तक, 8. बेरियानजीरपुर रोड से ग्राम शाहपुर पवार तक, 9. गंज जलालाबाद नसीरपुर रोड से तेरिया भवानपुर तक, 10. कटिया भिखारीपुर पुल से ग्राम दारुकुइयां तक, 11. मल्लावां सण्डीला रोड से ग्राम खेरवा से होते हुए ग्राम वांसा तक, 12. गंज जलालाबाद रोड भिखारीपुर से ग्राम फुलई तक, 13. बिलग्राम रजवहा से बलेन्दा तक, 14. माधौगंज बघौली रोड से ग्राम बरहरा होते हुए दलनपुरवा तक, 15. बिलग्राम जरोली नेवादा रोड से ग्राम सढियापुर तक, 16. माधौगंज उन्नाव रोड से पिपरावा तक, 17. हरदोई उन्नाव रोड से ग्राम बैफरिया तक, 18. गुजरई से ग्राम बिरौरी तक, 19. मल्लावां राधोपुर रोड से ग्राम ठठिया तक, 20. मल्लावां राधोपुर रोड से ग्राम गढ़ी बलेहरा तक, 21. माधोगंज बघौली रोड से फिरोजपुर तक, 22. मल्लावां गौसगंज रोड से नयागांव तक, 23. कठिया भिखारीपुर पुल से ग्राम नसीरपुर तक, 24. बैरिया नजीपुर रोड से ग्राम रामपुर महमूद तक, 25. छिबरामऊ गंगा पुल पहुंच मार्ग परसोला के पास से रामेश्वर पुरवा तक, 26. बिलग्राम से ग्राम ककरा खेरा होते हुए दीवाली तक, 27. माधोगंज बघौली रोड से ग्राम टेढ़िया तक, 28. हरदोई उन्नाव रोड सदरपुर के पास से ग्राम लालपुर तक, 29. माधौगंज उन्नाव रोड से रुकनापुर तक, 30. मल्लावां सण्डीला रोड से ग्राम तरहेटिया तक, 31. कटिया भिखारीपुर पुल से ग्राम सराय सुल्तानपुर तक, 32. सेमरा चौराहा से साण्डी रोड से ग्राम कुदरौली तक।

ज्ञातव्य है कि संबंधित अधिकारियों की उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण जनता के आवागमन की गंभीर समस्या उत्पन्न है यह एक लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है जिसे सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है। उक्त के समाधान हेतु जनता के आवागमन की भीषण समस्या के समाधान हेतु चर्चा कराकर खड़न्जायुक्त सड़कों पर डामरीकरण कराया जाय।]

राजा शंकर सहाय इण्टर कालेज उन्नाव के प्रधानाचार्य के अवशेष वेतन का भुगतान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृपा शंकर सिंह

[मान्यवर, श्री गणेश प्रसाद वर्मा, राजा शंकर सहाय इण्टर कालेज, उन्नाव में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं इनका अवशेष वेतन बिल जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव के पत्रांक लेखा/1405-52/96-97 दिनांक 19-3-97 द्वारा शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा अर्थ अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया। श्री वर्मा दिनांक 28-8-97 एवं 11-11-97 को प्रार्थना-पत्र के माध्यम

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से शीघ्र भुगतान की प्रार्थना भी कर चुके हैं । मा० मंत्री जी द्वारा शिक्षा निदेशक को शीघ्र भुगतान हेतु दिनांक 15-9-97 एवं17-3-98 को प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है तथा माननीय मंत्री जी ने आदेश भी किया था किन्तु अभी तक अवशेष भुगतान नहीं हो सका है । जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव ने अपने पत्रांक लेखा वेतन 510-11/98-99 दिनांक 17-4-98 द्वारा वांछित अन्य पत्रादि भी शिक्षा निदेशक, शिक्षा अर्थ (1) अनुभाग. उ० प्र० इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया है किन्तु इसके बावजूद उक्त अवशेषों का भुगतान नहीं किया गया है । जिससे श्री गणेश प्रसाद वर्मा को गंभीर आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है ।

अतः उपरोक्त विषय सम्मानित सदन के समक्ष उठाने की अनुज्ञा प्रदान की जाये ।]

नियम–300 की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-6-98 को नियम–300 के अन्तर्गत तीन सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें पहली सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है ।

प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 63,64,65 तथा प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 165–166 के अन्तर्गत दी जाने वाली सुबाष चन्द्र की सूचनाओं का शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विलम्ब से उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपके माध्यम से नियम 300 के अन्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम–63,64,65 तथा अध्यक्ष पीठ द्वारा जारी किए गए निर्देश 165–166 के द्वारा जो सूचना माननीय अध्यक्ष को दी जाती है और जिस पर माननीय अध्यक्ष जी की ओर से तथा उनके सचिवालय की ओर से शासन के सचिवालय से जवाब मांगा जाता है उसमें काफी दिन बीतने के बाद भी शासन का सचिवालय अपेक्षित सूचना नहीं देता है । पांच-छः अनुस्मारक पत्र भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है । मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इस विषय पर अपनी व्यवस्था देते हुए शासन को इस बात के लिए निर्देशित करें कि एक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जो सूचना मांगी जाती है उसको निर्धारित समय के अन्दर भेज दिया करें ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस संबंध में वह प्रयास करें कि सूचना की समय सीमा निर्धारित हो और उसमें उत्तर प्राप्त हो जाए ।

(श्री लालजी वर्मा जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा अनुपस्थित हैं इसलिए आगे की सूचना लेते हैं ।

तृतीय सत्र 1998 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–162 के उत्तर में संबंधित मंत्री का हस्ताक्षर न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार, मतलब आज के लिए, अतारांकित प्रश्न संख्या–162 निर्धारित था उसमें मान्यवर, मैंने पूछा था–"क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों द्वारा 1 अक्टूबर, 1997 से अब तक माहवार कितनी-कितनी धनराशि चाय, नाश्ता पर खर्च की गयी ? क्या सरकार मितव्ययता बरतने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

इसमें उत्तर आया है और मंत्रियों का खर्चा दिया गया है अक्टूबर, 1997 से 1998 तक ।

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्देश दे रहा हूं जो सदन में सूचना दी जाती है उसमें संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिए । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं मंत्रिपरिषद् के सभी सदस्यों को इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करा दें कि सभी पेज में उनके हस्ताक्षर हों और संलग्नक पर भी हस्ताक्षर हों ।

श्री राम औतार शाक्य–

एक बात और कहना चाहूंगा पहली संख्या 40 और दूसरी 64 दी गई है तो जो सूची है वह क्रमानुसार आनी चाहिए और सभी संलग्नक पेजों पर संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिए अगर पहला पेज बदल दिया जाय तो किसकी जिम्मेदारी होगी ?

यह सही है, इसके खर्च के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कितना मंत्रियों के यहां खर्च हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत जो शेष सूचनाएं थीं, श्री उदयराज यादव, श्री ददू प्रसाद, श्री लाखीराम जोशी की यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए यह निरस्त की जाती है ।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का 1997-98 का दशम प्रतिवेदन †

* डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का दशम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1979-80, 83-84, 1986-87 1994-95 तथा 1995-96 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कं० लि० से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का 1997-98 का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1997-98) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1979-80 से 1985-86, में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 6 मद संख्या 7 एवं मद संख्या 8 में कुछ नहीं है ।

---

† छपा नहीं गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†† छपा नहीं गया ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य- स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-6-98 को नियम 311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्न सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :–

पहली सूचना श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री राम नक्षत्र, श्री समर पाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री परवेज हलीम खां, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विरेन्द्र सिंह, श्री बिजेन्द्र आर्य, श्री अवधेश प्रसाद, श्री उदयराज यादव, श्री रामजग, श्री रामस्वरूप सिंह, श्री राम कृपाल, कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक वाजपेई, श्री लालजी वर्मा की। इन सभी का विषय सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली की समुचित एवं सुनिश्चित आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चूंकि इसी सूचना पर 19 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं अतः मेरा अनुरोध है कि 5-6 माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रखें।

सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली की समुचित एवं सुनिश्चित आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति विषय के कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)

* श्री गौरी शंकर ''एडवोकेट''–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिजली जो प्रगति का पर्याय बन चुकी है इस पर बल देने के लिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस प्रकार विज्ञान के बगैर हम अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही बात आज विद्युत के संबंध में भी प्रासंगिक है। बात चाहे औद्योगिक क्षेत्र की हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की हो, आर्थिक क्षेत्र की हो या नगरीय क्षेत्र की हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र की, विद्युत हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। हमारे यहां मैंगो बेल्ट मलिहाबाद में विद्युत की आपूर्ति ठीक न होने के कारण बागों की सिंचाई नहीं हो पा रही है जिसके कारण 25 प्रतिशत आम की फसल नष्ट हो गई है। यही बात दूसरी मैंगो बेल्ट पर भी लागू होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न होने के कारण ट्यूबवेल ठीक से नहीं चल पा रहे हैं जिसके कारण फसल चौपट हो रही है। नगरीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों के क्रियाकलाप विद्युत की आपूर्ति पर निर्भर करते हैं।

आज इण्डस्ट्री पूरी तरह से चौपट हो गयी है, सवाल यह है कि कोई भी इण्डस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता। वह जानता है कि करोड़ों करोड़ रुपये की मदद से वह भवन तैयार कर लेगा, बिजली की लाइन बिछा लेगा लेकिन उसके बाद बिजली की आपूर्ति नहीं होगी और करोड़ों रुपया जो उसने इण्डस्ट्री में लगाया है वह ठप्प हो जायेगा। आज एक माहौल उत्तर प्रदेश के बारे में बन गया है, पूरी दुनिया और हिन्दुस्तान में एक मैसेज गयी है, विद्युत व्यवस्था इतनी खराब है कि दूसरे प्रदेशों के उद्योगपति या मल्टीनेशनल यहां नहीं आ रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है और प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है और प्रदेश की ऊर्जा नीति की जो खामियां हैं वह उजागर हो रही हैं, जर्जर पारेषण लाइनें, विभाग की उदासीनता के चलते विद्युत व्यवस्था की अत्यन्त दयनीय स्थिति है। आज व्यवसायी व आम उपभोक्ता एक स्वर से सरकार की नीतियों को कोस रहा है, ग्रामीण अंचलों में हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति इतनी भयावह है कि विद्युत के अभाव में ओवर हैड टैंक भरे नहीं जा सके हैं। आज जिससे बात होती है वही इसके बारे में अपनी परेशानी बताता है। आज एक डाक्टर से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात हो रही थी डाक्टर का कहना था कि कूलर्स का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलिये अगर पानी नहीं बदला जायेगा तो तरह-तरह की बीमारियां पैदा होंगी तो लोगों ने कहा कि यहां पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए हमें पानी नहीं मिल पाता है, हम अपने कूलर्स का पानी दो-दो महीने नहीं बदलते हैं, डिटाल या अन्य दवायें डालकर काम चलाते हैं।

मान्यवर, विद्युत की वजह से यह सारी स्थितियां हैं। पेयजल संकट से पूरा प्रदेश त्रस्त है। विधान भवन की कैफेटेरिया व विधान सभा का संसदीय अनुभाग भी इससे प्रभावित है। मैं वहां पर बैठा था, विद्युत आपूर्ति के कारण कूलर काम नहीं कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसकी प्राथमिकता को मस्तिष्क में रखते हुए, उत्तर प्रदेश में जो विद्युत संकट है, उससे प्रदेश की जनता को मुक्त करायें। पीने के लिए पानी, फसलों की सिंचाई व सुख साधन की जितनी वस्तुयें हैं सब विद्युत से ही चालित होती हैं। ऐसी स्थिति में विद्युत की आपूर्ति ठीक कराने के लिए आप शासन को मार्ग निर्देश दे सकें इसके लिए आवश्यक है कि सारा काम रोककर सबसे पहले इस पर चर्चा करायें और इस सरकार को मार्ग निर्देश दें ताकि सर्वोच्च वरीयता पर इसको लें, बजट पर चर्चा तो बाद की चीज है, यह जनजीवन से संबंधित है जैसे आक्सीजन के बगैर आदमी जिन्दा नहीं रह सकता उसी प्रकार बिजली के बिना आदमी का जिन्दा रहना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में सारा काम रोककर इस पर चर्चा करायें।

विद्युत निगम की चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्रियों के सदन में उपस्थिति न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विद्युत से संबंधित बड़ा गंभीर सवाल यहां पर उठा है और बिजली विभाग में दो मंत्री हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है तब दो के दोनों मंत्री अनुपस्थित हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री दोनों में से कोई लखनऊ में उपस्थित हों तो उन्हें बुलवा लें। अच्छा है विभाग से संबंधित बात उनके सामने आ जायेगी।

सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली की समुचित एवं सुनिश्चित आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जैसा गौरीशंकर जी तथा रेवती रमण जी ने उल्लेख किया, आज उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था लुंजपुंज हो गई है, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है। प्रतिदिन आप समाचार-पत्रों के माध्यम से देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, चाहे वह तालकटोरा, हुसैनगंज, नरही, अमीनाबाद हो, कहीं न कहीं विद्युत बाधित होने के कारण लोगों का धरना-प्रदर्शन होता रहता है। इसी सदन में जब से यह सत्र चल रहा है, तब से लो वोल्टेज के कारण एयर कन्डीशनर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आप सेन्ट्रल हाल में चले जायें, कैन्टीन में चले जायें, वहां एयर कन्डीशनर का काम नहीं हो रहा है। यह पहली बार है, जब सत्र के दौरान शासन विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। जो इनकी विद्युत इन्स्टाल्ड कैपैसिटी है, वह थर्मल की 4271 मेगावाट है, और हाइड्रो की 1475 है, इस प्रकार कुल मिलाकर 5746 मेगावाट इनकी इन्स्टाल्ड कैपैसिटी है, उसकी तुलना में सरकार द्वारा थर्मल में 2600 मेगावाट और हाइड्रो में 1000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, इस प्रकार कुल 3600

मेगावाट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में इस समय हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता को इस समय न्यूनतम 6000 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है ।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आप कल बिजली से बहुत प्रभावित थे, हम सब सदन के लोग आपसे आश्वस्त रहेंगे, आप इस पीड़ा और व्यथा को अच्छी तरह समझेंगे । मैं आपका ध्यान बहुत गम्भीरता के साथ आकृष्ट करना चाहता हूं । आज उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत परिषद् एन०टी०पी०सी० और एन०एच०पी०सी० से 1500 मेगावाट बिजली रोज खरीद रहा है, यदि वह यह बिजली न खरीदे तो पूरा उत्तर प्रदेश एकदम अंधकार में लुप्त हो जायेगा । यह बिजली उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमें नहीं मिल रही है । आज गांव में केवल 4 घंटे बिजली मिल रही है, उस बिजली में भी 1500 मैगावाट खरीदनी पड़ रही है, इससे जाहिर है कि बिजली के उत्पादन की स्थिति और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन में किस तरह से ह्रास हो रहा है । आप स्वयं इस सदन में 4-5 बार से आ रहे हैं, आपने स्वयं देखा होगा कि पहले 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती थी, गांवों में 20 घंटे विद्युत आपूर्ति होती थी, पिछली सरकारों के समय 16 घंटे बिजली दी गई और अब इस सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम 10 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देंगे । यदि यह 10 घंटे ही बिजली दे सकते हैं तो कम से कम उसको निभायें तो । यह 10 घंटे बिजली देने भर का उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं । आज 1000 मेगावाट की हरदुआगंज की इकाई बंद पड़ी है, तेल की कमी इनके पास है, कोयले की कमी इनके पास है । आज इनका प्लान्ट लोड फैक्टर 50 प्रतिशत से भी कम हो गया है ।

प्रमोद कुमार जी ऊर्जा मंत्री रहे हैं, यह आपको बतायेंगे कि इनके जमाने में प्लान्ट लोड फैक्टर कितना था ? लाइन लासेज को देखें आज भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में यह 27 प्रतिशत हो गया है अगर लाइन लासेज को कम करने के उपाय नहीं किये जायेंगे, नये कन्डक्टर नहीं लगाये जायेंगे, नए पोल्स नहीं लगाये जायेंगे, तो यह ठीक होने वाला नहीं है । आज पांच हजार ट्रान्सफार्मर खराब पड़े हुए हैं, माननीय सदस्य जी डी० आर० डी० ए० की बैठक में जाते हैं चाहें सिंचाई बन्धु की बैठक होती हो, चाहे विद्युत की बैठक हो उसमें आये दिन यह होता है कि जो अधिशासी अभियंता आते हैं वह कहते हैं कि इतने ट्यूबवेल यांत्रिक दोष से खराब हैं और इतने विद्युत दोष से, कोई ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें माननीय विधायक समीक्षा में बैठें तो उनकी समीक्षा बैठक में इन अधिकारियों के द्वारा यह न दर्शाया जाय । मान्यवर, आज स्थिति यह है हमारे जनपद के सैकड़ों ट्यूबवेल यांत्रिक दोष और विद्युत दोष के कारण बंद पड़े हुए हैं । विद्युत दोष की बात आते ही कहा जायेगा कि ट्रान्सफार्मर की कमी है, हमने राज्य विद्युत परिषद् से ट्रान्सफार्मर की मांग की है । तो इसको देखने की जरूरत है ।

मान्यवर, यह पहली बार सरकार में आपने देखा कि सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वाहन नहीं हो रहा है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का होता है, हर मंत्री का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है । आज कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री विद्युत में विरोधाभास है, उनके बयान में विरोधाभास है । कैबिनेट का कुछ और वक्तव्य आयेगा और राज्य मंत्री का कुछ और वक्तव्य आयेगा । राज्य के कैबिनेट मंत्री बाहर गये तो उन्होंने एक आदेश कर दिया कि किसी के स्थानान्तरण आदि न किये जायं चाहे वह राज्य मंत्री के द्वारा ही क्यों न किये गये हों ।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर ग्राह्यता पर ही आप बोलें । इस विषय पर बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है । मेरा निवेदन है कि अब आप अपनी बात समाप्त करें जिससे अन्य लोगों को भी ग्राह्यता पर बोलने का अवसर मिले ।

* श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, आज पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है। आज बिजली की समस्या एक ऐसी समस्या है कि बिना बिजली के कुछ भी नहीं हो सकता चाहे उद्योग धन्धे हों या किसान हों या कोई भी वर्ग हो, बगैर बिजली के कुछ भी नहीं हो सकता। आज जो बदतर हालत बिजली विभाग की है ऐसी 6 महीने के अन्दर कभी नहीं हुई। आज पूरे प्रदेश के गांवों में भी यही हाल है जहां पर यह सरकार यह कहती है कि हम 10 से 16 घंटे बिजली देंगे। ऐसे भी क्षेत्र हैं, ऐसे भी गांव हैं जहां 15–15 दिन बिजली नहीं गयी। हमारे जनपद रायबरेली में देहातों की बात को छोड़िये, हम शहर की बात करते हैं वहां 30–30 घंटे बिजली नहीं रही। जब जिला मुख्यालय में 30 घंटे बिजली नहीं होगी तो गांवों की क्या हालत होगी ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के सुदूर गांवों की बात मैं नहीं करता आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और विधान सभा के आसपास के जो इलाके हैं, अमूमन अंधेरे में डूबे रहते हैं। आज चाहे नरही हो, विधान सभा मार्ग हो, हुसैनगंज हो, गोखले मार्ग हो, दारुलशफा हो सब के सब अंधेरे में डूबे रहते हैं। मान्यवर, बड़े अफसोस की बात है कि आज दारुलशफा अंधेरे में डूबा है, प्रदेश अंधेरे में डूबा है, गांव का किसान अंधेरे में डूबा है लेकिन मुख्य मंत्री आवास में बिजली की जगमगाहट कभी नहीं जाती। मान्यवर, आज अलीगढ़ बिजली की कटौती से मुक्त है।

मान्यवर, जनपद रायबरेली के शहर में 30–30 घंटे बिजली नहीं आ रही है बिजली न आने से वहां पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। जल-कल फीडर से किसी को बिजली का कनेक्शन एलाऊ नहीं है। लेकिन हमारे डी० एम० के आवास पर ऐसा कनेक्शन दिया गया है जिससे पूरे शहर में लो वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो गयी है। गांव के किसानों को कितने दिनों के अन्दर पूरी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी इसकी कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह बताई जाय। दूसरे, इस विषय पर चर्चा करा ली जाए।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना प्रस्तुत है उससे समीचीन विषय कोई दूसरा नहीं हो सकता है। बिजली की कमी चाहे इधर के बैठे लोग हों या उधर के बैठे लोग हों सभी मानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश बिजली के संकट को झेल रहा है। यह बिजली का संकट अगर कोई दैवी आपदा होती तो उसकी बात अलग होती लेकिन यह पूरी तरीके से सरकार की अक्षमता, अकर्मणता, भ्रष्टाचार और चोरी का नतीजा है। मुझे भी इस विभाग में रहने का अवसर मिला है। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व की बात होती है। हमारे राज्य मंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात को कहा कि उनकी क्षमता का भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है। उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्हें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। अक्षम अधिकारियों को ऐसी जगह तैनात कर दिया है कि जहां उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है।

मान्यवर, तीन प्रमुख कारण है जो बताना चाहता हूं। एक तो बिजली मंत्री और राज्य मंत्री की बीच अनबन। दूसरे, जो अधिष्ठापित क्षमता है उसका 45 से 50 प्रतिशत तक विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है। जबकि राष्ट्रीय औसत 75 प्रतिशत है। चोरी ऊपर से हो रही है नीचे तक सांठ-गांठ के साथ हो रही है। राष्ट्रीय औसत लाइन लास का 8 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले भ्रष्टाचार के कारण यहां है लाईन लास 30 प्रतिशत जो बिजली चोरी की जाती है जिसका हिसाब नहीं होता है इसे लाईन लास में तब्दील कर दिया जाता है। मान्यवर, आप मिर्जापुर से चले शाम को और लखनऊ तक आ जाये आप को किसी कस्बे में बिजली नहीं मिलेगी। 16 घंटे जो बिजली देने की बात कही गयी है वह यथार्थ के धरातल पर आधारित नहीं है। मान्यवर, 4 घण्टे शाम को 6 से 10 बजे यह पीक आवर होता है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति है आप 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दे पा रहे हैं राजनीतिक कारणों से आप ने 16 घंटे की बात कह रखी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपकी भावना को समझते हुए केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक चोरी में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त, उत्पादन न करने में लिप्त, पारेषण में लिप्त, वितरण की अनियमितता में लिप्त विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संकट का कारण है। इसलिये नैतिकता के आधार पर मा० ऊर्जा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि उन्हें फिर भी शर्म नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? पूरा प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ है। कृषि एवं सामान्य जीवन से यह जुड़ा हुआ है। उधर बैठे लोग भले ही किन्हीं कारणोंवश अपनी बात न कह सकें परन्तु उनकी मूक स्वीकृति को समझते हुए आप इसे स्वीकार कर लें क्योंकि यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का व तात्कालिक विषय है।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इससे बेहतर और जरूरी मुद्दा कोई हो नहीं सकता। पिछली बार भी बड़े जोर से सरकार ने कहा था कि 16 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देंगे, पीने के पानी की आपूर्ति करेंगे परन्तु मान्यवर, अबकी बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी परन्तु यह सरकार 3-4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दे पायी। सत्तापक्ष में बैठे लोगों के दिलों से पूछें मात्र 3-4 घंटे विद्युत आपूर्ति का औसत आता है। मेरठ में आठ घंटे बिजली जा रही है और पी० एल० एफ० घटकर 50 प्रतिशत आ गया है और लाइन लासेज 28 से 29 प्रतिशत हो गयी है। बड़े-बड़े शहरों में न दिन में और न ही रात में बिजली आती है। इसलिए इन परिस्थितियों में यह विभाग कैसे चलेगा? साढ़े चार से पांच हजार ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, सरकार ने घोषणा की थी कि 72 घंटे में बदल देंगे परन्तु 72 दिन में बदल कर नहीं दे पा रहे हैं। 160 के०वी० ए० और 250 के० वी० ए० के ट्रांसफार्मर स्टोर में उलब्ध ही नहीं हैं तो जब इस क्षमता के ट्रांसफार्मर फुंक जायेंगे तो उनको कैसे बदलेंगे? इसको सुनिश्चित करने के लिये आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपया लखवाड़ बैंक व मनेरी के लिये आप ने दिया है जबकि आवश्यकता चार हजार पांच हजार करोड़ रुपये की है इससे अच्छा होता कि आप न देते। 500 करोड़ रुपया तो शक्ति भवन को ही ठीक करने के लिये चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

केन्द्र सरकार से बात करके उसे शुरू तो करवा दें। तो कुछ उपलब्धि गिना लीजियेगा। आज इस सरकार ने शुरू किया तो 10 साल बाद कार्य पूरा हो जायेगा इससे आपका ही नाम होगा और जो बिजली की कमी है वह भी दूर हो जायेगी। एक बात और है वह यह कि आज उत्तर प्रदेश में कोई उद्योगपति क्यों नहीं आना चाह रहा है क्योंकि बिजली की कमी है। दिल्ली में 132 फैक्टरियां हटायी जा रही हैं। बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर वाले चाहते हैं कि हमारे यहां आ जायें लेकिन एक भी इण्डस्ट्री ने पहल नहीं की और वह हरियाणा या फिर गुजरात में जाना चाहते हैं वह उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहते हैं और उसकी वजह है बिजली का संकट। .....

श्री अधिष्ठाता–

अब कृपया समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। आज नोएडा की हालत क्या है, उसका क्या हश्र हुआ है 60 करोड़ रुपया देना है। तो जो पोजीशन है वह बहुत खराब है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें बकायदा चर्चा हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कदाचित यह पहली बार हुआ है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टास्क फोर्स गठित की है ऊर्जा विभाग की कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए। मैं चाहूंगा कि कृपापूर्वक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाय। यदि आप न करें तो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे इजाजत दें।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, आज बिजली संकट से पूरा प्रदेश परेशान है। मैं रायल होटल के कमरा नं०–7 में रहता हूं वह बहुत ही खराब हालत में है, टूटा हुआ है इसी लालचवश क्योंकि वहां पर बिजली आती थी। अब हालत यह हो गयी है कि बिजली रात-रात भर गायब रहती है। बिजली के लिये हमें छूट है लेकिन हमारी सारी बिजली चोरी करके बड़े-बड़े उद्योगपतियों से सांठ-गांठ करके बिजली विभाग के अधिकारी उनको ज्यादा बिजली दे रहे हैं और किसानों को कभी एक घंटा और कभी दो घंटा ही बिजली दी जा रही है। ट्रांसफार्मर जब जल जाता है तो चार-चार महीने तक ठीक नहीं हो पाता है, लाइन फाल्ट में भी महीनों लग जाते हैं। देहातों में बिजली की यह हालत है कि कोई न कोई बहाने से दूसरे जो बड़े-बड़े उद्योग कल कारखाने हैं उनको बिजली दी जा रही है और लाखों रुपये परडे की बिजली की चोरी हो रही है। किसानों को दी जाने वाली बिजली की इस तरह से चोरी की जा रही है। मान्यवर, यह एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर अधिक से अधिक बिजली मुहैय्या कराने का काम किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 10 घंटा बिजली उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस घोर संकट की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि इसका समाधान कराने का कष्ट करें।

*श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण समस्या पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मेरे से पहले जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये है, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए इस विषय की ग्राह्यता पर कहना चाहूंगा। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश बिजली संकट से घिरा हुआ है। सरकार यह दावा करती है कि 10 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिजली दो घंटे भी नहीं दी जा रही है और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 4-4 और 5-5 दिन बिजली नहीं आती है। अभी माननीय जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि लखनऊ में जो बड़ी-बड़ी कालोनियां हैं, विधान सभा है और उसका जो कैफेटेरिया है वहां पर बिजली नहीं है। दारुलशफा के बारे में भी कहा गया कि वहां पर बिजली नहीं है। मैं इससे हटकर कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों के लिये जहां पर किसानों के लिये सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है और बिजली नहीं आ रही है, जिससे उनके नलकूप नहीं चल पा रहे हैं और सरकार कहती है कि 10 घंटे बिजली दी जा रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी मेरठ गये थे, वहां पर 5 जिलों के प्रतिनिधि थे और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने यह न कहा हो कि उसके क्षेत्र में बिजली नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी, लेकिन कार्यवाही क्या हुई, वही ढाक के तीन पात। ऊर्जा मंत्री जी भी बयान देकर चले आये और हुआ कुछ नहीं। कोई सुधार का प्रयास नहीं हुआ। सारे उद्योग चौपट हो रहे हैं, फसल चौपट हो रही है, अगर फसल चौपट हो गयी तो पूरा देश भूखों मर जायेगा और खाद्यान्न का संकट आ जायेगा, लेकिन सरकार

का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छी-अच्छी घोषणायें करते हैं, लेकिन विद्युत की आपूर्ति नहीं करा पाते हैं । इस समस्या का समाधान विद्युत उत्पादन से होगा, जेनरेशन के लिये इनको प्रयास करना चाहिए । भ्रष्टाचार समाप्त करने से यह समस्या हल हो सकती है । विद्युत विभाग के जितने भी लोग हैं वह सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उसको पनपा रहे हैं । विद्युत की समस्या तब हल हो सकती है जब आप ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था करें, बिजली के तार जो पुराने हो गये हैं, उनको बदलें, तब बिजली की आपूर्ति ठीक से हो सकती है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि ट्रांसफार्मर बदल दिये जायेंगे । मान्यवर, मैं सबूत दे सकता हूं कि जहां पर 6-6 महीने से ट्रान्सफार्मर फुंका पड़ा है, किसान परेशान हैं और परेशान होकर पैसा दे रहे हैं कि वह ठीक हो जाये । मान्यवर, जिससे यह ट्रान्सफार्मर बनवाते हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं । इससे पूरा प्रदेश आन्दोलित है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि बागपत में किसानों ने बिजली घर पर घेराव किया और एस० डी० ओ० को अगवा कर ले गये । दूसरे अधिकारी मेरे पास आये कि उनके अधिकारी को छुड़वा दो । जिलाधिकारी मौके पर गये, मुख्य अभियन्ता भी मौके पर गये और उन्होंने सारी घोषणायें कीं कि ट्रान्सफार्मर ठीक करवा दिया जायेगा, बिजली आयेगी, तार ठीक करवा दिये जायेंगे, लेकिन आज तक विद्युत की समस्या का समाधान नहीं हुआ । अगर दुबारा घेराव किया गया और किसी अधिकारी की हत्या हो गयी तो कौन जिम्मेदार होगा । मान्यवर, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर आप चर्चा करा दें।

*श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की समस्या पर जो अभी विचार व्यक्त किये गये हैं उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, बिजली की स्थिति यह है कि आप कहीं का भी रिकार्ड देख लें ग्रामीण क्षेत्रों में 2–2$\frac{1}{2}$ घंटे से अधिक बिजली आने का औसत नहीं आ रहा है । ऊपर से मौसम की मार जनता को झेलनी पड़ रही है । गन्ने की फसल जो खड़ी है वह सूख रही है ।

मान्यवर, विद्युत विभाग ने घोषणा की थी कि जहां कहीं भी ट्रान्सफार्मर खराब होंगे तो उन्हें 72 घंटे में बदल दिया जायेगा लेकिन 72 घंटे की कौन कहे 104 घंटे में भी ट्रान्सफार्मर बदलने की मुझे कोई सूचना नहीं है । ऐसा गम्भीर विषय होते हुए भी हमारी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है । बिजली जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश के लिये है लेकिन पिछले कई वर्षों से कोई नया पावर स्टेशन यहां नहीं लगाया गया है और न आगे हमें उम्मीद है कि लगाया जायेगा चूंकि सरकार इस मुद्दे पर गम्भीर नहीं लगती है। मान्यवर, वर्तमान में किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उससे जब फसल पैदा नहीं होगी तो किसान भुखमरी के कगार पर पहुंचेगा तो क्या होगा ? अब जो धरने और प्रदर्शन किसानों के हो रहे हैं वह और उग्र रूप ले लेंगे । इस लिये बिजली की समस्या की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आज जिस सवाल पर इस आदरणीय सदन में चर्चा हो रही है यह किसी पार्टी से अथवा किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 16 करोड़ जनता के जनजीवन से जुड़ा सवाल है । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सरकार आज आंकड़ों पर काम कर रही है । मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई मर्ज होता है तो गांव के डाक्टर कहते हैं कि मरीज को जिला अस्पताल ले जायें, जिला अस्पताल के डाक्टर राय देते हैं कि इसे मेडिकल कालेज ले जायें और मेडिकल कालेज में मरीज से कहा जाता है कि रोगी को पी० जी० आई० ले जायें । इसलिये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार कितनी अक्षम है कि पी० जी० आई० में एक-एक सप्ताह तक बिजली नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आती है । मुझे जानकारी है कि बिजली की अव्यवस्था के कारण पी० जी० आई० में सौ जानें गयी हैं । इसके साथ ही बिजली की अव्यवस्था के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में 500 जानें गयी हैं, तो क्या सरकार उन्हें हर्जाना देगी ? इस संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने एक निर्णय, फैसला वर्डिक्ट दिया है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब वह जवाब देंगे तो इस संबंध में बतायेंगे कि हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है ? तो क्या उस हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार वह इस्तीफा देने को तैयार हैं । अगर उनका अदालत में विश्वास है, संविधान में विश्वास है तो आज ही बोलने के पहले अपना इस्तीफा दे दें और कहें कि मैं न्यायालय का आदेश मानते हुए इस्तीफा देता हूं । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज उत्तर प्रदेश के किसानों की धान की जो बेरन लगती है लेकिन बिजली के अभाव में 10 फीसदी बेरन भी नहीं लग पायी, इसी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो गयी है । इस मौसम में 8-8, 10-10-, 15-15 दिन तक बिजली नहीं आई । मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुहावल में मरसा में डेढ़ महीने से विद्युत बाधित रही है । इस बीच कितनी ही शादियां हुई और अस्पतालों में आपरेशन हुए लेकिन विद्युत के अभाव के कारण लोग जान से हाथ धो बैठे । मान्यवर, यह ऐसा सवाल है जिस पर ग्राह्यता पर सुनने के बजाय इस पर चर्चा कराई जाय, क्योंकि सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालती है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

आज माननीय विद्युत मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वह किसी जिले में जायं जहां भी यह जायेंगे वहां पर इनका घेराव होगा और जाम लगेगा । क्योंकि बिजली नहीं आ रही है । आपने सुबह ही यहां देखा होगा कि सेण्ट्रल हाल में जो आपकी पीठ के नीचे है वहां पर बिजली न होने के कारण ए० सी० बन्द पड़ा है ऐसा लगता है कि भट्ठे में बैठे हैं । यह सरकार विद्युत के मामले में पूरी तरह फेल्योर है । माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसका आनर करते हुए इस्तीफा दे दें । इस लोक महत्व के विषय पर मैं चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जो बिजली का संकट है उससे सभी लोग वाकिफ हैं और आप भी वाकिफ होंगे और जो सरकार ने घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घण्टे बिजली दी जायेगी उसके संबंध में बताना चाहता हूं और विशेषकर उन्नाव जनपद के पुरवा क्षेत्र के बारे मे बताना चाहता हूं कि जो सरकार ने 10 घण्टे बिजली देने की घोषणा की है उसमें 10 घण्टे क्या 2 घण्टे भी बिजली नहीं आती है । शहरों की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं । चाहे वह लखनऊ हो या और शहर बिजली की स्थिति बहुत खराब है । उन्नाव में तो यह संकट और भी ज्यादा है । इस संकट का सबसे बड़ा कारण विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार है । सरकार ने जो घोषणा की है वह पूरी नहीं हो रही है । आये दिन विद्युत की लाइनों को काटकर तार चोरी हो रही है लाइनें टूटी पड़ी हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पुरवा में पिछले दो साल से लाइनें क्षतिग्रस्त हैं उनको बनाने का काम सरकार द्वारा नहीं किया गया है । कस्बा पुरवा से मिर्री की लाइन एक वर्ष से पूर्व तार चोरी हुई थी आज तक पुनः तार नहीं खींचे गये हैं । इसी तरह से कालूखेड़ा में भी लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं । इसी तरह से मौरावां सब स्टेशन पर हुए सेसोहा की लाइन लगभग 3 वर्ष पूर्व चोरी हुई थी आज तक सही नहीं हुई है । भ्रष्टाचार का उदाहरण देना चाहता हूं वहां जो सब-स्टेशन है उसका ट्रान्सफार्मर जल गया था । 15 दिन पहले वह ट्रान्सफार्मर लगाया गया जिस पर 35 लाख रुपये का खर्च आया । उसके बाद वह 24 घंटे में पुनः जल गया इस बात से सारे अधिकारी वाकिफ हैं । लेकिन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । जब गांव में बिजली नहीं आती है तो लोग आन्दोलन करते हैं बिजली न मिलने के कारण फसल काटने का अवसर किसान को नहीं मिलता है । समय पर सफाई और सिंचाई नहीं हो पाती है ।

इस पर जब किसान आन्दोलन करता है तो सरकार उसके ऊपर लाठीचार्ज करती है और उसे पिटवाने का काम वह करती है तथा फर्जी मुकदमों में बन्द करती है। लेकिन इस सरकार में बैठे हुए मंत्री जो इस विभाग के मंत्री हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि जिस विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। 35 लाख का ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अन्दर जल जाय तो क्या आपने इसके लिये विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? मैं चाहता हूं कि विद्युत की जो समस्या प्रदेश में है सरकार सोचे और जो किसानों की समस्यायें हैं उनको दूर करे। जो गांवों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको बिजली नहीं मिलती है। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे।

*श्री रामजग–

मान्यवर, आज हमारे इस विधान सभा में सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्य हों या विरोध पक्ष के सदस्य हों सबके लिये चिन्ता का विषय है कि पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है। मुख्य मंत्री पार्लियामेन्ट चुनाव में हर जगह भाषण करते रहे कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को 18 घंटे 16 घंटे बिजली देंगे। आज हालत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1-2-3-4 घंटे बिजली मिलती है और कभी एक-एक सप्ताह तक बिजली गायब रहती है। पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। केवल 2 जिलों हरदोई और अलीगढ़ में बिजली ज्यादा मिलती है, बिजली पर्याप्त मिलती है और पूरे प्रदेश के वह मुख्य मंत्री नहीं हैं। पूरे प्रदेश में 1-2 घंटे बिजली मिलती है लेकिन अलीगढ़ और हरदोई को 24 घंटे, 20 घंटे बिजली मिलेगी। आज पूरे देश में बिजली संकट है। चाहे टाप टू बाटम चाहे बाटम टू टाप पर चले जायं यह स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में जो बिजली का संकट है वह उच्च स्तर पर ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चोरी में लिप्त हैं। आज बिजली के अभाव में कृषि क्षेत्र में खेती नहीं हो पा रही है। उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है। तमाम स्थानों पर बिजली की चोरी हो रही है। गांवों में ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं 6 महीने साल भर बगैर पैसा दिये ट्रान्सफार्मर नहीं मिलते हैं। आज तार कटी हो रही है। विद्युत विभाग के अधिकारी तार कटी में शामिल हैं। वी० आई० पी० एरियाज में बिजली नहीं मिलती है तो पूरे प्रदेश के किसानों का क्या हाल होगा ? ऐसी हालत में यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। इस भ्रष्टाचार में हमारे ऊर्जा मंत्री और मुख्य मंत्री शामिल हैं। मैं सदन में मांग करता हूं कि ऊर्जा मंत्री इस्तीफा दें क्योंकि जो सरकार बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं कर सकती वह उद्योगों और खेती की व्यवस्था क्या ठीक करेगी ? ऐसी हालत में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बहस हो।

(कुंवर रेवती रमण सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, सबको बुलवा दीजिये मैं सबसे आखिर में बोलूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आग्रह करूंगा कि आप पहले बोल लें।

[1 बजकर 20 मिनट]

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो विषय सदन के संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश में गम्भीर ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदेश की करोड़ों-करोड़ों आबादी आज बिजली के अभूतपूर्व संकट से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुजर रही है । नगरीय जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है । गांवों में ट्यूबवेल चलाने के लिये बिजली नहीं मिल रही है, लिफ्ट कैनाल के लिये बिजली नहीं मिल रही है । आज प्रदेश में बिजली का उत्पादन घट रहा है । बिजली के अभाव के कारण कल कारखाने नहीं चल पा रहे हैं । यह बिजली का संकट नहीं है यह प्रदेश को अंधेरे में धकेलने की नाकामयाब साजिश है । हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता 50 प्रतिशत से कम हो रही है इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है ? आज राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता 75 प्रतिशत है । एन० टी० पी० सी० 80-90 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है और हमारे प्रदेश की उत्पादन क्षमता आज 45-50 प्रतिशत हो गयी है अगर एन० टी० पी० सी० न होता तो आज पूरा प्रदेश अंधेरे की चपेट में होता । इससे और गम्भीर बात क्या हो सकती है ? आज यह प्रदेश के जन-जन से जुड़ा सवाल है । जहां हम प्रदेश का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं आज हमारे प्रदेश का विकास रुक गया है । आर्थिक, औद्योगिक विकास रुक गया है । हम प्रदेश को किस तरह से विकास की तरफ ले जा सकते हैं। आज हमें इस गम्भीर संकट के कारणों पर जाना होगा । हमें घाटा क्यों हो रहा है ? आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसी नये विद्युत संयंत्र को लगाने की कोई बात नहीं है । कोई थर्मल यूनिट पावर लगाने की कोई नई योजना नहीं है । दो-दो पंचवर्षीय योजनाएं निकल जायं और हम कोई विद्युत योजना न बनायें इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा अविवेकशीलता नहीं हो सकती है । जब तक विद्युत उत्पादन में सुधार नहीं होगा न तो आर्थिक विकास होगा न औद्योगिक विकास होगा और न ही कृषि आधारित उद्योग में विकास हो सकता है । आज भूमि सिंचाई के लिये बिजली नहीं है, दूसरे कृषि कार्यों के लिये बिजली नहीं है । बिजली से जुड़े हुए छोटे-छोटे कारखाने जो बिजली से चलते हैं बिजली के अभाव से बन्द है तो विकास की गति अपने आप रुक जायेगी । इस वर्ष इतनी भीषण गर्मी पड़ी कि तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंच गया बिजली के अभाव में लोग तड़प-तड़प गये । मिर्जापुर में आप जानते हैं कितनी गर्मी होती है वह क्षेत्र सर्वाधिक गर्म है । मान्यवर, इससे ज्यादा गम्भीर और तात्कालिक विषय और कोई नहीं हो सकता है । मेरा निवेदन है कि आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें । इससे बड़ा और संकट नहीं है । आज चाहे इधर बैठे लोग हों या उधर बैठे लोग हों सबकी एक ही राय है कि यह बिजली का संकट अभूतपूर्व है माननीय मंत्री जी इस पर वक्तव्य दें ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी बोलने का अवसर दिया । आज पूरे प्रदेश में बिजली का गम्भीर संकट है । मान्यवर, बिजली कब आती है, कब चली जाती है इसका पता नहीं चलता है । पिछले शुक्रवार को मैं घर गया था उस दिन दोपहर से और जब तक मैं क्षेत्र में रहा मेरे क्षेत्र के फीडर में बिजली नहीं आई । इस तरह लगातार 2-2 दिन बिजली नहीं आ रही है । मैं अम्बेदकरनगर का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा । यह बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है । यहां पर लाखों पावरलूम चलते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

लाखों पावरलूम हैं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरे इस क्षेत्र में लाखों पावरलूम चलते हैं बिजली से चलते हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे क्षेत्र में बिजली पैदा होती है और उपभोग भी होता है । इसके बावजूद भी इतना उत्पादन बिजली का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होने पर भी किसानों की फसल को डैम के पानी से नुकसान पहुंचता है, प्रदूषण का नुकसान उठाने के बावजूद भी हमको बिजली 4-5 घंटे नहीं मिल पाती है। मंत्री जी जब खड़े होंगे तो वह एवरेज आंकड़ों का बतायेंगे तो हो सकता है किसी दिन 14 घंटे का एवरेज दे दें लेकिन किसी समय दो घंटे बिजली चली गई एक घंटे आ गई फिर चली गई आने जाने में ही लगी रही तो इस तरह से किसानों के खेतों पर पानी नहीं पहुंच पाता है एक एकड़ खेत की सिंचाई में दो-तीन दिन लग जाते हैं। मैं स्वयं भी किसान का बेटा हूं इस तरह से लगातार बिजली की आवाजाही से फसल चौपट हो गई है जबकि किसान बराबर बिजली का भुगतान भी करते हैं हमारे यहां बिजली की बहुत समस्या है मैं जब चुनाव लड़ता हूं। ....

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, लाल बत्ती बुझा दें ज्यादती न करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, समय का ध्यान रखें आप वरिष्ठ सदस्य हैं मैं कृतज्ञ होऊंगा आप समय का ध्यान रखेंगे। जितने माननीय सदस्यों ने ग्राह्यता पर विचार व्यक्त किए हैं उन्होंने स्वयं अनुशासन रखा है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी समस्या इसलिए है क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो यह मांग होती है कि बिजली मिले, चाहे आप कुछ न करें लेकिन बिजली जरूर दिलवायें। बिजली न होने की दशा में हमारे यहां बुनकर कारोबार बन्द करके बम्बई की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो एक हफ्ते ट्रांसफार्मर नहीं लगते हैं एक-एक हफ्ते जब बुनकर कलेक्शन करते हैं तब ट्रांसफार्मर लगता है। प्रदेश बिजली की कमी की वजह से त्राहि-त्राहि कर रहा है मेरी जानकारी के अनुसार ऊर्जा मंत्री जी विदेश भ्रमण कर रहे हैं जब यह विदेश भ्रमण करेंगे तो विद्युत व्यवस्था सुचारु करने में कार्य नहीं कर पाएंगे।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह तात्कालिक मसला है, महत्वपूर्ण मामला है लोक महत्व का मामला है सबकी रोजी-रोटी से जुड़ा है इसलिए इस गम्भीर मसले पर जवाब आ सके इसलिए इसमें चर्चा करवा दें इसमें मैं चर्चा की मांग करता हूं। दो मंत्रियों की आपस की लड़ाई के कारण बिजली व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें वरना मुझे कहना पड़ेगा कुछ न लिखा जाए।

श्री लालजी वर्मा–

सारी बिजली व्यवस्था चरमरा रही है। इस पर चर्चा करायें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मुझे समय दे दें मैं मिनट नहीं 120 सेकेन्ड मांग रहा हूं। 120 सेकेन्ड में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं उनको बोलने का अवसर दिया जाता है मैं जानता हूं दल के नेता उप नेता और भी बहुत अच्छे माननीय सदस्य बैठे हैं वह बोलना चाहते हैं लेकिन मैं नियमों से बंधा हूं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हस्ताक्षर न होने के कारण समय नहीं दे पा रहा हूं इसलिए मुझे क्षमा करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला इस संदर्भ में है उसकी प्रति पीठ को प्राप्त हो गई है अब यह सदन की सम्पत्ति हो गई है इस पर सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में सदन की जानकारी में, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला, सरकार की ओर से तो पहल होगी नहीं, आ जाए । उससे माननीय सदस्यों को अवगत करा दें । माननीय प्रमोद कुमार जी और माननीय कुंवर रेवती रमण जी ने प्रति उपलब्ध करा दी है तो इस फैसले से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहिए । जो फैसला हुआ है उसके अनुसार विद्युत मंत्री जी तो इस्तीफा दे दें । उच्च न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रश्न विधान सभा में विचारणीय है यह लोक महत्व का तो है ही तात्कालिक है और पूरे प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ है । अभी जो सम्मानित नेताओं और साथियों ने अपनी बात कही है मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह सवाल केवल औपचारिकता का नहीं है, केवल एक क्षेत्र का नहीं है, केवल एक जिले का नहीं है, या एक गांव का नहीं है पूरे प्रदेश के 16 करोड़ लोगों के जन-जीवन से जुड़ा हुआ है । चाहे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों, चाहे श्री रघुबर दयाल वर्मा जी हों या श्री हुकुम सिंह जी हों सभी इससे पीड़ित हैं । लेकिन इनकी बाध्यता है कि यह नियम 56 में यह बेचारे बोल नहीं सकते हैं । लेकिन वह भी चाहते हैं । इस बात पर पूरे विपक्ष ने एक होकर यह सवाल उठाया है । सभी सम्मानित साथियों ने कहा कि हमारे यहां बिजली नहीं आ रही है, दो घंटे आ रही है, तीन घंटे आ रही है, ट्रांसफार्मर हफ्तों नहीं बदले जा रहे हैं । मुख्य मंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों ? जब तक हम विश्लेषण नहीं करेंगे, उसके कारण को समझेंगे नहीं तब तक इसका समाधान होना सम्भव नहीं है । आप अधिष्ठाता भी हैं, आप डाक्टर भी हैं और आप योग्य भी हैं शासन-प्रशासन का आपको अनुभव है, विदेश यात्रा का भी अनुभव है सारे तथ्यों पर गौर करने की कृपा करें । सभी सम्मानित सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के सभी उन तथ्यों से परिचित हो जायें । आज प्रदेश में क्या स्थिति है बिजली क्यों नहीं मिल रही है इसका मैं विश्लेषण करना चाहता हूं । श्री रंगनाथ मिश्र जी के पत्र का भी मैं बाद में उद्धरण दे दूंगा । उन्होंने साफ-साफ बता दिया है कि बिजली क्यों नहीं मिल रही है ? इस प्रदेश में कुल तापीय उत्पादन क्षमता है 4,271 मेगावाट, जलीय उत्पादन क्षमता है 1,505 मेगावाट कुल योग 5,776 मेगावाट । इतने से हमारा काम नहीं चल सकता है । कुछ हम एन० टी० पी० सी० से आयात करते हैं यह 2,595 मेगावाट है । अगर यह हम आयात न करें तो जो हम दो घंटे चार घंटे बिजली दे रहे हैं वह बिजली भी न दे सकें । मंत्री जी कहेंगे कि हमारा पी० एल० एफ० बढ़ा है यह क्यों बढ़ा है अगर आप आंकड़े देखें तो तापीय विद्युत उत्पादन में कमी आयी है और जलीय विद्युत उत्पादन बढ़ा है ।

तापीय विद्युत उत्पादन इस वर्ष 1660 मेगावाट हुआ है जबकि पिछले वर्ष 1665 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुआ था पिछले वर्ष तापीय विद्युत उत्पादन इस वर्ष से ज्यादा था । मान्यवर, इसी तरह से जलीय में देखें पिछले साल 362 था इस साल 642 है । इसका मतलब यह हुआ कि हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ा है, वह इस कारण बढ़ा है कि हमने जलीय में पानी होने के कारण ज्यादा उत्पादन किया ।

दूसरी बात मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जहां सम्मानित सदस्यों ने बताया कि 80-85 फीसदी पी० एल० एफ० है, वहीं आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को देख लें । इन सब प्रदेशों में 70 से 75 फीसदी है ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर विषय पर बोल रहा हूं और मैं किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो बात कुंवर साहब बोल रहे हैं वह अन्य सदस्यों ने नहीं कही है ।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी साहब आप सिफारिश न करें । मैं जानता हूं कि कुंवर साहब बड़े विद्वान हैं और आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं । लेकिन मेरा कहना है कि समय सीमा का ध्यान रखें । इस अनुशासन में हम सब बंधे हुए हैं । आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, दो मिनट में सम्भव नहीं है । मेरे दल से केवल दो-तीन माननीय सदस्य ही बोले हैं जबकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है ।

श्री अधिष्ठाता–

यहां दल का प्रश्न नहीं उठता है, जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर सूचना पर हैं वही माननीय सदस्य बोलेंगे । कुंवर साहब आप अपनी बात संक्षेप में रखें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने जो माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है उसका पूरा अंश नहीं लेकिन कुछ अंश जो आपरेटिव है वह मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं , इससे बात स्पष्ट हो जायेगी, मान्यवर, श्री रंगनाथ मिश्र जी ने कई पृष्ठ का एक पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखा है उसमें उन्होंने जो कारण बताया है कि स्थानान्तरणों के मामले में सुस्पष्ट, पारदर्शी नीति का पालन न होने के कारण विभाग की राजस्व वसूली, विद्युत चोरी रोकने व विद्युत उत्पादन कार्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है । यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह माननीय राज्य मंत्री जी का पत्र है । विद्युत राजस्व की वसूली जहां मार्च में 660 करोड़ रुपये करके कीर्तिमान स्थापित हुआ था वह घटकर 220 करोड़ रुपये पर आ गयी है। विद्युत उत्पादन 2100 मेगावाट से घटकर 1800 मेगावाट पर आ गया है । यह श्री रंगनाथ मिश्र जी कह रहे हैं, श्री प्रमोद कुमार, श्री अम्बिका चौधरी या श्री जगदम्बिका पाल नहीं कह रहे हैं । आपकी आज्ञा से दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूं । 30 प्रतिशत से अधिक लाइन हानि होती है जो चिन्हित करके फीडरों को लोक वितरण से चेकिंग न किये जाने का निर्णय लिया गया था और जिम्मेदार अधिशासी अभियन्ता, उप खण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ताओं को दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया था किन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है । विद्युत चोरी में लगे अभियन्ता अपने-अपने स्थानों पर जमे बैठे हैं । मान्यवर, एक ओर घटिया व खराब ट्रांसफार्मरों की खरीद एवं मरम्मत करवाने के कारण पिछले एक वर्ष में 10.63 करोड़ बरबाद हो चुका है ।

श्री अधिष्ठाता–

जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी आप प्रति भिजवा दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, मैं भिजवा रहा हूं । इसमें आगे लिखा है, प्रदेश की जनता अत्यन्त विक्षुब्ध है और असंतोष है । सम्पूर्ण व्यवस्था में परिवर्तन अपेक्षित है । सभी स्तरों पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने और इसके प्रति उदासीन अधिकारियों के प्रति कठोर दण्डनीय कार्यवाही का प्राविधान किये बिना विद्युत उपभोक्ताओं को वर्तमान दुव्यर्वस्था से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता है । समय रहते इस व्यवस्था में परिवर्तन न हो पाया तो प्रदेश का समग्र आर्थिक ढांचा डूब जायेगा और औद्योगिक, कृषि, व्यापार सभी क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होगा, इससे सत्तारूढ़ दल की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा है कि इनको कोई फाइल न भेजी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

पीठ के पास प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिये आप इस तरह की बात न कहें । समय काफी हो चुका है, अब समाप्त करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । आप सुनना नहीं चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह निर्देश दिया है कि 15 प्रतिशत से ज्यादा किसी हालत में ट्रांसफर न किये जायें और विद्युत परिषद् में आप देखें । अधीक्षण अभियन्ता के 240 पद हैं, जिसमें से 100 लोगों का ट्रांसफर किया गया और 50 को रोक दिया गया । इसी तरह अधिशासी अभियन्ता के 1000 पद हैं इसमें से 325 का ट्रांसफर किया गया और 130 को रोक दिया गया । सहायक अभियन्ता के 3000 पद हैं, इसमें 210 का ट्रांसफर किया गया और 108 का रोक दिया गया । मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह की अक्षमता आज विद्युत परिषद् में विद्यमान है और स्वयं सारी बात को मंत्री जी ने कहा है । सरकार बार-बार कहती है, पारदर्शी सरकार है, संवेदनशील सरकार है, मैंने जो तथ्य रखे हैं, उस पर आप विचार कर लें, तो पायेंगे कि प्रदेश की क्या हालत है ? मैं अनुरोध करूंगा कि आज सारे विषयों को निलम्बित कर, नियमों को निलम्बित कर इस पर चर्चा करायें । इससे महत्वपूर्ण अन्य कोई सवाल नहीं है और ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, धन्यवाद ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

अवधेश जी ने जो कहा है, वह लिखा नहीं जायेगा ।

* ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

मान्यवर, हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है वैसे हमारे माननीय विपक्ष के बंधुओं को अगर नहीं दिखाई पड़ा तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है । मान्यवर, बिजली की जितनी आवश्यकता है इस प्रदेश को उसको स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि हम उतनी बिजली नहीं दे पा रहे हैं । इसके लिये कारण सिर्फ हमारी सरकार ही नहीं बल्कि पिछली जो 4-5 सालों से सरकारें थी वे सरकारें जिम्मेदार हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, क्या मानीनय मिश्रा जी ने उस सरकार से पीड़ित होकर पत्र लिखा था ?

(व्यवधान)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बीच में न बोलें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारी सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभाली उस समय पी० एल० एफ० 42 प्रतिशत था । इसको बढ़ाकर 58 प्रतिशत ले जाया गया । अभी हमारे माननीय सदस्य, श्री जगदम्बिका पाल जी ने कहा कि 56 प्रतिशत की रिपोर्ट है तो मैंने कहा है कि 58 प्रतिशत तक ले जाया गया, यह घटता बढ़ता रहता है । 3100 मेगावाट थर्मल से हमने विद्युत उत्पादन किया, हमने और भी कई सुधार किये हैं । मनेरी भाली और लखवाड़ बयासी जो सन् 1992 के बाद से उस पर काम बंद हो गया था हमारी सरकार ने, माननीय कल्याण सिंह ने पहली बार इसमें पहल करके 100 करोड़ रुपया दिया है और उसमें अक्टूबर से कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है । यह उत्पादन के क्षेत्र में हम नया काम करने जा रहे हैं । मान्यवर, इसमें एक बात और कही गयी कि मात्र 100 करोड़ रखा गया तो मैं बताना चाहता हूं कि पैसे कितने लगेंगे उसकी पूरी व्यवस्था की जायगी । जैसे-जैसे कार्य प्रगति पर होगा वैसे-वैसे पैसे दिये जायेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो ग्राह्यता पर बिन्दु उठाये गये हैं उनके उत्तर माननीय मंत्री जी दें और अपनी तरफ से इधर-उधर की बात न करें ।

(कई माननीय सदस्यों के द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, यह गलत बयानी हो रही है किसी माननीय सदस्य ने 100 करोड़ का मामला नहीं उठाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर इस विषय पर चर्चा हो रही है । जो संदर्भित सूचना है, मेरा निवेदन है कि जब सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले माननीय सदस्यों ने अपनी बात कहने की चेष्टा की तो गम्भीरता से सबने सुना । अब माननीय राज्य मंत्री अपनी बात कहने जा रहे हैं तो उसे गम्भीरता से सुनें । उनको सुनें, कोई नई सूचना भी हो सकती है, पहले उनको अपनी बात कहने दें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, अपने विपक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो-जो बातें रखी उसका मैं जवाब दे रहा हूं आपने समस्यायें बताई कि बिजली की समस्या क्यों है उसका कारण हम बता रहे हैं । उन कारणों को कैसे समाप्त किया ? विद्युत एक ऐसी चीज है कि उसमें उत्पादन के क्षेत्र में कोई अकस्मात इजाफा नहीं हो सकता इसके लिये दीर्घकालीन योजनाओं की जरूरत होती है । पिछली सरकारों ने जो नहीं किया हमने 6 महीने में उत्पादकता के क्षेत्र में अनेक निर्णय लिये । मनेरी भाली फेज टू और लखवाड़ बयासी को चालू रखने के लिये पैसे की व्यवस्था कर दी है बरसात के बाद उस पर काम चालू कर रहे हैं । इसी तरीके से आनपारा सी योजना है यहां पर डुंडई की चर्चा चलती रही उसमें मुख्य मंत्री जी ने 30 जून तक की तिथि टेण्डर के लिये निर्धारित कर दी है उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय टेण्डर के बारे में निर्णय करके उस काम को चालू करने का प्रयास है ।

मान्यवर, हमने उत्पादन के क्षेत्र में कुछ प्राइवेट क्षेत्रों से समझौते किये हैं । श्रीनगर हाइड्रो उत्पादन में समझौता किया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

ग्राह्यता पर मंत्री जी इतना बता दें [× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो बातें कही हैं वह अंकित नहीं की जायेंगी ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, प्रदेश की 16 करोड़ जनता को हम बेहतर विद्युत व्यवस्था कैसे दे सकते हैं उसके बारे में सरकार के क्या प्रयास हैं वह मैं बता रहा हूं । आप हमें सुन लें, केन्द्र सरकार ने चौबिस सौ मेगावाट के स्थान पर 14-15 सौ मेगावाट का कोटा कर दिया यह आप के समय में ही हुआ ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह गलत बयानी है । जो बिन्दु उठाये गये हैं उन पर आप जानकारी दें पत्र के बारे में बतायें नीतिगत वक्तव्य के लिये तो दूसरे नियम बने हुए हैं उनमें आप दें । गलत बयानी करने का माननीय मंत्री जी को अधिकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, आप ग्राह्यता पर संक्षेप में अपनी बात रखें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए दोषी नहीं है, गड़बड़ी करने वाले लोग दूसरे कोई और हैं । ये तो यहां भी झेल रहे हैं और वहां भी ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

(श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

प्रमोद कुमार जी ने जो कहा है वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, केन्द्र में माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के पदारूढ़ होते ही सरकार ने प्रयास करके हमारा जो 24.00 मेगावाट का कोटा घटा दिया गया था उसे 17.00 मेगावाट कर दिया है । कार्य-स्थगन के विषय पर बोलते हुए जिन बिन्दुओं को उठाया गया है, उन्हीं का समाधान मैं कर रहा हूं।

श्री कौकब हमीद–

माननीय मंत्री जी सही उत्तर नहीं दे रहे हैं । पूरा प्रदेश अंधकार में डूबा हुआ है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठाता–

जिस गम्भीरता से विषय को लेना चाहिए उस गम्भीरता से माननीय सदस्य नहीं ले रहे हैं । बिजली व्यवस्था ठीक न होने के जो कारण बताये गये हैं, कम से कम सत्ता पक्ष की ओर से उसका स्पष्टीकरण तो आने दीजिये ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जिस पत्र का हवाला दिया गया है उसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी पहले दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि कब और कहां पर किस बात का वह उत्तर दें । जब उनकी बात समाप्त हो जाय और वह उन बिन्दुओं के बारे में न कहें, तब तो आपकी बात समझ में आती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

कार्य-स्थगन के दौरान जो बिन्दु उठाये गये हैं उनका तो माननीय मंत्री जी जिक्र नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किस काल खण्ड की बात कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ग्राह्यता पर अपनी बात नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा । उनकों अनइण्टरप्टेड बोलने दीजिए।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, एन०टी० पी० सी० से केन्द्र सरकार से बात करके, माननीय केन्द्रीय मंत्री जी यहां आये थे और मैंने अपनी वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया था उन्होंने जो कोटा काट दिया था उसमें बढ़ोत्तरी कर दी है और उसके कारण हम उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतर बिजली दे पायेंगे और दे रहे हैं । मान्यवर, जो प्रदेश में बिजली की समस्या का बहुत बड़ा कारण चोरी का है हम इसको स्वीकार करते हैं । चोरी बिजली की होती है और यह चोरी इसी सरकार के आने से प्रारम्भ हुई ऐसा नहीं है । पिछली सरकारों से अनेक सालों से विद्युत की चोरी होती चली आयी है । पिछले दिनों इस सदन में जब माननीय आजम खां जी विद्युत मंत्री के रूप में चर्चा कर रहे थे उस समय दो लोगों के खिलाफ कार्यवाही करके अपनी पीठ थपथपायी थी.....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय आजम खां जी कभी भी एक दिन के लिये विद्युत मंत्री नहीं रहे । यह इसी तरह की भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं । यह गलत बयानी कर रहे हैं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि बिजली मंत्री के रूप में जवाब दे रहे थे । तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि चोरी के कारण बिजली की समस्या है और उसको रोकने के लिये हमारे मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने अनेक कदम उठाये हैं । उसमें उन्होंने, जो विद्युत की चोरी करते थे उन लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कराने के आदेश दिये हैं और दर्ज भी की गयी हैं, उनके अवैध कनेक्शन काट दिये गये और एसेसमेंट भी किया गया । ऐसे लोगों के खिलाफ जो पहले 6 लाख रुपया विद्युत का बिल देते थे, वह अब 18 लाख 20 लाख रुपया विद्युत बिल दे रहे हैं । जो बिजली आज बचेगी उसे हम किसानों को और जनता को उपलब्ध करायेंगे । जो अवैध कटिया कनेक्शन धारी थे, एक अभियान चलाकर उनको नियमित करने का फैसला लिया है और एक लाख सात हजार छः सौ पैंतालिस जो अवैध कटिया धारी थे उनको नियमित किया गया है । इससे 37 करोड़ का राजस्व का लाभ बिजली विभाग को मिला है ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह एक भी उठाये गये बिन्दु का जवाब नहीं दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर तो शासन से आयेगा । अपनी बात माननीय मंत्री जी पूरी कर लें । पता नहीं वह क्या कहना चाहते हैं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

जिसके कारण आज प्रदेश में जो घोषित है कि इतनी बिजली जायेगी, उससे ज्यादा बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित है ।

(व्यवधान)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । यह गलत बयानी कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश में 6 हजार मेगावाट की विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता है, लेकिन माननीय मंत्री जी बता नहीं रहे हैं कि वह क्यों इतनी बिजली नहीं पैदा कर पा रहे हैं । सरकार बराबर मिथ्या बात कहती है, सरकार कहती है कि 24 घंटे में विद्युत कटौती को समाप्त कर दिया जायेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

जब मंत्री जी बैठ जायें, तब आप अपनी बात करें । उनको अपनी बात कह लेने दें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय मंत्री जी की इस गलत बयानी के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री रंगनाथ मिश्र–

माननीय सदस्य ने कहा कि मैं सदन को गुमराह कर रहा हूं । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 6 हजार मेगावाट की क्षमता हमारी है, लेकिन जितनी क्षमता है उतनी बिजली पैदा हो नहीं पाती है । जो संयंत्र हैं वह पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन नहीं कर पाते हैं । बहुत सी मशीनें 1964 की हैं, 1972 की हैं और 1980 की हैं, तो पुरानी हो जाने के कारण उनकी मरम्मत करनी पड़ती हैं, उनको बन्द रखना पड़ता है तो जो उनकी क्षमता है उस क्षमता की बिजली उत्पन्न नहीं हो पाती है । 58 प्रतिशत का पी० एल० एफ० आया है । यह घटता बढ़ता रहता है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है, उसको लिखने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री अधिष्ठाता–

यह अपनी बात कह रहे हैं । पता नहीं इसी बात का उत्तर देना चाहते हों । तो आप बैठ जायें । माननीय मंत्री जी आप अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, करीब 15 लोगों ने प्रश्न किये हैं, तो उनका उत्तर देना ही है । अगर मैं कोई बात बिन्दु से हटकर कहूं तो आप बता दें । मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी आप संक्षेप में सभी बिन्दुओं पर उत्तर दे दें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

इस प्रदेश की जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति करने का सरकार प्रयास कर रही है। हमने किसानों को और नगरीय जनता को बिजली आपूर्ति करने के संबंध में जो भी घोषणायें किया है उसमें उन्हें उतने घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। (व्यवधान) गांवों को दस घण्टे बिजली देने की घोषणायें की गयी हैं और उसी के अनुसार हम बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, गांवों में दस घण्टे बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। क्या मंत्री जी गांवों में बिजली की नाप अपनी आंखों से कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग व्यवधान न पैदा करें और एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कहें। (व्यवधान) तीन-तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कैसे सुना जा सकेगा ? क्या सभी को एक साथ सुनना सम्भव है ? आप लोग बैठ जायें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर,गांवों में दस घण्टे बिजली देने की जो घोषणा की थी उससे ज्यादा बिजली देहातों में किसानों को दी जा रही है। (व्यवधान)

* डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी उधर से किसी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। क्या यह संसदीय है ? यदि नहीं, तो इसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

यदि किसी माननीय सदस्य ने झूठ शब्द कहा है तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

*पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)–

मान्यवर, जो यह विषय प्रस्तुत है उसमें हर दल के माननीय सदस्य ने इस विषय की गम्भीरता पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। यह सही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम सभी स्वीकार करते हैं। इसकी गम्भीरता को स्वीकार करते हुए इसकी ग्राह्यता पर चर्चा शुरू हुई और लगभग 15 माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस विषय पर रखे। लेकिन पक्ष में केवल हमारे राज्य ऊर्जा मंत्री जी बोलने के लिये खड़े हुए। मान्यवर, इस विषय में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त किया था कि इस विभाग के दोनों मंत्री यहां मौजूद होने चाहिए, तो आपके निर्देशानुसार हम लोग यहां उपस्थित हैं और माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये हैं उनमें क्रम का अन्तर तो हो सकता है किन्तु हर बिन्दु पर जवाब दिया जा रहा है। यदि बीच में इतना हस्तक्षेप न किया जाता तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की हर बात का जवाब अब तक दे दिया गया होता। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि थोड़ा समय देकर बात सुन लीजिये, जो बिन्दु रह जायेंगे उनको आप स्पष्टीकरण में मांग लीजिये।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिये ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

10 घंटे विद्युत देने की घोषणा की गयी थी तो उससे ज्यादा दे रहे हैं ।

श्रीमन्, ट्रांसफार्मरों के बारे में माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि उनके बदलने में काफी विलम्ब होता है । तो हमने ट्रान्सफार्मर बदलने के लिये 72 घंटे का समय दे रखा है । जो स्थिति पिछली सरकारों के समय में थी 10-10, 15-15 दिन उसमें लग जाते थे उसे हम 72 घंटे में बदल रहे हैं । (व्यवधान) आप अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिये, पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर ही है और 72 घंटे के अन्दर ट्रान्सफार्मर बदले जा रहे हैं । माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने मेरे पत्र का उद्धरण दिया पता नहीं किस पत्र की वह बात कर रहे हैं । ट्रान्सफार्मर की खराबी के बारे में बताना चाहता हूं पिछली सरकारों ने जो कुछ किया वह मैं नहीं कहता लेकिन श्री कल्याण सिंह जी की सरकार आते ही ट्रान्सफार्मरों में जो ठीक करने के बाद जल्दी खराबी आ जाती थी वह स्थिति अब नहीं है, अब ट्रान्सफार्मर उस प्रकार खराब नहीं हो रहे हैं । जो बाकी खराब हैं उनको भी बदल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आग्रह किया कि वह पत्र भेज दें, उसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मान्यवर, इस सदन में सच बात कहें, सच्चाई से परे कुछ नहीं कहें । मैं अपेक्षा करता हूं कि श्री रंगनाथ जी सच कहेंगे । अब शायद उनमें सुधार आ गया हो ।

श्री अधिष्ठाता–

पत्र लिखने के बाद क्या सुधार नहीं हो सकता है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

आप डांट दीजिए तो सुधार हो जायेगा । और आगे वह ऐसा पत्र नहीं लिखेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा परिस्थितियां भी सुधर सकती हैं, मंत्री जी भी सुधर सकते हैं, मगर कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं सुधर सकते ।

श्री अम्बिका चौधरी–

कुछ लोग ऐसे स्थानों पर होते हैं उन्हें सुधरने का आग्रह भी नहीं कर सकते ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मैं आदरणीय कुंवर साहब का बहुत सम्मान करता हूं । वह हमारे पड़ोसी भी हैं, बहुत कुछ उनसे सीखने का अवसर मिला है और जो सीखा है वही बता रहा हूं । तो मैं ट्रान्सफार्मर्स के बारे में कह रहा

था अब हमने थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन की व्यवस्था की है ट्रान्सफार्मरों की मरम्मत के बारे में। वह कोई पत्र की बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता कौन से पत्र की बात वह कह रहे हैं लेकिन मैंने लिखा होगा तो ट्रान्सफार्मरों में सुधार की बात है तो उसमें अब अच्छी क्वालिटी डेवलप करने के लिये हमारी सरकार ने व्यवस्था की है।

[2 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, पिछले दिनों जो ट्रान्सफार्मर्स की अनुपलब्धता होती थी उसके पीछे कारण यह था कि जो ट्रान्सफार्मर्स की कंपनियां थी वह 25 के० वी० ए० और 63 के० वी० ए० की जगह 17-18 के० वी० ए० के ट्रान्सफार्मर्स देती थीं जैसे ही वह ट्रान्सफार्मर्स लगाये जाते थे लोड के कारण फुंक जाते थे। इसको ठीक करने के लिये मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने थर्ड पार्टी इंसपेक्शन की बात की। यह थर्ड पार्टी इंसपेक्शन जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की संस्था है उनके द्वारा कराया जा रहा है ताकि इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे और कोई दलाली न कर सकें तथा व्यवस्था में सुधार हो।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी–

मैंने अधिष्ठाता महोदय को जो पत्र दिया है वह आपके सामने है और उसको आप देख रहे हैं। आपने जो बातें उसमें मुख्य मंत्री जी को लिखी हैं उसमें आपने लिखा है कि ट्रान्सफार्मर्स का थर्ड पार्टी इंसपेक्शन नहीं कराया जा रहा।

श्री रंगनाथ मिश्र–

यह अगर कहीं लिखा होगा तो मैं क्षमा मांग लूंगा। उसमें यह नहीं लिखा है कि थर्ड पार्टी इंसपेक्शन नहीं हो रहा है। मान्यवर, एक नये ट्रान्सफार्मर्स होते हैं और दूसरे रिपेयर करने के लिये कम्पनियों को जाते हैं। उनके थर्ड पार्टी इंसपेक्शन के लिये आदेश हुए हैं। जो पुराने ट्रान्सफार्मर्स रिपेयर के लिये जाते हैं उसके लिये मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि उनका भी थर्ड पार्टी इंसपेक्शन होना चाहिए। यह मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था अगर पढ़ना चाहें तो वह उसमें होगा, अगर आपने जाली बना लिया है तो मैं नहीं कह सकता हूं। मान्यवर, जो पुराने ट्रान्सफार्मर्स हैं जो जल जाते हैं हम यह चाहते हैं कि उनका भी थर्ड पार्टी इंसपेक्शन हो इसके लिये मैंने अपने सरकार के नेता, मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है इसमें दो राय नहीं है। अगर कहीं संशय है तो मुख्य मंत्री जी से पूछ सकते हैं। इस प्रकार से जो ट्रान्सफार्मर्स के कारण परेशानी होती थी वह काफी हल हो गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी के जो निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन बोर्ड कर रहा है और जनता तथा किसानों को अब किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो रही है ट्रान्सफार्मर्स के कारण।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है। माननीय मंत्री जी बैठ गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

वह बैठ गये हैं उनकी शालीनता है। मैं बीच में इस प्रकार प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। माननीय मंत्री जी आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, एक बात और माननीय कुंवर साहब ने उठायी थी कि अधिकारियों की परफारमेंस अच्छी नहीं है। तो मान्यवर, पहली बार सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से लेकर जे०ई० तक, ऐसे अधिकारियों के संबंध में दौरा करके उनके कार्यों को देखकर मौके पर सस्पेंड किया गया है। यह पहली बार माननीय कल्याण सिंह की सरकार में हुआ है।

आप भी रहे होंगे तो शायद ऐसा नहीं कर पाये होंगे । यह पहली बार हुआ है । मान्यवर, ऐसे कम से कम 800 अधिकारी जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई थी पिछली सरकारों ने कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन हमारी सरकार ने कमेटी बनाई है और यह सुनिश्चित कर दिया है कि 5 महीने के अन्दर हर महीने 120 की संख्या में ऐसे अधिकारियों का निस्तारण होना चाहिये । दण्ड मिलना चाहिये और दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिये । इस प्रकार विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिये 6 महीने के अन्दर बहुत सुधार किया गया है । अनेकानेक कार्यक्रम बनाकर जनता को सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है । 2800 करोड़ किसानों का सरचार्ज माफ किया गया है । भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो किसी ने इस तरह का कार्य नहीं किया है । यह हमारी सरकार है जिसने इस तरह का कार्य किया है ।

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पूरी तरह से गलत बयानी की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरी बात तो सुन लें । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने एक-एक सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर दिया । माननीय मंत्री जी की बात आ गई । अब मुझे अपनी बात कहने का अवसर तो दें । आप अपने सदस्यों को उनके स्थान पर ले जायं । सदन व्यवस्थित तो हो जाने दें ।

(किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ से संरक्षण हमको नहीं मिल रहा है संरक्षण उन्हें ही मिल रहा है जो गलत बयानी कर रहे हैं । हमारी बात सुनी नहीं जा रही है हम कठिनाई में यहां वेल में आये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी जी वेल में खड़े होकर इस तरह की बात कहें यह आपको शोभा नहीं देता है । आप कृपया अपने स्थान पर चले जायं । हो सकता है मैं कुछ कहना चाह रहा हूं । आप यहां बैठे हैं तो मैं कहूंगा क्या ? आप सदन को कृपा करके व्यवस्थित तो करें । एक साथ कई सदस्य बोलेंगे तो दिक्कत होगी ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्री अधिष्ठाता जी, हम पूरी शान्ति से इनकी बात सुन रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम आपके निर्देश सुनना चाहते हैं । इस पीठ में हमारी आस्था है आप निर्देश देंगे और यह सरकार या मंत्री जी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं ऐसी स्थिति में हम यहां आये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं निवेदन कर रहा हूं आप अपना आसन ग्रहण करें कोई स्पष्टीकरण चाहेगा तो मैं निर्देश दूंगा लेकिन पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

हम अपने स्थान पर चले जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थान पर चले जायेंगे तो फिर नहीं आ सकते हैं । माननीय मंत्री जी एक घण्टे से जो आचरण कर रहे हैं उसको आप देख रहे हैं जो बिन्दु उठाये गये हैं उनसे कोई मतलब नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप जब तक अपने स्थान पर नहीं जाते हैं तब तक कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है आप अपने स्थान पर जायं आप संतुष्ट नहीं होंगे फिर भी आपके पास लोकतंत्र में बहुत सी पद्धतियां हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने स्वयं कहा था कि तीसरी बार आग्रह कर रहे हैं जब हम व्यवस्थित थे तब आग्रह सुना नहीं अब स्थान ग्रहण करने को कहा जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपने स्थान पर चले जायं ताकि सदन व्यवस्थित हो ।

(घोर व्यवधान)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में मैंने श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री जगदम्बिका पाल, श्री कौकब हमीद, श्री राम नक्षत्र आदि माननीय सदस्यों को सुना ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नियम 56 में सम्पूर्ण प्रदेश में बिजली की समुचित एवं सुनिश्चित आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उनको सुना एवं ऊर्जा राज्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं किन्तु विद्युत की समस्या पूरे प्रदेश के जनजीवन से जुड़ी समस्या है । वह समस्या किसानों, उद्योगपतियों सामान्य जनता को, समाज के सभी वर्गों को लगभग समान रूप से प्रभावित करती है । इससे जनजीवन का कोई भी परिवार अछूता नहीं है । इसलिये मैं शासन को निर्देश देता हूं कि इस विषय को, इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये प्राथमिकता के आधार पर जो कमियां तात्कालिक रूप से ठीक की जा सकती हैं उनको ठीक करने का प्रयास करें । और दीर्घकालिक योजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से ठीक करने का प्रयास करें ।

अगली सूचना श्री दीपक कुमार की है ।

(श्री दीपक कुमार के अनुपस्थित होने पर)

इसके बाद की सूचना राम अचल राजभर की है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विद्युत व्यवस्था का प्रकरण गम्भीर है इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है मैंने अगला नाम भी पुकार लिया है ।

श्री राम अचल राजभर–

मान्यवर, अकबरपुर रेलवे स्टेशन से दो-दो नौजवान छात्रों को जी०आर०पी० के लोगों ने चलती ट्रेन से फेंक दिया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस पर अपनी व्यवस्था दे दी है । अब आप लोग अपने आसन पर जायं । जितने आपके अधिकार हैं उतने ही राम अचल राजभर के अधिकार हैं उनको अपनी बात रखने का अवसर दें । जिस प्रकरण को निरस्त कर दिया गया है उस पर चर्चा की मांग करना उचित नहीं है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिजली पानी दे न सके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है के नारे लगाते हुये समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन की वेल में बैठ गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

सदन के वेल में बैठे हुये माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वह अपने स्थान पर जांय ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आप चर्चा स्वीकार करा दें । हम लोग अपने स्थान पर चले जाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर सभी माननीय सदस्यों के विचार आ गये हैं, शासन का पक्ष भी आ गया है, इसको सुनने के पश्चात निरस्त किया जा चुका है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 3.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 3.00 बजे अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

नियम 56 में अगली सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकर नगर के थाना कोतवाली निवासी श्री आफताब अहमद व श्री इकबाल अहमद की कथित रूप से जी०आर०पी० के जावानों द्वारा हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, माननीय सदस्य कृपया अपनी बात जारी रखें ।

श्री राम अचल राजभर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । दिनांक 7–8 जून, 1998 को हमारे विधान सभा क्षेत्र के मुरादाबाद-अकबरपुर के रहने वाले आफताब अहमद व इकबाल अहमद, जो दोनों एम०ए० फाइनल एवं एम०ए० I के छात्र थे और इम्तहान दे चुके थे, उन्होंने नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण लेकर बिसातखाने की दुकान खोल रखी थी, यह दोनों ही अपनी दुकान का सामान लेने सुल्तानपुर गये थे, वहां बाजार बन्दी थी बन्दी के कारण सामान न मिल पाने की वजह से वह वहां से फैजाबाद चले गये, फैजाबाद में भी किसी कारणवश वह सामान नहीं ले पाये और शाम को 52 डाउन सियालदह एक्सप्रेस जो 6 घण्टा लेट थी, से अकबरपुर को प्रस्थान किया । जिस डिब्बे में यह लोग थे, उसमें जी०आर०पी० के 4 जवान भी थे, यह दोनों लोग जब अकबरपुर में उतरना चाहते थे तो इन जावानों ने इन्हें उतरने नहीं दिया । तब आफताब अहमद व इकबाल अहमद डिब्बे से जोर-जोर चिल्लाये कि हमें जी०आर०पी० वाले उतरने नहीं दे रहे हैं । इस मौके पर पहुंचे इलियास ने जी०आर०पी० अकबरपुर स्टेशन पर तुरन्त सूचना देने गये तो जी०आर०पी० वाले अपनी ड्यूटी से गायब मिले । इलियास ने स्टेशन पर कई लोगों को बताया एवं जब तक कुछ लोग उस डिब्बे की तरफ दौड़े तब तक गाड़ी चल दी । मो० अनीस ने अकबरपुर स्टेशन पर भी कई लोगों को घटना की जानकारी दी । उनको जी०आर०पी० वालों ने बैठने नहीं दिया और कहा कि इसमें लफड़ा है, आप किसी दूसरे में बैठ जायें, इस बीच जी०आर०पी० वालों ने आफताब अहमद, इकबाल अहमद व नंसारे हीरालाल पुत्र रामजीत यादव निवासी अम्बेडकर नगर को मारकर शाहगंज शिवपुर, कृषक महाविद्यालय के पास फेंक दिया । संयोग से हीरालाल गंभीर चोट खाकर बच गये । उन्होंने हीरालाल यादव से कहा कि तुम हिन्दू हो तुम इस बात को किसी से नहीं कहोगे न जुबान खोलोगे नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे यह सुबह के 5 बजे की घटना है । बाद में वहां कोतवाल पहुंचते हैं और पोस्टमार्टम के लिये ले जाते हैं । हीरालाल जो अम्बेडकर नगर का रहने वाला था, को मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से एडमिट किया गया, रात में उसको दूसरी जगह रिफर कर दिया गया, किसी तरह गांव वालों को मालूम हुआ तो वह वहां पहुंचे तो मुख्य चिकित्साधिकारी डा० श्याम लाल ने कहा कि वह अन्यत्र चला गया है कोतवाली शाहगंज वालों ने गांव में सूचना भी नहीं भेजी कि दोनों की हत्या हो गई है । 407 टाटा गाड़ी के ड्राइवर, जिसका नाम नहीं दर्शाया गया है, उसने आइडेन्टिटी कार्ड एवं फोटो के माध्यम से सूचना भेजी कोतवाली शाहगंज की इतनी बड़ी लापरवाही कि वे वायरलेस से या दूरभाष से सूचना कोतवाली अकबरपुर, अम्बेडकर नगर को भेज सकती थी । तहसील चौराहे अकबरपुर स्थित दिल्ली साइकिल कम्पनी के मालिक मदन अग्रवाल अकबरपुर से बनारस जाने के लिये उसी डिब्बे में बैठने गये तो गंगाराम चाय वाले की दुकान पर जाकर बताया गया कि आफताब और इकबाल की हत्या कर दी गई जाकर लाश उठा लाओ । मान्यवर, भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार के रक्षक के सामने एक

तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ विधायक रक्षक (पुलिस) या कोई भी व्यक्ति हो लोग पैसे को ही ज्यादा महत्व देते हैं ये जी०आर०पी० वालों ने पैसे की खातिर किया है उनके पास 15 हजार रूपये थे पैसा लेकर उन दरिन्दों ने इन बच्चों को मारकर फेंक दिया । अम्बेडकर नगर का एस०एस०पी० श्रीवास्तव जब से गया है दर्जनों हत्यायें, मर्डर, डकैती, चोरी राहजनी और बलात्कार हो चुके हैं । मास्टर रामशंकर वर्मा जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और कोई कार्यवाही नहीं हुई हमारे यहां की जनता आक्रोशित है 14 जून को आन्दोलन भी किया था । अगर उनको सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलता है और जी०आर०पी० के लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो चक्का जाम किया जायेगा । मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया उस घटना के बारे में जांच चल रही है दो व्यक्तियों की ट्रेन मे गिरकर मरने की घटना है । गिरकर मरे या गिराकर मारे गये यह एक बिन्दु है । सारी जांच चल रही है । विधायक जी ने कहा है एक पक्ष आया है । 7–8 जून की घटना है तात्कालिक भी नहीं है इसलिये यह विषय नियम 56 में नहीं आता है । जहां तक जांच का प्रश्न है स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, थाना प्रभारी खुद मौके पर पहुंचे हैं । जांच चल रही है ।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जी०आर०पी० के लोगों ने हत्या की है और वहीं की स्थानीय पुलिस से उसकी जांच कराई जा रही है इसमें किसी उच्च अधिकारी से जांच करा दें ।

(व्यवधान)

श्री राम अचल राजभर–

मान्यवर, हीरालाल पुत्र रामजीत यादव जिन्दा है वह साक्षी है । इलियास जो जी०आर०पी० अकबरपुर वालों को बताने गया था उसको लगभग 20 पुलिस वाले धमकाने गये हैं कि अगर जबान खोली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा ।

(व्यवधान)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इसमें उच्चस्तरीय अधिकारी एस०पी० लेवल तक जांच हो जाये तो क्या एतराज है ?

* श्री ददू प्रसाद–

इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाय । माननीय संसदीय कार्य मंत्री [× × ×] को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं ।

[3 बजकर 20 मिनट]

मान्यवर, यह सरकार [× × ×] संरक्षण दे रही है इस पर आप का संरक्षण चाहता हूं

(व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सूचना आपके समक्ष है कोई आक्षेप और कोई अविश्वास स्थानीय थाने पर नहीं किया गया है। जी०आर०पी० के जवानों के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं इसमें जांच चल रही है जो सामान्य प्रक्रिया है वह लागू होगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं सूचना को अग्राह्य .....

(इसी बीच श्री राम अचल राजभर सदन त्यागकर चले गये)

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, आप इसमें निर्देश दें कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाय।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, इसमें संरक्षण दें।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जो घायल जिन्दा हैं उनकी हत्या हो सकती है इसमें किसी बड़े अधिकारी से जांच करा दें।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री राजभर के मात्र हस्ताक्षर थे, दल के अन्य सदस्यों को भी इसमें मौका दिया गया माननीय संसदीय कार्य मंत्री को भी सुना गया नियम 56 की ग्राह्यता की जो अर्हतायें हैं वह इसमें नहीं आती हैं इसलिए इसे अग्राह्य किया जाता है तथापि विषय की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये उच्च स्तरीय जांच के लिये शासन को निर्देशित किया जाता है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उच्च स्तरीय से आशय स्पष्ट हो जाय।

श्री अधिष्ठाता–

गृह विभाग के किसी उच्च स्तरीय अधिकरी से।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सूचना आप के समक्ष है उसमें कहीं भी स्थानीय पुलिस पर अविश्वास नहीं किया गया है कि वह गलत काम कर रही है और जो शासन में भी सूचना है उसमें भी कोई अन्तर नहीं है। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरे क्षेत्र के रहने वाले जो सदस्य हैं उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की बात छेड़ दी तो वह बात उठ रही है। यह 7/8 जून की घटना है यह नियम 56 में नहीं आती।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसमें किसी दूसरे रेंज के डी०आई०जी० से जांच करा ली जाए तो अच्छा रहेगा सदस्यों से जुड़ा यह मामला है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर विषय है सदन के समक्ष है एक गम्भीर घटना है।

(व्यवधान)

मान्यवर, कहा जा रहा है कि एस०पी० पर ही विश्वास नहीं है। जब से यह एस०पी० गये हुये हैं तबसे हत्याओं/अपहरणों का अम्बार लग गया है। स्थानीय पुलिस पर विश्वास ही नहीं है इसलिये किसी ऊंचे अधिकारी से इसकी जांच करायें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाये। माननीय सदस्यों की अपेक्षानुसार माननीय मंत्री जी अन्य रेंज के डी०आई०जी० से इस मामले की जांच करायें।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। कल जब सदन चल रहा था तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने विपक्ष के लोगों की संख्या औसत निकाल कर कहा था कि मात्र 6 प्रतिशत विपक्ष के लोग मौजूद हैं, अगर आज वही नियम वह सत्ता पक्ष पर लागू करते तो अच्छा होता। क्या माननीय मंत्री जी घण्टे-घण्टे भर में सदस्यों का प्रतिशत निकाल कर सदन को जानकारी देते रहते तो अच्छा रहता।

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने किस बात का उल्लेख किया। सामान्य बजट पर चर्चा होनी थी। सामान्य रूप से नेता प्रतिपक्ष उसकी शुरुआत करते हैं परन्तु कल नेता प्रतिपक्ष का स्थान माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी ने ले लिया, हमने उन्हें भी वही सम्मान दिया। अपेक्षा यह की जाती है कि जब नेता प्रतिपक्ष बोलें तो समस्त विपक्ष के लोगों को रहना चाहिये। आप तो एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इस समय जीरो आवर चल रहा है इसमें इस समय यदि आप और हम ही रहे तो भी काम चल जायेगा।

* श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया मंहगाई अपनी चरम सीमा पर है। गत वर्ष के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो भाव आसमान छू रहे हैं। सामान्य व्यक्ति का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पिछले वर्ष तेल का भाव 40 रुपये किलो था, जो इस वर्ष 70 रुपये किलो हो गया है, घी 45 रुपये किलो था, 80 रुपये किलो हो गया है। चाय के भाव बढ़ गये हैं। इन्दिरा आवास योजना के तहत 20,000 रुपये देते हैं जबकि ईंट का भाव 900 रुपये प्रति हजार था वह बढ़कर 2,000 रुपया हो गया है। लीची 60 रुपये किलो है, दशहरी आम जो पिछले वर्ष 10 रुपये किलो था वह 30 रुपये किलो हो गया है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं भाव का निर्धारण डिमाण्ड और सप्लाई पर निर्भर करता है। क्या पिछले वर्ष मैं जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि डिमाण्ड ज्यादा हो गई। ऐसा तो है नहीं। एक साजिश के तहत सरकार यह सब कार्यवाही कर रही है। जो किसान बीज पैदा कर रहा है उसके भाव गिरते जा रहे हैं और व्यापारी वर्ग को लाभान्वित करने के लिये यह शासन और प्रशासन भाजपा के लोग अनइयू एडवाटेंज देना चाहते हैं उनके भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मान्यवर, यह विषय अविलम्बनीय है और लोक महत्व का भी है इसलिये मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय राम सिंह सैनी जी ने तीन बातों का उल्लेख किया है जिनके दाम बढ़े हैं एक तो तेल, दूसरा आम और तीसरा घी के। उन्होंने फिर वेदना व्यक्त की है कि किसानों की हर चीज के दाम घट रहे हैं अगर दाम घट रहे हैं तो कागज और लोहा के दाम घट रहे हैं सीमेंट की बात करते तो समझ में आता। अगर दाम बढ़ रहे हैं तो ठीक है पैसा किसानों की ही जेब में जा रहा है जो आप तीन चीजों की बात कर रहे हैं वह किसानों से जुड़ी हुई है इनके दाम बढ़ेंगे तो दाम श्री राम सिंह सैनी जी जेब में ही जायेंगे। मान्यवर, यह विषय न तो तात्कालिक है और न ही ग्राह्य करने योग्य है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम सिंह सैनी जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई है कि आये दिन रोज जघन्य अपराध हो रहे हैं। अभी परसों ही कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में काफी विस्तृत चर्चा यहां पर हुई थी। आज मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र फैजाबाद के थाना तारून की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। 9 जून की रात को करीब आठ बजे एकलव्य सेना के जिलाध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद निषाद जब बाजार से अपनी रेडियो मरम्मत की दुकान को बन्द करके घर जा रहे थे तो सोनन्दरसा जो महराजगंज में पड़ता है के निकट मड़हा नदी के किनारे निर्जन स्थान पर उनकी हत्या कर दी गई। जब उनके परिवारजन को मालूम हुआ तो उन्होंने थाने में इत्तिला दी और हत्यारों का नाम व पता बताया लेकिन पुलिस ने हत्यारों का नाम नहीं लिखा और अज्ञात लिखवाकर उनके चाचा से अगूंठा लगवा दिया। मैंने वहां के अधिकारियों से एस०एस०पी०, एस० पी० देहात, डी०आई०जी० आदि का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया लेकिन वह निष्क्रिय रहे। परिवारजनों ने 5 लोगों का नाम बताया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे यह प्रतीत होता है कि पुलिस अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है इसलिये पुलिस से परिवारजन व उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास उठ गया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस घटना की सी०बी०आई० से जांच कराई जाये और जो विधवा है उसके 5 नाबालिग बच्चे हैं, वह असहाय हो गये हैं, उनको सरकार की ओर से सहायता मिलनी चाहिये।

मान्यवर, इसी तरह की घटना मेहदौना में हुई है। एक नाबलिक लड़की का अपहरण किया गया। पुलिस उसका पता नहीं लगा पायी, लेकिन परिवार वालों ने उस लड़की का पता लगा लिया और लड़की को बरामद किया लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर आप चर्चा करा दें और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना की जांच सी०बी०आई० से करा दें और विधवा तथा उसके बच्चों के लिये 5 लाख रुपये सहायता के रूप में स्वीकार किये जायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह 9 जून की घटना है। एकलव्य सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद निषाद थे उनकी हत्या हुई है। इसमें अज्ञात के नाम रिपोर्ट दर्ज की गई है और माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि उनके चाचा ने रिपोर्ट दर्ज की है और इस घटना की विवेचना जारी है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम हैं राधेश्याम पुत्र जय राम यादव, और लालता प्रसाद यादव पुत्र काशी, थाना महराजगंज जिला फैजाबाद के हैं। इनको दिनांक 20-6-1998 को गिरफ्तार किया गया है और दोनों जेल में है। विवेचना जारी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को ग्राह्यता की परिधि में नहीं समझता हूं और इसलिये अग्राह्य करता हूं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की एक सूचना नियम 311 में प्राप्त हुई थी, वह चर्चा के लिये स्वीकार नहीं हुई थी, लेकिन विषय की गम्भीरता को देखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि माननीय सदस्य को सुन लिया जाये। माननीय श्रीवास्तव जी आप अपनी बात को एक मिनट में कह दें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी सूचना पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, 12 जनवरी, 1995 को हिन्दुस्तान की उच्चतम न्यायालय में राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशिक्षित शिशुक्ष संघ के मुकदमें में एक निर्णय हुआ कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में जहां कहीं पर प्रशिक्षित शिशुक्ष उपलब्ध हैं, सीधी भर्ती से कोई जगह न भरी जाये, उन्हीं से भरी जाये, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उनको उम्र की छूट दी जाये और उनके नाम सेवायोजन कार्यालय से न मंगाये जायें और इस बात का भी आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है कि उनको नियुक्ति के लिये लिखित परीक्षा में शामिल न किया जाये। आज मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार उद्घोष करती है कि प्रदेश में विधि का शासन है, भयमुक्त समाज है, लेकिन कानून का मखौल इस सरकार द्वारा ही उड़ाया जा रहा है और उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1995 के निर्णय का अब तक अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और श्रम विभाग ने अलग-अलग शासनादेश निर्गत किया और दोनों शासनादेशों का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है मैं इस बात को आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कई विभागों ने इन शासनादेशों की खुली अवहेलना करते हुये भर्ती के लिये विज्ञापन किये हैं अभी हाल ही में विद्युत विभाग में भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है, लेकिन उनमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का अनुपालन किया जायेगा और उसी के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा विधि के शासन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज प्रदेश में 40–42 हजार प्रशिक्षित शिशुक्ष नौजवान सड़कों पर बेकार घूम रहे हैं विगत कई महीनों से बेरोजगार प्रशिक्षित आन्दोलन कर रहे हैं और लखनऊ में धरना दे रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सदन में जिस दिन नेता सदन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का बजट प्रस्तुत कर रहे थे उसी दिन हजारों प्रशिक्षित शिशुक्षुओं पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी चार्ज किया और कई दर्जनों डिप्लोमा डिग्री धारी बेरोजगारों को जेल में बन्द कर दिया। जिला प्रशासन उन्हें आज भी मुक्त नहीं कर रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि विधि के शासन का नारा देने वाली यह सरकार अपने ही कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है। मान्यवर, संविधान में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त हैं कि उन्हें रोजी रोटी पाने का अधिकार है लेकिन उत्तर प्रदेश में लाखों बेरोजगार आज सड़कों पर भटक रहे हैं यहां तक कि प्रशिक्षित लोग बेकार भटक रहे हैं जिससे प्रदेश में मानव संसाधनों का विनाश हो रहा है। सरकार शिशुक्षुओं के प्रशिक्षण में जो लाखों रुपये खर्च कर चुकी है वह बेकार जा रहा है इसलिये इस गम्भीर प्रश्न पर आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किसी भी आदेश में से एक-दो पंक्तियां उद्धृत कर नियम 56 को बनाया जाये और उसे साबित किये जाने का प्रयास किया जाये तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का प्रश्न है तो संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च स्थान हम देते हैं और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को हमारे सहयोग और दया की आवश्यकता नहीं है। वह अपने आदेशों को पालन कराने में स्वयं सक्षम है। जहां तक इस सरकार का प्रश्न है मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिये कि यह सरकार रूल्स की प्रतिबद्धता को और न्यायपालिका को पूर्ण सम्मान देती है और देती रहेगी। मान्यवर, जितने अप्रेन्टिस और डिप्लोमा होल्डर लोग निकले सरकारी साधन इस बात पर लगा दिये जायें और उन्हें नौकरी दे दी जाये तो यह संभव नहीं है चूंकि हमें देखना होगा कि बजट में राजस्व प्राप्तियां क्या हैं, और कितना व्यय करेंगे इसको देखना होगा और यही चिन्ता का विषय है। श्वेत पत्र सरकार ने जारी किया और उसमें राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय में कितना अन्तर आ गया है इसको दिखाया गया है। यदि हम संसाधनों का ध्यान नहीं रखेंगे और कर्मचारियों को बढ़ाते जायेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब सरकारी खजाना वेतन पर पूरा का पूरा चला जायेगा। इसलिये इस प्रकार के निर्णय भावावेश में नहीं लिये जाते हैं बल्कि सारी बातों पर विचार करने के उपरान्त अपने संसाधनों को देखते हुये जो न्यायोचित बात होगी वह की जायेगी। इस विषय में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिये। मान्यवर, पांच दिनों तक सामान्य बजट पर चर्चा चलेगी उसमें आप अपने सवाल उठा सकते हैं। इसलिये नियम 311 और नियम 56 में इन सवालों को उठाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य और मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह विषय नियम 56 की परिधि में नहीं आता है इसलिये इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, 19 तारीख से जो बेरोजगार प्रशिक्षु जेल में बन्द हैं क्या सरकार उनको छोड़ेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप लोग बैठ जायें और मैं अपनी बात कह लूं तो आप लोग सहमत हो जायेंगे आपकी पूरी बात आ गई है अब शासन को निर्देश देने की बात है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में क्या सरकार नवजवानों को नौकरी देगी ? सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उन बेरोजगार शिशुक्षुओं को अनावश्यक परेशान न किया जाय, उनसे कोई शान्ति भंग का अंदेशा भी नहीं है, यह 19 तारीख से ही जेल की सीखचों में बन्द हैं उन्हें तत्काल मुक्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य की भावना को दृष्टिगत रखते हुये शासन से अपेक्षा की जाती है कि उदारता पूर्वक कार्यवाही करें, तद्नुसार इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अगली सूचना राम औतार शाक्य की है यह सुनने के लिए स्वीकार नहीं की गयी है। शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए है (व्यवधान) हमारी जो व्यवस्था है उस पर आप जरा ध्यान दें।

श्री राम औतार शाक्य–

आप एक मिनट सुन लें मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना सुनने के लिये स्वीकार नहीं है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात कह लूं । सरेआम डकैती पड़ गई है अपहरण और लूट की घटना हुई है, लाखों की सम्पत्ति लूट ली गई है बदमाश गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं । अपराध संख्या 172 में रिपोर्ट दर्ज है, थानाध्यक्ष को गोली मार दी । मान्यवर, वह अपराधी ब्रह्मदत्त द्विवेदी, हत्याकाण्ड में जो उपदेश सिंह चौहान नामजद है उनका सगा भाई है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है । माननीय श्रम मंत्री जी बैठी हैं ब्रह्म दत्त द्विवेदी हत्याकाण्ड में वह नामजद अभियुक्त है उसने थानाध्यक्ष पर गोली चलाई है उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है । सरेआम डकैती डाली गई मैनपुरी की जनता इससे भयभीत है फिर भी सरकार उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है जो टाडा के अपराधी है उनको जेल में बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है, उन्हें नाका में बन्द क्यों नहीं किया जा रहा है ? मैं पीठ से निवेदन कर रहा हूं कि उन्हें तुरन्त गिरफ्तार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम औतार शाक्य की सूचना जनपद मैनपुरी के थाना बरनाहल के ग्राम कृपालपुर में हुई डकैती व अपहरण के घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाना है कि इसे गम्भीरता से लें ।

अगली सूचना, श्री श्रीराम पाल जी की है जो जनपद जालौन में नगरपालिका, काल्पी के सफाई कर्मचारियों को 17 माह से वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यह सुनने के लिए नहीं केवल ध्यान आकर्षित करने के लिये है तो शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिए आप ने सबको सुना है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है 17 महीने से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है । 37 दिनों से वह अनिश्चित कालीन हड़ताल पर सपरिवार बैठे हैं । नगर पालिका में काफी धन पहुंच भी गया है लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है । नगरपालिका अध्यक्ष बैठे गये हैं और डी०एम० भी वहां गये हैं लेकिन अभी तक उनको वेतन नहीं मिला है । गर्मी के दिनों में 37 दिन से हड़ताल होने से सफाई की स्थिति खराब है जिससे महामारी के फैलने की सम्भावना है, हैजा हो सकता है और दूसरी बीमारियां हो सकती हैं मेरा अनुरोध है कि अपने को संवेदनशील सरकार कहने वाली यह सरकार 17 महीने से वेतन नहीं दे पाई है, तो ऐसे में वह लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें जल्दी से जल्दी वेतन दिया जाय और जिन लोगों ने पिटाई की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने अपने विषय की गम्भीरता को स्पष्ट कर दिया तदनुसार मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक अन्य नियम 311 की सूचना प्राप्त हुयी है । माननीय अध्यक्ष जी ने यद्यपि सुनने के लिये स्वीकार नहीं की है फिर भी पीठ की तरफ से मैं । मिनट का समय देता हूं । श्री छोटे सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं गागर में सागर भरने में निपुण हैं एक मिनट में बात की गंभीरता आ जाय ।

श्री छोटे सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । घटना यह है कि इसी माह की 17 तारीख की छिबरामऊ जनपद कन्नौज के परगनाधिकारी ने अवैध रूप से लदा हुआ एक ट्रक माल पकड़ा । उसको पकड़ते ही वहां के गुण्डे इकठ्ठे हो गये और परगनाधिकारी को मारापीटा व धमकाया । राइफल और बन्दूक लेकर धमकाने लगे । वायरलेस से थाने को इत्तला दी गयी थाने से पुलिस आयी और सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया बाकी लोगों के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई । मैं यह कहना ठीक नहीं समझता हूं कि वह लोग किस राजनीतिक दल के लोग हैं । यह स्वतः स्पष्ट है । वो लोग एस०पी० के दरबार में हाजिर हैं । वे सारी जगहों पर अपनी उपस्थिति रखे हुये हैं । सामान्य तरीके से वह अपना काम कर रहे हैं उनको पकड़ा नहीं गया है । स्थानीय बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है, बाजार बन्द है उसका कसूर इतना है कि वह परगनाधिकारी अनुसूचित जाति का है । यह गंभीर घटना है, कैसे शासन चलेगा, कैसे सरकार चलेगी, कैसे लोग काम करेंगे । अधिकारी को तबादले की धमकी दी जा रही है कहा जा रहा है कि हड्डी पसली तोड़ दी जायगी, प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि मुकदमा वापस कर लो नहीं तो पहाड़ पर स्थानान्तरण करा दिया जायगा । मैं इतनी विनती करना चाहता हूं कि इस गंभीर प्रकरण की जांच वहां के एस०पी० के अलावा अन्य किसी अधिकारी से करा लें ताकि सरकारी अधिकारी अपने को असहाय महसूस न करें । कानून पालन कराने वाले लोगों की हालत यह होगी तो दूसरे लोगों की स्थिति क्या होगी ? इन शब्दों के साथ मैं पीठ के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि मामले की गंभीरता समझ कर केवल यह उत्तर न दें, कि एक आदमी पकड़ लिया गया है असली मुलजिम गंगा नारायण दुबे खुले आम घूम रहा है थाने के सामने दुकान खोले है । कागज पर कह दिया गया है कि दफा 82 की कुर्की कर ली गयी है । मैं आशा करता हूं कि इस पर गंभीरता से कार्यवाही करेंगे ।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाना चाहता । जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसकी पंक्ति आप देख लें अभी माननीय सदस्य ने कहा कि अवैध माल लदा ट्रक खड़ा था । इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया केवल यह कहा गया है कि एक निश्चित स्थान पर ट्रक खड़ा हुआ था माल से लदा हुआ परगनाधिकारी आये उन्होंने कहा कि कागज दिखाओ । जो बात आप कह रहे हैं उसका सूचना में उल्लेख नहीं किया है । मेरे पास आपकी और शासन की दोनों की सूचना है । जैसे ही वायरलेस गया तुरन्त वहां की कोतवाली से फोर्स आ गयी एक आदमी पकड़ लिया गया और मुकदमा कायम हुआ 332/353. सरकारी कार्य में बाधा डालने वाली धाराओं में, मारपीट का उल्लेख एफ०आई०आर० में कहीं नहीं है कि मारपीट की गयी । मान्यवर, सरकारी काम में जो बाधा डालेगा किसी पार्टी का किसी दल का नेता हो, पर नेता हो, अभिनेता हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी सन्देह करने की इसमें कोई बात नहीं है । एक घटना विशेष के बारे में बात आई न चर्चा के लायक है न नियम–56 में आती है । हमारे अधिकारी सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं इस पर भी कार्यवाही होगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि यह ग्राह्यता की परिधि के अन्दर नहीं आती इसलिये इसे अग्राह्य किया जाता है। तथ्यों की गम्भीरता के बारे में संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया है। इसकी गम्भीरता के साथ ही शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जिन माननीय सदस्यों ने नियम–56 के अन्तर्गत सूचनाएं भेजी थीं जो चयनित नहीं की गयी हैं उनमें श्री राम नक्षत्र, श्रीमती गौरा देवी, श्री विनोद मणि त्रिपाठी, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अखिलेश सिंह, की हैं। नियम–311 में प्राप्त सूचनाएं जो 56 के लिये दी गई थी उनमें श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री रामतेज यादव एडवोकेट, श्री शिशुपाल सिंह यादव, डा० वकार अहमद शाह, श्री विनोद मणि, श्री राम ललित चौधरी, श्री लाल मणि प्रसाद, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की हैं।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर चर्चा *

* डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में आप भी मौजूद थे जब बात हुई थी कि हमारी पार्टी की संख्या के अनुसार समय निर्धारित कर दें। सबसे बड़ी संख्या तो हमारी है।

श्री अधिष्ठाता–

आप सूची तो दें। मैं बुलवाता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ–6 में अंतिम पैरा में एक बात कही है मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने कहा है विकास, दलगत राजनीति का विषय नहीं है। प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने और समाज के निर्धन एवं वंचित लोगों के विकास के लिए हमें मिलकर प्रयत्न करने होंगे चाहे हम सत्ता दल में हों या विपक्ष में। मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा मैं उस पर शंका व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्य को स्वीकार किया है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी अगर अपने बजट भाषण में इसका भी उल्लेख करते कि उन्होंने आम राय को बनाने के लिये क्या काम किया या इस तरह के प्रयास किये तो उससे यह अनुभव होता कि वे विकास को दलगत राजनीति से ऊपर रखकर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सभी दलों के सहयोग से योजनाएं और नीतियां बनानी चाहिए जिससे इस प्रदेश का विकास हो सके। इन सब का खुलासा इस बजट में नहीं किया गया है। मैं एक निवेदन आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं। कि यदि सच्चे अर्थों में हम इन भावनाओं को साकार रूप दे सकें हम उसको क्रियात्मक रूप में उतार सकें तो यह उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। हम केन्द्र की तरफ देखें कितनी सरकारें आईं कितनी सरकारें चली गईं लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वह ज्यों की त्यों बनी है। तमाम मतभेदों के बावजूद भी कोई सरकार आई आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया है उसको उलटने का काम सरकार नहीं कर सकती है। मान्यवर, अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता है तो जो सरकारें हैं वह सर्वसम्मति से नीति बनाएं, सर्वसम्मति से शिक्षा की नीति बनायें, हम सर्वसम्मति से नगर के विकास की नीति बनाएं,

* दिनांक 22 जून, 1998 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वसम्मति से गांव के विकास की नीति बनाएं सर्वसम्मति से समग्र आर्थिक नीति बनाए तो कोई सरकार आए कोई सरकार जाए उस में निरन्तरता बनी रहेगी, उसमें गति बनी रहेगी । राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव कम से कम होगा, हम प्रदेश को विकास की दिशा में अग्रसर कर सकेंगे, हम प्रदेश को एक नयी दिशा दे सकेंगे । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं जब हम आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ऐसी अर्थ व्यवस्था चाहते हैं जो प्रगतिशील आर्थिक व्यवस्था हो जो प्रदेश को आगे बढ़ा सके । श्रीमन् जो अर्थ व्यवस्था के आधार पर बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें कहना चाहूंगा कि हमारे यहां दो तरह की फसलें होती हैं एक तो रबी की फसल दूसरी खरीफ की फसल होती है तीसरी फसल रिलीफ होती है । इस बार इतना अधिक कोहरा पड़ा कि कोहरे के कारण किसान फसल नहीं बो सका । धान की पूरी फसल नष्ट हो गई । किसानों में कोहराम मच गया जिसके फलस्वरूप सेन्ट्रल से टीम यह देखने आई कि कितनी क्षति हुई है । 242 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का अंदाजा सेन्ट्रल की टीम ने लगाया लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं किया गया है । हमारे यहां दैवी आपदा आती है कभी बहुत अधिक कोहरा पड़ता है कभी अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है जब ऐसी आपदायें आती हैं आकस्मिकतायें आती हैं तो हम प्रदेश के लोगों को रिलीफ दे सकें इस तरह की कोई व्यवस्था इस बजट में नजर नहीं आ रही है उल्टे यह कहा गया है कि बाहर से हम अर्थ का प्रबन्ध करेंगे धन का प्रबन्ध करेंगे । पिछले साल सात सौ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया था इस बार 15 सौ करोड़ रुपये का प्रबन्ध करेंगे । वर्ल्ड बैंक और आई० एम० एफ० से लोन की बात इस बजट में कही गयी है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि दो वर्षों में जो इस सरकार पर कर्जा है वह 41 परसेन्ट बढ़ गया है मैं एक कहावत का उल्लेख करना चाहूंगा--

यावत जीवेत सुखं जीवेत

ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत ॥

श्री अधिष्ठाता–

इसमें आगे और भी है यह चरवाह जी का दर्शन है--

भस्मीभूतस्य देहस्यपुनर्गमनं कुतः

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें अर्थव्यवस्था की तस्वीर पूरी तरह साफ है पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय को देखें इसका प्लान एक्सपेंडीचर 25 परसेन्ट बैठता है और नान प्लान एक्सपेंडीचर में 75 परसेन्ट जाता है । राजस्व की बात करें तो गैर योजना व्यय का परसेन्टेज और भी बढ़ सकता है । मान्यवर, जितना रेवेन्यू मिलता है जितना केन्द्र से मिलता है, जो टैक्स जमा होते हैं उससे पैसा मिलता है वह उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिलती है तथा ब्याज पर कर्जा देते हैं उसमें लग जाता है क्योंकि विकास की दर तो उत्तर प्रदेश में है नहीं, बजट में भी स्वीकार किया गया है उससे सारी बातें साफ हो जाती है । इस तरह भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था में जो कमजोरी हुई है, अर्थव्यवस्था जर्जर हुई उसका कारण राजनैतिक अस्थिरता है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राजनैतिक अस्थिरता और कमजोर सरकार में कोई अन्तर नहीं है । आज आप मुख्य मंत्री जी की कमजोरी देख रहे हैं जितने लोग इधर से उधर गये हैं सबको मंत्री बना दिया गया । जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसने सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट दी थी उसकी संस्तुति थी कि टोटल लेजिस्लेचर की संख्या के 11 प्रतिशत मंत्रिमण्डल होना चाहिए। लेकिन कमजोर सरकार का यह लक्षण है कि आज दबाव में 100 लोगों को मंत्री बना दिया

गया है । दो-दो बार लेखानुदान लिया गया । आज मंत्रिमण्डल पर 25 करोड़ रुपये एक साल में व्यय होने जा रहा है ।

मैं मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक कमजोर सरकार और राजनीतिक अस्थिरता के बीच फर्क नहीं है । नये संसाधनों के बारे में सरकार मौन है । सरकार इसलिये मौन है क्योंकि उसने आम राय बनाने की कोशिश नहीं की । सरकार को डर है कि अगर हमने अभूतपूर्व कदम उठाया, साहसिक कदम उठाया तो विपक्ष उसका लाभ उठाकर हमको राजनैतिक हानि पहुंचा सकता है । इसलिए सरकार ने उन कदमों को उठाने का साहस नहीं किया । अगर मुख्य मंत्री जी ने सभी दलों को विश्वास में ले लिया होता तो कोई कारण नहीं कि सब लोग मिलकर कोई साहसिक निर्णय न लेते । जिससे प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा होता । जहां तक कानून व्यवस्था की बात है मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता केवल इतना कहना चाहता हूं आज कानून व्यवस्था की हालत यह है कि इस प्रदेश का एस० पी० मध्य प्रदेश के एक अपहरण काण्ड में सी० बी० आई० द्वारा पकड़ा जाता है । एक इंस्पेक्टर ऐसे लोगों को पकड़ता है जो फिरौती मांगने का काम करते हैं उसको इस बात के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है लेकिन बाद में उसको विजीलेंस में भेज दिया जाता है । मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि महाराजगंज में एक मंत्री हैं उनके विरुद्ध एक एस० पी० हिस्ट्री शीट खोलने का काम करता है लेकिन उसको वहां से हटा दिया जाता है । लखनऊ में जो घटनाएं हुई हैं उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं कल सदन में उस पर काफी चर्चा हो चुकी है । यह बात की जाती है कि उद्योग में हम प्राइवेट सेक्टर को तरजीह दे रहे हैं लेकिन मुख्य मंत्री जी ने यह बताने का काम नहीं किया कि कितना निवेश इस प्रदेश में आया है । कितनी इण्डस्ट्री प्रदेश में लग रही हैं । इस प्रदेश में बिजली नहीं है । इंस्पेक्टर राज है करोड़ों की फैक्ट्री लगाने वाले को बिजली विभाग का जे० ई० धमका सकता है । व्यापार कर का इंस्पेक्टर धमका सकता है । आप भले ही साहसिक निर्णय लेने की बात यहां पर करें लेकिन जब तक जनता में कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा काम नहीं बन सकता है । कितने व्यापारियों की हत्या हो चुकी है । हमारे जनपद में लगातर दुकानदारों को धमकाया जा रहा है । व्यापारियों से पैसा वसूली का काम हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अम्बरीष जी अब आप कन्क्लूड करें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मेरा निवेदन है कि कानून व्यवस्था से जो चीजें जुड़ी हुई हैं तो निवेश कोई कैसे करेगा ? माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक खेती में उद्योग में प्रगति नहीं करते, खेती का उत्पादन नहीं बढ़ाते, इण्डस्ट्री का उत्पादन नहीं बढ़ाते और विकास का दावा करते हैं तो वह दिवास्वप्न के अलावा कुछ नहीं है । खेती की बात करते हैं और उसमें 5.12% बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत खेती पर आश्रित है । माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने इसी हाउस में कहा था कि हम इस प्रदेश और देश की गरीबी का निवारण खेती पर लोगों की आश्रिता को कम करे बिना नहीं कर सकते । खेती पर आधारित उद्योग लगाये जायं जिससे कृषक आगे बढ़ सकें और हमारा प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ सके, इसका उल्लेख माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में नहीं किया गया है । कल हमारे सत्तापक्ष के लोग विपक्ष से कह रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायक निधि की स्थापना कर दी है और विपक्षी सदस्यों को उसके लिये बधाई देना चाहिए ।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि 200 करोड़ रुपये का नाबार्ड से लोन लेकर पं० दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर सम्पर्क मार्ग बनाने का काम किया जा रहा है, माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके

माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज विधायकों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, पं० दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर योजना चलायी जा रही है उसमें केवल बी०जे०पी० और सत्तारूढ़ दल के लोगो से प्रस्ताव मांगे जा रहे है और कम से कम 50-50 लाख रुपये के प्रस्ताव स्वीकार किये जा रहे हैं। 50 लाख रुपया विधायक निधि के नाम पर विपक्ष को और सत्तारूढ़ दल के लोगों को एक-एक करोड़ रुपया दिया जा रहा है, इसका क्या जवाब है ? यह सत्तापक्ष के लोगों से जानना चाहता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में एक लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग है। जबकि उत्तर प्रदेश के हिस्से में कुल 3 हजार किलोमीटर है, माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बजट भाषण में यह बताने का काम करते कि कितने प्रस्ताव ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजमार्ग बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं और कितनों की स्वीकृति होनी है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके अम्बरीष जी अब आप उपसंहार कीजिए।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, 3 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता शहरी विकास के लिए है, वह इस बात के लिए है कि हमें सही अर्थों में पानी पीने का दे सकें, सीवेज की व्यवस्था कर सकें। यह बताने का काम नहीं किया कि 3 हजार करोड़ रुपये की योजना कितने वर्षों में पूरा करना चाहते हैं, और इस वर्ष के बजट में कितना प्राविधान किया गया है ? माननीय विद्युत मंत्री जी मौजूद हैं 100-100 करोड़ रुपये की योजना बनायी जा रही है लेकिन इसका उल्लेख नहीं है कि यह फलां योजना के बारे में दे रहे हैं और वह इतने वर्षों में पूरी होगी, उसका खुलासा नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी के रिफरेंस के लिये बताना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में बिजली उत्पादन की बात की जा रही है लेकिन आज बिजली की क्या दुर्दशा है। हमारे अभियन्ता संघ ने कहा है कि अगर हमारे पास संसाधन उपलब्ध हों तो हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन लगभग 13000-14000 मेगावाट के बीच कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे भारत को विद्युत की आपूर्ति कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि आजादी के 50वां वर्ष है और यह उत्तर प्रदेश ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की धरती है जिन्होंने अपने लहू से भारत के इतिहास में अपना नाम लिखाया है। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि "सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बल इन बाजुए कातिल में है।" जब जेल में उनको फांसी हो रही थी। हम भूल गये उनके वह शब्द, जब फांसी के वक्त उन्होंने अपनी मां को यह सन्देश लिखा—

"वक्ते रुखसत इतना भी न आये कहकर
आंख पर से आंसू जो गिरे रुख खर बहकर
तिफ्ल उनको ही समझ लेना, दिल बहलाने को

हम भूल गये बलिया के चित्तू पाण्डे को, हम भूल गये चन्द्रशेखर आजाद को, जिन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की गोलियों से अपना सीना छलनी कर लिया, हम भूल गये उनको, जिन्होंने आजादी के लिये अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज पं० दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजना चलाई जाती है, अम्बेडकर के नाम पर योजना चलाई जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देता, अगर वह यह घोषणा करते कि इस आजादी के स्वर्ण जयन्ती वर्ष में आजादी के दीवानों के नाम पर अमुक योजना चलाई जायेगी। यदि हम आज के नवजवानों को प्रेरित करते, जिन्हें हम होस्टलों में ढूंढते हैं, अगर उनको इनकी कहानियां सुनाई होतीं, तो बेशक उनकी शक्ति इस प्रदेश के विकास मे लगाने का काम करते जो इस प्रदेश ही नहीं, देश के विकास में बहुत बड़ा सहायक होता। अन्त में चार पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं—

"हिन्दू या मुस्लिम के अहसासात को मत छेड़िये,
अपनी कुरसी के लिये जजबात को मत छेड़िये
छेड़िये एक जंग मिल जुल कर गरीबी के खिलाफ,
दोस्त मेरे मजहबी नग्मात को मत छेड़िये।

* श्री भारत सिंह रावत–

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। प्रस्तुत बजट में जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान आर्थिक जर्जर स्थिति का चित्रण किया और उसका निराकरण करते हुए सुन्दर बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, विरोधी पार्टी के लोगों ने इस बजट की आलोचना करने का एक असफल प्रयास किया है, उन्होंने जो यहां पर बिन्दु रखे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वह मन से इस बजट को स्वीकार कर लिये है। इस बजट में किसानों को 70 प्रतिशत देने का काम किया गया है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश के किसान सहमत हैं और उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसके अलावा बेरोजगारों के लिये जो रोजगार छतरी योजना, जिसके अन्तर्गत 10 लाख युवकों को रोजगार देने की व्यवस्था है, उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। विधायक निधि के नाम पर 50 लाख रुपया प्रति विधायक के हिसाब से भी रखने की बात कही गयी है। मुझे याद है कि इसी सदन में विरोध पक्ष के लोगों ने 3 दिन तक विधान सभा इसी मुद्दे पर नहीं चलने दी थी, आज वही लोग इस पर इसकी प्रशंसा करने को तैयार नहीं हैं। यह एक अत्यन्त क्रान्तिकारी कदम है, मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, अभी यहां पर विद्युत विभाग के बारे में बड़ी चर्चा हुई है, विरोध पक्ष के लोग वाकआउट भी किये, धरना भी दिये। आज जो विद्युत की खराब स्थिति है, उसके लिये कौन जिम्मेदार है, मैं बताना चाहता हूं कि उधर जो लोग बैठे हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, सरकार में रहे हैं, यदि उन्होंने विद्युत सुधार के लिये कुछ प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से यह प्रदेश विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं होता, अपितु विद्युत का निर्यात करने की स्थिति में भी होता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे उत्तरांचल में विद्युत विभाग के अधिकारी का यह मानना है कि वहां 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पन्न हो सकती है, जबकि मेरा मानना है कि वहां 30 से 40 हजार मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता पहाड़ की नदियों में है, लेकिन आज तक उसका दोहन नहीं किया गया। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं, टिहरी डैम के लिये, जो 1972 से बन रहा है, जिससे 1000 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 70 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी उसकी गति बहुत धीमी थी किन्तु अब उसमें एक नया आयाम देकर 100 करोड़ की राशि देकर इसको गति दी जा रही है। मनेरी भाली जिसकी क्षमता 304 मेगावाट थी जो कई वर्षों से बन्द पड़ी थी उस पर अरबों रुपया खर्च किया गया था इसी तरह से लखवाड़ बयासी योजना को लिया गया है इसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं जो निष्क्रिय पड़ी हुई विद्युत योजनायें हैं उनको उन्होंने चलाने का प्रयास किया है इससे जो विद्युत उत्पादन होगा उससे इस प्रदेश के विद्युत संकट से मुक्ति मिलेगी। जैसे विष्णुप्रयाग परियोजना है 400 मेगावाट की प्रस्तावित है, श्रीनगर में 300 मेगावाट विद्युत पैदा होगी। मान्यवर, हमारे यहां अनेक नदियां हैं जिनसे बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन यह जो उपेक्षा की गयी है वह उन सरकारों में की गयी है जो इसके महत्व को नहीं जानते। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हमारा जो उत्तरांचल का इलाका है उसको यहां के नौकरशाही के लिये खराब माना जाता है एक तरह से उसे काला पानी समझा जाता है और धमकाने के लिये कहा जाता है कि इसको पहाड़ पर भेज दिया जाय, यह मानसिकता रही है मान्यवर, वहां के विकास के लिये जल सम्पदा है, खनिज सम्पदा है, वन सम्पदा है, वह प्रदेश के लिये वरदान होती है लेकिन प्रदेश की नौकरशाही ने उपेक्षा करके एक ऐसी स्थिति में ला दिया है कि हमें एक अलग उत्तरांचल की मांग करनी पड़ी। मैं बधाई देना चाहता हूं इस सरकार को, भाजपा को कि उन्होंने उत्तरांचल बनाने का प्रस्ताव किया है। मान्यवर, एक समिति बनायी गयी है, वह समिति उत्तरांचल राज्य के निर्माण के लिये बनाई गई है। जब तक उत्तरांचल राज्य नहीं हो जाता मेरा निवेदन है कि तब तक हमको प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, 860 करोड़ का यह पहला बजट बहुत बड़ा समझा जा रहा है लेकिन उसकी विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुये, बेरोजगारी को देखते हुये यह बजट पर्याप्त नहीं है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हमारा दुर्भाग्य रहा है जैसा एक भाई ने कहा कि वहां काले पानी के रूप में समझकर किसी अधिकारी को धमकाने के लिये या अयोग्य अधिकारियों को भेजने का प्रयास रहता है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्तरांचल हमारा प्रदेश बन रहा है उसके लिये यह जो 800 करोड़ का बजट है वह बहुत कम है कहां गया है कि 27 प्रतिशत बजट इसमें बढ़ाकर किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पैसे का अवमूल्यन हुआ है उसी रूप में इसको आगे बढ़ाया जाय । प्लानिंग कमीशन का जो योजना आयोग है उसमें एक निर्णय किया है कि हिमांचल के बराबर हमको बजट मिलेगा । हिमांचल के बराबर उत्तरांचल के विकास में योगदान किया जायेगा । लेकिन वह नहीं किया गया । मेरी शासन से अपील है कि वह बजट हमको दिया जाय । दूसरे रूप में मैं यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर से लेकर मिजोरम तक जो पहाड़ी भू-भाग है उसके लिये आर्थिक पैकेज दिया गया लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़े रहने के कारण हमको कोई आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया । जिस रास्ते से कश्मीर को आर्थिक पैकेज दिया गया हमारे पूर्वांचल के राज्यों को दिया गया उसी तरह से मैं अपील करता हूं कि हमें भी आर्थिक पैकेज भारत सरकार से दिलाया जाय । यह हमारे लिये एक थोड़ा सा सहारा होगा । मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है नौकरशाही भ्रष्ट हो चुकी है और हमारे जो सत्तासीन लोग हैं वह भ्रष्ट हो चुके हैं । सरकार ने सुनिश्चित रोजगार के लिये हर ब्लाक में हर जिले में करोड़ों रुपये दिये हैं उसमें अधिकार जिला अधिकारी को दिया गया है इस सुनिश्चित रोजगार योजना में भी बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है । मान्यवर, ऐसा माना जाता है कि जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं वह पाक साफ होंगे लेकिन जो समाचार आते हैं उससे लगता है कि आई०ए०एस० कैडर के लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्होंने भी महाभ्रष्टों की पहचान के लिये अपने लोगों की एक कमेटी बनाई हुई है जो नोयडा में रहे हैं विकास प्राधिकरण में रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार की बातें आती हैं । मान्यवर, जब तक इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक इस प्रदेश के विकास के लिये जो आप बजट दे रहे हैं जो धन दे रहे हैं उसका कितना उपयोग होगा गरीब मजदूर किसान को बजट का लाभ मिलने वाला नहीं है । मुख्य मंत्री जी से मेरा यह भी निवेदन है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के लिये भी, डी०आर०डी०ए० की गवर्निंग बाडी की भांति गवर्निंग वाडी बननी चाहिये और उसमें जन प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिये और उसमें भी टेक्नीकल आडिट सेल का रोल हो । इन्हीं शब्दों के साथ में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह किसान छात्र सबके विरोध में है और झूठ का पुलिन्दा है । इसमें किसान दिवस और तहसील दिवस की बात कही गई है । तहसील दिवस में सी०डी०ओ०, डी०एम० और दूसरे अधिकारी बैठते हैं जो चाय नाश्ता में काजू किसमिस लेने के बाद गोल हो जाते हैं । बढ़ियां कुर्सियां और शामियाना लगते हैं और वे ठाट बाट से रहते हैं । अगर कोई समस्या रखता है और कहता है कि उसकी भूमि पर कब्जा हो गया है तो वह दरोगा को प्रार्थना-पत्र दे दिया जाता है कि आप उसे देख लीजिये और दरोगा चौकीदार को दे देता है । तो समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा केवल लिख देने से समस्यायें हल नहीं होंगी ?

(श्री मारकण्डेय चन्द्र जी के कुछ कहने पर)

माननीय मंत्री जी आप तो इसीलिये पाला बदलकर उधर चले गये । यह कल्याण सिंह जी की कृपा नहीं है, व्यवस्था की कृपा है । हमें जो 50 लाख रुपया मिला है उसमें आपका भी हक है परन्तु आप जो करोड़ों रुपया डकार रहे हो उसका आपको कोई ख्याल नहीं है । आप तो कुर्सी की दौड़ में लगे रहते थे।

50 लाख रुपया जिलाधिकारी के पास जायेगा और सी०डी०ओ० के पास उसका इस्टीमेट बनेगा उसके बाद उस धन का वितरण होगा । ऐसा नहीं है कि वह पैसा चुप-चाप आप की तरह जेब में चला जाय । मान्यवर, यह बजट गांव और शहर में बहुत अन्तर डालने वाला है । नकलमुक्त की बात आप करते हैं आप हमें यह बतायें कि कितने शिक्षक स्कूलों में पढ़ाई करवा रहे हैं आज विद्यालयों में शिक्षक हैं नहीं, पढ़ाई होगी नहीं केवल जवान बेटा और बेटियों को हथकड़ी पहनाने के लिये आपने यह कानून बनाया । माननीय मंत्री जी आप लोग तो अपने बच्चों को अलग कमरे में बैठाकर और उन्हें नकल करवाकर अव्वल श्रेणी में पास करवा रहे हैं, ताकि उन्हें ऊंचा रोजगार मिल सके परन्तु जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं और जो गरीब सवर्णों के बच्चे हैं उन्हें आप हथकड़ियां पहना रहे हैं अध्यापक तो आप लोगों का प्रचार करने में लगे हुये हैं । अक्ल आप लगायेंगे नहीं, वह आपके पास है भी नहीं । माननीय मंत्री जी आप तो खीरी के रहने वाले हैं जहां जंगल ही जंगल है इसलिये आपको अक्ल की कोई जरूरत भी नहीं है । सिंचाई की बात आप करते हैं । किसी भी नहर में टेल तक पानी नहीं है । एक तरफ माननीय मंत्री जी आप पैसा अवमुक्त करते हैं तो दूसरी तरफ जिलाधिकारी से खाली कागज बनाकर उस पैसे को अपने जेब में डाल लेते हैं इसलिये आपका यह ढपोरशंखी बजट को भी ऐसे ही रहने दीजिये । विद्युत विभाग के मंत्री जी आ गये हैं । अभी तक इनके छोटे भाई यहां पर थे जिनसे इनकी लड़ाई चल रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी चाय नाश्ते पर बुलवाकर इन्हें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु यह मानते नहीं हैं । वह खुद कहते हैं कि वह काम ही नहीं करने दे रहा है । आप कैफेटेरिया को ही देख लीजिये तीन दिन से वहां डेढ़-डेढ़ सौ रुपये के पंखे रखे गये हैं ।

ओ० सी० आर० में बिजली है । आप लिफ्ट में बैठे और चौथी मंजिल तक पहुंच गये और फिर बिजली चली गयी तब आप चिल्लाओगे कि हाय मुझे बचाओ, बिजली लाओ । माननीय मंत्री जी आप तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो सड़क पर आओ तब पता चलेगा । आप जब सड़कों पर आओगे, ओ० सी० आर० में आओगे और दारुलशफा में आओगे तब आपको पता चलेगा । आज पानी नहीं मिल पा रहा है । आप लोगों को तो भरा भराया पानी मिल जाता है लेकिन आज आम आदमी की क्या हालत है । अरे जिसकी आंख का पानी मर गया हो वह सरकार पानी की क्या व्यवस्था करेगी । आज न तो बिजली है और न ही पानी । छात्रों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है । आप लोग तो नकल करके पास करके आये हो अब श्री कल्याण सिंह जी ने कह दिया है जो नकल करेगा उसे दण्डित किया जायेगा, आप लोग सुधर जाओ और यह जो मेज के नीचे रखकर पढ़ते हो इसे पढ़ना बन्द कर दो । आप लोग खूब काजू किशमिश खा रहे हो । मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भाजपा और दूसरे दल के सहयोग से यह सरकार चल रही है । यह कोई दल नहीं है बल्कि यह सभी लोग दलदल में फंस गये हैं । अभी हमारे समता पार्टी के नेता चले गये मैं उनको कुछ जानकारी दे देता । बहुजन समाज पार्टी के जो लोग दल छोड़कर चले गये हैं मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि अगर वह कुछ काम करना चाहते हैं तो अपने दल में लौट आये नहीं तो जब दोबारा क्षेत्र में आओगे तो जीत नहीं पाओगे । मान्यवर, यह सरकार का बजट दो भागों में बंटकर आया है । पहला खण्ड और दूसरा खण्ड और तीसरा खण्ड मृत्यु खण्ड नहीं आया है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इस बजट में किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं किया गया है और यह सरकार दल की दलदल में फंस गयी है और इसको चौपटानन्द कर दिया है । पुलिस के बारे में कहा गया । कल्याण सिंह जी ने कहा है कि जो भी कोई होगा चाहे वह मंत्री हो, गुण्डा, चोर, डकैत हो वह किसी को बख्शेंगे नहीं

इसलिये आप लोग सम्भल जाओ और जो चोर डकैत हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खुली है उनको अपने यहां संरक्षण देना बन्द कर दो । मान्यवर, आज सिंचाई है नहीं, पानी की व्यवस्था है नहीं, बिजली है नहीं तो क्यों नहीं इसमें पैसा लगाते हो ।

मंत्री लोग काजू किशमिश खा रहे हैं और अपनी तन्दुरुस्ती ठीक कर रहे हैं । तबादलों को व्यापार बना लिया है और एक-एक तबादले के लिये एक लाख से 50 हजार रुपया लिया जा रहा है । इनके दलाल लगे हैं, कहते हैं कि गन्ना मंत्री से संबंध है, सहकारिता मंत्री से संबंध है । जो अधिकारी रुपया नहीं दे पाता है, वह फाइल दबाये मारामारा फिर रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप समय का ध्यान रखें । हमारी भी विवशता है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

सुनने का कलेजा रखिये । कृषि विभाग के अधिकारियों को जितना नोचा गया है, उसका क्या कहना । अगर अधिकारी ने अच्छा पैसा दे दिया, तो उसे अच्छी जगह दे दी और नहीं तो वह घूम रहा है और मंत्री जी के रिश्तेदार या और कोई संबंधी की तलाश कर रहा है, जिससे उसका काम हो जाये । आप व्यापारियों की बात करते हैं । लखनऊ शहर में ही व्यापारी के लड़के का अपहरण हो गया और आप कुछ नहीं कर पाये । पुलिस आज भी उसको खोज नहीं पायी है । पुलिस से घूस लेने वाले मंत्री सरकार को नहीं चला सकते हैं । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 13 थाने हैं, और सभी जगह चोरी, डकैती और कत्ल बढ़ गये हैं । भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन दहाड़े अपराध करा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें । मेरा एक अनुरोध है, सभी दलों के सचेतकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची मेरे पास है और उसी के अनुसार मैं माननीय सदस्यों को बुला रहा हूं । हमारी विवशता है । सदन का समय अधिक से अधिक 6 बजे तक है और इसी समय में सभी लोगों को बोलने का समय देना है । आप सभी लोग 5-5 और 6-6 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें तो अच्छा है ।

* श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह बड़ा ही सराहनीय बजट है, उसकी जितनी सराहना की जाये कम है ।

मान्यवर, अपनी बात कहने के साथ ही साथ दूसरों की बात को सुनने की हिम्मत रखनी चाहिये । मान्यवर, वास्तव में जो बजट रखा गया है वह संतुलित बजट है, हर दृष्टिकोण से इसमें सभी की समस्याओं को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है, इसलिये इस बजट की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम है । मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में हर बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया है । मान्यवर, भारत वर्ष किसानों का प्रदेश है । यहां की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी किसानों की है और किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर यह बजट संतुलित बजट बनाया गया है । मान्यवर, इस बजट में किसानों को ध्यान में रखकर योजनायें बनायी गयी हैं ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था के बारे में जिस प्रकार से दो दिनों से यहां चर्चा हो रही है उसमें मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि निश्चित तौर से कानून व्यवस्था में सुधार आया है और चोरी, डकैती, बलात्कार और हत्याओं की घटनाओं में गिरावट आयी है जिसे प्रतिपक्ष के लोग भी स्वीकार करेंगे। आज पूरे प्रदेश में अपनी बात रखने के लिये विधायक निधि की स्थापना की गयी है। इस निधि को बनाने के लिये पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने जोर देकर कहा था जिसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार करके बजट में व्यवस्था किया है। मान्यवर, हम लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में 25 हैण्ड पम्प देने की मांग किया था जिसे पूर्ववर्ती सरकार देना तो दूर उसे स्वीकार नहीं किया था किन्तु श्री कल्याण सिंह की सरकार में 25 हैण्ड पम्प हर विधायक के क्षेत्र के लिये स्वीकार किये गये और उसका क्रियान्वयन हमारी सरकार ने किया है जिसका लाभ दोनों पक्ष के लोग ले रहे हैं।

मान्यवर, आज शिक्षा के बारे में दोनों तरफ से बातें उठ रही हैं। मैं शिक्षक रहा हूं और यहां आने से पहले अध्यापन के कार्य से जुड़ा रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि एक छात्र श्री अशोक कुमार जो फर्स्ट आया था उसे नकल कराने की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार के समय में की गयी थी लेकिन श्री कल्याण सिंह की सरकार में नकल अध्यादेश लाने से नकल कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। नकल करके पास होने से बच्चों को वास्तविक ज्ञान नहीं होता है और उन्हें प्रार्थना-पत्र लिखना तक नहीं आता है। नकल करके डाक्टर और इन्जीनियर बनने से उनके ज्ञान के अभाव में प्रदेश का विकास नहीं होगा। जैसे नकल करके डाक्टर बन गये और जब वह आप्रेशन करने गये तो कैंची पेट में ही छोड़ दिया जिससे जब उसे दर्द हुआ तो दोबारा आप्रेशन करके कैंची निकालना पड़ा। आज प्रतिपक्ष के लोग नकल अध्यादेश की आलोचना करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नकल अध्यादेश के पहले स्कूलों मे पढ़ाई नहीं होती थी। लड़कों को यह तक नहीं मालूम होता था कि कौन पुस्तक पढ़ाई जा रही है, हाई स्कूल एवं इण्टर में कौन-कौन सी पुस्तकें हैं। इससे बच्चों को ज्ञान नहीं होता था। बच्चे पढ़ने की जगह सिनेमा देखते थे। हमारी सरकार के समय में इस प्रवृत्ति पर रोक लगी है और शिक्षा में सुधार हुआ है। आज प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई तो होती नहीं है लेकिन नकल पर अवरोध लगा दिया गया। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि नकल विरोधी अध्यादेश से शुरू में कठिनाई तो अवश्य होती है लेकिन बाद में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार अवश्य होगा। इसलिये ऐसे छात्र स्कूल और कालेज जायेंगे और जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पर ध्यान देंगे जिससे सारी व्यवस्थायें सुधरेंगी। शिक्षा ही समाज की रीढ़ होती है। यदि अज्ञान और अशिक्षा समाज में होगी तो सारी व्यवस्थायें टूट जायेंगी। अतः नकल अध्यादेश जो लाया गया है वह प्रशंसनीय है।

मान्यवर, सड़कें टूटी हैं जिससे स्कूटर और गाड़ियां भलीभांति लोग नहीं चला सकते हैं किन्तु हमारी सरकार ने सड़कों के निर्माण पर और उनकी मरम्मत पर ध्यान दिया है जिससे पहले से इसमें सुधार आया है।

मान्यवर, बिजली के संबंध में जैसा लोगों ने कहा है उसमें निश्चित तौर से आज बिजली की समस्या है। इसमें तत्काल कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है किन्तु हमारी सरकार ने बिजली के सुधार में ध्यान दिया है और योजनायें बनायी हैं परन्तु उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन इसके साथ ही इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बिजली की चोरी नहीं हो रही है। हर गांव में जहां पर 10 हार्स पावर और 5 हार्स पावर के कनेक्शन दिये गये हैं उससे ज्यादा बिजली वहां खर्च की जा रही है। आप जब गाड़ियों से सड़क से गुजरते हैं तो आप स्वयं देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ट्यूबवेल चल रहे होते हैं और उनसे लाइट भी ली जाती है। आप इसका विरोध नहीं करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उनसे हमे वोट लेना है इसलिये इसमें सुधार नहीं हो सका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट में एक और सराहनीय काम किया गया है जहां रेलवे क्रासिंग पर आये दिन दुर्घटनायें हो जाती थीं कहीं पर क्रासिंग में छोटी गाड़ियां और कहीं पर बड़ी गाड़ियां टकरा जाती थीं और दर्जनों लोग घायल हो जाते

थे, ऐसी जगहों पर ओवर ब्रिज बनाने की व्यवस्था की गई है । निश्चित रूप से इससे एक्सीडेन्ट रुकेंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों का भी इस बजट में बहुत ध्यान रखा गया है । निश्चित रूप से हर बिन्दु को इसमें टच किया गया है । इसकी जितनी सराहना की जाये कम है । हम गांव के लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थान हैं जिनकी तुलना विदेशों से कर सकते हैं, तो उन स्थानों को उजागर करने का काम भी इस बजट में किया गया है । ताकि विदेशी पर्यटक आयें और उन दर्शनीय स्थलों का वह भ्रमण कर सकें । हमारे बजट में ऐसे रमणीय स्थानों के लिए भी व्यवस्था की गई है चाहे वह आगरा हो, काशी हो, मथुरा हो या अन्य दर्शनीय स्थल हों वहां पर विदेशी पर्यटक आयेंगे और उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी । इसी तरह रिक्शा चालकों को भी उनका मालिक बनाने की व्यवस्था की गई है । 5, 10, 15 रुपये रोज जमाकर वह मालिक बन सकता है । इसी तरह जो बेघर मजदूर हैं जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है वह मकान बनाने के लिए 10, 15 और पांच रुपया रोज जमाकर भी मकान ले सकता है । यह बजट हर दृष्टि से संतुलित है । मैं दो दिन से प्रतिपक्ष की बात सुन रहा हूं । कल की बात है प्रतिपक्ष से बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ और वह इसलिए कि इसके विरोध में बोलने के लिए कुछ नहीं है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अच्छी बात का वह स्वागत करें और जो गलत बात है उसका विरोध करें। मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारा सहयोग करें । तू-तू मैं-मैं तो होती रहती है लेकिन महत्वपूर्ण मामलों में आपका हमें सहयोग मिलेगा तो इससे प्रदेश का भला होगा । दो-दो चार ही कहना चाहिए, दो-दो पांच नहीं कहना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और प्रतिपक्ष से अपेक्षा करता हूं कि आपका हमें सहयोग मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाण्डेय जी आपने समय का ध्यान रखा इसके लिए आपको साधुवाद है ।

*श्री राम नक्षत्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पहली बार इस हाउस के अन्दर यह दो भागों में बजट भाषण की किताब मिली है । यह एक गौरतलब बात है कि यह झूठ का पुलिन्दा है । इसमें कोई तरक्की की बात नहीं है यह देश हित में नहीं है और न प्रदेश की आवाम के समग्र विकास के लिए है । आप जानते हैं कि प्रदेश के हजारों लोग तड़प-तड़प कर मर रहे हैं उनके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है ।

पढ़े-लिखे नौजवान एम० एस० सी०, बी० एस-सी०, रिसर्च और इन्जीनियरिंग और डाक्टरी करने के बाद बेकार घूम रहे हैं । जिनके गरीब मां-बाप ने बड़े अरमान लेकर ऊंची शिक्षा दी, जमीन और जेवर बेचकर लड़कों को पढ़ाया ।

उसका शादी ब्याह भी इसी आधार पर हुआ कि लड़का पालीटेक्निक में इंजीनियरिंग कर रहा है । बी० एड०, बी० टी० सी० कर रहा है लेकिन आज हालत यह है कि विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन तो दी जा रही है लेकिन हमारे जो एम० एस० सी०, बी० एस० सी० पढ़े हुये नौजवान हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । हम मांग करते हैं कि इस बजट भाषण में जोड़ दिया जाय कि बेरोजगारी भत्ता, बेकारी भत्ता दिया जायेगा या काम दिया जायेगा । अपराध नियंत्रण पर मुख्य मंत्री जी का भाषण है । अपराध नियंत्रण की गाज निरपराध लोगों पर गिर रही है । फर्जी मुकदमों में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है और अपराधी लोग विधान सभा में बैठ रहे हैं । गांव के गरीब, कमजोर लोगों की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एफ० आई० आर० नहीं लिखी जा रही है । भा० ज० पा० कार्यकर्त्ताओं के भारी दबाव में निर्दोष व्यक्तियों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है । इस समय कानून व्यवस्था नाम की चीज पूरे प्रदेश में नहीं रह गयी है । चारों तरफ यह सुनने में आ रहा है कि गरीब, कमजोर, लाचार, मजदूर पर अत्याचार हो रहे हैं । जो सामर्थ्यवान हैं मजबूत हैं उन्हीं के लिये प्रदेश का कानून है । हम चाहते हैं कि कानून सबके लिये हो और कमजोर मजदूर की सुरक्षा हो लेकिन इस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कृषि को आप देख लीजिये । नहरों को आप देख लीजिये । आज 80 प्रतिशत नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा है वह काम करना बन्द कर चुकी है । नहरों में मिट्टी भर गयी है । नहरों के कुलावे टूट गये हैं । इस समय हालत यह हो गयी है कि 20 प्रतिशत खेतों को पानी नहीं पहुंच रहा है उसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये । हमारी जमीन भी आदमी की तरह बीमार हो गयी है उसकी उत्पादन क्षमता घट गयी है । जमीन की इस बीमारी को दूर करने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है । बिजली के क्षेत्र में बड़ी कठिनाई है आज पूरा प्रदेश बिजली की कमी से त्रस्त है । कहीं पर खम्भे हैं तो तार नहीं हैं और कहीं पर तार हैं तो खम्भे नहीं हैं । आज जो कमजोर लोग हैं जब उनके घरों में बिजली नहीं है तो कहा जा रहा है कि कटिया लगाते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो भारी उद्योग हैं जो बड़ी फैक्टरियां हैं वहां पर करोड़ों रुपयों की बिजली की चोरी होती है इस बिजली की चोरी को रोकने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसी तरह से शिक्षा जगत में जो हमारे 15 साल से गांवों में शिक्षा देने का काम रहें हैं दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे विद्यालयों को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है । वहां पर 15-15 साल से लोग पढ़ा रहे हैं अगर वह न पढ़ाते तो प्रदेश में शिक्षा के नाम पर अन्धकार हो जाता लेकिन इतने समय से पढ़ाने के बावजूद भी ऐसे लोगों के बच्चे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं । सरकार ने शिक्षा के नाम पर कोई प्राविधान नहीं किया है ।

मान्यवर, यहां पर देखिये फार्मेसिस्ट लोग हैं कई महीनों से लाठी डंडे खा रहे हैं । उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है । भारी रकम देकर उन्होंने फार्मेसिस्ट में दाखिले कराये थे गारन्टी थी कि नौकरी मिलेगी लेकिन 1989 से कोई नियुक्ति नहीं हुयी है इसके लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है । मान्यवर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र की बात है । मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं कि तीन-तीन सालों से लगातार उनकी फसल नष्ट होती जा रही है । वह किसान पहले कर्ज लेकर काम करता था लेकिन तीन साल से उनके खेतों में एक दाना अनाज नहीं उगा । कई किसानों ने बैंक के कर्ज से तबाह होकर आत्महत्या करने का काम किया है लेकिन उनके मुआवजे के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है । उनके लिये बिजली पानी की कोई बात इसमें नहीं है । बुन्देलखण्ड का 99 प्रतिशत क्षेत्र है जहां एक भी सड़क नहीं है । वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्थाओं को इस बजट में जोड़ा जाय ।

मान्यवर, हम आपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां पर बनारस में हमारे बुनकर भाई काम करते हैं, मऊ में काम करते हैं । बुनकर समाज एक बिरादरी का नहीं है । इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों काम करते हैं । कच्चा माल हिन्दू देता है मुसलमान बनाता है हिन्दू उसको बेचता है लेकिन आज बनारस की साड़ियां जो अपनी सभ्यता के नाम पर जिसकी हुनर की चर्चा दुनिया में होती थी आज उसको बनाने वाले भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं । इनकी इन हालत को जानते हुए भी उनको कच्चा माल दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । उनको बिना ब्याज का ऋण देने की व्यवस्था की जाय ताकि उनका हुनर आज भी सुरक्षित रह सके । प्रदेश के विकास के लिये जिसमें बुनकरों का विशेष योगदान है इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है । इसको भी इसमें जोड़ा जाय । हमारे एप्रेन्टिस भाई कई महीनों से मांग कर रहे हैं उन पर लाठी बरसा दी जाती है । उन्होंने जिन विभागों में काम किया है उनमें उनका समायोजन कर लिया जाय । यह दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान

मुख्यमंत्री कानून की बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं । यह भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों के लिये, नवयुवकों के लिये जो बेरोजगार हैं कोई कानून नाम की चीज नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी जो कानून की बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं हम चाहते हैं कि जो एप्रेन्टिस भाई हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्होंने जिन विभागों में काम किया है उनमें उन्हें समायोजित किया जाय । हम आपका ज्यादा समय लेने की कुचेष्टा नहीं करेंगे । अंत में यह कहना चाहेंगे कि झूठ का यह जो पुलिन्दा बजट के नाम पर दिया गया है इसको फाड़ कर आपको समर्पित कर दें लेकिन हम इसको रख लेते हैं प्रदेश की जनता को दिखाने के लिये । इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, हम नये सदस्य होने के नाते आपने जो बजट की सामान्य चर्चा में बोलने के लिये हमको समय प्रदान किया है उसके लिये आभार व्यक्त करते हैं । 1998-99 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया वह सराहनीय है, मैं उसका समर्थन करता हूं । हमारे प्रदेश में अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है । गांव की जनता के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं, लाभकारी योजनाएं इसमें दी गई हैं । जैसे सड़कों को जहां 7 किलोमीटर सड़क बनाकर प्रत्येक 1710 गांवों को जोड़ने का प्रयास किया गया है वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुंआ बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कन्याओं के लिये कालेज खोलने का कार्य किया गया है । इसके लिये 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है । जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है सिकन्दराराऊ वह काफी पिछड़ा है ।

जहां हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी है वहां उद्योग लगाने की व्यवस्था की होती तो अच्छा होता हसापन ब्लाक में गुलाब की खेती प्रचुर मात्रा में होती है । पुरदिलनगर में दस्तकारी मूंगा मोती का काम होता है जिससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा आती है अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो करोड़ों के बजाए अरबों में विदेशी मुद्रा आती । मान्यवर, सिकन्दराराऊ में जी० टी० और बी० एम० रोड लगती है यहां बस स्टैण्ड की व्यवस्था नहीं है अगर यह प्राविधान करते तो काफी अच्छा होता इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री रामसिंह सैनी–

मान्यवर, आपने मुझे सामान्य चर्चा पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि शासन धमक और इकबाल के साथ चलता है लेकिन माननीय अधिष्ठाता जी, पिछले नौ महीनों से कोई धमक की बात इस शासन की गतिविधियों को देखने से नहीं लगती है । मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में पेज–6 और 8 पर कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की बात कही है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज की स्थापना और अपराधों पर नियंत्रण, सामाजिक समरसता और सौहार्द्र बनाए रखना हमारी प्रथम वरीयता होगी । इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए अपराध पिछले नौ महीनों में घटे हैं आप स्वतः लखनऊ में रहते हैं लखनऊ की घटनाओं को देखें कितने जघन्य अपराध पिछले 6-7 महीनों में घटित हुए हैं । 26 मई, को कमल कृष्ण रस्तोगी एक दवाई विक्रेता थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके लड़के का अपहरण राजधानी में हुआ । डी० जी० पी० और मुख्यमंत्री जी यहां हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं । मूलराज कांड यहां हुआ । जनसिंह कांड यहां पर हुआ वीरेन्द्र विक्रम सिंह कांड हुआ पेट्रोल पम्प की लूट और हत्यायें हुई और तो और मान्यवर, परसों आपने देखा पौने तीन लाख की लूट तालकटोरा में हुई है राजधानी की हालत इस तरह की है और आप दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुधरी है इनके तौर तरीके यही हैं इनके समन्वय का आंकलन यही है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मान्यवर, रुड़की से मैं आता हूं वहां निर्मम हत्या कांड हुआ है हृदय विदारक घटनायें घटी हैं । रुड़की ऐसा शहर है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान में शान्ति व्यवस्था और शिक्षा के जगत में जाना जाता है । मान्यवर, मुकेश गोयल का लड़का पांचवीं कक्षा में पढ़ता है सिविल लाइन रुड़की सेंसटिव क्षेत्र हैं सुबह आठ बजे उसे उठा लिया गया । 35 दिन बाद उसको छोड़ा गया । 25 लाख की फिरौती उसके बाप से वसूली गई । डा० फूलसिंह का अपहरण वहीं से हुआ दंगों में गंगा जो सहारनपुर में है वहां पर एक सरदार फैमिली को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया । पेट्रोल डालकर उनके घर में आग लगा दी गई । वहां पर मोदी परिवार के बच्चे का अपहरण कर लिया गया । 15-20 दिन बाद उसकी लाश मिली । उसकी लाश कई जगह से कटी थी । मंगलौर में मेन बाजार में गोयल ब्रदर्स का सरे आम गोलियों से भून दिया गया । उनके बराबर वाले दुकानदार को भी गोली मार दी गई । मुजफ्फरनगर में तो रिकार्ड हो गया वहां पर पूरे देश तो क्यो दुनिया में क्राइम का ग्राफ सबसे ज्यादा है । हमारे संसदीय कार्यमंत्री श्री हुकुम सिंह जी के जनपद में सिखेड़ा में युवती के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई । ग्राम धौंसी में एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई । भौरी कला में सीमा का अपहरण कर लिया गया । झिंझाना बाजार में राकेश कुमार जो कपड़ा दुकानदार हैं उनकी दुकान को दिन दहाड़े लूट लिया गया ।

भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार ने जनता को भयमुक्त बना दिया है । एक जनवरी 98 से लेकर 15 मई 98 तक डकैती और लूट तथा हत्याओं का ग्राफ बढ़ा है । एक जनवरी 1998 से 15 मई 1998 तक डकैती इस प्रदेश में 349 हुई हैं, लूट की घटनाएं 1615 हुई हैं, हत्या की घटनाएं 2,905 हुई है दंगे 2,471 हुए हैं । करस्पांडेंट इसी अवधि में डकैती 332 हुई हैं लूट 1,505 हुई हैं हत्या 2,851 हुई हैं दंगे 1,788 हुए हैं । ग्राफ बताता है कि 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है । आज कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है । यहां पर एस० एस० पी० कहते हैं कि आप सुबह घूमने न जाएं । पेट्रोल डलाने के समय यह न बताएं कि कहां जाना है । आज हम जैसे लोगों का जीवन भी खतरे में आ गया है । आज इनका दावा खोखला है । इस बजट में किसानों को नजरन्दाज किया गया है । अगर हरियाणा और पंजाब की तरह इसमें प्राविधान होता कि किसानों को मुफ्त पानी मिलेगा किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी तो ठीक था । इस तरह का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया । जो औजार कृषि में प्रयुक्त होते हैं उन पर सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए थी । अगर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री का दबाव न होता तो यह खाद पर जो वृद्धि की गई थी उसको वापस न लेते ।

मान्यवर, यह इनकी नीयत का द्योतक है । यह बजट किसान विरोधी है, कोई प्राविधान नहीं किया गया है । जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलायी थीं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी थी, इस प्रकार का कोई प्राविधान इसमें नहीं किया गया है । मान्यवर, सिंचाई की बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 सालों से पहले प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में ट्यूबवेल की व्यवस्था होती थी, 5-7 नये ट्यूबवेल लगते थे लेकिन इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है और यह कह रहे हैं कि हम सिंचाई की सुविधायें बढ़ायेंगे । मान्यवर, गंगा कैनाल को 14 वर्ष में बनाकर पूरा कर दिया गया । पैरलेल गंगा कैनाल बन रही है । यह वर्ष 1986 से बन रहा है और करीब-करीब 12 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी रुड़की तक नहीं बना है । सिंचाई की योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं । जहां तक स्वास्थ्य की चर्चा की है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बहुत से अस्पताल हैं जिसमें साधन नहीं हैं । हमारे यहां जगदीश नारायण सिन्हा गर्वमेंट हास्पिटल हैं जिसकी बहुत अच्छी बिल्डिंग है लेकिन वहां पर न अल्ट्रासाउण्ड और न एक्सरे की सुविधा पिछले दो वर्षों से है । जितने मरीज दुर्घटना के आते हैं उन्हें बाहर रिफर कर दिया जाता है । इस प्रकार का प्राविधान होना चाहिए कि जो

100 शैय्या के अस्पताल हैं वहां पर इस प्रकार की सुविधायें हों ताकि जनता को सुविधायें मिल सकें। इस प्रकार की व्यवस्था चिकित्सा में नहीं की गयी है।

गन्ने की बात कहना चाहता हूं। गन्ने की कीमत के रूप में 207 करोड़ रुपया बकाया है उस पर किसान को कोई ब्याज नहीं मिलता है। या तो शासन इस प्रकार का प्राविधान करे कि उन किसानों की जिनका गन्ना भुगतान बकाया है उनको इतना परसेण्ट इन्ट्रेस्ट मिलेगा, लेकिन कोई ब्याज का प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। आज किसानों का 207 करोड़ रुपया बकाया है आप चीनी मिलों के विरुद्ध आर० सी० जारी करते, पहले की सरकारों में यह हुआ है अगर कोई मिल मालिक गन्ने का भुगतान नहीं किया है तो आर० सी० जारी की गयी है। साथ ही साथ हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय हिन्दुस्तान में सबसे कम है, इस बजट में यह प्राविधान नहीं किया गया है कि किस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ायेंगे, इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अंत में मैं एक स्थानीय समस्या के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहां सौदानी नदी है जिसकी तुलना अगर हम चीन के ह्वांगहों से करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस पर वर्ष 1984 में पुल मन्जूर हुआ था, उससे 60-70 गांव जुड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस पुल के बन जाने से बहुत बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। पुल स्वीकृत हुआ था, बजट में प्राविधान हो गया था लेकिन कुछ स्थानीय संघर्ष की वजह से उसका निर्माण नहीं हो सका। मैं आपसे मांग करता हूं कि जनहित में भगवानपुर के पास सौदानी नदी का पुल बनाने की स्वीकृति प्रदान करें तो बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम आपकी ओर से होगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय का बार-बार निर्देश हो रहा है, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट किसानोन्मुखी, गरीबोन्मुखी, रोजगारोन्मुखी, निवेशोन्मुखी, क्षेत्रीय संतुलनोन्मुखी तथा कल्याणोन्मुखी है, मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा और समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं अपनी बात संक्षिप्त में चंद छन्दों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा–

"दलितों का करेगा सही उद्धार यह बजट,
गरीबों के वास्ते बना उपहार यह बजट
होगा चतुर्मुखी विकास देखना यारो,
लाई है अबकी बार जो सरकार यह बजट।"

यह बजट हर तरह से उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, इस बजट में हर दृष्टि से संतुलित विकास करने की व्यवस्था की गई है, जो व्यवस्था जर्जर होती जा रही थी, उसको यह बजट सुदृढ़ करेगा।

"प्रदेश का विकास धुंआधार करेगा,
शोषित दलित मजदूरों का स्वप्न साकार करेगा,
होगी व्यवस्था चुस्त जो जर्जर थी हो रही,
बीमार उत्तर प्रदेश का उपचार करेगा।
संभावनाओं से भरा अनुमान बजट है,
सबके लिये उत्थान की यह खान बजट है,
बिन समझे लाल पीले हो रहे विरोधियों,
तुम सबके लिये भी यही वरदान बजट है।

आगे का छन्द है–

किसानों के लिये खुशनुमा उपहार है बजट,
व्यापार के लिये तो असरदार है बजट,
जो लूटते रहे हैं सदा ही प्रदेश को,
उनके लिये तो लगता कारागार है बजट ।"

मान्यवर, यह बजट हमारे ग्रामीण भाइयों के लिये बहुत अच्छा बजट है । पहली बार ऐसा बजट है जिसमें किसानों की व्यापक रूप से चिन्ता की गई है और 70 प्रतिशत धन का प्राविधान उनके लिये रखा गया है, यह प्रशंसा योग्य है ।

ग्रामीणों की किया चिन्ता पहली बार बजट है,
बेरोजगारों को दे रहा कई रोजगार बजट है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः का आधार बना जो,
सरकार का कर मुक्त जोरदार बजट है ।

अभी हमारे विपक्ष के भाई माननीय सदस्य जो इसके विरोध में बोल रहे थे, मैं तो कहता हूं कि जो इस बजट में कमी हो, उसकी खुलकर निन्दा करें लेकिन जो अच्छाइयां हैं, जो विकास के लिये प्राविधान किये गये हैं, उसकी खुलकर आप लोगों को प्रशंसा करनी चाहिये । मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके कोई प्रश्न इस बजट के बाद अछूते रह गये हों । हमारे विद्वान मुखिया माननीय कल्याण सिंह जी ने सभी प्रश्नों का समाधान करने का काम इस बजट में कर दिया है –

उलझे हुये प्रश्नों के समाधान का बजट,
संतुलित विकास के सही प्रावधान का बजट
कुछ भी नहीं अछूता समावेश सभी का,
सबके कल्याण के लिये कल्याण का बजट ।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुये इस बजट का समर्थन करता हूं और इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सौलत अली–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, यह जो चर्चा कल से शुरू हुई है तो सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य जो हमारी तरह से अपने आपको नया बता रहे थे कि पहली बार चुनकर आये हैं । उन्होंने एक विशेष जानवर का उल्लेख किया था । मान्यवर, सदन की गरिमा को देखते हुए मैं उनका शत-प्रतिशत समर्थन तो नहीं करूंगा । लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत हूं और जो मुझे भी देखने को मिली कि जब कभी विपक्ष की तरफ से कोई अच्छी बात कहने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हो तो जरूर ऐसा होता है कि पहले ट्रेजरी बेन्च की तरफ से एक आवाज आयेगी और फिर उसमें बहुत सी आवाजें मिल जाती हैं, यह बात अच्छी नहीं है । माननीय अमरमणि जी आज नहीं दिखाई दे रहे हैं । जब अम्बिका चौधरी जी का भाषण चल रहा था तो व्यंगात्मक टिप्पणी उनकी चल रही थी, कई टिप्पणियां उन्होंने की । एक यहां से एक दूसरी जगह से और फिर यहां के बाद से वहां से । उनकी टिप्पणियों को मैं बुरा नहीं मानता हूं उनको जल्दी-जल्दी जगह बदलने की आदत है हो सकता है कि कोई टिप्पणी जल्दी ही हमारी तरफ से आकर करें । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें मैं कुछ खास-खास

बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि बजट भाषण एक बहुत ही खूबसूरत शब्दों का जाल था। एक नई बोतल में पुरानी शराब को भरा गया। वही व्यवस्था, वही बातें कोई नई चीज नहीं थी हां, कुछ अच्छे स्लोगन जरूर इस्तेमाल हुए हैं। जनता की सरकार जनता के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, डेवलपमेन्ट आफ हिल एरिया, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि-आदि।

मान्यवर, पहले भी सरकारों ने बजट प्रस्तुत किये हैं और उनमें भी यही सब बातें आई हैं, प्रयास भी हुए हैं। इसमें ऐसी कौन सी नई चीज है इसमें सिर्फ शब्दों को नया रूप दिया गया है। मान्यवर, मुख्यमंत्री महोदय अपने भाषण में तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे उन्हीं पर ज्यादा जोर था लेकिन उन्होंने बजट में कहा है कि हमारा बजट सरकारी आंकड़ों पर विश्वास नहीं रखता है। उन्होंने कल जो तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किये पिछली सरकारों के, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार में हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार इन अपराधों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती हैं और शायद इसलिए नहीं लिखते कि मुख्यमंत्री का जो प्रतिशत वाला आंकड़ा है उस पर कोई असर पड़ जायेगा।

मान्यवर, इस सरकार में मुर्गी हत्या को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और हीनियस क्राईम माना जाता है। इस बजट में बार-बार भयमुक्त समाज और भयग्रस्त अपराधी का जिक्र आया है। मान्यवर, मैं अपने जनपद मुरादाबाद के भगतपुर की घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। 9 मई को एक लड़के पर हमला हुआ, उसकी 307 के अन्तर्गत एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी उसमें नम्बर पड़ा क्राईम नम्बर 156 सन् 1998। चूंकि वह लड़का सत्ता का विरोधी है तुरन्त एक घंटे के बाद एक एफ० आई० आर० क्रास केस के रूप में 156 ए के रूप में धारा 279/337/148 की लिखी गयी वह एक्सीडेन्ट की धारा है एक मुर्गी की जान ली गयी उसको मोटर साईकिल से मार दिया। अगर ऐसी बात थी तो यह पहले दर्ज होनी चाहिये थी उसका क्राइम नम्बर 148ए नहीं होना चाहिए था। नारा दिया गया है कि भयग्रस्त अपराधी और भयमुक्त समाज लेकिन कितना भय से ग्रसित किया जा रहा है। उस क्रास केस में उसी रात में 7 लोगों को उसमें मुलजिम बनाया गया उसमें गांव प्रधान तक को मुलजिम बनाया गया। एक ही रात में 11 जगहों पर दबिश करके सम्मानित जनों के घरों में जाकर सत्ता का खुलकर दुरुपयोग किया।

मान्यवर, पूछा जा रहा है कि मुर्गी का क्या हुआ, मुर्गी का पोस्टमार्टम हुआ पुलिस जीप में वह लेटकर आयी उसके बाद सुबह में मुर्गी के केस में चालान कर दिया गया। उच्चाधिकारियों को शिकायतें पहुंची उन्होंने एहसास किया और शर्मिन्दगी जतायी और न्याय दिलाने का वायदा किया लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ यह देखने की बात है कि इस सरकार में एक मुर्गी के मर्डर को इतना गंभीरता से लिया जा रहा है और आदमी की हत्या को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अब मैं बजट की विशेषताओं पर आ रहा हूं। उधर से प्रशंसा की गयी कि हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेन्ट में जाय मीनू सामने आता है यह सब्जी है कहा जाता है कि नहीं है दही है आज नहीं है कई चीजें ऐसी आ जाती हैं कि नहीं है। तो उसी मीनू की तरह ही हर वर्ग के लिए एक लालीपाप पकड़ा दिया गया है लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिये क्या योजना बनायी है इसका कोई उल्लेख नहीं है। पेज 49 पर ऐक्ट की धारा 3/7 का और व्यापार कर में सुविधा देने की बात का उल्लेख आया है इसमें क्या नया है यह तो माननीय मुलायम सिंह जी पहले ही कर चुके हैं केवल शब्दों को नया रुप इसमें दे दिया गया है और इसकी वाहवाही लूटने की कोशिश की है। पुराने बजट की नकल कर दी है। पुरानी सरकारों ने जो बजट प्रस्तुत किये हैं उसकी नकल है। मुख्य मंत्री जी महोदय को बजट तैयार करते वक्त यह जानकारी नहीं रही कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में नकल विरोधी अध्यादेश लागू कर दिया है वरन् उसके डर से नकल का प्रयास नहीं होता।

विधायक निधि की बात कही गयी है । इस बजट प्रति में कहा गया है कि स्थल चयन हेतु आवश्यक नियम बाद में बनाये जायेंगे । मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप नियम बनायेंगे तो हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं । क्योंकि होता यह आया है कि आपके विधायक के शत-प्रतिशत काम हो जाते हैं और विपक्ष के नहीं ।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के अपने क्षेत्र में जहां वह सबसे ज्यादा पिछड़ा समझते हैं अपने रुचि के हिसाब से विकास करने का अधिकार संबंधित विधायक का होगा । 50 लाख रुपये की धनराशि का डिस्पोजल उनके द्वारा होगा । जो भी नियम और उप नियम बनेंगे, वह सत्ता पक्ष के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग, ऐसा कभी नहीं होगा । इसमें हम कोई शिकायत नहीं छोड़ेंगे, इसमें लेशमात्र भी कहीं पर कोई भेद नहीं होगा ।

श्री सौलत अली–

माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया । मान्यवर, यहीं पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अभी तक आपकी जो योजनायें व कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे गतवर्ष नहर पटरी योजना चलायी गई थी, उसके अन्तर्गत साढ़े बारह किलोमीटर की सड़क पक्की होने के लिए मुरादाबाद को भी मिली थी । हम बहुत खुश हुए । इत्तफाक से केवल दो विधान सभा क्षेत्र का ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद में यह नहर पड़ती है । हमसे भी सवा छः किलोमीटर का प्रस्ताव मांगा गया और सवा छः किलोमीटर का ठाकुरद्वारा के विधायक से मांगा गया परन्तु बाद में पता चला कि वह साढ़े बारह किलोमीटर की सड़क ठाकुरद्वारा में ही बन गई । इसलिये मैंने नियम/उपनियम की बात कही । मैंने इस संबंध में जब डी० एम० से शिकायत की तो उन्होंने एस० ई० तथा अधिशासी अभियन्ता से पूछा तो बताया गया कि सीधे मुख्यमंत्री जी के आदेश थे ठाकुरद्वारा में बनाने के लिये । इसी प्रकार विधायक की संस्तुति पर 5 ग्रामों का विद्युतीकरण होना था । हम लोगों ने पांच गांवों को छांटकर प्रस्ताव भी भेजे, परन्तु अभी तक मुझे कोई भी विपक्षी विधायक यह कहते हुए नहीं मिला कि हमारी संस्तुति पर फलां गांव का विद्युतीकरण हुआ है । आपके माननीय सदस्यों की संस्तुति पर जो विद्युतीकरण हुआ है । अब मैं दीन दयाल उपाध्याय योजना की बात करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, सहयोग करें और हमारी विवशता को समझें ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय नेता सदन बैठे हैं । विपक्ष अपनी बात यहां पर रखना चाहता है । जैसे अभी विधायक निधि की बात यहां पर आयी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे स्पष्ट कर दिया । इसी प्रकार कई अन्य बातें यहां पर आयेंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी यदि चाहेंगे तो उसे इसी समय स्पष्ट कर देंगे ।

[समय 5 बजकर 30 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया समय का ध्यान रखें । पौने छः बजे तक आज की कार्यसूची को समाप्त करना है इसलिये समय का विशेष ध्यान रखें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सौलत अली–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ नगर निगम को जब 20 करोड़ मिल सकते हैं तो मुरादाबाद नगर निगम को 20 लाख रुपये भी क्यों नहीं आते हैं इसलिए यह तकलीफ उभरकर सामने आयी है और मुझे यह कहना पड़ा है ।

श्री अधिष्ठाता–

जिला योजना के अन्तर्गत जितने भी कार्य हैं उनको माननीय सदस्य की तरफ से जो प्रस्ताव आयेंगे उसके अनुसार क्रियान्वित किया जाता है ।

* श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो आप बीच में बोलकर व्यवधान करने लगते हैं इससे माननीय सदस्य का तारतम्य बिगड़ जाता है । इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बीच में व्यवधान न करें ।

श्री अधिष्ठाता–

अच्छा तो यह बता दें कि यह कितना समय लेंगे ।

श्री सौलत अली–

मान्यवर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं । मान्यवर, किसी भी योजना को क्रियान्वित करना आवश्यक है और उसके लिए सही नियत होनी चाहिए । अगर सरकार की नियत साफ होगी तो वह योजना क्रियान्वित होगी और उसमें सफलता मिलेगी । आपने अपने बजट भाषण में खुद इस बात को स्वीकार किया है । आपने अपने बजट भाषण में 14 योजनाओं का जिक्र किया है कि उनका क्रियान्वयन सही नहीं हो पाया है और दुरुपयोग होता है । आप खुद इस बात से सहमत हैं । आपने कहा कि सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार है उसको आप समाप्त करेंगे लेकिन एक लफ्ज भी आपने इसके बारे में इस बजट भाषण में नहीं कहा है । आपने सिर्फ नारा दिया है भयमुक्त समाज और गड्ढा मुक्त सड़कों का । मैं चाहूंगा कि आप गड्ढा मुक्त सड़कों वाली योजना को बढ़ावा देने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । इससे तो और भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा । इससे तो बेहतर यह होगा कि आप सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के बजाय सरकार के गड्ढों को पाटने की तरफ ध्यान दें । मेरे ख्याल से यह ज्यादा उचित होगा । अब मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एक जगह है लालटीकर न्याय पंचायत यह टापू है । यहां पर बरसात के दिनों में इतना पानी भर जाता है कि आदमी का चलना मुश्किल हो जाता है । लोग अपने काम पर नहीं जा पाते, कचहरी नहीं जा पाते । मरीज को अस्पताल नहीं ले जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते बार-बार यह कहा गया कि वहां पर सम्पर्क मार्ग बना दिया जाय । लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है । 1995-96 में गलती से एक गांव चतुरपुर नकटा खेड़ा अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत चयनित हो गया । वहां पर बिजली मिल गयी, पानी मिल गया, स्कूल बन गया, जब सड़क का इस्टीमेट आया तो यह कहकर इन्कार कर दिया गया कि 9-7-98 से 1000 से अधिक आबादी वाले गांव लिये जायेंगे । असेम्बली में यह क्वेश्चन आया था, और यह कहा गया कि एक हजार से ऊपर की आबादी वाले गांवों को लिया जायेगा ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसकी आबादी कम थी एक हजार से इसलिये नहीं लिया गया किन मानकों के आधार पर खड़न्जा लगाया गया, किन मानकों के आधार पर नालियां बनायीं । पहले एक हजार की आबादी का प्रतिबन्ध नहीं था ।

मान्यवर, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं । अल्प संख्यकों के लिये बड़े लालीपाप दिखाये गये हैं और कहा गया है कि उनको देने वाली छात्रवृत्ति को दुगुना कर दिया गया है । इससे इन अल्पसंख्यकों का भला होने वाला नहीं है । 15-15 सालों से अल्पसंख्यकों के स्कूलों को अनुदान पर नहीं लाया गया है । अगर आप इसका प्राविधान किये होते तो उनका भला होता ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह बजट हर अंधेरे घर में उजाला, हर हाथ को काम देने वाला और हर उदास चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट है । यह बजट प्रदेश के बहुमुखी विकास वाला बजट है । मान्यवर, इस बजट में जनता के हित के लिये तमाम बातें कही गयी हैं । रजिस्ट्री कार्यालय में तमाम अनियमिततायें हो रही थीं, उनको समाप्त करने के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि अगर स्टाम्प पेपर उपलब्ध न हो तो रसीद से काम चलाया जा सकता है । जिस दिन रजिस्ट्री के लिये विक्रयनामा प्रस्तुत किया जाये, उसी दिन रजिस्ट्री होकर उसे मिल जाये, इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है । इससे लोगों को बहुत राहत मिली है । उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हुआ है । हमारी सरकार ने किसान सेवा केन्द्रों तथा तहसील दिवसों पर सरकारी अधिकारियों को जाने के निर्देश दिये हैं, जिससे वह जनता की समस्याओं को सुन सकें और उनको हल कर सकें । जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जनता दरबार प्रत्येक सोमवार का निर्धारित किया है । ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है । 1991 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इसी तरह की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन जब बाद की सरकारें आयीं तो उन्होंने उसको तोड़ दिया । मान्यवर, हमारी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से 12 बजे तक जनता की समस्याओं के निराकरण के लिये समय निर्धारित किया है, जिससे जो व्यक्ति परेशान रहते थे, उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके ।

मान्यवर, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं । इसलिये शिक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । हमारी सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश लाकर बहुत क्रान्तिकारी कदम उठाया है । इससे मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और जो चाकू और कट्टे की बदौलत परीक्षा पास करते थे, उनको सजा मिलेगी ।

मान्यवर, गरीब व्यक्तियों के लिए विशेष राशन कार्ड की व्यवस्था तथा नई राशन प्रणाली के तहत बुकलेट की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, उ० प्र० राज्य कल्याण निगम द्वारा अभी तक दुपहिया वाहनों की कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा खरीदने पर बिक्रीकर नहीं पड़ता था लेकिन इससे निगम द्वारा लाखों रुपये का भ्रष्टाचार होता था जिसे इस सरकार ने समाप्त किया है ।

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश के लिए जो काम किया उसके लिए उन्हें जो पेंशन 1500 रुपये मिलती थी उसे इस सरकार ने बढ़ाकर 2250 रुपये कर दिया है । यह प्रशंसनीय काम हमारी सरकार ने किया है ।

मान्यवर, विकास की धारा गांव की ओर मोड़ी गयी है जिससे 70% ग्रामीण विकास के लिए रखा है। जवाहर रोजगार सुनिश्चित रोजगार और ट्राइसम रोजगार योजनाओं द्वारा अधिक धनराशि देने की व्यवस्था इस सरकार ने किया है।

मान्यवर, पेयजल योजना के अन्तर्गत 56 करोड़ रुपये का प्राविधान करके 50 हजार इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प देने की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, न्याय पंचायतों में बड़े गांव में एक पक्का कुआं बनाया जाएगा जिससे बिजली न आने से पेयजल की समस्या हल हो जायेगी।

मान्यवर, इस बजट में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 2,133 गांवों के विद्युतीकरण का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, प्रत्येक जनपद में एक विकास खण्ड एक न्याय पंचायत एक नगर पंचायत आदर्श बनाये जाने की सरकार ने व्यवस्था किया है। इसी के साथ प्रत्येक विकास खण्ड में एक गांव वाद रहित गांव बनाने की भी व्यवस्था सरकार कर रही है।

मान्यवर, कृषि डिप्लोमा धारकों को जिनकी सेवाओं का वर्षों से अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा था, उन्हें सरकारी सेवा में लेने का हमारी सरकार ने बजट में प्राविधान किया है जिससे कृषि का प्रसार होगा।

मान्यवर, किसान बही के वितरण से किसानों को अपनी जमीन का हिसाब, हैसियत मूल प्रमाण-पत्र की आवश्यकता अब पूरी होगी।

मान्यवर, हमारी सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि किया। किसानों को गन्ने के मूल्य का 200 करोड़ रुपये भुगतान करके किसानों को राहत दी गयी है। मान्यवर, पहली बार हमारी सरकार ने बैंकों के माध्यम से भुगतान किया जिससे किसानों का शोषण बन्द हुआ है।

मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना, स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, जवाहर योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और ट्राइसम कल्याणकारी योजनाओं द्वारा हमारी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सिंचाई की निःशुल्क व्यवस्था किया है। शहर के गरीब व्यक्ति को जिसकी कोई निश्चित आय नहीं है। उन्हें 5, 10, 15 रुपये प्रतिदिन जमा करने पर आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। दीनदयाल योजना के अन्तर्गत गांव से गांव जोड़ना गाव से पक्की सड़क जोड़ना, सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास पुलों का निर्माण, सिटी बस सेवा कल्याणकारी योजना की घोषणा की है।

मान्यवर, बिजली के संबंध में विरोधी पक्ष के लोगों ने काफी विरोध किया है प्लान्ट लोड फैक्टर सितम्बर, 1997 से 48 प्रतिशत से बढ़कर अब 58 प्रतिशत हो गया है। इस वृद्धि का विशेष कारण था कि बिजली चोरी पर सरकार ने रोक लगाई है।

हमारी सरकार ने विद्युत चोरी रोकने के लिये एक अभियान चलाया है और तुरन्त कनेक्शन देने की व्यवस्था की है जो लोग कटिया डालकर चोरी करते थे उनके लिये कटिया हटाओ कनेक्शन लगाओ की योजना चलाई है। इस प्रकार एक लाख कनेक्शन दिये गये हैं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र मोदीनगर है सन् 1932 में गूजरमल मोदी ने इसकी स्थापना की थी, पिछले 45 सालों में देश और प्रदेश की सरकारें बदलती रहीं लेकिन मोदीनगर का ध्यान किसी सरकार ने नहीं रखा जिसका नतीजा यह हुआ है कि मोदी नगर की सारी फैक्ट्रियां बन्द हो गयी हैं। जिसके कारण मजदूर भुखमरी के कगार पर है। मेरी मांग है कि मोदीनगर, फरीदनगर और पिलखुवा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप समाप्त करें और हमारा सहयोग करें।

श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। पिलखुवां में विद्युत के लिये एच० वी–2 स्थाई की व्यवस्था की जाय। वहां हजारों की संख्या में हैण्डलूम और पावरलूम लगे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा।

मेरे क्षेत्र धोलाना में जलभराव की बड़ी समस्या है जिसके कारण लाखों रुपयों की जन-धन की हानि होती है। उस क्षेत्र के पानी के निकासी की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ प्रदेश के मुखिया ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण सहमत होंगे जो समय है उसमें दो तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें, कृपया हमारा इसमें सहयोग करें। 5 मिनट कुछ सूचनाओं को सदन में देने में लगेगा जैसे कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश आदि है।

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का समय दिया इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है यह गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। जब से यह सरकार आई है तब से पूरे प्रदेश में जंगलराज फैला हुआ है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जगह-जगह पर बलात्कार, चोरी, डकैती और अपराध हो रहे हैं, लखनऊ के अन्दर ही आप देखें जिस तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। जनजीवन अस्त-व्यस्त है। 1998 के पहले दिन से मई के अन्त तक डकैतियों की संख्या में 30.92 की बढ़ोत्तरी हुई है। लूट में 19.72 की बढ़ोत्तरी हुई है, हत्या और जुर्म में 8.65 की बढ़ोत्तरी हुई है। ग्रहभेदन में 25.8 की बढ़ोत्तरी हुई है। अन्य धाराओं में 11.63 की बढ़ोत्तरी हुई है। इस तरह से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज फैला हुआ है।

आज वह प्रदेश के विकास की बात करते हैं, किसान सेवा केन्द्र की बात करते हैं, तहसील दिवस की बात करते हैं। किसान सेवा केन्द्र में कोई भी अधिकारी जाकर काम नहीं करते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के राशन कार्ड नहीं बनाये गये हैं। यहां पर किसान बही की बात हो रही है, उसके नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। लेखपाल जाता है और 50 रु० लेकर तब बही देता है।

तहसील दिवस में आप देखें जितनी भी समस्यायें हैं उनका निराकरण नहीं होता है। मुख्य मंत्री जी ने आंकड़े पेश किये हैं। गरीबों को पट्टे देने की बात कही है। मेरी निश्चित जानकारी है, भूमिहीन गरीब हरिजनों को पट्टे नहीं दिये गये हैं। इसकी जांच करनी है तो मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में अमरापुर है वहां 156 एकड़ भूमि के पट्टे बटे हैं। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उन्हें पट्टे नहीं दिये गये हैं। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको पट्टे दिये गये हैं। जांच के दौरान उसमें लोग दोषी पाये गये लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक दबाव के कारण आज तक पट्टे निरस्त नहीं किये गये हैं। इस बजट में खाद और बीज के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है यहां पर 70 प्रतिशत किसान प्रत्यक्ष रूप से कृषि का कार्य करते हैं।

भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

45 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। मान्यवर, किसान का जितना शोषण होता है उतना किसी का नहीं होता है। गन्ना मूल्य की बात सरकार करती है कि जितना भुगतान इस सरकार ने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। मैं गोण्डा जिले की बात करता हूं। नवाबगंज शुगर फैक्टरी का पुराना लाखों रुपया का बकाया है लेकिन सरकार ने किसानों का भुगतान नहीं किया है। आप किसान की बात करते हैं। मान्यवर, आज सिंचाई की व्यवस्था देख लीजिये जितने कुलावे हैं वह टूट चुके हैं। किसान का उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? मान्यवर, किसान इस प्रदेश की रीढ़ है जिस दिन किसान कमजोर हो जायगा उस दिन यह प्रदेश भूखा मर जायगा। इसलिये यह सरकार जो कहती है कि 70 फीसदी बजट किसानों के विकास के लिये है वह बिल्कुल गलत है। किसान को न खाद न बीज मिल रहा है न कोई प्राविधान है। कोई विकास की बात किसानों के लिये नहीं रखी गयी है। अगर किसानों का भला चाहते हैं तो 5 हार्सपावर बिजली का कनेक्शन फ्री किया जाय जिससे किसान आगे आये और प्रदेश का विकास हो। आप देखें कि किसान आज भुखमरी के कगार पर आ गया है। आज आप देखें कि पेड़ों का कटान बहुत हो रहा है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जिसका जन जीवन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और लाखों लोग बीमार हो रहे हैं। शिक्षा के मामले को देखें आज पूरे प्रदेश में शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है। एजूकेशन विकास की पहली कड़ी होती है। अगर प्रदेश के लोग शिक्षित होंगे तो वहां का नौजवान अपना रोजगार स्वयं ढूंढ लेगा।

आज न्याय पंचायत स्तर पर कोई हाईस्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल जितने हैं वहां पर पढ़ाई नहीं होती है। वहां पर जाकर देखें बड़ी दुर्दशा है। जो पुष्टाहार योजना चलायी गयी है उसका सामान जितने कोटेदार हैं वहां बेच दिया जाता है। आज सदन में एक मामला आया था जिस तरह से प्राइवेट संस्थाओं में फीस में बढ़ोत्तरी हो रही है मनमाने ढंग से फीस ली जा रही है अभिभावक परेशान हैं। सरकार अक्षम है। यह सरकार शिक्षा नीति की बात करती है। मेरा कहना है कि सरकार को समान शिक्षा नीति बनानी चाहिये आज गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। गरीबों के लिये जो योजनायें दर्शायी जाती हैं वह सब कागज पर फर्जी होती हैं गरीबों के लिये समान शिक्षा नीति बनायी जाय। गांवों में गरीबों को चीनी और मिट्टी का तेल नहीं मिलता है उसकी कालाबाजारी हो रही है। आज तक गांव का किसान, गरीब को एक किलो चीनी नहीं मिलती है सब कोटेदार बेच देते हैं। क्षेत्र में जाने पर शिकायतें आती हैं कि चीनी और मिट्टी का तेल नहीं मिलता है।

आज यह प्रशासन जो बैठा है यह केवल आंकड़ों पर बैठा है फर्जी आंकड़े देकर यहां पर सदन के अंदर जिस तरह से किसानों नौजवानों, मजदूरों के लिये योजनायें चलाये जाने की बात कही जाती है वह सरासर झूठ है। इंदिरा आवास में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका चयन नहीं किया जाता है उन्हीं लाभार्थियों का चयन किया जाता है जो ब्लाक स्तर पर 4 हजार रुपये देते हैं। ब्लाकों पर धांधलेबाजी की जाती है। इसी तरह अम्बेदकर गांवों के नाम पर बहुत सी सड़कें जो पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये बनायी गयी हैं वह केवल कागज पर दिखायी गयी हैं जो कुछ काम भी पिछले समय हुआ है वह ठप कर दिया गया है। विद्युत की व्यवस्था भी इन गांवों में ठीक से नहीं की जा रही है। अगल बगल के तमाम गांव पड़े रहते हैं सरकार विद्युत की बात करती है। अगर ट्रांसफारमर खराब हो जाता है तो सरकार कहती है कि 72 घंटे में वह बदला जायगा लेकिन असल में मेरे क्षेत्र में 3-3 महीने हो गये हैं ट्रांसफारमर नहीं बदले गये हैं। आप कहते हैं कि 15 दिन में कनेक्शन दिया जायगा लेकिन मेरी जानकारी है कि जिस तरह से कनेक्शन देने में इस सरकार में धांधली की जा रही है वह किसी भी सरकार में नहीं हुई है।

(इस समय 5 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आज लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। पता नहीं कितने लाख नवजवान शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर। आप यह सिर्फ फर्जी आंकड़े देते हैं कि हम उन नवजवानों को रोजगार देंगे। बैंकों से प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिन्हें उसका लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है फर्जी तरीके से दूसरे लोग उसका लाभ उठा रहे हैं जो उसका हकदार है जब वह इसके अन्तर्गत बैंक से पैसा लेने जाता है तो उसको भगा दिया जाता है उसको पैसा नहीं मिलता है। वास्तव में मान्यवर, जो पात्र है उसको लाभ नहीं मिलता है। मेरी निश्चित जानकारी है। मेरे क्षेत्र में न जाने कितने ऐसे बेरोजगार पढ़े लिखे नवजवान हैं जो ब्लाक का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। मान्यवर, आंकड़ों से कोई सरकार नहीं चलती है। अगर आपको वास्तव में कुछ करना है तो इसको प्रत्यक्ष रूप से देखिये। आप गरीब, मजदूर, बेरोजगार की बात बस आंकड़ों में करते हैं वास्तव में उनके लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, अस्पतालों की बात की जाती है। जिला अस्पताल में जाइये वह गन्दगी से भरे हैं। जब तक डाक्टर को पैसा नहीं दीजिये वह मरीज को छूता नहीं उसका चेक-अप नहीं करता है। यहां पर बैठकर मान्यवर, आप गरीबों की बात करते हैं लेकिन जो वास्तव में गरीब हैं उनके स्वास्थ्य के लिये क्या व्यवस्था की है। गरीबों के लिये फ्री इलाज होना चाहिए। आज यदि वह नर्सिंग होम में नहीं जाता है तो उसका इलाज नहीं हो सकता है क्योंकि डाक्टर अस्पतालों में मिलते नहीं हैं सब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह सरकार फर्जी आंकड़े देकर सरकार चलाने का काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

*श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सरकार के प्रति आक्रोश है थोड़ा समय दे दें बोलने के लिये।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करिये। ज्यादातर माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि सदन की कार्यवाही 6 बजे तक चले। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, इस बजट में सरकार ने कहा है कि सन् 2000 तक सारे गांवों में पेयजल की समस्या खत्म हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जल निगम द्वारा जो इंडिया मार्का नल लगाया जाता है वह प्रभावशाली व्यक्ति के दरवाजे पर लगाया जाता है। गांव के आदमी डी० एम०, एस०डी०एम० और ब्लाक पर जाते हैं परन्तु उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। आप कहते हैं कि तहसील दिवस में सारे मजदूरों, किसानों, गरीबों की समस्याओं को दूर किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है उनको भगा दिया जाता है। इंडिया मार्का हैंड पम्प के विषय में वह कहता है परन्तु गांव में जरूरतमंदों के लिये न लगाकर प्रभावशाली व्यक्तियों के दरवाजों पर लगा दिया जाता है। आज व्यापक रूप से इण्डिया मार्का नल लगाये जाने में धांधलीबाजी हो रही है। चबूतरे मानक के अनुसार नहीं बनाये जा रहे हैं और न पानी का परीक्षण कराया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में बभनान शुगर मिल है, उसका गन्दा पानी आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है जिससे वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है वहां का पानी पीने से छोटे-छोटे दाने शरीर पर निकल रहे हैं। मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। बभनान शुगर मिल द्वारा गन्ना कृषकों का व्यापक रूप से शोषण किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कर दें।

श्री राम विशुन आजाद–

आपके माध्यम से मान्यवर, मैं इस सरकार की आंखें खोलना चाहता हूं मान्यवर, गोण्डा में नबाबगंज शुगर मिल के ऊपर गन्ना किसानों का लाखों रुपया बकाया है इसका तत्काल भुगतान करा दें।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

बभनान शुगर मिल का गन्दा पानी आसपास के गांवों में फैला रहता है, ध्वनि प्रदूषण से कितने लड़कों के कान बहरे हो गये हैं, वायु प्रदूषण फैल रहा है आंखों के रोग फैल रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

इस सरकार ने भेदभाव किया है एक भी पैसा राज्य योजना में मेरे क्षेत्र में नहीं दिया है, मान्यवर, जितने भी मंत्री हैं और जितने प्रभावशाली लोग हैं वह अपने क्षेत्र में सड़कें बनवा लेते हैं मान्यवर, हम भी जनप्रतिनिधि हैं मान्यवर, मेरे क्षेत्र के साथ सरकार द्वारा भेदभाव किया गया है। हमें भी पैसा मिलना चाहिए जिससे मेरे क्षेत्र का विकास हो ताकि हम भी अपने क्षेत्र में काम करवा सकें।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मनकापुर से नवाबगंज जाने के लिए ऊंटाघाट का पुल टूट गया है, इस पर सरकार का कई बार ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया। चौखट घाट पुल, श्रृंगार घाट का पुल टूट गया है। मेन सड़कें टूट गयी हैं मान्यवर, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है आये दिन मसकन्वा बभनान मार्ग पर दुर्घटनायें होती रहती हैं।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

यह हंस रहे हैं मान्यवर, इनको [x x x] नहीं आती है। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है यह गरीबों की बात करते हैं। यह सरकार मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है यह सरकार गन्ना कृषक विरोधी है मैं इस सरकार का घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम विशुन आजाद–

यह मजदूर विरोधी सरकार है, मान्यवर, यह किसान विरोधी सरकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 23 जून, 1998 की अपनी बैठक में सदन के दिनांक 24 जून, 1998 से 22 जुलाई, 1998 तक के सदन द्वारा अनुमोदित उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1. दिनांक 25 जून, 1998 को सदन की बैठक न रखी जाय।

2. दिनांक 29 जून, 1998 को आय-व्ययक पर साधारण चर्चा रखी जाय। दिनांक 29 जून, 1998 के लिए निर्धारित कार्यक्रम को दिनांक 22 जुलाई, 1998 को रखा जाय और 22 जुलाई, 1998 के कार्यक्रम को दिनांक 23 जुलाई, 1998 को रखा जाय।

3. दिनांक 23 जुलाई, 1998 को भी सदन की बैठक रखी जाय।

4. दिनांक 24, 26 तथा 29 जून, 1998 को आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के दिनों में नियम 56 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

5. सदन के दिनांक 24 जून, 1998 से 23 जुलाई, 1998 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

जून, 1998

24 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
25 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
26 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। (2) (I) नियम–103 के अन्तर्गत श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :– "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अधिवक्ताओं के समुचित प्रतिनिधित्व हेतु 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) की अन्तिम पंक्ति के प्रारम्भ में प्रयुक्त शब्द 'साहित्य' से पूर्व शब्द और चिन्ह 'विधि' रख दिये जायें।"

(II) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले गोवर्धन, जतीपुरा तथा राधाकुण्ड गांवों में लिये जा रहे सभी प्रकार के 'आवागमन कर' तत्काल समाप्त किये जायं।"

(III) नियम 103 के अन्तर्गत श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घंटे की चर्चा:–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के समस्त राजमार्गों पर, प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुधारने के लिए, पीपल व नीम के वृक्षों का, ऐसे राजमार्गों के दोनों ओर वृहद रूप से वृक्षारोपण किया जाय।"

27 शनिवार
28 रविवार — बैठक नहीं होगी।

29 सोमवार
30 मंगलवार — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

जुलाई, 1998

1 बुधवार
2 गुरुवार
3 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(1) असरकारी दिवस (आधा दिन)

(2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

4 शनिवार
5 रविवार — बैठक नहीं होगी।

6 सोमवार — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य।

7 मंगलवार — (ईद–ए–मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

8 बुधवार
9 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

10 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (आधा दिन)
11 शनिवार 12 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
13 सोमवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) 5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य
14 मंगलवार 15 बुधवार 16 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
17 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस (आधा दिन) (2) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (आधा दिन)
18 शनिवार 19 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
20 सोमवार 21 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
22 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) 5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य
23 बुधवार	(1) वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (4.00 बजे अपराह्न तक) (2) 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1998 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज मा० अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है से सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति विषयक प्रस्ताव से जिसकी सूचना मा० संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा दी गई है से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 23-6-98 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं :

पहली सूचना श्री राम औतार शाक्य की यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है : विषय है जनपद फर्रुखाबाद स्थित संकिता-बौद्ध पर्यटक स्थल में लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1992 में निर्मित पर्यटक आवास गृह को पर्यटन विभाग को स्थानान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि की है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है विषय है सम्पर्ण प्रदेश में मान्यता प्राप्त अप्रशिक्षित अध्यापकों तथा पत्राचार बी० टी० सी० प्रशिक्षण शासनादेश एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा न होने से अध्यापकों के शोषण के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना डा० राम बाबू हरित की है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है विषय है प्रदेश के माँध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्धकों द्वारा अभिभावकों व शिक्षकों का आर्थिक शोषण किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। शेष डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम जग , श्री अजय भट्ट, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई, श्री कृपाशंकर सिंह, श्री छोटेलाल गंगवार, श्री भारत सिंह रावत श्री तेजभान सिंह, श्री लाखी राम जोशी की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:
23 जून, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी "क"

देखिये नत्थी 'क' अता०प्र०सं० 84 पीछे पृष्ठ 53 पर

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री चेतराम द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का संलग्नक

वर्ष 1997 एवं 1998 के कलेण्डर वर्ष में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से जिन-जिन व्यक्तियों को अवकाश यात्रा सुविधा प्रदान की गई की सूची ।

वर्ष 1997

सर्वश्री–

1–शारदा प्रसाद त्रिपाठी
2–जय प्रकाश नारायण दुबे
3–जगरूप यादव
4–रतन कुमार गोस्वामी
5–ध्रुव लाल
6–कल्लू राम शर्मा
7–मुन्नी लाल यादव
8–के०एन० सिंह
9–विनोद सक्सेना
10–ज्ञानेन्द्र नाथ
11–त्रिभुवन नारायण सिंह
12–वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय
13–महेन्द्र चन्द्र
14–कृष्ण कुमार सिन्हा
15–आद्या प्रसाद पाण्डेय
16–सन्तोष कुमार–I
17–त्रिलोकी नाथ मिश्र
18–श्याम नाथ शुक्ला
19–बांके लाल विश्वकर्मा
20–नरेन्द्र सिंह पवार
21–केशव प्रसाद लाल
22–राम चरण
23–अजीज अहमद
24–राम ललन पाण्डेय
25–मुहम्मद अख्तर सिद्दीकी
26–मदन मोहन लाल
27–कैलाश नाथ जायसवाल
28–मौजी लाल
29–शिव शंकर लाल जायसवाल
30–ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव
31–विश्वनाथ प्रसाद
32–सुनील कुमार श्रीवास्तव

वर्ष 1998

सर्वश्री–

1–मो० उमर
2–मलिक नसीम अहमद
3–गजाधर सिंह
4–सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव
5–मो० यूनुस
6–अरविन्द कुमार
7–कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव
8–हरि शंकर मिश्र
9–मो० अहमद
10–लाल बहादुर यादव
11–वीरेन्द्र नाथ शर्मा
12–नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
13–सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव Π
14–जगदीश नारायण शुक्ल
15–रमेश चन्द्र श्रीवास्तव
16–राम लखन कुशवाहा
17–शिव सागर लाल
18–धीरेन्द्र किशोर रायजादा
19–बृजेश कुमार मिश्र
20–सरजू प्रसाद
21–रमेश चन्द्र शर्मा
22–जगमोहन पटेल
23–संगम लाल यादव
24–सुब्रत भौमिक
25–संतोष कुमार Π
26–जीवन लाल
27–राम नेति राव
28–मणिक प्रसाद श्रीवास्तव
29–अनिल कुमार श्रीवास्तव
30–श्रवण कुमार सक्सेना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

देखिये अता० प्र० सं० 178 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर

विधान सभा प्रश्न संख्या 178 का संलग्नक

शिकायती बिन्दु--

1-कक्षा-8 एवं 11 में घूस लेकर प्रवेश लिया जाना ।

2-अधिक छात्राओं की संख्या दिखाकर स्वकेन्द्र बनाया जाता है जिसमें नकल होती है ।

3-सामूहिक नकल के कारण उच्च श्रेणी में परीक्षाफल घोषित होता है ।

4-विद्यालय में नकल कराने हेतु धन लिये जाने की शिकायत ।

5-विद्यालय में कक्षा 9, 10 एवं 11 में फर्जी टी०सी० बनाकर धन वसूलना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०-एल० 273 विधान सभा (407) 1998-813 (डी० टी० पी०) ।